

International Financial
Services Centres Authority

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय
सेवा केंद्र प्राधिकरण

ANNUAL REPORT

वार्षिक रिपोर्ट

2020-21





वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

यह रिपोर्ट भारत के राजपत्र में 28 फरवरी, 2022 को
अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
(वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां और विवरण तथा अन्य
व्यष्टियां) नियम, 2022 में निर्धारित प्रारूप के अनुरूप है



Injeti Srinivas
Chairperson




सचिव,
भारत सरकार,
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली - 110 001

410/आईएफएससीए/ईपीए/एआर/2021-22

जुलाई 28, 2022

प्रिय महोदय,

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 19(2) के उपबंधों के अनुसार, मैं एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II खंड 3 उप-खंड (i) में, 28 फरवरी, 2022 को अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां तथा विवरण और अन्य विशिष्टियां) नियम, 2022 में निर्धारित किए गए प्रारूप में, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित कर रहा हूँ।

भवदीय,

(इंजेती श्रीनिवास)
संलग्न: उपरोक्तानुसार

The Secretary,
Government of India,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance, North Block,
New Delhi - 110 001

410/IFSCA/EPA/AR/2021-22
July 28, 2022

Dear Sir,

In accordance with the provisions of Section 19(2) of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, I forward herewith a copy of the Annual Report of the International Financial Services Centres Authority for the year ended March 31, 2021, in the format prescribed in the International Financial Services Centres Authority (Annual Report and Returns and Statements and Other Particulars) Rules, 2022, notified on February 28, 2022, in Part II Section 3 Sub-section (i) of the Gazette of India Extraordinary.

Yours faithfully,


(Injeti Srinivas)

Encl.: As above

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

Second & Third Floor, PRAGYA Tower, Block 15, Zone 1, Road 1C, GIFT SEZ, GIFT City,
Gandhinagar-382 355, Gujarat, India. P: +91 79 6180 9800

खण्ड क

लक्ष्यों और उद्देश्यों का विवरण

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) की स्थापना 27 अप्रैल, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन एकीकृत वित्तीय नियामक के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) गांधीनगर गुजरात में स्थित है।

भारत सरकार ने आईएफएससीए को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए पसंदीदा वैश्विक गंतव्य बनाने के लिए भारत में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में वित्तीय सेवाओं को विकसित और विनियमित करने के लिए तथा व्यवसाय करने को सरल बनाने (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) पर आधारित विश्व-स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के अधिदेश के साथ अधिसूचित किया।

आईएफएससीए, एकीकृत वित्तीय नियामक के रूप में, बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाजार, पेंशन और निधियों के कार्यक्षेत्र में भारत में आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के प्रति समग्र विज़न को अपनाता है। वर्तमान में गिफ्ट आईएफएससी भारत में एक मात्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। आईएफएससीए की स्थापना से पहले, चार घरेलू वित्तीय क्षेत्र नियामक अर्थात आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए, आईएफएससी के भीतर संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों को विनियमित करते थे।

विज़न:

आईएफएससी को सेवा हेतु क्षेत्रीय और वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तैयार करने के अलावा, विश्व स्तर का विनियामक वातावरण प्रदान करना और भारत के आर्थिक विकास पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित करते हुए इसे प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करना।

मिशन:

आईएफएससी को व्यवसाय-समर्थक वातावरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, बीमा और पूंजी बाजार के कार्यकलापों के लिए सुविविध और विश्व स्तर पर एक ऐसे प्रतिस्पर्धी वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करना जो प्रगतिशील विनियामक संरचना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे और विधिवत रूप से प्रतिभाशाली वित्तीय व्यावसायिकों से समर्थित हो और भारतीय अर्थव्यवस्था और क्षेत्र दोनों की समग्र रूप से सेवा करे।

लक्ष्य और उद्देश्य:

1. देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के सुदृढ़ आधार के विकास को सुकर बनाना।
2. आईएफएससी को भारत में और भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह का प्रमुख प्रवेश द्वार बनाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करना।
3. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए क्षेत्रीय/वैश्विक केंद्र के रूप में उभरना।
4. सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप सुदृढ़ विनियम और पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी के साथ अत्याधुनिक एकीकृत नियामक फ्रेमवर्क प्रदान करना।
5. प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्राधिकारों के साथ सुदृढ़ वैश्विक संबंध विकसित करना।

अध्यक्ष का संदेश

भारत सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं की मांग बहुत अधिक बढ़ रही है और इसे अपतटीय क्षेत्राधिकारों से प्राप्त किया जा रहा है। आईएफएससी की अवधारणा का उद्देश्य इस अवसर का लाभ उठा कर अपतटीय परिस्थितियों जैसी तटीय परिस्थितियां बनाकर इसे भारत के भीतर और बाहर निवेश के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार बनाना है।

भारत सरकार ने भारत का पहला आईएफएससी अप्रैल 2015 में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) में परिचालित किया। गिफ्ट आईएफएससी को वित्तीय और आईटी दोनों क्षेत्रों में कुशल संसाधनों के विशाल प्रतिभा पूल के साथ आंतरिक क्षेत्रों वाली बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत की विकास की कहानी में भाग लेने के लिए तत्पर अवसर की तलाश में लगे 30 मिलियन से अधिक प्रवासी भारतीयों का स्वाभाविक लाभ मिला है। यह सबसे अच्छे क्षेत्राधिकारों के बराबर अनुकूल पूंजी खाते की परिवर्तनीयता और कर व्यवस्था प्रदान करता है। गिफ्ट आईएफएससी का उद्देश्य, अपने लागत प्रतिस्पर्धी लाभों, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के नियमों, और व्यवसाय करने में आसानी पर जोर देने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाते हुए स्वयं को वित्तीय सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यह एक ऐसा विशेष वित्तीय क्षेत्र है जिसे विदेश विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अधीन अपतटीय क्षेत्र माना जाता है। नवीनतम वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक रिपोर्ट (मार्च 2021) के अनुसार गिफ्ट-सिटी में आईएफएससी को वैश्विक स्तर पर 15 केंद्रों में शीर्ष पर रखा गया है, जिसके अगले दो से तीन वर्षों में और अधिक महत्वपूर्ण बन कर उबरने की संभावना है।

भारत सरकार ने भारतीय संसद द्वारा दिसंबर 2019 में पारित आईएफएससी अधिनियम के तहत आईएफएससी की स्थापना अप्रैल 2020 में की और आईएफएससी ने अक्टूबर 2020 में एकीकृत नियामक के रूप में अपना संचालन शुरू किया। भारत में चार वित्तीय क्षेत्र नियामकों अर्थात् आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए की नियामक शक्तियों को पहली बार आईएफएससी में वित्तीय संस्थानों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय उत्पादों के विकास और विनियम के संबंध में आईएफएससी में विहित किया गया है, जिससे यह एकीकृत नियामक बन गया है।

अत्याधुनिक नियामक होने के नाते, आईएफएससी अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप सुदृढ़ नियम और पर्यवेक्षी तकनीक प्रदान करता है। आईएफएससी की सोच विनियमों में स्थिरता, निश्चितता और स्पष्टता प्रदान करना है ताकि वैश्विक निवेशकों के लिए व्यापार के अनुकूल ऐसा वातावरण सुनिश्चित किया जा सके, जिसकी तुलना अभिनव विचारों को लचीलेपन के साथ प्रयोग करने और लागू करने के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वोत्तम क्षेत्राधिकारों के साथ की जा सकती है। तथापि, आईएफएससी के अधिदेश में न केवल वित्तीय सेवा व्यवसाय को 'विनियमित' करना बल्कि उन्हें 'विकसित' करना भी है।

आईएफएससी भारत और विदेश में स्वच्छ, हरित और जलवायु-अनुकूल लचीली अवसंरचना परियोजनाओं में संभावित तैनाती के लिए पूंजी जुटाने हेतु सतत वित्त हब के विकास पर कार्य कर रहा है। हमारा प्रयास है कि पूंजी बाजार, बैंकिंग और बीमा के स्पेक्ट्रम में हरित और सतत वित्त के लिए कुशल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाए।

भारत से उत्पन्न होने वाले बहुत से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा व्यवसाय के प्रमुख भाग का लेन-देन वर्तमान में अपतटीय क्षेत्राधिकारों में किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत देशीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दोनों में विश्व में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से विकसित हो रहे विमानन बाजारों में से एक है। वर्तमान में, भारत में अधिकांश वायुयानों को अपतटीय आधारित लेसर्स से लीज पर दिया जाता है। आईएफएससी ने आईएफएससी में वायुयान लीज पर देने वाले कार्यकलापों के लिए पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं।

आईएफएससी का ध्यान प्रौद्योगिकी को उपलब्ध कराने, इसे सुलभ और सस्ता बनाने पर केंद्रित है। आईएफएससी विश्व-स्तरीय फिनटेक हब विकसित करने के उद्देश्य से, वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं में फिनटेक पहल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। आईएफएससी ने इस विज्ञान की दिशा में एक कदम के रूप में, विनियामक के साथ-साथ नवाचार सैंडबॉक्स की भी रूपरेखा प्रस्तुत की है। इस सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के अधीन, पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा और अन्य संबद्ध और सहायक वित्तीय सेवाओं के स्थान पर काम करने वाली एंटीटीज को, निवेशक संरक्षण और जोखिम को कम

करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ सीमित समय-सीमा के लिए वास्तविक ग्राहकों के सीमित सेट के साथ जीवंत वातावरण में अभिनव फिनटेक समाधानों के साथ प्रयोग करने के लिए कुछ सुविधाएं और लचीलापन प्रदान किया जा रहा है।

आईएफएससीए ने एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र बुलियन बाजार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय स्वर्ण बाजार अपने महत्वपूर्ण आकार और दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता होने की महत्वपूर्ण वैश्विक स्थिति के बावजूद कई चुनौतियों के कारण अपनी क्षमता का एहसास कराने में विफल रहा है। आईएफएससी में अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना से स्वर्ण व्यापार के लिए कुशल और विश्वसनीय पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा और सोने के वित्तीयकरण की सफलता सुनिश्चित होगी जिससे बाजार पारदर्शिता में सुधार होगा, बाजार प्रतिभागियों के हितों की रक्षा होगी और भारत में वैश्विक स्तर पर सोने के मूल्य को प्रभावित करने वाले बाजार के रूप में उभरने की सुविधा प्रदान होगी।

आईएफएससीए के संचालन का पहला वर्ष कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से भरा था जिसने व्यावसायिक कार्यकलापों को धीमा कर दिया और विश्व को शारीरिक दूरी बनाकर बातचीत करने पर विवश कर दिया। बहरहाल, प्राधिकरण ने विभिन्न क्षेत्रों और वित्तीय उत्पादों के लिए नियामक व्यवस्थाओं को समाप्त करने के माध्यम से महत्वपूर्ण मील के पथर को पार करने में सफलता प्राप्त की है। इस तनावपूर्ण समय में भी निवेशकों और उद्योग कार्यकर्ताओं का उत्साह भारत में आईएफएससी की सफलता की कहानी के पहले अध्याय को चिह्नित करता है।

आने वाले वर्ष में, आईएफएससीए का उद्देश्य आईएफएससी में विभिन्न वित्तीय सेवाओं के लिए पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए नियामक फ्रेमवर्क प्रदान करना है। आईएफएससीए कुछ पहलों पर कार्य कर रहा है, इनमें एसएमई और स्टार्ट-अप्स द्वारा विदेशी पूंजी जुटाने को सुकर बनाने के लिए फ्रेमवर्क, एसपीएसीज जैसी अभिनव सूचीबद्धता के लिए फ्रेमवर्क, आईओएससीओ द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर पूंजी बाजार मध्यवर्तियों के लिए विनियम और एकीकृत फ्रेमवर्क और आईएफएससी में बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं और बीमा मध्यवर्तियों और अन्य लोगों के बीच पंजीकरण और परिचालन के लिए फ्रेमवर्क शामिल है।

आईएफएससीए, आईएफएससी को भारतीय अर्थव्यवस्था के दूसरे इंजन के रूप में और विभिन्न वित्तीय कार्यकलापों के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्राधिकरण के सदस्य (31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार)



श्री इंजेती श्रीनिवास
अध्यक्ष



श्री आनंद मोहन बजाज
अपर सचिव,
वित्त मंत्रालय



श्री पंकज जैन
अपर सचिव,
वित्त मंत्रालय



श्रीमती टी.एल.अलामेलू
सदस्य, भारतीय बीमा विनियामक
और विकास प्राधिकरण



श्रीमती इंद्राणी बैनर्जी
कार्यकारी निदेशक,
भारतीय रिजर्व बैंक



श्री आर. सुब्रमण्यन,
कार्यकारी निदेशक,
भारतीय रिजर्व बैंक



श्री सुजीत प्रसाद
कार्यकारी निदेशक,
भारतीय प्रतिभूति और
विनियम बोर्ड



श्री अनंत गोपाल दास,
कार्यकारी निदेशक,
पेंशन निधि विनियामक और विकास
प्राधिकरण

प्राधिकरण का वरिष्ठ प्रबंधन (31.03.2021 की स्थिति के अनुसार)

नाम	पदनाम
श्री मनोज कुमार	कार्यकारी निदेशक
श्री प्रवीण त्रिवेदी	कार्यकारी निदेशक
श्री दीपेश शाह	मुख्य महाप्रबंधक
श्री कुमार रघुरामन	महाप्रबंधक
श्री सुप्रियो भट्टाचार्य	महाप्रबंधक
श्री कमलेश शर्मा	महाप्रबंधक
श्री आशुतोष शर्मा	महाप्रबंधक

सारणियों की सूची

सारणी संख्या	सारणी शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	घरेलू बाजार पूंजीकरण	3
2	2020 में विश्व में क्षेत्र के अनुसार वास्तविक प्रीमियम में वृद्धि (प्रतिशत में)	5
3	पब्लिक इश्यूज के माध्यम से संसाधन जुटाना	10
4	निजी स्थापन के माध्यम से संसाधन जुटाना	10
5	प्राथमिक बाजार में ऋण और बीमा	10
6	जीवन बीमा में पैठ और घनत्व	11
7	जीवन-इतर बीमा में पैठ और घनत्व	12
8	बीयू/एफसी और एफयू के संबंध में आईएफएससीए द्वारा जारी महत्वपूर्ण विनियमों/निदेशों/परिपत्रों/दिशानिदेशों की सारणी	19
9	आईएफएससी की संपत्ति	21
10	आईबीयू के परिचालनों का विवरण	21
11	आईएफएससी में आईबीयू में जमाराशि डेरिवेटिव अनुबंधों की तुलना	22
12	आईएफएससी में एमआईआई की शेयरधारिता	26
13	गिफ्ट आईएफएससी में ट्रेडिंग सदस्य	33
14	गिफ्ट आईएफएससी में समाशोधन सदस्य	33
15	आईएफएससी एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध सूचकांक डेरिवेटिव	42
16	सूचकांक फ्यूचर्स में रुझान	43
17	सूचकांक विकल्पों में रुझान	43
18	कमोडिटी डेरिवेटिव में रुझान	44
19	आईएफएससी एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध कमोडिटी डेरिवेटिव	44
20	मुद्रा डेरिवेटिव	44
21	पोर्टफोलियो प्रबंधक (पीएम) और निवेश सलाहकार (आईए)	44
22	आईएफएससी में कार्यरत एंटीटीज की संख्या	63
23	आईआईओ और आईआईआई के लिए सार नियामक ढांचा	64
24	विनियमों की सारणी	76
25	अधिसूचनाओं की सारणी	77
26	प्रमुख परिपत्रों/दिशानिदेशों की सारणी	78
27	2020-21 के लिए धन के स्रोत	82
28	2020-21 के लिए व्यय के प्रमुख क्षेत्र	82
29	आईएफएससीए संगठनात्मक संरचना पर एक नज़र	84
30	आईएफएससी प्राधिकरण की बैठकें	85
31	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदनों की स्थिति	85
32	कर्मचारियों का स्वीकृत और वास्तविक संख्याबल	86
33	आईएफएससीए में परामर्शदाताओं की नियुक्ति	87
34	वित्त वर्ष 2020-21 में ऋण निर्गमों की सूची	89

आकृतियों की सूची

आकृति संख्या	आकृति शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	क्रॉस कंट्री समाहारित ऋण	4
2	कुल ऋण रिजर्व में संचलन	4
3	कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए नीतिगत दृष्टिकोण	6
4	सेंसेक्स और निफ्टी विवरणियां (अप्रैल'20-जनवरी'21)	11
5	आईबीयू का लेन-देन प्रवाह (मिलियन यूएसडी में)	21
6	प्रमुख क्रेडिट उत्पादों का बकाया	22
7	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार बकाया निवेश के प्रकार	22
8	देशों में प्रमुख आईबीयू का उद्घासन	23
9	एसएनएस आर्कटाइप	31
10	एक्सचेंजों पर सकल कारोबार (मिलियन यूएसडी)	42
11	मुद्रा डेरिवेटिव	43
12	मुद्रा डेरिवेटिव का टर्नओवर (मिलियन यूएसडी)	43
13	भारत में स्वर्ण नीति समयरेखा	47
14	बुलियन में वर्तमान मॉडल	48
15	प्रेषण का मॉडल	49
16	आईबीई में संरचित संघटन का आरेखित प्रस्तुतीकरण	51
17	निर्दिष्ट आईबीई के माध्यम से आयात की संरचना	51
18	भारतीय फिनटेक का पारिस्थितिकी तंत्र	57
19	फिनटेक हब के अवयव	59
20	बीमा मध्यस्थ का वर्गीकरण	63
21	(पुनः) बीमा व्यवसाय प्रीमियम अंडररिटन (भारतीय रुपये करोड़ में)	64
22	जेट बेड़े के आकार के अनुसार शीर्ष 10 देश	66
23	2020 में बिक्री और लीज बैक लेन-देन	67
24	भारत में विमान लीजिंग की यात्रा	68
25	एचआरएमएस सेवाएं	87

चित्रों की सूची

आकृति संख्या	आकृति शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	इंडिया आईएनएक्स के शुभारंभ कार्यक्रम में भारत के माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी	28
2	एनएसई का शुभारंभ गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी द्वारा किया गया	28
3	आईजीपीसी के साथ एमओयू का आदान-प्रदान	54
4	आईएफएससीए के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक के साथ नव नियुक्त अधिकारियों ग्रेड-ए बैठक	86

बॉक्स मदों की सूची

बॉक्सों संख्या	बॉक्सों शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	एसएनएस कैसे काम करता है?	31
2	निक्षेपागार रसीदों की पहली सूचीबद्धता	37
3	आरईआईटी की सूचीबद्धता के लिए मुख्य विशेषताएं	40
4	इनविट्स की मुख्य विशेषताएं	41
5	आईएफएससीए (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 की मुख्य विशेषताएं	53
6	नियामक सैंडबॉक्सों में भाग लेने के लिए पात्रता मानदंड	58
7	(पुनः)बीमा कंपनियों और परिचालन क्षेत्रों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त जानकारी	62
8	गिफ्ट-आईएफएससी में जीआईसी स्थापित करने के प्रमुख लाभ	70
9	गिफ्ट आईएफएससी में जीआईसी के लिए नियामक शासन	71

संक्षेपाक्षर

एडीआर	अमेरिकी डिपोजिटरी रसीद
एई	उन्नत अर्थव्यवस्थाएं
एआईएफ	वैकल्पिक निवेश कोष
एएलएम	आस्ति देयता असंतुलन
एमएल	एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग
एपीएसी	एशिया-प्रशांत
एआरडी	अमेरिकी निक्षेपागार रसीद
एपीआई	एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
बीडीआर	बुलियन निक्षेपागार रसीद
बीएफएसआई	बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा
बीओई	बैंक ऑफ इंग्लैंड
बीओपी	भुगतान का शेष
बीपीज	आधार अंक
बीयूज	बैंकिंग इकाइयां
सीबीडीटी	केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
सीडीआर	क्रेडिट-जमा अनुपात
सीडीएसएल	केंद्रीय निक्षेपागार सेवाएं (भारत) लिमिटेड
सीएफटी	आतंकवाद वित्तपोषण का प्रतिषेध
सीजीएम	मुख्य महाप्रबंधक
सीओएमईएक्स	पण्य एक्सचेंज
सीओपी	पक्षों का सम्मेलन
कोविड	कोरोना वायरस रोग
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीएसई	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम
डीडीजी	यथोचित परिश्रम मार्ग-दर्शन
डीईए	आर्थिक कार्य विभाग
डीएफएस	वित्तीय सेवा विभाग
डीजीईपी	निर्यात संवर्धन महानिदेशालय
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीओपी	पेंशन विभाग
डीआर	निक्षेपागार रसीद
डीटीए	घरेलू टैरिफ क्षेत्र, इसीबी-बाहरी वाणिज्यिक उधार
ईसीजीसी	निर्यात ऋण गारंटी निगम
ईडी	कार्यकारी निदेशक

ईएमई	उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं
ईएमईए	यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका
ईओडीबी	ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
ईएसजी	पर्यावरणीय, सामाजिक और कारपोरेट शासन
ईटीएफ	एक्सचेंज ट्रेडेड निधि
एफएआर	पूर्णतः सुलभ मार्ग
एफसी	वित्त कंपनी
एफसीए	वित्तीय आचरण प्राधिकरण
एफसीवाई	विदेशी मुद्रा
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
फेमा	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
एफआई	वित्तीय संस्थान, फिनटेक-वित्तीय प्रौद्योगिकी
एफपीआई	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक
एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसडीसी-एससी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद उप-समिति
एफटीडबल्यूजेड	मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीआईसी	ग्लोबल इन-हाउस सेंटर
गिफ्ट	गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी
जीएम	महाप्रबंधक
जीएमएल	गोल्ड मेटल लोन
जीएमएस	स्वर्ण मुद्राकरण योजना
जीओआई	भारत सरकार
जी-सैक	सरकारी सुरक्षा, एचआरएमएस – मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
एचटीएम	परिपक्व होने तक धारित करना
आईएसएस	भारतीय प्रशासनिक सेवा
आईएज	निवेश सलाहकार
आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता
आईबीई	इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज
आईएफएससी	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
आईएफएससी	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
आईएफएससी-आईआईआईओ	आईएफएससी मध्यवर्ती कार्यालय
आईजीपीसी	भारतीय स्वर्ण नीति केंद्र
आईआईएमए	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद
आईएनडीसी	राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
इंडिया आईएनएक्स	इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (आईएफएससी) लिमिटेड

आईएनआर	भारतीय रुपया
आईएनवीआईटी	अवसंरचना निवेश न्यास, आईपीओ-शुरुआती सार्वजनिक प्रस्ताव
आईआरडीएआई	भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण
जेएनयू	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
एलबीएमए	लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन
एलसीआर	लिक्विडिटी व्याप्ति अनुपात
एलएमई	लंदन मेटल एक्सचेंज, एलएलपी-सीमित देयता भागीदारी
एलओएलआर	अंतिम उपाय का ऋणदाता
एलआर	लेवरेज अनुपात
एलएसई	लंदन स्टॉक एक्सचेंज
एमसीएक्स	मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
एमआईआई	बाजार अवसंरचना संस्थान
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली, एमएल-मशीन लर्निंग
एमएमओयू	बहुपक्षीय समझौता-ज्ञापन
एमओयू	समझौता-ज्ञापन
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनडीसी	राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एनआईसीसीएल	एनएसई आईएफएससी समाशोधन निगम लिमिटेड
एनआईसीएआई	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्रसेवा इंक.
एनआईपीएफपी	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी
एनआईएसएम	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्यूरिटीज मार्केट्स
एनएलपी	प्राकृतिक भाषा संस्करण
एनपीए	गैर-निष्पादित आस्तियां
एनएसडीएल	नेशनल प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड
एनएसई	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनएसएफआर	निवल सतत निधि अनुपात
एनवाईएसई	न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओएमओ	ओपन मार्केट ऑपरेशंस
ओपेक	पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन
ओआरएफ	ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन
ओटीसी	ओवर-द-काउंटर
पीएफआरडीए	पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण
पीएलआई	उत्पादन जनित प्रोत्साहन
पीएमआई	परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स
पीएमएल	धन-शोधन की रोकथाम
पीएमस	पोर्टफोलियो मैनेजर

पीओसी	अवधारणा का प्रमाण
पीआरसी	प्रदर्शन समीक्षा समिति
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरडीआरआर	रिटेल जमा आरक्षित अनुपात
आरईआईटी	भू-सम्पदा निवेश न्यास
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरई	पंजीकृत एंटीटी
एसबीआई	भारतीय स्टेट बैंक
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसईजेड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसजीएक्स	सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड
एसएमई	लघु और मध्यम उद्यम
एसएनएस	अलग नामित खाता संरचना
एसपीएसी	विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी
एसपीवी	विशेष प्रयोजन वाहन
सुपेक	पर्यवेक्षी प्रोद्योगिकी
टीएलटीआरओ	लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन
यूसीसी	अद्वितीय ग्राहक कोड
यूक	यूनाइटेड किंगडम
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
यूएनएफसीसीसी	जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क
यूएस	संयुक्त राज्य
यूएसए	संयुक्त राज्य अमेरिका
यूएसडी	अमेरिकी डॉलर
वीसीसी	परिवर्तनीय पूंजी कंपनी
डब्ल्यूजीसी	वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल

विषय-वस्तु सारणी

क्रम संख्या	व्यष्टियां	पृष्ठ संख्या
1	खंड क	iii
2	खंड ख	01
	समीक्षाधीन वर्ष: सामान्य आर्थिक वातावरण का अवलोकन	02
	क. आईएफएससीए के लिए वैश्विक आर्थिक मूल्यांकन, दृष्टिकोण और अवसर	02
	ख. देशीय आर्थिक मूल्यांकन और संभावनाएं	06
3	खंड ग	13
	प्राधिकरण की नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों की समीक्षा	14
	बैंकिंग और वित्त कंपनियां	15
	पूंजी बाजार	25
	अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज	47
	फिनटेक हब और आईटी	57
	बीमा	62
	विमान लीजिंग	66
	ग्लोबल इन-हाउस सेंटर (जीआईसी)	70
	अन्य क्षेत्र	72
4	खंड घ	75
	प्राधिकरण के अर्ध-विधायी, कार्यकारी और अर्ध-न्यायिक कार्यों की सूची / व्याप्ति	76
	जीएनएलयू और आईएफएससीए के बीच जुड़ाव और साझेदारी	79
	अगले वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम	79
5	खंड ङ	81
	धन का स्रोत और व्यय के प्रमुख क्षेत्र (वित्त वर्ष 2020-21)	82
6	खंड च	83
	संगठनात्मक मामले	84
	विभागीय संरचना	84
	आईएफएससी प्राधिकरण की बैठकें	85
	सूचना का अधिकार (आरटीआई)	85
	मानव संसाधन	85
	कोविड-19 से निपटने के लिए आईएफएससीए द्वारा की गई तैयारी और प्रयास	88
7	डेटा परिशिष्ट	89

खण्ड ख

वर्ष की समीक्षा: सामान्य आर्थिक वातावरण का अवलोकन

क. वैश्विक आर्थिक मूल्यांकन, दृष्टिकोण और आईएफएससीए के लिए अवसर

वर्ष 2020-21 में एक नए कोरोना वायरस के कारण अभूतपूर्व पैमाने की महामारी देखने में आई, जो न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य बल्कि आर्थिक विकास, गतिशीलता और सामान्य जीवन की स्थितियों के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में उभरी। 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण, विश्व जीडीपी में अनुमानित 3.3 प्रतिशत¹ का संकुचन हुआ। वर्तमान में रिकवरी के अंकुर अंकुरित होते हुए देखे जा सकते हैं, तथापि सभी अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष नई चुनौतियां उभरी हैं, इसलिए वैश्विक वित्तीय स्थिरता और किसी भी संभावित अस्थिर स्थितियों के लिए नीति निर्माताओं और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों की व्यावहारिक और क्रियाशील सोच और अनुकूलनशीलता की आवश्यकता है।

वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक का सूचकांक 2020 की तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान मध्यम² और स्थिर रहा, क्योंकि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में संक्रमण के पुनरुत्थान ने विशेष रूप से संपर्क-गहन उद्योगों में सेवाओं की कार्यकलाप को अधोगति में धकेल दिया। वैश्विक व्यापार, ईएमई³ के मजबूत व्यापार प्रदर्शन के आधार पर, 2020 की दूसरी तिमाही में दिखाई दिए गहरे संकुचन से उबर गया।

वर्ष के आरंभिक हिस्से में गिरावट से उबरने के बाद, मई, 2020 से वैश्विक पण्यों की कीमतें बढ़ रही हैं। ब्लूमबर्ग कमोडिटी प्राइस इंडेक्स में 2020 की तीसरी और चौथी तिमाही के बीच 17.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में सितंबर-अक्टूबर, 2020 के दौरान घटती मांग की संभावनाओं के कारण गिरावट देखी गई, लेकिन वैक्सीन की आशा और ओपेक प्लस⁴ द्वारा उत्पादन में कटौती के विस्तार के कारण नवंबर के बाद इसमें तेजी आई। ब्लूमबर्ग के बेस मेटल स्पोर्ट सूचकांक द्वारा मापी गई बेस मेटल की कीमतों में सितंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच 28.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2020 की दूसरी छमाही में देखे गए मजबूत प्रवाहों पर कोविड-पूर्व स्तर को भी पार कर गई। औद्योगिक धातुओं की कीमत में वृद्धि के लिए लगातार आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, शिपिंग कठिनाइयों और श्रम और कंटेनर की कमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके विपरीत, 2020 में सोने की कीमतों में 25.1 प्रतिशत की बढ़त की वसूली हुई। अमेरिकी बॉन्ड उपज में गिरावट के कारण, यूएसडी के कमजोर होने से, इस अवधि⁵ के दौरान पीत धातु की सुरक्षित आश्रय अपील में वृद्धि हुई।

प्रमुख एई में सीपीआई मुद्रास्फीति सौम्य और लक्ष्य से नीचे रही, जबकि प्रमुख ईएमई के लिए, चीन, थाईलैंड और इंडोनेशिया को छोड़कर, सीपीआई मुद्रास्फीति में ज्यादातर वृद्धि हुई है, यहां तक कि उनमें से कुछ में लक्ष्य से ऊपर भी रही।⁶

1. डब्ल्यू. आईएमएफ, जनवरी, 2021 में अद्यतन

2. स्रोत: ब्लूमबर्ग; और ओईसीडी इकॉनॉमिक आउटलुक, 2021.

3. स्रोत: सीपीबी नीदरलैंड; और सीईआईसी

4. स्रोत: विश्व बैंक

5. ब्लूमबर्ग

6. स्रोत: वेबसाइट ऑफ सेंट्रल बैंक; एंड ब्लूमबर्ग

वित्तीय बाज़ार निष्पादन

पूंजी बाज़ार

वैश्विक वित्तीय बाज़ार आशावादी बने रहे, विभिन्न उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की उदार मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों और उनके वेक्सीन-पूरित वसूली पहलों से सुदृढ़ हुए। उत्पादन वृद्धि में गिरावट के बावजूद, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और ईएमई में शेयर बाज़ार 2020⁷ की अंतिम तिमाही के दौरान कुछ क्षेत्राधिकारों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। इसने बाज़ार सूचकांकों के प्रदर्शन और वास्तविक अर्थव्यवस्था और भविष्य के वित्तीय अनिश्चितता और अस्थिरता जोखिमों के बीच डिस्कनेक्ट के बारे में कुछ चिंताएं पैदा कीं। मार्च 2021 के अंत में अमेरिका, एपीएसी और यूरोप, ईएमईए देशों में कुल घरेलू बाज़ार निधि 113.59 ट्रिलियन⁸ यूएसडी थी (सारणी1)। यह मार्च 2020 के अंत की तुलना में 39% की वृद्धि दर्शाती है।

सारणी 1 - इक्विटी - घरेलू बाज़ार पूंजीकरण

इक्विटी - घरेलू बाज़ार पूंजीकरण (यूएसडी दस खरब में)					
समय अवधि	मार्च-19	मार्च-20	मार्च-21	मार्च-20 / मार्च-19 में % परिवर्तन	मार्च-21 / मार्च-20 में % परिवर्तन
अमेरिका	38.43	39.74	51.21	3	29
एपीएसी देश	26.74	25.37	37.08	-5	46
ईएमईए देश	18.03	16.58	25.3	-8	53
वैश्विक	83.2	81.69	113.59	-2	39

स्रोत: वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ़ एक्सचेंज

मार्च 2021 के अंत में सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या 56,901 थी, जिनमें से 93 प्रतिशत घरेलू और शेष विदेशी हैं। मार्च 2021 में सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या में मार्च 2020 की तुलना में लगभग 1 प्रतिशत की वृद्धि को बड़े पैमाने पर अमेरिका के क्षेत्र के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसा कि सारणी 1 में देखा जा सकता है। 2020 में आईपीओ की संख्या 1,540 तक पहुंच गई जो कि पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का 21 प्रतिशत है। एपीएसी ने सबसे अधिक आईपीओ (63%) को होस्ट किया, इसके बाद ईएमईए (19%) और अमेरिका (18%)⁹ का स्थान रहा।

2020 में आईपीओ के माध्यम से निवेश प्रवाह 280 बिलियन यूएसडी था, 2019 में इसमें 36.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई, अमेरिका और एपीएसी क्षेत्रों में वृद्धि का अनुभव हुआ, जबकि ईएमईए में गिरावट देखी गई। वर्ष दर वर्ष, केवल 2020 की दूसरी तिमाही में पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में आईपीओ के माध्यम से निवेश प्रवाह में 31.29% की गिरावट दर्ज की गई।

2020 के अंत तक प्रमुख एई में बॉन्ड उपज कम रहा। इसके लिए निम्न नीतिगत दरों और अनिश्चित समय के दौरान सुरक्षित आश्रय के रूप में बॉन्ड की बढ़ती मांग को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

बैंकिंग उद्योग


बैंकों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और सरकारी प्रोत्साहन और राहत कार्यक्रमों को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महामारी से पहले बैंकों के स्वस्थ पूंजी स्तर ने संकट से नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद की, लेकिन ऋण वृद्धि और भुगतान लेन-देन की मात्रा में कमी आई। हालांकि, इन गिरावटों को बड़े पैमाने पर व्यापारिक राजस्व और धन प्रबंधन शुल्क के रिकॉर्ड के निकट के स्तरों से ऑफसेट किया गया है।

7. स्रोत: वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ़ एक्सचेंज

8. यह डाटा दुनिया भर के 82 एक्सचेंजों के डाटा पर आधारित है।


9. स्रोत: वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ़ एक्सचेंज

क्रॉस कंट्री समाहारित ऋण



आकृति 1
स्रोत: ब्लूमबर्ग

सकल ऋण भंडार में संचलन



आकृति 2
स्रोत: ब्लूमबर्ग

कोविड-19 वैश्विक बैंकिंग उद्योग को कई आयामों पर नया आकार दे रहा है, नए प्रतिस्पर्धी परिदृश्य की शुरुआत कर रहा है, कुछ पारंपरिक उत्पाद क्षेत्रों में विकास में रुकावट डाल रहा है, नवाचार की नई लहर को बढ़ावा दे रहा है, शाखाओं की भूमिका को फिर से तैयार कर रहा है, और निश्चित रूप से, बैंकिंग और पूंजी बाजार के लगभग हर क्षेत्र में डिजिटलीकरण में तेजी ला रहा है।¹⁰

विश्व भर के नियामकों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था में विकास का समर्थन करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित किया है। हालांकि महामारी की अवधि के दौरान इन बैंकों के प्रमुख तुलन-पत्र मापदंडों के विश्लेषण से पता चलता है कि इससे अपेक्षित लाभ नहीं मिला होगा। जबकि एशिया में बैंक ऋणों में वृद्धि मजबूत रही (आकृति-1) और यूएस और यूके के बैंक ऋण हानि प्रावधान (आकृति-2) में अधिक आक्रामक रहे हैं।¹¹

बीमा उद्योग

वैश्विक बीमा उद्योग ने महामारी के समय में लचीलापन दिखाया जिससे जीवन और जीवन-इतर बीमा दोनों में रिकवरी के सकारात्मक संकेत दिखाई दिए। इस अवधि के दौरान, वैश्विक जीवन बीमा वास्तविक प्रीमियम वास्तविक रूप में 4.4 प्रतिशत¹² तक गिर गये (सारणी-4)। यह मुख्य रूप से जीवन बचत व्यवसाय में कमजोरी के कारण हुआ, क्योंकि कोविड-19 के कारण हुई आर्थिक बंदी से श्रम बाजार के झटके से घरेलू आय में तेज गिरावट आई। इसके विपरीत, जीवन-इतर क्षेत्र ने 3490 बिलियन¹³ यूएसडी (सारणी-4) तक निर्बाध विकास (+1.5%) दर्ज किया, जो उन्नत बाजारों में वाणिज्यिक रेखा दर की कठोरता से प्रेरित था। स्विस् रे रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक बीमा बाजार प्रमुख रूप से अमेरिका, चीन और जापान की तीन प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के आसपास समेकित रहा, जिनका वैश्विक बाजार का लगभग 58 प्रतिशत¹⁴ हिस्सा है। विश्व बीमा बाजार के शीर्ष बीस देशों में छह एशियाई देश (चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, भारत और हांगकांग) हैं, जिनकी बाजार हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत¹⁵ है।

10. वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक, आईएफएससीए

11. स्रोत: ब्लूमबर्ग

12. स्रोत: स्विस् रे, सिग्मा 3/2021

13. स्रोत: स्विस् रे, सिग्मा 3/2021

14. स्रोत: स्विस् रे, सिग्मा 3/2021

15. स्रोत: स्विस् रे, सिग्मा 3/2021

सारणी 2 - 2020 में विश्व में क्षेत्रवार वास्तविक प्रीमियम में वृद्धि (प्रतिशत में)

क्षेत्र	जीवन	जीवन-इतर	कुल
उन्नत बाज़ार	-5.7	1.5	-1.8
ईएमई	0.3	1.3	0.8
एशिया प्रशांत	-2.1	3.0	-0.3
भारत	-1.2	-3.1	-1.7
विश्व	-4.4	1.5	-1.3

स्रोत: स्विस् रे, सिग्मा 3/2021

सतत वित्त ¹⁶

कई सतत ऋण बाज़ारों के लिए लेबल किए गए ग्रीन, सोशल एंड सस्टेनेबिलिटी (जीएसएस) बॉन्ड, सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉन्ड (एसएलबी) और ट्रांजिशन बॉन्ड सहित वॉल्यूम, 2021 की पहली छमाही में लगभग आधा ट्रिलियन (यूएसडी 496.1 बिलियन) तक पहुंच गए। यह राशि वर्ष 2020 में समान अवधि के दौरान वर्ष दर वर्ष 59 प्रतिशत वृद्धि दर्शाती है। केंद्रीय बैंकों के मोर्चे पर, बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने देश के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को अपने ऋण का न्यूनतम 2 प्रतिशत ग्रीन परियोजनाओं को समर्पित करने के कानून के साथ वर्ष की शुरुआत की। चीन ने अपनी मौद्रिक नीति ढांचे में जलवायु परिवर्तन को शामिल करके और वित्तीय संस्थानों को अधिमानत ब्याज दरों और विशेष पुनःउधार सुविधाओं के माध्यम से कम कार्बन ऋण का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना की घोषणा करके विनय-पत्र का पालन किया। यूके में, बीओई ने पर्यावरणीय स्थिरता और निवल-शून्य परिवर्तन को शामिल करने के लिए अपने जनादेश में बदलाव की घोषणा की। इसके बांड खरीद कार्यक्रम में वर्ष के अंत तक ग्रीन बांड को शामिल करने की तैयारी है।

2021 की पहली छमाही में ग्रीन ऋण इंस्ट्रूमेंट्स जारी किए जाते रहे, इस अवधि में जलवायु बॉन्ड्स के ग्रीन बॉन्ड डेटाबेस में शामिल वॉल्यूम एच1 2020 की तुलना में दोगुने से अधिक 227.8 बिलियन यूएसडी तक पहुंच गए जो 2007 में बाज़ार की स्थापना से लेकर अभी तक किसी भी छमाही की अवधि के लिए रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर, विकसित बाज़ार देशों ने पहली छमाही में ग्रीन बांड जारी करने में 76 प्रतिशत का योगदान दिया, (+1% बनाम एच1 2020)। एच1 2020 और एच1 2021 के बीच उभरते बाज़ार देशों की हिस्सेदारी 18% से मामूली रूप से बढ़कर 19% हो गई। यूरोप समग्र रूप से निर्गम करने वाला शीर्ष क्षेत्र था, जहां यह 2020 की पहली छमाही की तुलना में दोगुना से अधिक रहा। एशिया-प्रशांत क्षेत्र ने भी प्रभावशाली विकास प्रदर्शित किया, यह वर्ष-दर-वर्ष 161 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।

जबकि ग्रीन बांड को जलवायु बांड वर्गिकी के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, सोशल एंड सस्टेनेबल (एस एंड एस) बांड एसडीजी के स्पेक्ट्रम में और विशेष रूप से जलवायु से संबंधित उद्देश्यों से भी आगे व्यापक सकारात्मक प्रभावों वाली परियोजनाओं के लिए धन जुटाते हैं। एच1 2021 में जारी 233.3 बिलियन यूएसडी के साथ एस एंड एस बांडों में लेबल किए गए कुल सतत ऋण निर्गम का 47 प्रतिशत शामिल था, जिससे 2006 से कुल एस एंड एस बांड निर्गम को 867 बिलियन यूएसडी तक ले जाया गया।

16 https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_susdebtsum_h12021_02b.pdf

ख. घरेलू आर्थिक मूल्यांकन और आईएफएससीए के सन्दर्भ तक सीजमत संभावनायें

यह महामारी भारत के लिए विकट चुनौती बन कर सामने आई, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए लक्षित नीति बनाई गई। जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में इंगित किया गया है, देश 'जीवन बनाम आजीविका' की नीतिगत दुविधा में फंसा हुआ था, क्योंकि 'बीमारी के ग्राफ को बढ़ने से रोकना आसन्न मंदी से जुड़ा था, जो महामारी पर रोक लगाने के प्रयोजन से आर्थिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉकडाउन के परिणामस्वरूप आई'। महामारी की शुरुआत में तीव्र लॉकडाउन की विशेषता वाली भारत की नीति की प्रतिक्रिया, महामारीविज्ञान और आर्थिक अनुसंधान द्वारा समर्थित और मानव जीवन की सुरक्षा पर केंद्रित थी। इसने इस स्वीकृति को रेखांकित किया कि प्रारंभिक, कड़े लॉकडाउन के अल्पकालिक दर्द से बचाए गए जीवन और आर्थिक सुधार की गति दोनों में दीर्घकालिक लाभ होगा। प्रारंभिक सख्त लॉकडाउन जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण था, जिससे कि अर्थव्यवस्था को लगातार अनलॉक करके वी-आकार के आर्थिक सुधार को सक्षम बनाया जा सके।

सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित के अलावा, नीतिगत मोर्चे पर अपनाई गई सोच को नीचे स्पष्ट किया गया है:

आपूर्ति पक्ष वाले सुधार

यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए कि मध्यम और दीर्घावधि में न्यूनतम आपूर्ति पक्ष व्यावधान हो।

अनिवार्य उपभोग

इस पर ध्यान केंद्रित किया गया कि सभी अनिवार्य वस्तुएं का ध्यान रखा जाए।

संवैदंशील वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और 80.96 करोड़ लाभार्थियों को लक्षित करने वाला विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम।

रोजगार बरकरार रखने और देनदारियों को पूरा करने के लिए एंटीटीज को सहायता करके तनावग्रस्त क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना।

वित्तीय नीति

यह समझते हुए कि विचारपूर्ण किया गया खर्च ही बचत करने के लिए एहतियाती लक्ष्य को दर्शाता है जो महामारी के आरंभिक महीनों में अनिश्चितता के दौरान अधिक रहता है। विचारपूर्ण किए गए उपभोग के लिए भारते अपने वित्तीय संसाधनों को नहीं झोका।

अनलॉक चरण के दौरान जब अनिश्चितता में कमी आई और आर्थिक गहमागहमी बढ़ गई, भारत ने वित्तीय खर्च को बढ़ाया जिससे उपभोग और निवेश में तेजी आई।

मौद्रिक नीति

बहुतायत में लिक्विडिटी सुनिश्चित की गई।

अस्थाई रोक के माध्यम से देंदारों को तत्काल राहत दी गई।

मौद्रिक नीति संचरण का अनावरण

संरचनात्मक सुधार

इसके साथ-साथ अर्थ-व्यवस्था को सशक्त वृद्धि पथ पर वापस लाने के लिए कृषि, खनन, श्रम आदि क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित संरचनात्मक सुधार लाए गए।

आकृति 3

कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए नीतिगत दृष्टिकोण

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)

आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, लॉकडाउन के चलते पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9 प्रतिशत का संकुचन हुआ, लेकिन दूसरी तिमाही में वी-आकार की रिकवरी के साथ 7.5 प्रतिशत की गिरावट रह गई और सभी प्रमुख आर्थिक संकेतकों में सुधार देखा गया।

वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.7 प्रतिशत की गिरावट होने का अनुमान था, जिसमें पहली छमाही में 15.7 प्रतिशत की तेज गिरावट और दूसरी छमाही में मामूली 0.1 प्रतिशत की गिरावट शामिल है। क्षेत्र-वार विकास के संदर्भ में कृषि क्षेत्र आशा की किरण बना हुआ है, जबकि संपर्क-आधारित सेवाएं, विनिर्माण और निर्माण, जिन पर कुठाराघात हुआ था, में लगातार सुधार हो रहा है। सरकारी उपभोग और निवल निर्यात से विकास और नीचे जाने से रुक गया है।

यह वी-आकार का आर्थिक सुधार मेगा-टीकाकरण अभियान के प्रारंभ और सेवा क्षेत्र में मजबूत वसूली की आशा और खपत और निवेश में मजबूत वृद्धि की संभावनाओं को फिर से जगाने के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है जिसके 11 प्रतिशत पर रहने की संभावना है।

बाह्य क्षेत्र

महामारी और परिणामी आर्थिक संकट ने वैश्विक व्यापार में तेज गिरावट, पण्यों की कीमतों में कमी और विभिन्न देशों के चालू खाता शेष और मुद्राओं के लिए अलग-अलग निहितार्थों के साथ कठोर बाह्य वित्तपोषण की स्थिति पैदा की। वैश्विक व्यापार के 2020 में 9.2 प्रतिशत तक संकुचित होने की आशंका थी।

आरबीआई के हस्तक्षेप से विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये की अस्थिरता और इकतरफा मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता मिली है। हालांकि, हेडलाइन मुद्रास्फीति के उच्च स्तर के कारण, भारत मौद्रिक नीति को कड़ा करने के दिशा में एक ओर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और दूसरी ओर विकास को गति देने के लिए के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखने में स्वयं को आरबीआई के शास्त्रीय त्रिधापाश में है।

सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई विभिन्न पहलों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी), व्यापार संचालन अवसंरचना में सुधार और डिजिटल पहल आदि, जो निर्यात करने में आसानी को सक्षम करने का मार्ग प्रशस्त करती हैं, के उपयोग पर जोर देना शामिल हैं।

मौद्रिक क्षेत्र

महामारी के झटके से संभलने के लिए मार्च, 2020 से मौद्रिक नीति में काफी ढील दी गई है। मार्च 2020 से रेपो दर में मार्च 2020 में पहली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में 75 बीपीएस की कटौती और मई 2020 में दूसरी बैठक में 40 बीपीएस की कटौती के साथ 115 बीपीएस की कटौती की गई है। हालांकि आगे की बैठकों में नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखा गया, लेकिन 2020-21 में प्रणालीगत लिक्विडिटी अधिशेष में शेष रहने के साथ लिक्विडिटी समर्थन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी की स्थिति का प्रबंधन करने के लिए खुला बाजार परिचालन, दीर्घकालिक रेपो परिचालन, लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन आदि जैसे विभिन्न पारंपरिक और अपरंपरागत उपाय किए।

हालांकि, वास्तविक अर्थव्यवस्था में वित्तीय प्रवाह बैंकों और एनबीएफसी दोनों द्वारा ऋण वृद्धि में कमी के कारण बाधित रहा। साथ ही, रिवर्स रेपो के अधीन आरबीआई के पास बैंकों द्वारा बड़ी जमाराशियों को दर्शाते हुए कम (समायोजित) धन गुणांक के कारण उच्च आरक्षित धन वृद्धि पूरी तरह से मुद्रा आपूर्ति वृद्धि में परिवर्तित नहीं हो सकी।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी)

1 जनवरी, 2021 तक बैंकों की ऋण वृद्धि धीमी होकर 6.7 प्रतिशत हो गई। बैंकिंग क्षेत्र से ऋण उठाव में 2020-21 में व्यापक मंदी देखी गई। एससीबी का सकल एनपीए अनुपात मार्च 2020 के अंत में 8.21 प्रतिशत से घटकर सितंबर 2020 के अंत में 7.49 प्रतिशत रह गया। हालांकि, इसे महामारी के कारण उधारकर्ताओं को प्रदान की गई संपत्ति वर्गीकरण राहत के आलोक में देखा जाना चाहिए।

आईबीसी (इसकी स्थापना के बाद से) के माध्यम से एससीबी के लिए वसूली दर 45 प्रतिशत से अधिक रही है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, 25 मार्च, 2020 को या उसके बाद उत्पन्न होने वाली किसी भी चूक के लिए छ: महीने की अवधि के लिए कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) की शुरुआत को निलंबित कर दिया गया था। इसे 24 सितंबर 2020 और 22 दिसंबर 2020 को तीन महीने के लिए दो बार आगे बढ़ाया गया। निलंबन के साथ-साथ निरंतर समाशोधन से संचित मामलों में थोड़ी गिरावट देखी गई है।

सेवा क्षेत्र

भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सतत महत्व रहा है, इस क्षेत्र में अब अर्थव्यवस्था का 54 प्रतिशत से अधिक और कुल एफडीआई प्रवाह का लगभग 4/5वां हिस्सा है। बंदरगाहों पर पोतों में माल लदाई और उतराई में लगने वाला समय 2010-11 में 4.67 दिनों से लगभग आधा होकर 2019-20 में 2.62 दिन रह गया है। भारत में 38 यूनिफॉर्म हैं, पिछले वर्ष यूनिफॉर्म क्लब में रिकॉर्ड 12 स्टार्ट-अप शामिल हुए।

वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण परिणामी लॉकडाउन और सामाजिक दूरी जैसे उपायों से सेवा क्षेत्र के अनुबंध के साथ संपर्क-गहन सेवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा। जिसके परिणाम स्वरूप सेवा क्षेत्र करीब-करीब 16 प्रतिशत अनुबंधित हुआ।

बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआई) क्षेत्र

1. बैंकिंग क्षेत्र

कोविड-19 की शुरुआत ने भारतीय बाजार में मुद्रास्फीति का दबाव बनाते हुए पैसे की मांग को बढ़ा दिया। आंकड़ों के अनुसार, हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर अधिक बनी रही और जून-नवंबर 2020 के दौरान अपने चरम पर पहुंच गई, जो दालों और खाद्य तेलों (जो आपूर्ति-मांग असंतुलन के कारण बनी रही), कच्चे तेल आदि जैसे खाद्य पदार्थों की कीमतों से उत्पन्न मुद्रास्फीति दबाव के कारण हो सकता है। महामारी के परिणामस्वरूप बाजारों में प्रतिस्पर्धा घटी है, जिसने फुटकर लाभ को प्रभावित किया है और लॉकडाउन/नियंत्रण का आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभाव पड़ा है, जिनसे आगे चलकर मुद्रास्फीति प्रभावित हो सकती है।

अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव के प्रमुख संकेतकों में से एक बैंकिंग क्षेत्र में ऋण-जमा अनुपात (सीडीआर) का रुख है। यह देखा गया है कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के साथ मुद्रा की मांग में वृद्धि के बावजूद, आरबीआई द्वारा किए गए विभिन्न सक्रिय लिक्विडिटी प्रबंधन उपायों और वर्ष के दौरान सरकार द्वारा घोषित किए गए अनेक क्षेत्र विशिष्ट उपायों के कारण मौद्रिक स्थितियों में दबाव कम हुआ है। कुल मांग में गिरावट के कारण, ऋण की मांग में भी गिरावट आई है। इसे एससीबी के सीडीआर के माध्यम से देखा जा सकता है, जो 2020-21 में एक वर्ष पहले के 76.4 प्रतिशत से घटकर 72.4 प्रतिशत हो गया है, जबकि इस अवधि के दौरान जमा संग्रहण मजबूत बना रहा। नवंबर 2020 से क्रेडिट में उठाव, आर्थिक कार्यकलाप में सुधार दर्शाता है जिसे फरवरी 2019 से आरबीआई की नीति रेपो दर में 250 बीपीएस और मार्च 2020 से 115 बीपीएस की संचयी कमी के साथ-साथ लिक्विडिटी बढ़ाने के विभिन्न उपायों से समर्थित किया गया है।

वैश्विक वित्तीय बाजारों ने वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रवाहित लिक्विडिटी और सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर, अभूतपूर्व वित्तीय समर्थन से वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान सामान्य स्थिति में तेजी से वापसी का प्रदर्शन किया। वित्तीय स्थितियों में नरमी आई और जोखिम उठाने की क्षमता की पुनर्प्राप्ति से वित्तीय आस्तियों की मांग में वृद्धि हुई। आरबीआई ने फरवरी, 2020 से 31 मार्च, 2021 के दौरान कुल 13.6 लाख करोड़ रुपये (2020-21 के लिए सांकेतिक जीडीपी का लगभग 6.9%) के लिक्विडिटी उपायों की घोषणा की। इसके परिणामस्वरूप, सूचकांक में 2020-21 के दौरान महामारी के बाद के अपने निम्न स्तर से 91 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जो विश्व भर में सबसे अधिक रही। विश्व भर में इसी तरह के नीतिगत उपायों से भारत सहित ईएमईज में पोर्टफोलियो वित्त का भारी अंतःप्रवाह हुआ। वित्त के बहिर्वाह ने वित्तीय साधनों में निवेश में जोखिम की भावना में सुधार के साथ यूएसडी को कमजोर कर दिया। इस लिक्विडिटी प्रवाह और वैश्विक नीतिगत दरों में एक साथ कटौती के कारण बांड उपज में तेजी से गिरावट आई।

जी-सैक बाजारों में घटनाएं

2020-21 के दौरान, दिनांकित सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से भारत सरकार की सकल बाजार उधारी पिछले वर्ष की तुलना में 93 प्रतिशत अधिक थी। पिछले वर्ष की तुलना में दिनांकित सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से निवल बाजार उधार में 141.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दिनांकित जी-सैक के माध्यम से शुद्ध बाजार उधारी से केंद्र के बजटीय सकल राजकोषीय घाटे में 61.8 प्रतिशत वित्तपोषण हुआ, जबकि पिछले वर्ष में यह 50.8 प्रतिशत था। 2020-21 में दिनांकित प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों (टी-बिल) के माध्यम से शुद्ध बाजार उधारी भी बढ़ गई।

2020-21 की पहली तिमाही में, 10-वर्षीय बेंचमार्क जी-सैक पर उपज में गिरावट का रुझान रहा क्योंकि आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर में 40 बीपीएस की कटौती कर दी थी और महामारी के मद्देनजर, लिक्विडिटी बढ़ाने के विभिन्न उपाय भी किए। अमेरिकी ट्रेजरी उपज में गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने भी उपज को आसान बनाने में मदद की। पहली तिमाही में 10 वर्ष की उपज में 81 बीपीएस की कमी आई।

2020-21 की दूसरी तिमाही में, मुख्य रूप से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और जून और जुलाई के दौरान सीपीआई मुद्रास्फीति के उच्च आंकड़ों के कारण जी-सैक की उपज कठोर हो गई। अगस्त के अंत में रिजर्व बैंक द्वारा घोषित कुछ नीतिगत उपायों, जैसे कि बैंकों के लिए परिपक्वता अवधि (एचटीएम) सीमा में वृद्धि, मियादी रेपो परिचालन और विशेष ओएमओ, ने उपज को आसान बनाने में मदद की। दूसरी तिमाही में 10 वर्ष की उपज में 14 बीपीएस की वृद्धि हुई।

2020-21 की तीसरी तिमाही में कुछ नीतिगत उपायों, जैसे ऑन-टैप टीएलटीआरओ का प्रारम्भ, बैंकों, ओएमओ के लिए बढ़ी हुई एचटीएम सीमा के विस्तारित वितरण और एमपीसी की उदार मौद्रिक नीति रुख को जारी रखने का सुझाव देते हुए आगे के मार्गदर्शन द्वारा उपज में 15 बीपीएस की कमी किये जाने से 10-वर्ष की उपज में कमी देखने में आई।

2020-21 की चौथी तिमाही के दौरान, आशा से अधिक सरकारी उधारी की केंद्रीय बजट घोषणा और अमेरिकी ट्रेजरी उपज और कच्चे तेल की उच्च कीमतों में तेज वृद्धि पर नज़र रखने के बाद उपज में वृद्धि हुई। हालांकि, 2020-21 के लिए अंतिम अनुसूचित सरकारी-सैक नीलामी को रद्द करने के परिणामस्वरूप मार्च, 2021 के अंत तक पैदावार में कुछ कमी आई। 10-वर्ष की उपज चौथी तिमाही में 45 बीपीएस बढ़कर 6.34 प्रतिशत हो गई।

2020-21 में, 1 अप्रैल, 2020 से घरेलू निवेशकों के लिए उपलब्ध होने के अलावा, बिना किसी प्रतिबंध के प्रतिभूतियों में अनिवासियों के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की कुछ निर्दिष्ट श्रेणियों को पूरी तरह से खोल दिया गया। तदनुसार, एक अलग मार्ग अर्थात सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों में अनिवासियों द्वारा निवेश के लिए पूर्णतः सुलभ मार्ग (एफएआर) अधिसूचित किया गया। एक बार इस प्रकार निर्दिष्ट हो जाने के बाद, 'निर्दिष्ट प्रतिभूतियां', परिपक्वता तक एफएआर के अधीन निवेश के लिए पात्र रहेंगी। मौजूदा प्रतिभूतियों की सूची 1 अप्रैल, 2020 से एफएआर के अधीन रखी गई और इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 से 5 वर्ष, 10 वर्ष और 30 वर्ष की सरकारी प्रतिभूतियों के सभी नई जारी की जाने वाली निर्दिष्ट प्रतिभूतियां एफएआर के अधीन पात्र होंगी।' यह वैश्विक बांड सूचकांकों में भारत को शामिल करने की दिशा में आवश्यक कदम है।

II. पूंजी बाजार

इक्विटी बाजार

कठिनाई से भरपूर मार्च 2020 के महीने का सामना करने के बाद, भारतीय इक्विटी बाजार ने बड़े पैमाने पर राजकोषीय और मौद्रिक प्रोत्साहन और कोविड-प्रेरित प्रतिबंधों में धीरे-धीरे ढील के साथ वैश्विक बाजारों के साथ तालमेल बिठाते हुए तीव्र वी-आकार की वसूली की।

2020-21 में प्राथमिक बाजार से संसाधन जुटाने में भी वृद्धि हुई। सार्वजनिक मुद्रों के माध्यम से संसाधन जुटाने में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि देखी गई। सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से धन जुटाने वाली कंपनियों की संख्या पिछले वर्ष की समान अवधि में 62 से घटकर 57 रह गई। पिछले वर्ष के 21,382 करोड़ रुपये की तुलना में इस अवधि के दौरान कुल 46,060 करोड़ रुपये जुटाए गए। इसी तरह, 2020-21 के दौरान राइट्स इश्यू के माध्यम से संसाधन संघटन 21 राइट्स इश्यू से बढ़कर 64,059 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष यह 17 इश्यू से 55,670 करोड़ रुपये था।

सारणी 3 – पब्लिक इश्यू के माध्यम से संसाधन जुटाना

व्यष्टियां	2019-20		2020-21	
	इश्यू की संख्या	धनराशि (करोड़ रुपये में)	इश्यू की संख्या	धनराशि (करोड़ रुपये में)
आईपीओ	60	21,345	55	31,030
एफपीओ	2	37	2	15,030
राइट्स इश्यू	17	55,670	21	64,059
कुल	79	77,052	78	1,10,119

स्रोत: एनएसई, बीएसई

निजी नियोजन मार्ग के माध्यम से संसाधन का संघटन पिछले वर्ष के 2,29,275 करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2020-21 में 1,19,668 करोड़ रुपये रह गया। 2020-21 में, पिछले वर्ष 298 इश्यूज की तुलना में निजी नियोजन के माध्यम से 266 इश्यू थे।

सारणी 4 - निजी नियोजन के माध्यम से संसाधन जुटाना

व्यष्टियां	2019-20		2020-21	
	इश्यू की संख्या	धनराशि (करोड़ रुपये में)	इश्यू की संख्या	धनराशि (करोड़ रुपये में)
क्यूआईपी	14	54,389	31	78,738
अधिमान आवंटन	284	1,74,886	235	40,930
कुल	298	2,29,275	266	1,19,668

स्रोत: एनएसई, बीएसई


ऋण बाजार

प्राथमिक बाजार में कुल ऋण जारी करने में वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष के 6.89 लाख करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 7.8 लाख करोड़ रुपये हो गया। विवरण नीचे दिया गया है:

सारणी 5 - प्राथमिक बाजार में ऋण और बीमा

व्यष्टियां	2019-20		2020-21	
	इश्यू की संख्या	धनराशि (करोड़ रुपये में)	इश्यू की संख्या	धनराशि (करोड़ रुपये में)
सार्वजनिक	34	14,984	18	10,588
निजी नियोजन	1,787	6,74,702	1,995	7,71,840
कुल	1,821	6,89,686	2,013	7,82,428

स्रोत: एनएसई, बीएसई



आकृति 4
संसेक्स और निफ्टी रिटर्न (अप्रैल'20-जनवरी'21)
स्रोत: बीएसई और एनएसई

कारपोरेट्स ने कम लागत का लाभ उठाने के लिए कारपोरेट बॉन्ड बाज़ार से उच्चतर संसाधन जुटाए। कारपोरेट्स के लिए निजी नियोजन, कारपोरेट बॉन्ड के माध्यम से जुटाए गए कुल संसाधनों के 98.8 प्रतिशत के लिए पसंदीदा विकल्प बना रहा।

बेंचमार्क सूचकांकों का संचलन

सुदृढ़ कारपोरेट प्रदर्शन, कम वित्तपोषण लागत और सुदृढ़ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) निवेश प्रवाह के कारण फरवरी 2021 में संसेक्स और निफ्टी अपने सार्वकालिक शिखर पर पहुंच गए। वित्त वर्ष 2020-21 में 36.2 बिलियन यूएसडी (30 मार्च तक) का रिकॉर्ड एफपीआई प्रवाह देखा गया, जो 2014-15 के बाद के दशक में सर्वाधिक है। हालांकि, अमेरिकी ट्रेजरी उपज में वृद्धि, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और कुछ भारतीय राज्यों में कोविड-19 मामलों में ताजा उछाल से दूसरी लहर के कारण वर्ष के अंत में प्रवाह बीच-बीच में बाधित हुआ था। 2019-20 के दौरान, संसेक्स और निफ्टी ने क्रमशः 23.8 प्रतिशत और 26 प्रतिशत की गिरावट देखने के बाद, 2020-21 के अंत में, क्रमशः 68 प्रतिशत और 70.9 प्रतिशत की सकारात्मक वापसी दर्ज की।

III. बीमा क्षेत्र

बीमा क्षेत्र के प्रदर्शन और क्षमता का मूल्यांकन दो संकेतकों - बीमा पैठ और बीमा घनत्व का उपयोग करके किया जाता है। भारत में, जीवन और जीवन-इतर क्षेत्र के लिए बीमा पैठ नीचे सारणीबद्ध की गई है। 2020 में जीवन बीमा में प्रवेश लगातार बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गया है। जीवन-इतर बीमा पक्ष में, प्रवेश 2020 में 1 प्रतिशत अंक तक पहुंच गया है। वैश्विक स्तर पर बीमा की पहुंच जीवन खंड के लिए 3.3 प्रतिशत और जीवन-इतर खंड के लिए 4.1 प्रतिशत थी। भारत में 2020 में जीवन खंड में पैठ अन्य देशों और वैश्विक औसत की तुलना में जीवन-इतर बीमा के लिए काफी कम है।

जीवन के साथ-साथ जीवन-इतर खंड का घनत्व भी नीचे सारणीबद्ध किया गया है। 2020 में जीवन बीमा के लिए घनत्व 59 अमेरिकी डालर है और भारत में 2020 में जीवन-इतर बीमा का घनत्व केवल 19 अमेरिकी डालर है। वैश्विक स्तर पर, 2020 में जीवन खंड के लिए बीमा घनत्व क्रमशः 360 अमेरिकी डालर और जीवन-इतर खंड के लिए 449 अमेरिकी डालर था।

सारणी 6 - जीवन बीमा में पैठ और घनत्व

मापदंड	2016	2017	2018	2019	2020
बीमा पैठ (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रीमियम)	2.72	2.76	2.74	2.82	3.2
बीमा घनत्व (प्रति व्यक्ति प्रीमियम यूएसडी में)	46.5	55.0	55.0	58.0	59.0

स्रोत: स्विस् रे

सारणी 7 - जीवन-इतर बीमा में पैठ और घनत्व

मापदंड	2016	2017	2018	2019	2020
बीमा पैठ (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रीमियम)	0.77	0.93	0.97	0.94	1.0
बीमा घनत्व (प्रति व्यक्ति प्रीमियम यूएसडी में)	13.2	18.0	19.0	19.0	19.0

स्रोत: स्विस् रे

2019-20 के दौरान, जीवन-इतर बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 1.89 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 2018-19 में 1.69 लाख करोड़ रुपये रहा और इसने 11.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। जीवन-इतर श्रेणी के भीतर, इस उद्योग के लिए मोटर और स्वास्थ्य खंड मुख्य रूप से इस वृद्धि को रिपोर्ट करने वाले मुख्य योगदानकर्ता हैं। जीवन बीमा उद्योग ने पिछले वित्त वर्ष में 5.08 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 2019-20 में 5.73 लाख करोड़ रुपये की प्रीमियम आय दर्ज की जो 12.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

खण्ड ग

प्राधिकरण की नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों का पुनर्विलोकन

भारत सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाते, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं का प्रमुख उपभोक्ता रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति (जिसे पर्सी मिस्त्री समिति के नाम से जाना जाता है) की 2007 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि रूढ़िवादी मान्यताओं के अधीन भी, भारतीय परिवारों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं की फर्मों द्वारा 2015 तक लगभग 50 बिलियन यूएसडी की खरीद की जा सकती है जो 2025 तक 120 बिलियन यूएसडी से अधिक हो सकती है। इस प्रकार, भारत सरकार ने भारत से उत्पन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा व्यवसाय को भारत में वापस लाने के उद्देश्य से, और धीरे-धीरे क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में उबरने के लिए, अप्रैल, 2015 में गिफ्ट मल्टी सर्विसेज एसईजेड में भारत के पहले आईएफएससी को क्रियांवित किया।

ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स (जीएफसीआई) की रिपोर्ट (मार्च 2021) के अनुसार, गिफ्ट सिटी में आईएफएससी को वैश्विक स्तर पर 15 केंद्रों में शीर्ष स्थान पर रखा गया है, जिसके अगले दो से तीन वर्षों में और अधिक महत्वपूर्ण होने की संभावना है। गिफ्ट आईएफएससी विशेष वित्तीय क्षेत्र है जिसे भारतीय विदेशी मुद्रा नियमों के अधीन अपतटीय क्षेत्र माना जाता है। केंद्र गैर-निवासियों और निवासियों को, नियमों के अधीन अनुमत सीमा तक, मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में विश्व-स्तरीय वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। भारत में पहला आईएफएससी, बैंकिंग, पूंजी बाजार, निधि प्रबंधन, वायुयान लीजिंग, बीमा जैसे विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यापक अवसर प्रदान करता है। यह केंद्र भारत में पूंजी के बहिर्प्रवाह और अंतर्प्रवाह के लिए पसंदीदा प्रवेश द्वार के रूप में तेजी से उभर रहा है।

भारत सरकार ने माना कि आईएफएससी में वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के विकास के लिए केंद्रित और समर्पित नियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, आईएफएससी में व्यवसाय की गतिशील प्रकृति के लिए वित्तीय क्षेत्र के भीतर उच्च स्तर के अंतर-नियामक समन्वय की आवश्यकता होगी। इसलिए, विश्व-स्तरीय नियामक वातावरण प्रदान करने के लिए भारत में आईएफएससी के लिए एकीकृत वित्तीय नियामक की आवश्यकता महसूस की गई। आईएफएससी अधिनियम दिसंबर 2019 में पारित किया गया और आईएफएससी ने अक्टूबर 2020 में एकीकृत नियामक के रूप में अपना संचालन शुरू किया। आईएफएससी में चार घरेलू नियामकों अर्थात् आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए की संयुक्त शक्तियां निहित की गई हैं और भारत में आईएफएससी के भीतर उत्पाद, वित्तीय सेवाएं और वित्तीय संस्थान वित्तीय विकास और विनियमन के लिए जनादेश है।

आईएफएससी के लिए माननीय प्रधान मंत्री के विज्ञान में निम्नांकित शामिल है:



मेरा विज्ञान है कि अब से दस वर्षों में, गिफ्ट सिटी विश्व के कम से कम कुछ सबसे बड़े व्यापारिक साधनों के लिए मूल्य निर्धारणकर्ता बन जाना चाहिए, चाहे वह वस्तुओं, मुद्राओं, इक्विटी, ब्याज दरों या किसी अन्य वित्तीय साधन में हो... अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की अवधारणा सरल लेकिन शक्तिशाली है। इसका उद्देश्य अपतटीय प्रोद्योगिकी और नियामक ढांचे के साथ तटीय प्रतिभा प्रदान करना है। यह भारतीय फर्मों को अपतटीय वित्तीय केंद्रों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए है। गिफ्ट आईएफएससी विश्व के किसी भी अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र की तुलना में सुविधाएं और विनियम प्रदान करने में सक्षम होगा।



बैंकिंग तथा वित्त कंपनी

विनियमों, परिपत्रों, दिशानिदेशों आदि के संबंध में कार्यकलाप

आईएफएससीए का उद्देश्य भारत में आईएफएससी में वित्तीय संस्थानों, वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं¹⁷ को विनियमित, पर्यवेक्षित और विकसित करना है। बैंकिंग कार्य और बैंकिंग संस्थानों को आईएफएससी पारिस्थितिकी तंत्र के मूल में माना जाता है।

इस अध्याय में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बैंकिंग इकाइयों (बीयू) और वित्त कंपनियों (एफसी) द्वारा किए जा रहे बैंकिंग और संबंधित सेवाओं के विनियम और विकास की दिशा में आईएफएससीए द्वारा किए गए उपायों की तस्वीर प्रस्तुत है।

आईएफएससी में बैंकिंग के लिए प्रारंभिक फ्रेमवर्क आरबीआई के दिनांक 01 अप्रैल 2015 के परिपत्र डीओआर.आईबीडी. बीसी.14570/23.13.004/2014-15 के अधीन आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) की स्थापना के बारे में आरबीआई दिशानिदेशों के संदर्भ में निर्धारित किया गया।

आईएफएससीए अधिनियम, 2019 के अधीन 1 अक्टूबर, 2020 से आईएफएससीए ने नियामक शक्तियां ग्रहण करने के बाद, 20 नवंबर 2020 को आईएफएससीए (बैंकिंग) विनियम जारी और अधिसूचित किए गए। सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, प्रारंभिक नियामक फ्रेमवर्क मोटे तौर पर गिफ्ट आईएफएससी में बैंकिंग व्यवसाय के विकास को गति प्रदान करने के लिए कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ आरबीआई द्वारा निर्धारित ढांचे पर आधारित है।

आईएफएससीए (बैंकिंग) विनियम, 2020 आईएफएससी में बीयू के लिए लाइसेंसिंग, संचालन और मितव्ययी मानदंडों के लिए व्यापक सिद्धांत प्रदान करता है। जैसा कि विनियमों में प्रदान किया गया है, विभिन्न कानूनों के अधीन आरबीआई द्वारा जारी किए गए निदेशों/परिपत्रों/दिशानिदेशों का चुनिंदा सेट बीयू, विनियमों के अधीन बीयू द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की अनुमति के लिए बीयू पर लागू किया गया है ताकि वे नियमों का उल्लंघन न करें। विवाद की स्थिति में, विनियमों के परंतुकों और विनियमों के अधीन जारी परिपत्र लागू होंगे।

कानूनी-नियामक ढांचे के अधीन अनुमत कार्यकलापों के दायरे के भीतर बीयू द्वारा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने के लिए मौजूदा नियामक ढांचे में परिवर्तन की आवश्यकता को संबोधित करते हुए, आईएफएससीए विनियमों का नया व्यापक फ्रेमवर्क तैयार करने; परिचालन और मितव्ययी दिशानिदेश तैयार करने पर काम कर रहा है, जो आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियम में अपनी भूमिका के अधिक प्रभावी निर्वहन में मदद करेंगे। भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली की अंतर्निहित शक्तियों द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसरों का लाभ उठाते हुए, प्रस्तावित नए ढांचे के नियमों को अन्य वैश्विक/क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों और अंतरराष्ट्रीय मानकों में सर्वोत्तम नियामक प्रथाओं/मानदंडों के लिए बेंचमार्क किया जाएगा।

लाइसेंसिंग मापदंड:

मौजूदा बैंकिंग विनियम भारतीय और विदेशी बैंकों को भारत में आईएफएससी में शाखा या प्रतिनिधि कार्यालय के रूप में प्रति बैंक एक बीयू स्थापित करने की अनुमति देते हैं। मूल बैंक को अपना संचालन शुरू करने के लिए बीयू को 20 मिलियन यूएसडी की न्यूनतम पूंजी प्रदान करना आवश्यक है, जिसे हर समय अप्रभावित आधार पर बनाए रखा जाएगा। आवेदक मूल बैंकों को आईएफएससी में बीयू की स्थापना के लिए अपने संबंधित गृह नियामकों से अनापत्ति पत्र प्राप्त करना होगा और जब भी आवश्यकता हो, बीयू को लिक्विडिटी प्रदान करने का वचन देना होगा। विदेशी बैंकों, जिनकी भारत में उपस्थिति नहीं है, के लिए आईएफएससी में बीयू स्थापित करने के लिए उनके आवेदन को मंजूरी देने के लिए अतिरिक्त संवीक्षा तंत्र लागू है।

¹⁷ आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 3 (1) (ग), 3 (1) (घ), 3 (1) (ङ) के अधीन परिभाषित

मित्तव्ययी अनिवार्यताएं:

विनियमों ने बीयू के लिए कुछ मित्तव्ययी विनियामक आवश्यकताएं, जैसे कि लिक्विडिटी व्याप्ति अनुपात (एलसीआर), निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर), उत्तोलन अनुपात और बीयू के लिए ऋण-जोखिम सीमा निर्धारित की हैं। चूंकि विनियम भी बीयू द्वारा रिटेल बैंकिंग व्यवसाय की अनुमति देते हैं, इसलिए अंतिम ऋणदाता (एलओएलआर) और केंद्रीकृत जमा बीमा सुविधा की अनुपस्थिति को देखते हुए रिटेल जमा आरक्षित अनुपात (आरडीआरआर) के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता निर्धारित की गई है। प्राधिकरण ने अन्य लागू मित्तव्ययी आवश्यकताओं के लिए, आईएफएससीए के दिनांक 04 दिसंबर 2020 के परिपत्र संख्या 110/ आईएफएससीए/बैंकिंग विनियम/2020-21/1 द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न परिपत्रों/मास्टर निदेशों को अंगीकार किया है। विनियमों/परिपत्रों में निर्धारित मित्तव्ययी आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:

- 1. लिक्विडिटी व्याप्ति अनुपात (एलसीआर):** आईएफएससीए के दिनांक 11 दिसंबर 2020 के परिपत्र संख्या 110/आईएफएससीए/बैंकिंग रेगुलेशन/2020-21/5 द्वारा बीयू को 31 मार्च, 2021 तक स्वयं-सिद्धि आधार पर 90% पर बनाए रखने की आवश्यकता थी। आगे बीयू स्तर पर अप्रैल, 2021 से एलसीआर को 100% पर बनाए रखने की सलाह दी गई। बीयू आईएफएससीए की अनुमति के अध्यक्षीन, मूल स्तर पर एलसीआर बनाए रख सकते हैं।
- 2. निवल स्थिर वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर):** आईएफएससीए (बैंकिंग) विनियम 2020 के विनियम 5(2) के अनुसार, एनएसएफआर को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने पर बीयू पर लागू किया जाता है। 11 दिसंबर, 2020 के आईएफएससीए परिपत्र संख्या 110/आईएफएससीए/बैंकिंग विनियम/2020-21/5 के अनुसार, बीयू के संचालन के लिए एनएसएफआर अभी लागू नहीं है।
- 3. लीवरेज अनुपात (एलआर):** आईएफएससीए के दिनांक 11 दिसंबर, 2020 के परिपत्र संख्या 110/आईएफएससीए/बैंकिंग विनियम/2020-21/5 के अनुसार, एलआर को मूल बैंक द्वारा गृह नियामक द्वारा मूल बैंक पर लागू विनियमों के अध्यक्षीन निर्दिष्ट स्तर पर बनाए रखा जा सकता है। बीयू प्राधिकरण को अपने मूल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित इस इस आशय का त्रैमासिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- 4. फुटकर जमा रिजर्व अनुपात (आरडीआरआर):** बीयू को दैनिक आधार पर अहर्ता प्राप्त व्यक्तियों, अहर्ता प्राप्त निवासी व्यक्तियों और भारत में निवासी व्यक्तियों से जमा राशि के 3% पर आरडीआरआर बनाए रखना अनिवार्य होगा, जो विगत कार्य दिवस के समाप्त होने पर शेष है। आरडीआरआर को किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में और बीयू के नोस्ट्रो खाते में शेष राशि के रूप में या अंतरराष्ट्रीय स्तर की कम से कम दो रेटिंग एजेंसियों द्वारा संप्रभु ऋण प्रतिभूतियों (टी-बिल सहित) रेटेड निवेश ग्रेड या उससे ऊपर की होल्डिंग के रूप में बनाए रखा जा सकता है।
- 5. एक्सपोजर सीलिंग:** आईएफएससीए (बैंकिंग) विनियम 2020 के विनियम 7 के अनुसार, बीयू पर एकल उधारकर्ता के मामले में मूल बैंक की टीयर-1 पूंजी का 5% और उधारकर्ता समूह के मामले में मूल बैंक की टीयर-1 पूंजी की 10% ऋण-जोखिम सीमा के अध्यक्षीन लागू होगी।

अनुमेय कार्यकलापः

1. जमा राशियां:

आईएफएससी में रिटेल बैंकिंग व्यवसाय को सक्षम बनाने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ, बीयू द्वारा दी जाने वाली बैंकिंग जमा खाता सेवाओं का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए निवल मूल्य के आधार पर एक योग्यता मानदंड निर्धारित किया गया है। तदनुसार, अर्हता प्राप्त व्यक्ति ¹⁸, अर्हता प्राप्त निवासी व्यक्ति ¹⁹ और निवासी/अनिवासी कारपोरेट या संस्थागत संस्थाएं शर्तों ²⁰ के अध्वधीन आईएफएससी में बीयू के साथ किसी भी मुक्त परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में विदेशी मुद्रा खाते²¹ खोल सकते हैं और उनका रखरखाव कर सकते हैं। एफईएमए अधिनियम, 1999 के उपबंधों के अध्वधीन, बीयू को, केवल उन उद्देश्यों को छोड़कर जो भारतीय रुपये में लेन-देन के लिए स्पष्ट रूप से अनुमेय हैं, केवल मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने की अनुमति है। सभी बैंकिंग लेन-देन केवल बैंक खाता हस्तांतरण के माध्यम से किए जाएंगे।

2. अग्रिम और निवेश:

बीयू को आईएफएससी में उधार/निवेश उत्पादों की अधिकता की पेशकश करने की अनुमति है, अर्थात्:

- ऋण, व्यापार वित्त और स्वीकृति, प्रतिबद्धताएं और गारंटी: बीयू भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों और भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए, किसी भी रूप में, आईएनआर मूल्यवर्ग के ऋण में ऋणदाता के रूप में कार्य कर सकता है। भारत में निवासी व्यक्तियों के पास निधियों का परिनियोजन फेमा, 1999 के उपबंधों के अध्वधीन होगा।
- ऋण वृद्धि और बीमा
- पोर्टफोलियो की बिक्री और खरीद
- निवेश
- अंतर-बैंक उधार देना/उधार लेना
- शिपमेंट के बाद निर्यात क्रेडिट
- निर्यात प्राप्तियों की फैक्ट्रिंग और फॉरफीटिंग
- उपकरण लीज पर देना (वायुयान लीज सहित)
- निवासी/अनिवासी रिटेल निवेशकों को ऋण देना (निवासी व्यक्ति फेमा अधिनियम, 1999 के उपबंधों के अध्वधीन हैं)।

3. डेरिवेटिव उत्पाद:

बीयू को डेरिवेटिव उत्पादों की श्रृंखला में सौदा करने की अनुमति है, और वे निम्नांकित कर सकते हैं:

- डेरिवेटिव अनुबंधों में ओवर द काउंटर (ओटीसी) प्रवेश करना:
 - इसकी आस्ति देयता प्रबंधन आवश्यकताओं के लिए
 - अपने स्वयं के खाते के लिए या कारपोरेट या क्यूआई ग्राहकों के लिए
 - ग्राहकों को संरचित डेरिवेटिव/जमा की पेशकश करने के लिए
- स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध विदेशी मुद्रा में निपटान के साथ भारतीय रुपये की ब्याज दर और मुद्रा डेरिवेटिव में भाग लेना
- अनिवासियों को आईएनआर ओवरनाइट इंडेक्स परिवर्तन (ओआईएस) ऑफर करना
- अपने स्वर्ण निवेशों की हेजिंग के लिए स्वर्ण डेरिवेटिव या वायदा अनुबंध करना
- गैर-प्रदेय मुद्रा अनुबंधों की पेशकश करना अनिवासी या आईएफएससी में उपस्थिति रखने वाले भारत स्थित बैंक।

18 अर्हता-प्राप्त व्यक्ति का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारत से बाहर का निवासी है, जिसका निवल मूल्य कुल प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से यथा-निर्धारित पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 1 मिलियन अमरीकी डालर या समकक्ष है।

19 "अर्हता-प्राप्त निवासी व्यक्ति" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में रहने वाला व्यक्ति है, जिसकी नेटवर्थ पिछले वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से यथा-निर्धारित कम से कम 1 मिलियन अमरीकी डालर या समकक्ष है।

20 भारत में निवासी व्यक्ति से जमा स्वीकार करने से पहले बीयू खुद को संतुष्ट करेगा कि ऐसा लेनदेन भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा में भारत के बाहर जमा की नियुक्ति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नियमों या निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुपालन में है।

21 क) बीयू को किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में क्यूआई या क्यूआरआई द्वारा चालू खाता, बचत खाता और सावधि जमा खाता खोलने की अनुमति है। ख) बीयू को किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में क्यूआई या क्यूआरआई के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा चालू खाता और सावधि जमा खाता खोलने की अनुमति है। ग) बीयू को आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत विदेशी मुद्रा भेजकर प्रतिभूतियों में निवेश के उद्देश्य से भारत में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा चालू खाता खोलने की अनुमति है।

प्राधिकरण ने अपने परिपत्र 110/ आईएफएससीए/बैंकिंग विनियम/2020-21/2 के माध्यम से आईएफएससी में ओटीसी डेरिवेटिव लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, आरबीआई के परिपत्र संख्या डीबीओडी सं.बीपी. बीसी.86/21.04.157/2006-07, को अन्य बातों के साथ-साथ, कुछ संशोधनों के साथ को अपनाया है।

बीयू को फेमा अधिनियम, 1999 के उपबंधों के अधीन, भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों को एफसीवाई-एफसीवाई डेरिवेटिव (एफसीवाई में निपटान के लिए) और एफसीवाई ब्याज दर डेरिवेटिव (एफसीवाई में सेटल करने के लिए) की पेशकश करने की अनुमति है। बीयू एफसीवाई-आईएनआर गैर-प्रदेय डेरिवेटिव अनुबंध (एनडीडीसी), ब्याज दर परिवर्तन (आईआरएस) (ओआईएस सहित) और भारत में बीयू वाले एडी श्रेणी-1 के बैंक के साथ अग्रेषण दर समझौता (एफआरए) कर सकते हैं।

डेरिवेटिव अनुबंधों के पोर्टफोलियो में, एनडीडीसी का आईएफएससी में किए गए डेरिवेटिव लेन-देन में बड़ा हिस्सा होता है। अन्य उत्पादों में, अन्यो के साथ-साथ, आईआरएस, ओआईएस, मुद्रा परिवर्तन, मुद्रा आईआरएस, भविष्योन्मुख और विकल्प शामिल हैं।

बीयू द्वारा ट्रेडिंग कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने अपने परिपत्र संख्या 201/ आईएफएससीए/ ईटीपी/2020-21 के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, बीयू पर लागू होने के लिए “इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (रिजर्व बैंक) निदेश, 2018” (निदेश) को कुछ संशोधनों के साथ, दिनांक 5 अक्टूबर 2018 को अपनाया गया। इस तरह के ईटीपी को भारत में निगमित किए जाने की आवश्यकता के बिना, बीयू को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) के माध्यम से स्वीकार्य लेन-देन करने की अनुमति दी गई है। बीयू को तीसरे पक्ष के आवाज मध्यवर्तियों की सेवाओं का उपयोग करके अनुमेय लेन-देन करने की भी अनुमति है। ईटीपी या आवाज ब्रोकरों के माध्यम से लेन-देन करने से उत्पन्न जोखिम को बीयू द्वारा समुचित रूप से कम किया जाना चाहिए।

आईएफएससी में आईएनआर एनडीएफ ट्रेडिंग कार्यकलाप को बढ़ाने के महत्व को स्वीकार करते हुए, श्री जी. पद्मनाभन - पूर्व कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, इसने आईएफएससी को आईएनआर में अपतटीय व्यापार के केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश की। समिति के लिए संदर्भ की शर्तें नीचे दी गई हैं:

- क. आईएनआर में अपतटीय व्यापार के हब के रूप में आईएफएससी के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए आवश्यक नियामक और फ्रेमवर्कगत आवश्यकताओं का निर्धारण करना।
- ख. निर्धारित आवश्यकताओं के आलोक में आईएफएससी में वर्तमान नियामक और अवसंरचनात्मक सुविधाओं का आकलन करना।
- ग. रिपोर्ट के रूप में (क) और (ख) के बीच चिह्नित अंतराल को दूर करने के लिए विशिष्ट उपायों की सिफारिश करना।

सारणी 8 - बीयू/एफसी और एफयू के बारे में आईएफएससीए के बैंकिंग विभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण विनियमों/निदेशों/परिपत्रों/दिशानिदेशों की सारणी :

क्र. सं.	विनियम/निदेश/परिपत्र/दिशानिदेश	संख्या	जारी करने की तारीख
1	आईएफएससीए (बैंकिंग) विनियम, 2020	आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी 004	18.11.2020
2	आईएफएससीए (बैंकिंग) (संशोधन) विनियम, 2021	आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी009	25.03.2021
3	आईएफएससीए (वित्त कंपनी) विनियम, 2021	आईएफएससीए/2020-21/जीएन/आरईजी 009	25.03.2021
4	आईएफएससीए (बैंकिंग) विनियम, 2020 - कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश	110/आईएफएससीए./बैंकिंग विनियम/2020-21/1	04.12.2020
5	आईएफएससी पर ओटीसी डेरिवेटिव	110/आईएफएससीए./बैंकिंग विनियम/2020-21/2	04.12.2020
6	आईएफएससीए (जमा) निदेश, 2020	110/आईएफएससीए./बैंकिंग विनियम/2020-21/3	04.12.2020
7	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में विदेशी मुद्रा में व्यापार पर दिशा-निदेश	110/आईएफएससीए बैंकिंग विनियम/2020-21/4	04.12.2020
8	आईएफएससीए (बैंकिंग) विनियम, 2020-मितव्ययी नियामक आवश्यकताएं	110/आईएफएससीए./बैंकिंग विनियम/2020-21/5	11.12.2020
9	आईएफएससीए (बैंकिंग) विनियम, 2020 - 'अर्हक व्यक्ति' और 'अर्हक निवासी व्यक्ति' के निवल मूल्य के निर्धारण पर दिशानिदेश	110/आईएफएससीए./बैंकिंग विनियम/2020-21/6	11.12.2020
10	आईएफएससीए (बैंकिंग) विनियम, 2020 के अधीन जारी परिपत्रों पर निदेश और स्पष्टीकरण	110/आईएफएससीए./बैंकिंग विनियम/2020-21/7	24.12.2020
11	आईएफएससीए (बैंकिंग) विनियम, 2020 - कार्यान्वयन के लिए दिशा-निदेश - ऋण भागीदारी समझौते के माध्यम से संपत्ति का स्थानांतरण	110/आईएफएससीए./बैंकिंग विनियम/2020-21/8	30.12.2020
12	बीयू द्वारा किए गए ओटीसी डेरिवेटिव पर डेटा की रिपोर्टिंग	110/आईएफएससीए./बैंकिंग विनियम/2020-21/9	02.02.2021
13	बैंकिंग इकाइयों द्वारा स्वीकार की गई संरचित जमाराशियों पर डेटा की रिपोर्टिंग।	110/आईएफएससीए./बैंकिंग विनियम/2020-21/10	03.02.2021
14	नेपाल और भूटान के निवासियों के साथ लेन-देन-स्पष्टीकरण	110/आईएफएससीए./बैंकिंग विनियम/2020-21/11	11.02.2021
15	आईएफएससीए (बैंकिंग) विनियम, 2020 - कार्यावयन के लिए निदेश - घतकों की परिभाषा	110/आईएफएससीए./बैंकिंग विनियम/2020-21/12	16.02.2021
16	भारत में निवासी व्यक्तियों के लिए प्रतिभूतियों में निवेश के उद्देश्य से बैंकिंग इकाई (बीयू) के साथ बैंक खाता खोलने के लिए भारत में निवासी व्यक्तियों के लिए निवल मूल्य मापदंड- स्पष्टीकरण	110/आईएफएससीए./बैंकिंग विनियम/2020-21/13	19.02.2021

वित्त कंपनी / इकाइयां

फ़ैक्टरिंग और फ़ॉरफीटिंग, निवेश सलाह, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं, वायुयान और पोत लीजिंग जैसी वित्तीय सेवाओं की श्रृंखला की पेशकश करके वित्तीय सेवाओं के पारिस्थितिकी तंत्र में स्पंदनशीलता लाने में वित्त कंपनियां/इकाइयां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इस प्रकार बीयू की भूमिका को पूरक करती हैं।

आईएफएससीए (वित्त कंपनी) विनियम दिनांक 25 मार्च, 2021 को वित्तीय संस्थानों के लिए जोखिम-केंद्रित प्रतिस्पर्धी वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से के उद्देश्य से जारी किए गए थे, ताकि वे सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होने के साथ-साथ निष्पक्षता, पारदर्शिता और दक्षता भी सुनिश्चित कर सकें।

विनियमों का अनूठा पहलू यह है कि वे एंटीटीज को ऐसे कार्यकलाप, जैसे कि फ़ैक्टरिंग और प्राप्य, डेरिवेटिव लेन-देन का उपक्रम करने और आगे वैश्विक या आईएफएससी में अन्य के अलावा क्षेत्रीय कारपोरेट ट्रेजरी केंद्र और पारिवारिक कार्यालय स्थापित करने के लिए रास्ता प्रदान करने के लिए अभिप्रेत हैं, जिसकी अनुमति केवल चुनिंदा गैर-बैंक मध्यवर्तियों को ही दी जाती है। एंटीटीज के लिए विनियमों और परिचालन स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए, वित्त कंपनी के नियम कुछ छूटों के साथ 'बेसल' फ्रेमवर्क पर आधारित हैं। विनियमों की प्रयोज्यता, संचालन के पैमाने और किए गए कार्यकलाप के प्रकार पर आधारित है।

विनियमों में प्राधिकरण में सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम, शाखा, आदि जैसे मोड में पंजीकरण के बाद, आईएफएससी में एंटीटीज को स्थापित करने की अनुमति है। शाखा को वित्त इकाई (एफयू) कहा जाता है और इसे स्थापित किया जा सकता है बशर्ते कि निवेश इकाई या निवेश करने वाली एंटीटी, जैसा भी मामला हो, का अंतिम अभिभावक अपने गृह क्षेत्राधिकार में विनियमित वित्तीय कार्यकलाप कर रहा है। अनुमेय कार्यकलापों को धन के परिव्यय और जटिलता के आधार पर तीन श्रेणियों अर्थात्, विशेष, मुख्य और गैर-मुख्य कार्यकलाप में वर्गीकृत किया गया है।

केवल गैर-प्रमुख कार्यकलापों को करने वाली एंटीटीज के लिए, किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में न्यूनतम 0.2 मिलियन यूएसडी या समकक्ष पूंजी निधि की आवश्यकता होनी चाहिए, और ऐसी एंटीटीज प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निदेशकों के लिए उचित मानदंड 'फिट और समुचित' आधार पर दिशानिदेशों के पालन के अलावा किसी भी मितव्ययी या कारपोरेट प्रशासन नियमों के अध्यधीन नहीं हैं। मुख्य कार्यकलाप करने वाली एंटीटीज जिसमें उधार देना, वित्तीय लीज लेन-देन, निवेश, डेरिवेटिव की खरीद और बिक्री शामिल है, के लिए किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में न्यूनतम 3 मिलियन अमेरिकी डालर या समकक्ष होना आवश्यक है। जबकि विशेष कार्यकलाप करने की इच्छुक एंटीटीज के लिए, जिसमें फ़ैक्टरिंग और प्राप्य राशि की फ़ॉरफीटिंग और क्रेडिट वृद्धि शामिल है, के लिए न्यूनतम 5 मिलियन यूएसडी का पूंजी कोष होना आवश्यक है। इसके अलावा, कोर और/या विशेष कार्यकलापों को अंजाम देने वाली एंटीटीज को पूंजी अनुपात, लिक्विडिटी कवरेज अनुपात, ऋण सीमा मानदंड, कारपोरेट प्रशासन और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताओं जैसी मितव्ययी आवश्यकताओं के अध्यधीन किया जाता है।

लेन-देन/प्रक्रिया/परिचालन/रुझान

आईएफएससी में बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में 31 मार्च, 2021 तक 15 आईबीयू संचालित हैं। तीन बहुराष्ट्रीय बैंकों ने वित्त वर्ष 2020-21 में आईबीयू के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है।

सारणी 9 – आईएफएससी की संपत्ति


विशिष्टताएं	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार शेष	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार शेष
आईएफएससी में कुल आस्ति (मिलियन अमेरिकी डालर में)	14,103.8	14,977.0

सारणी 10 – आईबीयू के परिचालनों का विवरण

विशिष्टताएं	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार
आईएफएससी में आईबीयू की संख्या	12	15
आईएफएससी में अवस्थित आईबीयू में कर्मचारियों की संख्या	87	118


आईबीयू द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों में, निधि जुटाने के स्रोत अंतर-बैंक और अंतर-शाखा उधार, मध्यम अवधि के नोट, बहुपक्षीय संस्थानों से उधार आदि शामिल हैं। आस्ति परिनियोजन पर कार्यक्लाप बड़े पैमाने पर व्यापार वित्त और वाणिज्यिक ऋणों पर केंद्रित हैं।

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार आईएफएससी बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र का कुल ग्राहक ऋण 11.58 बिलियन अमेरिकी डालर है और आईबीयू का कुल आस्ति आकार 14.97 बिलियन अमेरिकी डालर है।




आकृति 5

आईएफएससी में आईबीयू का लेन-देन प्रवाह (मिलियन अमेरिकी डालर में)



आकृति 6

प्रमुख ऋण उत्पादों का बकाया (मिलियन अमेरिकी डालर में)



आकृति 7

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार बकाया निवेश के प्रकार (मिलियन यूएसडी)

सारणी 11 - आईएफएससी में आईबीयू में बकाया डेरिवेटिव अनुबंधों की तुलना

डेरिवेटिव बकाया	31 मार्च, 2020 तक बकाया	31 मार्च, 2021 तक बकाया
अप्रदेय डेरिवेटिव अनुबंध (एफसीवाई-आईएनआर)	-	18,128.8
एफसीवाई-एफसीवाई भविष्योन्मुखी	3,011.2	1,483.0
मुद्रा परिवर्तन	802.5	839.5
एफसीवाई-एफसीवाई मुद्रा विकल्प	310.6	10.0
ब्याज दर परिवर्तन (आईआरएस)	20.5	25.0
मुद्रा ब्याज दर परिवर्तन (सीआईआरएस)	54.8	258.5
ब्याज दर परिवर्तन(आईआरएस) (निश्चित अवधि सूचकांक परिवर्तन (ओआईएस) सहित))	22,732.8	24,600.7
अन्य	27.4	46.3
कुल	26,959.8	45,391.8



आकृति 8

देशों में प्रमुख आईबीयू का उद्घासन

वकालत और आउटरीच: अभियान, नियुक्तियां/परामर्श, प्रकाशन

आईएफएससीए बैंकिंग नियामकों और पर्यवेक्षकों के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मंचों में सदस्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। प्राधिकरण विश्व भर के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन संपन्न करने का इच्छुक है। आईएफएससीए में विभिन्न अवसरों के संबंध में अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई), फाइनेंसियल कण्डक्ट अथॉरिटी (एफसीए) और प्रूडेंशियल रेगुलेशन अथॉरिटी (पीआरए), यूके के साथ भी काम किया।

अगले वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

1. एफएसआई कनेक्ट के माध्यम से क्षमता निर्माण - बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) वेब-आधारित सूचना संसाधन और शिक्षण लिखित।
2. अन्य नियामकों के साथ समझौता-ज्ञापन संपन्न करना।
3. विदेशी मुद्रा समाशोधन समझौता तैयार करना।
4. आईएफएससी को आईएनआर में अपतटीय व्यापार के लिए एक हब के रूप में स्थापित करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन।
5. आईएफएससीए बैंकिंग हैंडबुक - बैंकिंग के लिए स्वतंत्र नियामक फ्रेमवर्क जारी करना।
6. उपयुक्त नियामक ढांचे के अधीन बैंकिंग व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक (डब्ल्यूओएस) मॉडल की संभावना तलाश करना।
7. एफसी विनियमों में शामिल विभिन्न पहलुओं पर परिचालन दिशानिदेशों को रोल आउट करना जिसमें मितव्ययी विनियमों, पूंजी फ्रेमवर्क, कारपोरेट प्रशासन दिशानिदेशों और व्यवसाय नियमों के संचालन से संबंधित पहलू शामिल होंगे।
8. फैक्ट्रिंग, फॉरफीटिंग, पोतों के लिए परिचालन लीज और अन्य कार्यकलापों के सक्षम होने पर कार्यकलाप विशिष्ट दिशानिदेश जारी करना।

पूंजी बाज़ार

प्रतिभूति बाज़ार की भूमिका में कंपनियों को पूंजी के कुशल आवंटन की सुविधा प्रदान करना और अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में योगदान करना शामिल है। यहां कई प्रकार की प्रतिभूतियाँ हैं जैसे कि इक्विटी शेयर, ऋण साधन, परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ, धन की इकाइयाँ, डेरिवेटिव आदि। पूंजी बाज़ार बचत और निवेश को वित्तीय प्रणाली में चैनलाइज़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आईएफएससी में पूंजी बाज़ार में निधि प्रबंधन और आईएफएससी एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की सूची के माध्यम से पूंजी जुटाने सहित विभिन्न माध्यमों से भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह को चैनलाइज़ करने की क्षमता है।

आईएफएससी में स्थापित निधियां विदेशी निवेशकों और अनिवासी भारतीयों से भारत में प्रतिभूति बाजारों में विभिन्न उत्पादों में निवेश के लिए पूंजी एकत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा, आईएफएससी में निधि पारिस्थितिकी तंत्र कुछ क्षेत्रों जैसे स्टार्ट-अप, एसएमई, ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, भू-सम्पदा परियोजनाएं, अवसंरचना निवेश आदि में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में भी योगदान दे सकता है।

भारतीय कारपोरेट्स (बैंक, सीपीएसई आदि सहित) आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों पर विदेशी मुद्रा बांड और/या मसाला बांड की सूची के माध्यम से भी पूंजी जुटा सकते हैं।

आगे बढ़ते हुए, आईएफएससी में पूंजी बाज़ार का लक्ष्य एक क्षेत्रीय/वैश्विक केंद्र के रूप में उभरना हो सकता है ताकि निवेशकों (भारत सहित) से निवेश आकर्षित किया जा सके और अन्य अधिकार क्षेत्र में निवेश को चैनलाइज़ किया जा सके।

सेबी द्वारा प्रतिभूति बाज़ार के विनियमन के लिए विनियामक फ्रेमवर्क शुरू में सेबी (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) दिशानिदेश, 2015 और समय-समय पर जारी किए गए कई परिपत्रों द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नांकित हेतु विनियामक फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए निर्दिष्ट किया गया था:

- क) स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगम और निक्षेपागार
- ख) मध्यवर्ती
- ग) पूंजी का निर्गम
- घ) ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और
- ड.) निधियां

01 अक्टूबर, 2020 से आईएफएससी में पूंजी बाज़ार के विकास और नियमन के लिए आईएफएससीए एक नियामक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में छह महीने की अवधि के दौरान, प्राधिकरण ने आईएफएससी के विकास के लिए कई नीतिगत पहलें की हैं, जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हैं।

विनियमों, परिपत्रों, दिशानिदेशों आदि के संबंध में कार्यक्लाप

बाज़ार अवसंरचना संस्थान (एमआईआई)

स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगम और निक्षेपागार (सामूहिक रूप से एमआईआई कहा जाता है) उचित जोखिम प्रबंधन के साथ प्रतिभूति बाजारों में विभिन्न उत्पादों के व्यापार के लिए मंच प्रदान करके और आवश्यक अवसंरचना फ्रेमवर्क प्रदान करके यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाज़ार निष्पक्ष, कुशल, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आईएफएससीए ने जनवरी 2021 में, सरल नियामक फ्रेमवर्क बनाने और आईएफएससी में व्यापार करने में आसानी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एमआईआई के लिए प्रस्तावित एकीकृत विनियमों के बारे में परामर्श पत्र जारी किया।

तत्पश्चात, प्राधिकरण द्वारा मसौदा आईएफएससीए (बाज़ार अवसंरचना संस्थान) विनियम, 2021 (“एमआईआई विनियम”) को मार्च, 2021 में अनुमोदित कर दिया गया। मसौदा एमआईआई विनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, आईएफएससी में एमआईआई की शेयरधारिता के संदर्भ में अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं, अन्य सामान्य दायित्वों के अलावा, उन्नत शासन मानदंडों को निर्धारित करते हैं और एमआईआई द्वारा पर्याप्त जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं।

मसौदा एमआईआई विनियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. शेयरधारिता

i. आईएफएससी में एमआईआई की शेयरधारिता निम्नांकित ढंग से होगी:

सारणी 12 – आईएफएससी में एमआईआई की शेयरधारिता

एमआईआई	कंसोर्टियम के बिना		कंसोर्टियम के साथ	
	द्वारा धारित	%	द्वारा धारित	%
स्टॉक एक्सचेंज	स्टॉक एक्सचेंज	कम से कम 26	एमआईआई का कंसोर्टियम	कम से कम 51
	कोई अन्य व्यक्ति	25 तक	कोई अन्य व्यक्ति	25 तक
समाशोधन निगम	स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम	कम से कम 26	एमआईआई का कंसोर्टियम	कम से कम 51
	कोई अन्य व्यक्ति	25 तक	कोई अन्य व्यक्ति	25 तक
निकषेपागार	निकषेपागार	कम से कम 26	एमआईआई का कंसोर्टियम	कम से कम 51
	कोई अन्य व्यक्ति	25 तक	कोई अन्य व्यक्ति	25 तक

- ii. कंसोर्टियम एमआईआई का होगा, और स्टॉक एक्सचेंज के पास कंसोर्टियम के भीतर कम से कम 51% शेयरधारिता होगी।
- iii. प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से मान्यता-प्राप्त एमआईआई में किसी भी व्यक्ति द्वारा 10 प्रतिशत या उससे अधिक की शेयरधारिता या मताधिकार का अधिग्रहण होगा।
- iv. आईएफएससी में एमआईआई को शेयरधारिता आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी और तिमाही आधार पर अपना शेयरधारिता पैटर्न प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा।

ख. निवल मूल्य

- i. एक मान्यता-प्राप्त एमआईआई के पास हर समय कम से कम 3 मिलियन यूएसडी का निवल मूल्य होना चाहिए। इसके अलावा, प्राधिकरण, यदि आवश्यक हो, जोखिम प्रबंधन उपाय के रूप में, इकाई के व्यवसाय की प्रकृति और पैमाने के आधार पर किसी मान्यता-प्राप्त एमआईआई के लिए उच्च निवल मूल्य निर्धारित कर सकता है।
- ii. मान्यता-प्राप्त एमआईआई पिछले वित्तीय वर्ष के लिए हर वर्ष सितंबर के तीसवें दिन तक वार्षिक आधार पर वैधानिक लेखा-परीक्षक से लेखा-परीक्षित निवल मूल्य प्रमाण पत्र प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

ग. शासन

- i. एमआईआई विनियमों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन में, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किसी मान्यता-प्राप्त एमआईआई के शासी बोर्ड में शेयरधारक निदेशक, जनहित निदेशक और प्रबंध निदेशक शामिल होंगे।
- ii. किसी मान्यता-प्राप्त एमआईआई के शासी बोर्ड की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और हितों के टकराव की पहचान करने, पता करने और प्रबंधन करने की प्रक्रियाओं सहित इसके कामकाज की प्रक्रियाओं का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।
- iii. किसी मान्यता-प्राप्त एमआईआई का शासी बोर्ड अपने व्यक्तिगत निदेशकों के समग्र प्रदर्शन और प्रदर्शन की नियमित रूप से समीक्षा करेगा।
- iv. किसी मान्यता-प्राप्त एमआईआई के प्रत्येक निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को ऐसी आचार संहिता का पालन करना होगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।
- v. मान्यता-प्राप्त एमआईआई ऐसी समितियों का गठन करेगा जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जाएंगी।
- vi. मान्यता-प्राप्त एमआईआई अपने नियामक विभागों को अन्य विभागों से अलग करने के लिए उपयुक्त नीति अपनाएगा।

घ. मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों के लिए सामान्य दायित्व

आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों/समाशोधन निगमों को निम्नलिखित के संबंध में आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है:

- i. ट्रेडों का समाशोधन और निपटान,
- ii. प्रतिभूतियों को दाखिल करना,
- iii. निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष,
- iv. निपटान गारंटी निधि,
- v. ट्रेडिंग घंटे और निपटान,
- vi. जोखिम प्रबंधन,
- vii. स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा ट्रेडिंग में रुकावट,
- viii. स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा सह-अवस्थापन,
- ix. व्यापार निरंतरता योजना और आपदा वसूली,
- x. लाभ और निवेश का उपयोग,
- xi. समान, निष्पक्ष और पारदर्शी पहुंच,
- xii. खाता और अभिलेख बहियों का रखरखाव,
- xiii. उपनियम और नियम,
- xiv. निपटान और निवलीकरण
- xv. पण्य डेरिवेटिव में समाशोधन निगम के दायित्व और शेष वसूलने के लिए समाशोधन निगमों के अधिकार।

ड. मान्यता-प्राप्त निक्षेपागारों के लिए सामान्य दायित्व

आईएफएससी में निक्षेपागारों को निम्नलिखित के संबंध में आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है:

- i. डिमैटीरियलाइजेशन के लिए पात्र प्रतिभूतियां,
- ii. निक्षेपागार और प्रतिभागियों के बीच समझौता,
- iii. निक्षेपागार और जारीकर्ताओं के बीच समझौता,
- iv. प्रणाली और प्रक्रियाएं,
- v. कनेक्टिविटी,
- vi. निवेशक सुरक्षा के लिए तंत्र,
- vii. प्रतिभागियों द्वारा वापसी,
- viii. जोखिम प्रबंधन,
- ix. व्यापार निरंतरता योजना और आपदा वसूली,
- x. अभिलेखों का रखरखाव,
- xi. सहयोग,
- xii. शपथपत्र, और
- xiii. समान, निष्पक्ष और पारदर्शी पहुंच।

आईएफएससी में पूंजी बाज़ार पारिस्थितिकी तंत्र

स्टॉक एक्सचेंज

स्टॉक एक्सचेंज महत्वपूर्ण बुनियादी फ्रेमवर्क और लिक्विडिटी प्रदान करते हैं, जो निवेशकों और बाज़ार सहभागियों को उचित बाज़ार मूल्य पर प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने में मदद करता है। स्टॉक एक्सचेंज कंपनियों और संस्थानों के लिए बाज़ार से पूंजी तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विनियमित पारिस्थितिकी तंत्र पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जो निवेशकों को अपने धन को सुरक्षित रूप से बनाए रखने में मदद करता है, साथ ही कंपनियों और पूरे देश के विकास और व्यापार चक्र में भाग लेने का अवसर देता है।

वर्तमान में, आईएफएससी के दो अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज हैं, अर्थात्,

- i. इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (आईएफएससी) लिमिटेड (“इंडिया आईएनएक्स”) और
- ii. एनएसई आईएफएससी लिमिटेड (“एनएसई-आईएफएससी”)।

इंडिया आईएनएक्स का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 09 जनवरी, 2017 को किया गया और 16 जनवरी, 2017 से इसका परिचालन शुरू हुआ। इसके बाद, एनएसई-आईएफएससी ने 05 जून, 2017 को अपना परिचालन शुरू किया।



चित्र 1. इंडिया आईएनएक्स के लोकार्पण कार्यक्रम में भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी



चित्र 2. एनएसई आईएफएससी का शुभारंभ गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रुपाणी द्वारा किया गया

स्टॉक एक्सचेंजों की मान्यता का नवीकरण

वर्ष के दौरान, सेबी ने 29 मई, 2020 से शुरू होने वाले एक वर्ष की अवधि के लिए एनएसई आईएफएससी की मान्यता को नवीकरण प्रदान किया। आईएफएससी ने 01 अक्टूबर 2020 को आईएफएससी के लिए एकमात्र एकीकृत नियामक के रूप में कार्य करना शुरू किया। आईएफएससी ने भारत आईएनएक्स को 29 दिसंबर 2020 को एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता का नवीकरण प्रदान कर दिया।

समाशोधन निगम (सीसी)

समाशोधन निगम स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी संस्था है जो एक्सचेंज पर निष्पादित लेन-देन की पुष्टि, समाशोधन और निपटान संभालती है। सीसी यह सुनिश्चित करने के मुख्य दायित्व को पूरा करती हैं कि प्रतिपक्षकारों के बीच लेन-देन त्वरित और कुशल तरीके से निपटाया जाए।

आईएफएससी में दो सीसी कार्यरत हैं, अर्थात्,

- i. भारतीय अंतरराष्ट्रीय समाशोधन निगम (आईएफएससी) लिमिटेड (“भारत आईसीसी”) और
- ii. एनएससी आईएफएससी समाशोधन निगम लिमिटेड (“एनआईसीसीएल”)

“इंडिया आईसीसी” ने 16 जनवरी 2017 को इंडिया आईएनएक्स - फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑन एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स सूचकांक और एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स 50 सूचकांक और अंतरराष्ट्रीय व्यक्तिगत इक्विटी/सिंगल स्टॉक पर डेरिवेटिव समाशोधित करके परिचालन शुरू किया। इसके बाद, एनआईसीसीएल ने 05 जून 2017 को अपना परिचालन शुरू किया।

सीसी की मान्यता का नवीकरण

सेबी ने 29 मई, 2020 से शुरू होने वाले वर्ष के लिए एनआईसीसीएल की मान्यता का नवीकरण किया। आईएफएससी ने 29 दिसंबर, 2020 से शुरू होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए भारत आईसीसी को मान्यता का नवीकरण कर दिया।

निक्षेपागार

निक्षेपागार एक विशेषज्ञ वित्तीय संगठन है जो प्रतिभूतियों जैसे इक्विटी शेयरों को डीमैट रूप में रखता है ताकि स्वामित्व को भौतिक प्रमाणपत्रों के हस्तांतरण के बजाय बही प्रविष्टि के माध्यम से आसानी से स्थानांतरित किया जा सके। यह दलालों और वित्तीय कंपनियों को अपनी प्रतिभूतियों को एक स्थान पर रखने की अनुमति देता है जहां वे समाशोधन और निपटान के लिए उपलब्ध हो सकती हैं।

आईएफएससी ने दो निक्षेपागार को पंजीकरण प्रदान किया है, अर्थात्,

- i. केंद्रीय निक्षेपागार सेवाएं लिमिटेड (सीडीएसएल) और
- ii. राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)।

सीडीएसएल ने 30 मार्च, 2021 को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, सीडीएसएल आईएफएससी लिमिटेड को शामिल किया।

एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध उत्पाद

डेरिवेटिव्स

ये दो या दो से अधिक पक्षों के मध्य अनुबंध हैं, जिनका मूल्य सहमति पर आधारित अंतर्निहित वित्तीय आस्ति (जैसे सुरक्षा) या आस्तियों के समूह (जैसे एक सूचकांक) पर आधारित होता है। सामान्य अंतर्निहित उपकरणों में बांड, पण्य, मुद्राएं, ब्याज दरें, बाजार सूचकांक और स्टॉक शामिल हैं। आईएफएससी एक्सचेंजों में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध सामान्य प्रकार के डेरिवेटिव नीचे दिए गए हैं:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| क) सूचकांक डेरिवेटिव | ख) इक्विटी डेरिवेटिव |
| ग) मुद्रा डेरिवेटिव | घ) पण्य डेरिवेटिव |

2. निक्षेपागार रसीदें (डीआर)

डीआर परक्राम्य वित्तीय साधन हैं जो किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में निर्गत अथवा सूचीबद्ध कंपनी की अंतर्निहित प्रतिभूतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

3. ऋण लिखते

ऋण एक परिसंपत्ति हैं जिसका उपयोग एक इकाई पूंजी जुटाने या निवेश आय उत्पन्न करने के लिए करती है। जारीकर्ता समय की अवधि में ब्याज और मूलधन चुकाता हैं। निम्नलिखित आईएफएससी में सूचीबद्ध ऋण उपकरण है।

क. विदेशी मुद्रा बांड

ख. मसाला बांड

ग. ग्रीन/सोशल/सस्टेनेबल बॉन्ड

एनएसई आईएफएससी - एसजीएक्स कनेक्ट

एनएसई आईएफएससी-एसजीएक्स कनेक्ट ("कनेक्ट") आईएफएससी में निफ्टी उत्पादों के लिए बड़ा लिक्विडिटी पूल बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय और आईएफएससी प्रतिभागियों को एक साथ लाएगा। एसजीएक्स से निफ्टी डेरिवेटिव में खरीद और बिक्री के ऑर्डर सहायक एसजीएक्स एसपीवी के माध्यम से एनएसई आईएफएससी पर ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म पर भेजे जाएंगे। एसजीएक्स एसपीवी जो एसजीएक्स के माध्यम से दर्ज किए गए ऑर्डर के लिए पास-थ्रू इकाई के रूप में कार्य करेगा। एनएसई आईएफएससी एसजीएक्स एसपीवी से प्राप्त ऑर्डर के साथ गिफ्ट-आईएफएससी में अपने ट्रेडिंग सदस्यों के ऑर्डर से मेल खाएगा।

प्रगति

एसजीएक्स ने फरवरी, 2021 में "एसजीएक्स इंडिया कनेक्ट आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड" नामक एसपीवी को आईएफएससी में शामिल किया है। इसके बाद, एसपीवी को एनएसई आईएफएससी और एनआईसीसीएल द्वारा ट्रेडिंग सह स्व-समाशोधन सदस्य के रूप में प्रविष्ट कराया गया है।

पृथक नामिती खाता संरचना (एसएनएस)

सेबी ने 24 मई, 2018 के परिपत्र सेबी/एचओ/एमआरडी/डीआरएमएनपी/सीआईआर/पी/2018/83 के माध्यम से आईएफएससी में एसएनएस की अनुमति दी, जिसमें विदेशी निवेशकों के आदेश आईएफएससी एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग के लिए पात्र अलग-अलग नामित खाता प्रदाताओं के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।


एसएनएस की व्यापक विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- विदेशी निवेशकों का ऑर्डर आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंज पर अलग-अलग नामिती खाता प्रदाताओं ("प्रदाताओं") के माध्यम से भेजा जा सकता है।
- प्रदाताओं को स्टॉक एक्सचेंजों / समाशोधन निगमों के साथ पंजीकृत किया जाएगा।
- प्रदाताओं को ग्राहकों को अलग-अलग नामिती खातों की पेशकश करने के लिए ऑनबोर्ड करने से पहले केवाईसी और एएमएल अनुपालन सहित वैश्विक मानकों के अनुसार अंतिम ग्राहक की उचित सावधानी सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी।
- प्रत्येक अंतिम ग्राहक को एक विशिष्ट ग्राहक कोड (यूसीसी) दिया जाएगा, जो आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंज/समाशोधन निगम द्वारा सभी प्रदाताओं के सभी अंतिम ग्राहकों के लिए अद्वितीय होगा।
- यूसीसी का उपयोग उनके अंतिम ग्राहक के "प्रदाताओं" द्वारा आदेश प्रविष्टि के समय दिया जाएगा

बॉक्स-1 एसएनएस कैसे कार्य करता है?

एसएनएस कैसे कार्य करता है?

- क.
- प्रदाता स्टॉक एक्सचेंजों में अंतिम ग्राहक को ट्रेडिंग के लिए ऑन-बोर्ड लाता है।
 - प्रत्येक ग्राहक केवल एक प्रदाता के साथ पंजीकरण कर सकता है।
 - प्रदाता ग्राहकों को सीमांत वित्तपोषण की पेशकश कर सकता है।
 - अंतिम ग्राहक का विवरण केवल प्रदाता के पास उपलब्ध होता है।
- ख. प्रदाता ट्रेड निष्पादन के लिए एकाधिक ट्रेडिंग सदस्य (टीएमस) का चुनाव कर सकता है।
- ग. प्रदाता ट्रेड समाशोधन के लिए एकाधिक समाशोधन सदस्यों (सीएमस) का चुनाव कर सकता है।
- घ. टीएम द्वारा निष्पादित ट्रेड को टीएम के डिफॉल्ट सीएम द्वारा छोड़े जाने के बाद प्रदाता के ग्राहक के पदांकित सीएम द्वारा समाशोधित किया जाता है और उसका निपटान किया जाता है।
- ङ. प्रत्येक ग्राहक के ट्रेड का समाशोधन और निपटान केवल एक सीएम ("पदांकित सीएम") किया जाता है।



आकृति 9
एसएनएस आर्चटाइप

इंडिया आईएनएक्स ग्लोबल एक्सेस

भारत आईएनएक्स ने एकल केंद्रीकृत मंच के माध्यम से वैश्विक विनिमय बाजारों तक पहुंच सुकर बनाने के लिए 18 सितंबर 2018 को ग्लोबल एक्सेस लॉन्च किया। ग्लोबल एक्सेस आईएफएससी के भीतर अपने सदस्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर कारोबार किए जाने वाले बहु-आस्ति वर्ग उत्पादों की विविध रेंज तक आसान पहुंच प्रदान करता है।

लिक्विडिटी वृद्धि योजना का विस्तार (एलईएस)

आईएफएससी ने 07 अक्टूबर, 2020 को परिपत्र जारी किया है जिसके द्वारा एलईएस की अवधि को पांच वर्ष तक की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा दिया गया है। यह पहल स्टॉक एक्सचेंजों को अपने उत्पादों के लिए अधिक लिक्विडिटी आकर्षित करने में सक्षम बनाएगी। इस योजना के अधीन, स्टॉक ब्रोकर और अन्य बाजार मध्यवर्तियों को सीमित व्यापारिक गतिविधि वाली प्रतिभूतियों की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए निश्चित अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

बाजार मध्यवर्ती

अभिरक्षक

अभिरक्षक विशेष वित्तीय संस्थान है जो निवेशक की संपत्ति के सुरक्षित रक्षक के रूप में कार्य करता है। अभिरक्षक इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में स्टॉक या अन्य आस्तियां रख सकता है। अभिरक्षक की भूमिका प्रतिभूतियों के विचलन, दुरुपयोग, चोरी और/या हानि के जोखिम को कम करने के लिए आस्तियों/प्रतिभूतियों को सुरक्षा प्रदान करना है। अभिरक्षक समाशोधन सदस्य भी हो सकता है, इसलिए वह अपने अभिरक्षक ग्राहकों के लेन-देन का समाशोधन और निपटान करता है।

अभिरक्षक तीन प्राथमिक उत्तरदायित्व निभाता है:

- i. आस्तियों की सुरक्षा
- ii. ट्रेड संसाधन (समाशोधन और निपटान) और
- iii. आस्ति सर्विसिंग

इसके अतिरिक्त, अभिरक्षक यह भी करता है:

- i. ग्राहक को प्राप्त होने वाले लाभों या अधिकारों पर प्रभाव डालने वाली प्रतिभूतियों के जारीकर्ता द्वारा की गई या की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में ग्राहक को संसूचित रखता है
- ii. ग्राहक को उसकी ओर से धारित वस्तुओं के बारे में की गई या की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में सूचित करता है
- iii. सेवाओं के रिकॉर्ड को बनाए रखता है और उसका मिलान करता है।

आस्तियों/प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को मान्यता

वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में निवेशक की आस्तियों की सुरक्षा और सेवा महत्वपूर्ण कार्य है। आईएफएससी ने आईएफएससी में अभिरक्षीय सेवाओं के लिए जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा के लिए, 24 फरवरी, 2021 को आस्तियों/प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में मान्यता के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। आईएफएससी के इस बारे में जारी परिपत्र द्वारा प्राधिकारी से मान्यता-प्राप्त करने के बाद अभिरक्षीय सेवाएं प्रदान करने के लिए इसी प्रकार की एंटीटीज को सक्षम बनाया गया है:

1. भारत में अभिरक्षक के रूप में पंजीकृत और विनियमित।
2. विदेशी क्षेत्राधिकार में अभिरक्षक के रूप में पंजीकृत और विनियमित।
3. विदेशी क्षेत्राधिकार में अन्य पूंजी बाजार मध्यवर्ती के रूप में पंजीकृत और विनियमित।
4. अन्य।

परिपत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, पात्रता मानदंड, इकाई की कानूनी संरचना, न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकता और संबंधित मामले शामिल हैं। उपर्युक्त ढांचे की परिकल्पना की गई है ताकि आईएफएससी में जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अधिक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जा सके।

ट्रेडिंग सदस्य

ब्रोकर डीलर/ट्रेडिंग सदस्य ऐसी एंटीटीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंजों पर अपने स्वयं के खाते के साथ-साथ अपने ग्राहकों की ओर से ट्रेड निष्पादित करती हैं। हालांकि, वे उनके द्वारा या अन्य ब्रोकर डीलरों/ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा निष्पादित ट्रेडों का समाशोधन और निपटान नहीं करते हैं।

सारणी 13 - गिफ्ट आईएफएससी में ट्रेडिंग सदस्य

गिफ्ट-आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंज(31 मार्च, 2021की स्थिति के अनुसार)	इंडिया आईएनएक्स	एनएसई आईएफएससी
ट्रेडिंग सदस्यों की संख्या	53	50

आईएफएससी में एक्सचेंज ट्रेडेड प्रतिभूतियों के लिए बाजार की गहराई और पहुंच का विस्तार करने की दृष्टि से, आईएफएससीए ने दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 के परिपत्र एफ. संख्या 68/आईएफएससीए/एमआरडी-एपी/2020-21 द्वारा स्टॉक ब्रोकर/व्यापारिक सदस्य (पंजीकृत) विदेशी क्षेत्राधिकार में स्थित प्राधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से निवेशकों को बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के आईएफएससीए या सेबी या दोनों के साथ) अनुमति प्रदान की गई। स्टॉक एक्सचेंजों और स्टॉक ब्रोकरों के पास निवेशकों और बाजार के हित में, जैसा वे उचित समझें, ढांचे में उल्लिखित आवश्यकताओं/दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के लिए परिचालनात्मक लचीलापन होगा।

समाशोधन सदस्य

समाशोधन सदस्य के पास ब्रोकर डीलर/ट्रेडिंग सदस्य द्वारा निष्पादित सभी सौदों के समाशोधन और निपटान का उत्तरदायित्व होता है।

मुख्य रूप से, समाशोधन सदस्य निम्नलिखित कार्य करता है:

- समाशोधन - अपने सभी ट्रेडिंग सदस्यों के दायित्वों की गणना करना यानी निपटान लिए पदों का निर्धारण करना।
- समाधान - वास्तविक समाधान करना।
- जोखिम प्रबंधन - प्रत्येक ट्रेडिंग सदस्य के लिए अग्रिम जमा/मार्जिन के आधार पर स्थिति सीमाएं निर्धारित करना।

सारणी 14 - गिफ्ट आईएफएससी में समाशोधन सदस्य

समाशोधन निगम (31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार)	स्व-समाशोधन सदस्य	ट्रेडिंग-सह-समाशोधन सदस्य	व्यावसायिक समाशोधन सदस्य
भारत आईसीसी	3	5	1
एनआईसीसीएल	3	5	0

विदेशी ब्रोकर और समाशोधन सदस्य

आईएफएससीए ने 11 दिसंबर 2020 के परिपत्र एफ. संख्या 113/सीएमडी-टीएमसीएम/2020-21 के माध्यम से प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन, पात्र विदेशी एंटीटीज को गिफ्ट-आईएफएससी में शाखा कार्यालय स्थापित करने और स्टॉक ब्रोकर और समाशोधन सदस्यों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। अब तक, सभी व्यापारिक सदस्यों और समाशोधन सदस्यों को आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम के सदस्य बनने के लिए एक अलग इकाई स्थापित करने की आवश्यकता थी।

पोर्टफोलियो मैनेजर (पीएमस)

पीएमस के लिए नियामक ढांचे को 09 सितंबर 2020 के परिपत्र के माध्यम से जारी परिचालन दिशानिर्देशों के साथ पठित सेबी (आईएफएससी) दिशानिर्देश, 2015 में सेबी द्वारा निर्दिष्ट किया गया था।

पीएमस के लिए नियामक ढांचे की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. पंजीकरण

परिचालन दिशानिर्देशों के संदर्भ में, कोई एंटीटी, कंपनी या एलएलपी होने के नाते, जिसका न्यूनतम निर्धारित निवल मूल्य है, निम्नलिखित रूपों में आईएफएससी में पीएमस के रूप में कार्य कर सकती है -

- क. सेबी-पंजीकृत कोई भी मध्यवर्ती (ट्रेडिंग सदस्य या समाशोधन सदस्य को छोड़कर) या उसके अंतरराष्ट्रीय सहयोगी ऐसे सेबी-पंजीकृत मध्यवर्ती के सहयोग से आईएफएससी में शाखा स्थापित करके आईएफएससी में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं (पीएमस) प्रदान कर सकते हैं, जो पूर्व के नियामक की स्वीकृति के अधीन है। इसके अलावा, वह यह सुनिश्चित करेगा कि:
 - i. आईएफएससी में शाखा से पीएमस प्रदान करने के लिए विशेष जनशक्ति आवंटित की जाएगी।
 - ii. शाखा परिचालन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट सभी उपबंधों (पंजीकरण प्राप्त करने को छोड़कर) का अनुपालन करेगी।
 - iii. मूल एंटीटी को आईएफएससी में अपने परिचालनों से विधिक, वित्तीय, परिचालनात्मक और प्रौद्योगिकीय रूप से अपने घरेलू परिचालनों को संरक्षित करने की आवश्यकता होगी।
- ख. अन्य एंटीटीज (अर्थात्, कारपोरेट या एलएलपी या किसी अन्य समान संरचना के रूप में, जो अपने मूल अधिकार क्षेत्र के कानूनों के अधीन मान्यता-प्राप्त है), भारत में या विदेशी क्षेत्राधिकार में, आईएफएससी में पीएमस के रूप में संचालन करने के इच्छुक हैं, पीएमस प्रदान करने के लिए कंपनी या एलएलपी बना सकते हैं। हालांकि, अलग कंपनी या एलएलपी का गठन अनुमेय नहीं होगा यदि आवेदक पहले से ही आईएफएससी में कंपनी या एलएलपी है।

ख. प्रमाणन

प्रधान अधिकारी और कर्मचारी जिनके पास निधि-प्रबंधन से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार है और जो भारत से बाहर के निवासी हैं, उनके पास किसी अन्य संगठन या संस्था या एसोसिएशन या स्टॉक एक्सचेंज से प्रमाणीकरण हो सकता है जो उस विदेशी क्षेत्राधिकार में वित्तीय बाजार नियामक द्वारा मान्यता-प्राप्त/स्वीकृत हो। हालांकि, यदि उपर्युक्त व्यक्ति भारतीय प्रतिभूति बाजारों में सौदा करते हैं तो एनआईएसएम से प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।

ग. निवल मूल्य

- i. आवेदकों की संपत्ति का निवल मूल्य 750,000 यूएसडी से कम नहीं होना चाहिए।
- ii. यदि पीएम को एक शाखा के रूप में स्थापित किया गया है, तो निवल मूल्य की आवश्यकता को मूल इकाई द्वारा पूरा किया जाना है।
- iii. यदि पीएम को सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया जाता है, तो निवल मूल्य की आवश्यकता को सहायक कंपनी द्वारा ही पूरा किया जाएगा। हालांकि, अगर सहायक कंपनी मानदंडों को पूरा नहीं करती है, तो मूल इकाई के निवल मूल्य पर विचार किया जाएगा।

घ. न्यूनतम निवेश राशि

आईएफएससी में कार्यरत पीएमस ग्राहक से 70,000 यूएसडी से कम की प्रतिभूतियां या निधियां स्वीकार नहीं करेंगे।

ड. निधियों का पृथक्करण

आईएफएससी में कार्यरत पीएमस सभी ग्राहकों की निधियों को उनके द्वारा आईबीयू में रखे जाने वाले एक अलग खाते में रखेंगे।

निवेश सलाहकार (आईएज)

सेबी द्वारा आईएज के लिए नियामक ढांचे को दिनांक 09 जनवरी 2020, 28 फरवरी 2020; और 28 सितंबर 2020 के परिपत्रों के तहत परिचालन दिशानिर्देशों के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) दिशानिर्देश, 2015 निर्दिष्ट किया गया।

आईए के लिए नियामक ढांचे की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. पंजीकरण

आईएफएससी में आईए के रूप में पंजीकरण के लिए नियामक के पास आवेदन करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे:

- क. एक कंपनी या एलएलपी या कोई अन्य समान संरचना होने के नाते कोई एंटीटी जो अपने मूल क्षेत्राधिकार के कानूनों के अधीन मान्यता-प्राप्त है और आईएफएससी में आईए के रूप में काम करने की इच्छुक है, निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए कंपनी या एलएलपी बना सकती है।
- ख. एक अलग कंपनी या एलएलपी का गठन मान्य नहीं होगा यदि आवेदक पहले से ही आईएफएससी में कंपनी या एलएलपी है।

ख. निवल मूल्य

- क. आईएफएससी में पंजीकृत आईए के लिए निवल मूल्य की अनिवार्यता 700,000 यूएसडी है।
- ख. यदि आईए को सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा, तो निवल मूल्य की अनिवार्यता को सहायक कंपनी द्वारा ही पूरा किया जाएगा। हालांकि, अगर सहायक कंपनी मानदंडों को पूरा नहीं करती है, तो मूल कंपनी के निवल मूल्य पर विचार किया जा सकता है।
- ग. संबंधित विनियमों के अधीन आईए/मूल इकाई इसके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्यकलाप के लिए अलग से और स्वतंत्र रूप से उपर्युक्त निवल मूल्य की अनिवार्यता को पूरा करेगी।

ग. अपेक्षित अहर्ता और अनुभव

निवेश सलाह देने वाले आवेदकों के भागीदारों और प्रतिनिधियों के पास निम्नांकित होना चाहिए:

- क. हर समय, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी मान्यता-प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय या संस्थान या परिसंघ द्वारा मान्यता-प्राप्त और किसी विश्वविद्यालय से वित्त, लेखा, व्यवसाय प्रबंधन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा या बीमांकिकी विज्ञान में व्यावसायिक योग्यता या स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम दो वर्ष की अवधि)
- ख. वित्तीय उत्पादों या प्रतिभूतियों, या निधि/आस्ति/पोर्टफोलियो प्रबंधन, या निवेश सलाहकार सेवाओं में सलाह से संबंधित कार्यकलापों में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

घ. प्रमाणन अनिवार्यता

निवेश की सलाह देने वाले आवेदकों के भागीदारों और प्रतिनिधियों के पास हर समय निम्नांकित निवेश सलाहकार सेवाओं के संबंध में प्रमाणन होना चाहिए:

- क. भारत में रहने वाले भागीदारों और प्रतिनिधियों और निवासियों के संबंध में-
 - i. एनआईएसएम से; या
 - ii. तृतीय योजना मानक बोर्ड इंडिया (एफपीएसबी इंडिया) या भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज सहित किसी अन्य संगठन या संस्थान से बशर्ते कि ऐसा प्रमाणीकरण एनआईएसएम द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
- ख. भारत के बाहर के भागीदारों और प्रतिनिधियों, निवासियों के संबंध में, किसी अन्य संगठन या संस्था या एसोसिएशन या स्टॉक एक्सचेंज से जो उस विदेशी क्षेत्राधिकार में वित्तीय बाजार नियामक द्वारा मान्यता-प्राप्त/स्वीकृत है।

तथापि, भारतीय प्रतिभूति बाजारों के संबंध में निवेश सलाह देने वाले भागीदारों और आवेदकों के प्रतिनिधियों के लिए एनआईएसएम से प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा।

आईएफएससीए (प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीबद्धता) विनियम, 2021

भारत में आईएफएससी की स्थापना का उद्देश्य भारत की विकास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वैश्विक पूंजी प्रवाह का लाभ उठाना है और साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं की पूरी श्रृंखला के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धी वित्तीय मंच प्रदान करना है।

आईएफएससीए ने आईएफएससी में प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के लिए मौजूदा नियामक ढांचे की समीक्षा की है ताकि उन्हें नवीनतम बाजार विकास के अनुरूप बनाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे विश्व स्तर पर अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रतिबिंबित करें।

आईएफएससीए ने विनियम के अधीन मार्च, 2021 को मसौदा आईएफएससीए (प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीबद्धता) विनियम, 2021 के बारे में परामर्श पत्र जारी किया है और निम्नलिखित प्रकार की सूचीबद्धता के लिए नियामक फ्रेमवर्क प्रदान किया है:

- क. असूचीबद्ध जारीकर्ता द्वारा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश
- ख. सूचीबद्ध जारीकर्ता द्वारा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की एक अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश
- ग. स्टार्ट-अप कंपनी या एसएमई द्वारा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूची
- घ. द्वितीयक सूचीबद्धता
- ङ. एक विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी ("एसपीएसी") द्वारा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश
- च. निक्षेपागार रसीदों की सूचीबद्धता
- छ. ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता, और
- ज. ईएसजी ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता।

आईएफएससीए में मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर एसपीएसी को सूचीबद्ध करने के लिए रूपरेखा का प्रस्ताव किया है, ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और एसपीएसी के माध्यम से पूंजी तक पहुंच प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित कंपनियों और स्टार्ट-अप सहित कंपनियों को सक्षम बनाया जा सके।

माननीय वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में, फिनटेक उद्योग में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए गिफ्ट सिटी में 'विश्व-स्तरीय' फिनटेक हब स्थापित करने की घोषणा की। इसलिए, आईएफएससीए द्वारा प्रस्तावित ढांचे का उद्देश्य आईएफएससी में मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर स्टार्ट-अप की सूचीबद्धता को सक्षम बनाना है।

इसके अलावा, विदेशी पूंजी कंपनियों के लिए आर्थिक वृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में कार्य करती है। प्रस्तावित सूचीबद्धता विनियम भारतीय कंपनियों (विशेष रूप से स्टार्ट-अप और एसएमई) द्वारा लागत प्रभावी तरीके से विदेशी पूंजी संघटन सुकर हो सकता है।

इसके अलावा, आईएफएससीए का लक्ष्य ईएसजी वित्त-पोषण की ज़रूरतों का समर्थन करते हुए, स्थायी वित्त के लिए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनने की ओर बढ़ना है। इस दिशा में, आईएफएससीए द्वारा प्रस्तावित ढांचे में ईएसजी ऋण प्रतिभूतियों जैसे कि ग्रीन बांड, सोशल बांड, सस्टेनेबल बांड, और सततता से जुड़े बांडों की सूची के लिए फ्रेमवर्क शामिल है।

निक्षेपागार रसीदें (डीआर)

28 अक्टूबर, 2020 को आईएफएससीए में डीआर की सूची के लिए रूपरेखा जारी की थी। फ्रेमवर्क, पात्र सूचीबद्ध कंपनियों को आईएफएससी में मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर डीआर जारी करने और सूचीबद्ध करने के माध्यम से पूंजी जुटाने में सक्षम बनाता है।

आईएफएससीए द्वारा निर्धारित फ्रेमवर्क भारत में (आईएफएससी के बाहर) या विदेशी क्षेत्राधिकार ²² में निगमित कंपनी को आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों पर डीआर जारी करने और सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाता है।

²² एफएटीएफ अनुपालन और इसका प्रतिभूति नियामक आईओएससीओएमएमओयू या आईएफएससीए के साथ द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है

डीआर की सूचीबद्धता के लिए रूपरेखा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- क) **पेशकश का आकार:** डीआर जारी करने का आकार 700,000 यूएसडी (या विदेशी मुद्रा में समकक्ष) से कम का नहीं होना चाहिए, या समय-समय पर आईएफएससीए द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य राशि के समान होना चाहिए।
- ख) **पेशकश दस्तावेज दाखिल करना:** जारीकर्ता, प्रमुख प्रबंधक(कों) के माध्यम से, आईएफएससीए को मसौदा पेशकश दस्तावेज दाखिल करेगा। प्राधिकरण मसौदा प्रस्ताव दस्तावेज पर अभियुक्तियां, यदि कोई हो, जारी कर सकता है।
- ग) **पेशकश दस्तावेज में प्रारंभिक प्रकटीकरण:** पेशकश दस्तावेज में सार्वजनिक पेशकश से संबंधित प्रकटीकरण शामिल होंगे, जिसमें जारीकर्ता प्रकटीकरण, प्रतिभूतियों से संबंधित प्रकटीकरण और परिपत्र में निर्धारित किए अनुसार संबंधित प्रकटीकरण शामिल होंगे।
- घ) **मूल्य निर्धारण:** जारीकर्ता प्रमुख प्रबंधक(कों) के परामर्श से या बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से डीआर की कीमत निर्धारित कर सकता है।
- ड.) **न्यूनतम अंशदान:** डीआर की सूचीबद्धता की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब प्रस्ताव में अंशदान 700,000 यूएसडी (या विदेशी मुद्रा में समकक्ष) या समय-समय पर आईएफएससीए द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य राशि से कम न हो।
- च) **सूचीबद्धता:** डीआर को आईएफएससी में मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, यह फ्रेमवर्क भारत में किसी भी एक्सचेंज (आईएफएससी के बाहर) या विदेशी क्षेत्राधिकार ²³ में सूचीबद्ध डीआर रखने वाली पात्र कंपनियों को आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंज (एस) पर ऐसे डीआर को ट्रेड के लिए बिना किसी नई सार्वजनिक पेशकश के अतिरिक्त स्थान के रूप में सूचीबद्ध और व्यापार करने में सक्षम बनाता है,.

आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध डीआर वाली कंपनियां निरंतर दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन करेंगी, जिनमें निम्न से संबंधित आवश्यकताएं शामिल हैं:

- क. वित्तीय विवरण
- ख. सामग्री या मूल्य संवेदी घटनाओं का प्रकटीकरण
- ग. तिमाही आधार पर शेयरधारिता पैटर्न प्रस्तुत करना
- घ. अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कारपोरेट प्रशासन प्रथाओं का विवरण
- ड. निक्षेपागार के परिवर्तन का प्रकटीकरण
- च. कारपोरेट कार्रवाइयों का प्रकटीकरण
- छ. स्टॉक एक्सचेंज (जो) को उस समय प्रकटीकरण करना जब वे अपने गृह एक्सचेंज/नियामक जहां इन्हें प्राथमिक रूप से सूचीबद्ध किया जाता है, को निर्गत किए जाते हैं।

बॉक्स - 2 निक्षेपागार रसीदों की पहली सूचीबद्धता

डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड और एनएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और एनवाईएसई पर सूचीबद्ध एडीआर के साथ सूचीबद्ध कंपनी है। कंपनी ने अपनी निक्षेपागार रसीदों को 09 दिसंबर 2020 को एनएसई आईएफएससी लिमिटेड पर द्वितीयक सूचीबद्धता के रूप में सूचीबद्ध किया।

इससे आईएफएससी में एडीआर की पहली सूची (2015 में इसके गठन के की तारीख से) मार्क हुई।

ऋण बाजार

सार्वजनिक और निजी संगठनों के वित्तपोषण में ऋण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैश्विक स्तर पर, कोविड-19 महामारी की शुरुआत के साथ, सरकारों और कारपोरेट्स ने वित्तीय संकट के कारण स्वास्थ्य देखभाल व्यय और राजस्व घाटे की भरपाई के लिए पर्याप्त ऋण जुटाया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस के अनुसार, विश्व ने 2020 में 24 ट्रिलियन यूएसडी का ऋण जोड़ा है। वैश्विक जीडीपी में कमी और ऋण में वृद्धि के कारण, वैश्विक ऋण-से-जीडीपी अनुपात 2020 में सकल घरेलू उत्पाद

²³ एफएटीएफ अनुपालन और इसका प्रतिभूति नियामक आईओएससीओएमएमओयू या आईएफएससीए के साथ द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है

के 35% अंक बढ़कर 355% हो गया है। जीडीपी वृद्धि में सकारात्मक अनुमानों के बावजूद, टीकाकरण और राजकोषीय प्रोत्साहन पर सरकारों के अनुमानित खर्च और निजी क्षेत्र के राजस्व में व्यवधान के कारण वैश्विक ऋण-से-जीडीपी अनुपात 2021 में उच्च रहने की आशा है। महामारी के माध्यम से आर्थिक सुधार को बनाए रखने के लिए, अधिकांश केंद्रीय बैंकों से आशा है कि वे 2021 में अत्यधिक कम ब्याज दरें बनाए रखेंगे।

भारत में भी, कोविड राहत उपायों के लिए वित्तपोषण हेतु पिछले वर्षों की तुलना में सरकारी ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय ऋण बाजार संबंधी क्रिसिल ईयरबुक के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-21 में कारपोरेट्स के प्राथमिक निर्गम में पिछले वर्ष की तुलना में (~6%) वृद्धि हुई है। इन निर्गमों में कारपोरेट उपज ने आरबीआई और सरकार द्वारा उठाए गए समर्थन उपायों के कारण जी-सैक उपज को बड़े पैमाने पर ट्रैक किया। ऋण में वृद्धि के बावजूद, अधिकांश विकसित और विकासशील देशों की तुलना में भारत में कारपोरेट ऋण-की तुलना में-जीडीपी का अनुपात कम है।

भारत में निर्गम मुख्य रूप से निजी नियोजन द्वारा संचालित होते हैं, जबकि बीएफएसआई क्षेत्र कुल निर्गमों पर हावी रहता है। कारपोरेट बॉन्ड बाजार का विस्तार करने के लिए, भारतीय संस्थागत निवेशकों से परे ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में, विदेशी निवेशक भारतीय कारपोरेट ऋण बाजार को व्यापक और गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, भारत में शुद्ध ईसीबी वित्त वर्ष 2020-21 में नकारात्मक थे, फिर भी सुदृढ़ देशीय समष्टि-अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों के कारण भारत में पूंजी प्रवाह यथावत बना रहना चाहिए। अल्पावधि में, अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को बांड की मांग और आपूर्ति महामारी से प्रभावित होती रहेगी, लेकिन लंबी अवधि में, आईएफएससी भारत में वैश्विक पूंजी प्रवाह को चलाने में महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है।

आईएफएससी एक्सचेंजों में ऋण प्रतिभूतियों की सूची सेबी (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) दिशानिदेश, 2015 और आईएफएससी में एक्सचेंजों पर ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने, सूचीबद्ध करने और व्यापार करने के बारे में जारी उत्तरवर्ती परिपत्र पर आधारित है।

आईएफएससी में ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने और सूचीबद्ध करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंजों ने सेबी द्वारा अनुमोदित, विस्तृत फ्रेमवर्क विकसित किया है, जिसमें निम्नांकित निर्धारित किया गया है:

क. जारीकर्ताओं के लिए पात्रता मानदंड, और

ख. आईएफएससी में ऋण प्रतिभूतियां जारी करने के लिए ऐसे पात्र जारीकर्ताओं द्वारा अनुपालन की जाने वाली निर्गम आवश्यकताएं।

आईएफएससी ने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए मार्च 2021 में मसौदा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2021 के बारे में परामर्श पत्र जारी किया है, जिसमें ऋण प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता शामिल है।

ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में प्रस्तावित मसौदा विनियमों की विशेषताओं में निम्नांकित शामिल हैं:

1. विनियम निम्नलिखित श्रेणियों की ऋण प्रतिभूतियों को आईएफएससी में मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने के लिए पात्र होने की अनुमति प्रदान करेगा:
 - i. आईएफएससी में शामिल जारीकर्ताओं द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां
 - ii. भारत में निगमित जारीकर्ताओं द्वारा जारी की गई ऋण प्रतिभूतियां या आईएनआर के अलावा किसी भी मुद्रा में विदेशी क्षेत्राधिकार
 - iii. मसाला बांड
 - iv. प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमत कोई अन्य ऋण प्रतिभूतियां
2. विनियम निजी नियोजन के माध्यम से ऋण प्रतिभूतियों के एकाधिक निर्गमन के लिए शेल्टफ प्रकटीकरण दस्तावेज दाखिल करने में सक्षम होंगे।
3. विनियम अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर ईएसजी केंद्रित बांडों की सूची बनाने में सक्षम बनाएंगे। निर्धारित अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यकताओं से ऋण पूंजी की आय का उपयोग ग्रीन, सामाजिक और सतत परियोजनाओं में उचित रूप से किया जा सकेगा।

वित्त वर्ष 2020-21 में आईएफएससी में कुल ऋण सूची लगभग 5.5 बिलियन यूएसडी है। आईएफएससी में मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर वित्त वर्ष 2021 में विशेष ऋण सूचीबद्धता से आईएफएससी में बांड बाजार का विस्तार होने की आशा है। आईएफएससीए का विशेष ध्यान ग्रीन, सोशल और सस्टेनेबल बांडों की सूचीबद्धता को सुगम बनाने पर होगा। वैश्विक स्तर पर, निवेशक अपने पूंजी आवंटन का मूल्यांकन करते समय ईएसजी कारकों को शामिल करने के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं। क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव रिपोर्ट के अनुसार, टिकाऊ बाजार में नए बॉन्ड का निर्गम 2020 में 700 बिलियन यूएसडी है, जो 2019 के निर्गम से दोगुने से भी अधिक है। यह सतत विकास के लिए पूंजी प्रदान करने के लिए बढ़ती निवेशक प्राथमिकता को प्रदर्शित करता है।

भारत जलवायु कार्रवाई और सतत विकास में वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने की इच्छा रखता है। अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, डीईए के अनुमान बताते हैं कि 2040 तक लगभग 4.5 ट्रिलियन यूएसडी के निवेश की आवश्यकता है। घरेलू बचत आवश्यक पूंजी जुटाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी और इसलिए भारत द्वारा निर्धारित जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पूंजी आवश्यक है। आईएफएससीए ने सतत वित्त के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनने के लिए गिफ्ट-आईएफएससी की परिकल्पना की है और इस तरह वह भारतीय जारीकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से ग्रीन, सामाजिक और सतत पूंजी जुटाने के लिए भारतीय जारीकर्ताओं को सक्षम बनाता है

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)

भारत में कार्यकलाप से निधि जुटाने से लेकर निधियों द्वारा सक्रिय निवेश तक निधि जुटाने के क्षेत्र में उच्च वृद्धि देखी जा रही है। बैंस इंडिया प्राइवेट इक्विटी रिपोर्ट, 2021 के अनुसार, इंडियन प्राइवेट इक्विटी (पीई) लैंडस्केप में 2020 में डील मूल्य में 62 बिलियन यूएसडी के साथ मजबूत निवेश गति देखने में आई। इस अवधि के दौरान, कई प्रमुख एपीएसी बाजारों में कुल 90 बिलियन यूएसडी जुटाए गए। हालाँकि, एपीएसी निधि उगाहने में भारत की हिस्सेदारी 3% पर स्थिर बनी हुई है। यह देखने में आया है कि निवेशकों का विश्वास ऊंचा बना हुआ है और लॉन्च की गई अधिकांश नई निधियां अपने निधि कलोजर को पूरा करने में सक्षम रहीं या ओवर-सब्सक्राइब हुईं। समय के साथ-साथ, मजबूत निवेशक भावना से बड़े निधि आकारों की ओर रुझान में वृद्धि दिखाई दे रही है।

गिफ्ट आईएफएससी भारत में निधि प्रबंधन उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धी और सहयोगी वातावरण प्रदान करता है। आईएफएससी के पास पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता है जो अपतटीय आरम्भिक निधि के महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रही है। सभी लेन-देन और नियामक पहलुओं के लिए, आईएफएससी से संचालित होने वाला एआईएफ अपतटीय एआईएफ है। इसके अलावा, इस तरह की निधि को स्थापित करने की लागत विदेश में अधिवासित अपतटीय निधि स्थापित करने की तुलना में कम है। उपर्युक्त बिंदु आईएफएससी को भविष्य में वैश्विक निधियों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। लंबे समय से यह देखने में आया है कि कई भारतीय एआईएफ के पास विभिन्न देशों में अपतटीय आरम्भिक निधियां हैं जहां विदेशी निवेशकों से पैसा भारतीय निधियों में जोड़ने के लिए जमा किया जाता है। आईएफएससी में एआईएफ की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए, आईएफएससी ने नियामक ढांचे की समीक्षा की है और अन्य प्रतिस्पर्धी क्षेत्राधिकारों में सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ आवश्यकताओं को संरेखित किया है। एआईएफ को आईएफएससी में आकर्षित करने के लिए 9 दिसंबर 2020 के परिपत्र के माध्यम से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- i. आईएफएससी में एआईएफ को अन्य अनुमेय निवेशों के साथ घरेलू एआईएफ में निवेश करने की अनुमति दी गई है।
- ii. आईएफएससी में एआईएफ द्वारा पोर्टफोलियो कंपनियों में सह-निवेश की अनुमति अलग-अलग पोर्टफोलियो के माध्यम से दी जाती है, बशर्ते कि निवेश की शर्तें सामान्य पोर्टफोलियो ऑफर की तुलना में अधिक अनुकूल न हों और स्थापन ज्ञापन में समुचित प्रकटीकरण किया गया हो।
- iii. आईएफएससी में एआईएफ को निर्धारित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यक्षीन, समर्थन करने की अनुमति है।
- iv. एआईएफ विनियमों के अधीन विविधीकरण सीमाएं आईएफएससी के भीतर एआईएफ पर लागू नहीं होती हैं, जो नियोजन ज्ञापन में उपयुक्त प्रकटीकरण के अध्यक्षीन हैं।

भू-संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) और अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट्स)

आरईआईटीज और इनविट्स वित्तीय प्रतिभूतियों के माध्यम से क्रमशः भू-संपदा और बुनियादी फ्रेमवर्क परियोजनाओं में निवेश के लिए निवेशकों से धन एकत्र करने वाले निवेश वाहन हैं। आरईआईटी और इनविट्स भी डेवलपर्स को अपनी संपत्ति का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाते हैं।

आईएफएससी में मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर आरईआईटी और इनविट को जारी करने के लिए नियामक ढांचे को निर्धारित करते हुए, 21 अक्टूबर, 2020 को परिपत्र जारी किए।

आईएफएससी द्वारा निर्धारित नियामक फ्रेमवर्क भारत में निगमित आरईआईटी और इनवीआईटी (आईएफएससी या आईएफएससी के बाहर) या विदेशी क्षेत्राधिकार ²⁴ को आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों पर पूंजी और सूची जुटाने की अनुमति देता है, जो परिपत्रों में प्रदान की गई आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन है।

बॉक्स - 3 आरईआईटी के सूचीबद्धता के लिए मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. प्रायोजक: प्रत्येक प्रायोजक प्रारंभिक प्रस्ताव के बाद के आधार पर आरईआईटी की इकाइयों की संख्या का कम से कम पांच प्रतिशत धारण करेगा।

प्रत्येक प्रायोजक का निवल मूल्य 3 मिलियन यूएसडी से कम नहीं होना चाहिए और सामूहिक आधार पर प्रायोजकों का निवल मूल्य 15 मिलियन यूएसडी से कम नहीं होना चाहिए।

ख. प्रबंधक: प्रबंधक को आईएफएससी में शामिल किया जाना चाहिए और आईएफएससी में एक भौतिक कार्यालय होना चाहिए। प्रबंधक, यदि वह निकाय कारपोरेट या कंपनी है, तो उसकी आस्तियों का निवल मूल्य 1.5 मिलियन यूएसडी से कम नहीं होना चाहिये और यदि वह एलएलपी है तो उसकी संपत्ति का निवल वास्तविक मूल्य 1.5 मिलियन यूएसडी से कम नहीं होना चाहिए। प्रबंधक या उसके सहयोगी को भू-संपदा उद्योग में या भू-संपदा के विकास में निधि प्रबंधन या सलाहकार सेवाओं या संपत्ति प्रबंधन में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

ग. आरईआईटी आस्तियां: आरईआईटी आस्तियों का मूल्य 75 मिलियन यूएसडी से कम नहीं होना चाहिए।

घ. सार्वजनिक निर्गम: आरईआईटी केवल सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से अपनी इकाइयों की प्रारंभिक पेशकश करेगा।

ड. न्यूनतम अंशदान: आरंभिक और/या सार्वजनिक पेशकश में किसी भी निवेशक की न्यूनतम अंशदान 700 यूएसडी होगा।

च. निवेश: आरईआईटी संपत्ति का कम से कम 75% आय-उत्पादक अचल संपत्ति में निवेश किया जाना चाहिए।

छ. वितरण: आरईआईटी के शुद्ध वितरण योग्य नकदी प्रवाह का कम से कम 90% यूनिट धारकों को वितरित किया जाएगा।

ज. निरंतर दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं: स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध आरईआईटी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट निरंतर दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन करेंगे।

24 एफएटीएफ अनुपालन और इसका प्रतिभूति नियामक आईओएससी ओएमएमओयू या आईएफएससी के साथ द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है

बॉक्स - 4 इनविटस की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. निवेश प्रबंधक: निवेश प्रबंधक को आईएफएससी में शामिल किया जाना चाहिए और उसका आईएफएससी में भौतिक कार्यालय होना चाहिए। प्रबंधक, यदि वह निकाय कारपोरेट या कंपनी है, तो उसका निवल मूल्य 1.5 मिलियन यूएसडी से कम नहीं होना चाहिये और यदि वह एलएलपी है तो उसका निवल वास्तविक मूल्य 1.5 मिलियन यूएसडी से कम नहीं होना चाहिए।

निवेश प्रबंधक को निधि प्रबंधन या सलाहकार सेवाओं या अवसंरचना विकास में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

ख. परियोजना प्रबंधक: परियोजना प्रबंधक, पीपीपी परियोजना के मामले में रियायत समझौते सहित किसी भी परियोजना समझौते के अधीन आवश्यक इनविट आस्तियों के उचित रखरखाव की व्यवस्था सहित संचालन और प्रबंधन, सीधे या उपयुक्त एजेंटों की नियुक्ति करके और पर्यवेक्षण के माध्यम से, जैसा भी अपेक्षित हो, करेगा।

ग. सार्वजनिक निर्गम और निजी नियोजन: आईएफएससी में इनविट को निम्नलिखित के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति है:

- i) आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंज (जों) में सूचीबद्ध इकाइयों के साथ सार्वजनिक निर्गम; या
- ii) आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंज (जों) में सूचीबद्ध इकाइयों के साथ निजी नियोजन; या
- iii) निजी नियोजन जिनकी इकाइयों को किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं है।

घ. इनविट आस्तियां: इनविट आस्तियों का मूल्य 75 मिलियन यूएसडी से कम नहीं होना चाहिए।

ङ. न्यूनतम सदस्यता: इनविटस के सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में, किसी भी निवेशक से न्यूनतम सदस्यता 1400 यूएसडी होगी।

च. निवेश

निजी परिस्थापन: इनविट आस्तियों के मूल्य का कम से कम 80% पात्र अवसंरचना परियोजनाओं में या तो सीधे या धारक कंपनियों के माध्यम से या एसपीवी के माध्यम से निवेश किया जाएगा।

पब्लिक इश्यू: इनविट आस्तियों के मूल्य का कम से कम 80% निवेश किया जाएगा, इनविटस की धारिता के अनुपात में, पूर्ण और राजस्व उत्पन्न करने वाली बुनियादी फ्रेमवर्क परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा।

छ. वितरण: इनविट के निवल वितरण-योग्य नकदी प्रवाह का कम से कम 90% यूनिट धारकों को वितरित किया जाएगा।

ज. सतत दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं: स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध इनविट स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट निरंतर दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन करेंगे।


आईएफएससी के साथ पंजीकृत आरईआईटी और इनविट्स को आईएफएससी, भारत (आईएफएससी के बाहर) और अन्य विदेशी क्षेत्राधिकारों²⁵ में अचल आस्तियों और बुनियादी फ्रेमवर्क परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति है, जो कुछ प्रमुख अपतटीय वित्तीय केंद्रों में निर्धारित नियामक ढांचे के अनुरूप है।

इसके अलावा, आरईआईटी और इनविट्स, जो पहले से ही किसी भी अनुमेय क्षेत्राधिकार में सूचीबद्ध हैं, को गृह क्षेत्राधिकार के कानूनों के अनुपालन के अधीन, आईएफएससी में मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर द्वितीयक सूचीबद्धता के रूप में सूचीबद्ध करने और व्यापार करने की अनुमति दी गई है।

²⁵ एफएटीएफ अनुपालन और इसका प्रतिभूति नियामक आईओएससीओएमएमओयू या आईएफएससी के साथ द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है

लेन-देन/प्रक्रिया/परिचालन/रुझान

आईएफएससी में मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सकल कारोबार वित्त वर्ष 2020-21 में वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 176% की वृद्धि हुई, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में 158% की वृद्धि की।



आकृति 10

एक्सचेंजों पर सकल टर्नओवर (मिलियन यूएसडी)

सूचकांक डेरिवेटिव

फ्यूचर्स या ऑप्शंस जैसे वित्तीय डेरिवेटिव शक्तिशाली उपकरण हैं जिनके माध्यम से आधुनिक अर्थव्यवस्था में हेजिंग, सट्टा, निवेश और मध्यवर्तीता होती है। विश्व भर में इक्विटी डेरिवेटिव उद्योग के प्रमुख उत्पाद सूचकांक डेरिवेटिव हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सूचकांक डेरिवेटिव पर ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रतिभूति डेरिवेटिव की तुलना में कई गुना अधिक है।

सूचकांक डेरिवेटिव का कारोबार मुख्य रूप से व्यावसायिक व्यापारियों, निवेशकों और पीएम द्वारा इक्विटी पोर्टफोलियो की सुरक्षा के लिए किया जाता है, ताकि अंतर्निहित शेयरों को खरीदते समय सूचकांक के लिए लागत प्रभावी एक्सपोजर की व्यवस्था की जा सके, ताकि बाजार की दिशा के बारे में व्यापारिक दृष्टिकोण लिया जा सके।

सारणी 15 आईएफएससी एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध सूचकांक डेरिवेटिव

प्रतीक	विहित आस्ति
निफ्टी	निफ्टी 50 सूचकांक
एमबीएएनकेएनआईएफटीवाई	निफ्टी बैंक सूचकांक, सूचकांक मूल्य के 1/10वें भाग के रूप में उद्धृत
निफ्टी	निफ्टी आईटी सूचकांक
सेंसेक्स	एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स
भारत 50	एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स 50
फिननिफ्टी	फिननिफ्टी सूचकांक

सूचकांक फ्यूचर्स: वित्त वर्ष 2020-21 में टर्नओवर के लिहाज से सूचकांक फ्यूचर्स में ट्रेडिंग 103% बढ़ी। वर्ष के दौरान, इंडिया आईएनएक्स और एनएसई आईएफएससी में क्रमशः 89% और 129% की वृद्धि देखी गई। इसी अवधि के दौरान, भारत आईएनएक्स और एनएसई आईएफएससी में ट्रेड अनुबंधों की संख्या क्रमशः 79% और 56% बढ़ी।


सारणी 16 - सूचकांक फ्यूचर्स में रुझान

वित्तीय वर्ष	अनुबंधों की संख्या		अनुबंधों की संख्या (मिलियन अमेरिकी डालर)	
	भारत आईएनएक्स	एनएसई आईएफएससी	भारत आईएनएक्स	एनएसई आईएफएससी
2019-20	4,059,987	2,129,365	49,216	24,741
2020-21	7,248,004	3,320,859	93,199	56,678


सूचकांक विकल्प: वित्त वर्ष 2020-21 में टर्नओवर के लिहाज से इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग 193% बढ़ी।

सारणी 17 - सूचकांक विकल्पों में रुझान

वित्तीय वर्ष	अनुबंधों की संख्या		काल्पनिक कारोबार (मिलियन अमेरिकी डालर)	
	भारत आईएनएक्स	एनएसई आईएफएससी	भारत आईएनएक्स	एनएसई आईएफएससी
2019-20	40,308,849	8,913,900	495,452	106,033
2020-21	117,264,788	9,454,922	1,648,052	114,961



आकृति 11
मुद्रा डेरिवेटिव



आकृति 12
मुद्रा डेरिवेटिव का टर्नओवर (मिलियन यूएसडी)

मुद्रा डेरिवेटिव: वित्त वर्ष 2020-21 एक्सचेंजों पर भारतीय रुपया-अमेरिकी डालर अनुबंधों के व्यापार के लिए पहला वर्ष था। वर्ष के दौरान कुल कारोबार 16,563 मिलियन यूएसडी था।

कमोडिटी डेरिवेटिव: वित्त वर्ष 2020-21 में कमोडिटी डेरिवेटिव में टर्नओवर 18% बढ़ा। जिसमें के भीतर, एक्सचेंजों पर सोने के डेरिवेटिव का सबसे अधिक कारोबार होता है।

सारणी 18 - कमोडिटी डेरिवेटिव का रुझान

टर्नओवर (मिलियन अमेरिकी डालर)	एफवाई 2019-20	एफवाई 2020-21
भारत आईएनएक्स	42,815	41,776
एनएसई आईएफएससी	-	8,930

सारणी 19 - आईएफएससी एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध कमोडिटी डेरिवेटिव

मूल्यवान धातु	सोना, चांदी
बेस धातु	तांबा, एल्यूमिनियम, सीसा, निकल, जस्ता
ऊर्जा	ब्रेंट कच्चा तेल।

सारणी 20 - मुद्रा डेरिवेटिव

वैश्विक मुद्रा डेरिवेटिव	यूरो - यूएसडी, जीबीपी- यूएसडी, जेपीवाई - यूएसडी, सीएचएफ- यूएसडी, एयूडी-यूएसडी
रुपया डेरिवेटिव	आईएनआर - यूएसडी, यूएसडी - आईएनआर

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, आईएएस के रूप में तीन एंटीटीज को पीएमएस कार्यकलापों और पंजीकरण के लिए एक इकाई को आई.ए.एस. सेबी ने एक इकाई को आईए के रूप में पंजीकरण भी प्रदान किया है।

सारणी 21 - पोर्टफोलियो प्रबंधक (पीएमस) और निवेश सलाहकार (आईए)

प्रकार	31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत एंटीटीज की संख्या
पीएमस	1
आईएज	4

ऋण बाजार

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान गिफ्ट- आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों पर लगभग 5.5 बिलियन यूएसडी के कुल बॉन्ड जारी किए गए थे। इसमें एसबीआई द्वारा जुटाए गए 100 मिलियन यूएसडी के ग्रीन बांड शामिल हैं।

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, आईएफएससी ने आईएफएससी में एक एआईएफ को पंजीकरण प्रदान किया है। इसके अलावा, 31 मार्च, 2021 तक दो आवेदन प्रक्रियाधीन थे।

पक्ष-समर्थन और आउटरीच: अभियान, जुड़ाव / परामर्श, प्रकाशन आदि

अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आइओएससीओ) की सदस्यता

आईएफएससीए दिसंबर, 2020 से आइओएससीओ का सहयोगी सदस्य बना। आइओएससीओ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के प्रतिभूति नियामकों को एक साथ लाता है, जो विश्व के 95% से अधिक प्रतिभूति बाजारों को कवर करता है, और प्रतिभूति क्षेत्र के लिए वैश्विक मानक केंद्र है।

आइओएससीओ प्रतिभूति बाजारों को सुदृढ़ करने के लिए मानक स्थापित करने में जी20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के साथ मिलकर काम करता है। एफएसबी ने आइओएससीओ के उद्देश्यों और प्रतिभूति विनियम के सिद्धांतों को सुदृढ़ वित्तीय प्रणालियों के प्रमुख मानकों में से एक के रूप में समर्थन दिया है।

आईओएससीओ की सदस्यता वैश्विक स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर साझा हितों के क्षेत्रों में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए मंच प्रदान करेगी। इसके अलावा, आईओएससीओ प्लेटफॉर्म आईएफएससीए को अन्य सुस्थापित वित्तीय केंद्रों के नियामकों के अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने में सक्षम बनाएगा। आईओएससीओ की सदस्यता आईएफएससीए के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिभूति बाजारों के नियामकों के साथ कनेक्ट करने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियम में अत्यधिक योगदान देगी।

इसके बाद, आईएफएससीए ने परामर्श और सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान (एमएमओयू) के संबंध में आईओएससीओ से बहुपक्षीय समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षरकर्ता बनने के लिए आवेदन किया है। एमओयू अपने हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच सामान्य समझ का प्रतिनिधित्व करता है कि किस प्रकार उन्हें प्रतिभूति बाजारों के संबंध में नियामक प्रवर्तन के उद्देश्य से परामर्श, सहयोग और सूचनाओं का आदान-प्रदान करना चाहिए।

द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन (एमओयू)

वर्ष 2020-21 के दौरान द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापनों के लिए कई विदेशी प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया है। प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन आईएफएससीए को विदेशी प्राधिकरणों के साथ सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा, जो विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों के निर्माण में सर्वोत्तम प्रथाओं और उनके अनुभवों को साझा करने पर ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देगा। आईएफएससीए का मानना है कि अन्य वित्तीय केंद्रों और प्राधिकरणों के साथ बढ़ा हुआ सहयोग वित्तीय सेवाओं में नवाचार, निवेशक संरक्षण और उनके संबंधित बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता में योगदान देगा जिससे वित्तीय केंद्रों में एंटीटीज की सीमा पार भागीदारी में वृद्धि होगी।

प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन अधिकारियों के बीच सूचना साझाकरण ढांचे को मजबूत करने में भी योगदान देगा।

अनुसंधान: कार्यकरण लेख, शोध रिपोर्ट, मूल्यांकन और संभावनाएं आदि

श्री के.पी. कृष्णन, आईएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया है, जो अतिरिक्त विकल्प के रूप में अन्य कानूनी संरचना, जिसे वेरिबल कैपिटल कंपनी (वीसीसी) के रूप में जाना जाता है, की अनुमति देने की क्षमता का पता लगाने के लिए गठित की गई है, जिसके माध्यम से आस्ति प्रबंधक निवेशकों की निधि को पूल करना और सरलीकृत संरचना की सिफारिश करेगी जो वर्तमान न्यास और कारपोरेट संरचना का लाभ उठाकर उनकी सीमाओं पर विचार करेगी। वीसीसी संरचना कंपनियों और एलएलपी की कुछ प्रमुख सीमाओं को समाप्त करती है और ट्रस्टों पर लागू होने वाले मानकों की तुलना में उच्च नियामक मानक प्रदान करती है।

अगले वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

1. आईएफएससीए (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियम, 2021

प्राधिकरण द्वारा एमआईआई विनियमों के मसौदे के अनुमोदन के बाद, अगले वर्ष एमआईआई विनियमों को अधिसूचित किया जाएगा। एमआईआई विनियम आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों, समाशोधन निगमों और निक्षेपागार के लिए नियामक फ्रेमवर्क प्रदान करेगा।

2. आईएफएससीए (प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीबद्धता) विनियम, 2021

आईएफएससीए का लक्ष्य आईएफएससीए (प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीबद्धता, 2021 ("सूचीबद्धता विनियम")) को अंतिम रूप देना और अधिसूचित करना है जो आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों पर विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए नियामक फ्रेमवर्क प्रदान करेगा।

इसमें ग्रीन, सोशल और सस्टेनेबल बांड सहित ईएसजी आधारित ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने और सूचीबद्ध करने पर विनियम भी शामिल होंगे। इन विनियमों से स्थायी वित्त जुटाने में स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों के साथ प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित होगी। सूचीबद्धता विनियम, अन्य बातों के साथ-साथ, एसपीएसी, एसएमई और स्टार्ट-अप कंपनियों के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए नियामक फ्रेमवर्क प्रदान करेंगे।

3. आईएफएससीए (पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती) विनियम, 2021

आईआईएफएससी में पूंजी बाज़ार में विभिन्न मध्यवर्तियों के लिए व्यापक और सुसंगत नियामक फ्रेमवर्क जारी करने का लक्ष्य है। आईएफएससी में पूंजी बाज़ार के लिए पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए मध्यवर्तियों की ऑनबोर्डिंग आवश्यक है। प्रस्तावित विनियम में मध्यवर्तियों के पंजीकरण के लिए आवश्यक फ्रेमवर्क (पात्रता मानदंड, निवल मूल्य की अपेक्षाएं, आईएफएससी में संचालन के लिए संरचना आदि), सभी मध्यवर्तियों के लिए सामान्य दायित्व और जिम्मेदारियां, विभिन्न प्रकार के मध्यवर्तियों के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियां और अन्य नियामक प्रावधान जैसे कि निरीक्षण, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं आदि का प्रावधान होगा।

4. निवेश कोष

- i. कोष प्रबंधन - विभिन्न कोष संरचनाओं का अध्ययन करने और सिफारिशों के आधार पर समिति गठित करने का प्रस्ताव है और सिफारिशों के आधार पर, विभिन्न कोष प्रबंधन कार्यकलापों से संबंधित एक समेकित विनियम अधिसूचित किया जा सकता है।
- ii. व्यावसायिक/अर्हक निवेशक - व्यावसायिक/अर्हक निवेशकों के लिए ढांचे की बाज़ार सहभागियों के परामर्श से जांच करने का प्रस्ताव है और ऐसे निवेशकों को शामिल करने के लिए सरल तरीके से अधिसूचित किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज


भारत में बुलियन बाज़ार

भारत बुलियन (सोना/चांदी) के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। चूंकि भारत में सोने के आभूषणों की बहुत मांग है, इसलिए समयावधि में बुलियन की मांग में वृद्धि होती रही है। इसके अतिरिक्त, विविध स्रोतों से निवेश, आरक्षित आस्ति, अलंकरण और एक प्रौद्योगिकी घटक के रूप में सोना लाभान्वित होता है। यह अत्यधिक नकदी वाली आस्ति है, कोई क्रेडिट जोखिम नहीं है, और यह कम मात्रा में उपलब्ध है, ऐतिहासिक रूप से समय के साथ यह अपने मूल्य को बरकरार रखने में सफल रहा है।

सोना भारतीय जीवन शैली का एक हिस्सा है। पूरे भारत में लोग पूरे वर्ष अपने लिए या सोना खरीदते हैं, खासकर अक्षय तृतीया, दिवाली, फसल काटने, शादियों जैसे त्योहारों पर सोना केंद्रीय स्थान और महत्व रखता है।

इस प्रकार, सोना भारतीय अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित करता है।

- यह अर्थव्यवस्था में आर्थिक कार्यकलाप के पैमाने को प्रभावित करता है। सोने का उपयोग आभूषण निर्माण और सिक्के बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। यह बदले में व्यापार के अवसर, मूल्य संवर्धन और रोजगार पैदा करता है। एक अध्ययन ए.टी. किर्नी ने वर्ष 2012-13 के संदर्भ में उल्लेख किया है कि इस क्षेत्र में मूल्यवर्धन देश में आयातित सोने के मूल्य का 25 प्रतिशत है। इसमें आभूषण निर्माण, रिटेल बिक्री, निर्यात और धातु व्यापार में मूल्यवर्धन शामिल है। इसके अलावा, उद्योग मूल्य-श्रृंखला में शोधन और खनन की संभावित क्षमता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में और भी रोजगार पैदा कर सकती है।



आकृति 13

भारत में स्वर्ण नीति समयरेखा

2. सोने का आयात भुगतान संतुलन (बीओपी) में ट्रेड संतुलन और चालू खाते को भी प्रभावित करता है। घाटे के उच्च स्तर को अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक माना जाता है और इससे बीओपी को बनाए रखने के लिए पूंजी प्रवाह की आवश्यकता होगी जो हो सकती है, जो प्रकृति में अस्थिर हो सकता है। तथाकि, चूंकि सोने के आयात का उपयोग सोने के आभूषणों के निर्यात के लिए भी किया जाता है, इसलिए इसमें चालू खाता घाटा (सीएडी) और विनिमय दर अस्थिरता पर आयात के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की क्षमता है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ²⁶

हाल के वर्षों में सोने की तुलना में भारत में नीतिगत स्थिति ने सोने के आयात और सीएडी पर ध्यान केंद्रित किया है। 2007-08 के बाद की अवधि में, आंशिक रूप से शायद वैश्विक वित्तीय संकट के जवाब में सोने की कीमत के साथ-साथ भारत के साथ-साथ विश्व के बाकी हिस्सों से सोने की मांग में तेज वृद्धि देखी गई। इसके बदले में भारत में सीएडी का विस्तार हुआ जिसे सरकार ने सीमा शुल्क को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की मांग की। जबकि तत्काल प्रभाव आधिकारिक चैनलों के माध्यम से सोने के आयात में कमी थी, इसने देश में अनौपचारिक आयात की मात्रा में वृद्धि की और घरेलू आभूषण उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।


वर्तमान बाजार की विशेषताएं

भारत में प्रचलित स्वर्ण नीति के परिणामस्वरूप उप-इष्टतम परिणाम हुआ है, अर्थात्, इसकी अस्पष्टता और असंगठित प्रकृति द्वारा चिह्नित स्वर्ण बाजार, अलग-अलग मूल्य श्रृंखला, अक्षम बाजार तंत्र और प्रक्रियाएं। यह देखा गया है कि हालांकि भारत सोने के सबसे बड़े आयातकों में से एक बना हुआ है, जिसकी वार्षिक मांग लगभग 1000 टन है, भारत बुलियन पारिस्थितिकी तंत्र के मामले में स्वयं को अन्य देशों से कई स्थान पीछे पाता है।

भारत में बुलियन के आयात के मौजूदा तरीके की व्यापक रूपरेखा नीचे दी गई है:

1. बैंकों और नामित एजेंसियों के माध्यम से माल का मॉडल
2. डीजीएफटी द्वारा जारी किए गए आयात लाइसेंसें पर डोर के माध्यम से रिफाइनरों द्वारा आयात
3. आभूषण निर्यातकों द्वारा आभूषण के रूप में पुनः निर्यात के लिए आयात


²⁶ https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2019-06/Report_GoldMarket.pdf



आकृति 14 बुलियन में वर्तमान मॉडल

स्रोत: विश्व स्वर्ण परिषद

देश में कार्यरत बुलियन पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित व्यापक परिचालन और कार्यात्मक संरचना है:



आकृति 15 प्रेषण मॉडल

आईएफएससी में मूल्यवान धातु पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना

1. अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज (आईबीई)

भारत चीन के बाद सोने का दूसरा सबसे बड़ा घरेलू उपभोक्ता है, हालांकि यह भारत में सोने की कीमत प्रभावित करने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। इसके अलावा, स्वर्ण मुद्राकरण योजनाओं (जीएमएस), आदि के माध्यम से अतीत में किए गए कई उपायों के बावजूद सोने का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में मुश्किल से किया जाता है। इसलिए, आईएफएससी के भीतर एक अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज (आईबीई) स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई, जो सभी का उपयोग कर सके। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध तालमेल और देश को भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए मूल्य प्रभावक बनने में सक्षम बनाता है। इस तरह का एक्सचेंज सभी बाजार सहभागियों को बुलियन व्यापार के एक सामान्य पारदर्शी मंच पर लाएगा और सोने की गुणवत्ता पर एक कुशल मूल्य खोज और आश्वासन प्रदान करेगा और विश्व में प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति स्थापित करने में मदद करेगा। माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण (2020) में घोषणा की कि नियामक के अनुमोदन से गिफ्ट-आईएफएससी में आईबीई स्थापित किया जाएगा। सरकार ने बुलियन स्पॉट ट्रेडिंग और बुलियन निक्षेपागार रसीदों (बीडीआर) को वित्तीय उत्पादों के रूप में और बुलियन से संबंधित सेवाओं को वित्तीय सेवाओं के रूप में अधिसूचित करने के लिए भी कदम उठाए हैं।


क. प्रस्तावित आईबीई के मूल उद्देश्य

आईबीई की स्थापना का उद्देश्य भारत के बुलियन बाजार में पारदर्शिता, गति और दक्षता के साथ बुलियन का सबसे पसंदीदा और अद्वितीय व्यापारिक केंद्र बनाने और निम्नांकित परिवर्तन लाकर सुधार लाना है:


- केंद्रीय तंत्र में मांग-आपूर्ति की जानकारी शामिल करके कुशल मूल्य का पता लगाना।
- समर्थन बुनियादी ढांचे की मदद से गुणवत्ता के मानकीकरण के माध्यम से व्यक्तिगत और संस्थागत खरीदारों के लिए सोने की गुणवत्ता आश्वासन करना।
- उत्तरदायी सोर्सिंग और आपूर्ति श्रृंखला की अखंडता सुनिश्चित करना।
- वित्तीय बाजारों का अन्य क्षेत्रों के साथ अधिक एकीकरण।
- विशेष रूप से निवेश के लिए आभूषणों की मांग के स्थान पर सोने की छड़ों और स्वर्ण समर्थित वित्तीय उत्पादों के उपयोग में वृद्धि करना।
- ट्रेड को सुकर बनाने के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से सोने को पट्टे पर देने और पुनर्चक्रण के लिए मंच प्रदान करना।

भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ

आईबीई भारतीय बाजार में अंतरराष्ट्रीय बैंकों के लिए सीधी पहुंच प्रदान करेगा। यह लॉजिस्टिक्स, वॉल्टिंग, रिफाइनिंग और व्यापारिक कार्यकलापों जैसी सेवाओं के साथ अधिक से अधिक व्यावसायिक अवसरों के लाभ के साथ गिफ्ट आईएफएससी के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनने का द्वार खोलता है। प्लेटफॉर्म पर विभिन्न उत्पादों की सूची होने से, भारतीय में बुलियन की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों को प्रभावित करने में सफल हो सकती हैं। यह आईबीई के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बुलियन बैंकों को निर्यात करके निर्यात बाजार तक आसान पहुंच प्रदान करेगा और अंतरराष्ट्रीय गैर-आवंटित सोने के व्यापार में सक्रिय भूमिका निभाएगा। आईबीई ऐसी प्रणाली बनाने में मदद करेगा जिस पर बैंकों के संघ द्वारा भरोसा किया जाता है, जो गोदाम रसीद-आधारित वित्तपोषण और कम लागत पर लिक्विडिटी जारी करके लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आईबीई बैंकों को उनके पास रखे सोने की हेजिंग, भौतिक सोने के अभौतिकरण और तहखाने की चिंताओं को दूर करने के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करेगा, और बैंकों को स्वर्ण मुद्राकरण योजना में आक्रामक रूप से भाग लेने में सक्षम बनाएगा। इसमें रिटेल निवेश से संबंधित आयात को काफी हद तक कम करने की क्षमता है।



आकृति 16
आईबीई में संरचित संघटन का आरेखित प्रस्तुतीकरण
स्रोत: विश्व स्वर्ण परिषद



आकृति 17
निर्दिष्ट आईबीई के माध्यम से आयात की संरचना

2. आईएफएससी में बुलियन बैंकिंग

बुलियन बैंकिंग विश्व भर में वाणिज्यिक बैंक का विशेष प्रभाग है जो व्यापार, उधार, जमा, निवेश, हेजिंग और जोखिम प्रबंधन, वॉल्टिंग और अभिरक्षक सेवाओं, निक्षेपागार और समाशोधन सेवाओं, बाज़ार बनाने, लिक्विडिटी प्रदाताओं और बाज़ार अनुसंधान आदि से लेकर बुलियन उत्पादों की पेशकश करता है। वाणिज्यिक बैंक आम तौर पर कारपोरेट वित्त की भागीदारी के साथ कमोडिटी, ट्रेजरी और विदेशी मुद्रा को संभालने वाले प्रभाग से बुलियन बैंकिंग कार्यकलापों को अंजाम देते हैं। बुलियन बैंक की ग्राहक सूची में खनिक, परिशोधन, केंद्रीय बैंक, जौहरी, व्यापारी, औद्योगिक घराने और निवेशक शामिल हैं। बुलियन बैंकिंग न केवल वाणिज्यिक बैंकों के लिए लाभदायक व्यवसाय है, बल्कि इसमें शुल्क आय अर्जित करने की भी अधिक संभावना है जो बैंक के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप है।

हालांकि, भारत में बुलियन बैंक पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत सीमित भूमिका निभाते हैं। समग्र बैंकिंग उद्योग की तरह, बुलियन बैंकिंग को भी आरबीआई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आरबीआई ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 1997 में सोने के आयात और बुलियन बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत किया। वर्तमान नियामक संरचना, जो उन्हें सीमित संख्या में उत्पादों की पेशकश करने की अनुमति देती है जिसमें डाउनस्ट्रीम वित्तपोषण जैसे गोल्ड मेटल लोन (जीएमएल) और आभूषणों के खिलाफ ऋण शामिल हैं और उनकी कार्यकलापों को प्रतिबंधित करता है भारत में बुलियन आयात करने के लिए केवल एक कैनालाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है।

आईएफएससी निम्नांकित उत्पादों की रेंज प्रदान करने के लिए वित्तीय एंटीटीज के लिए अवसर प्रदान कर सकता है जैसे:

- i. स्वर्ण बचत जमा।
- ii. स्वर्ण सावधि जमा।
- iii. निवेश उत्पाद जैसे स्वर्ण संचय योजनाएँ।
- iv. संरचित स्वर्ण जमा।
- v. स्वर्ण से जुड़े बीमा और पेंशन उत्पाद।
- vi. डोर फाइनेंसिंग जैसी वित्तीय सेवाएं।
- vii. स्वर्ण परियोजना वित्तपोषण।
- viii. क्रियाशील पूंजी वित्तपोषण - बीडीआर वित्तपोषण, बुलियन बैंकों द्वारा निर्यातकों और घरेलू जौहरियों को जीएमएल आदि प्रदान किया जा सकता है।
- ix. बिना आबंटित स्वर्ण व्यापार, बुलियन स्पॉट और डेरिवेटिव उत्पादों के माध्यम से ब्रोकरेज/जोखिम प्रबंधन, बाज़ार बनाने वाली सेवाएं।
- x. धातु समाशोधन सेवाएं, भौतिक संरक्षण सेवाएं, बुलियन प्रेषण बिक्री, वितरण सेवाएं, स्वर्ण सिक्का बिक्री, बाज़ार अनुसंधान रिपोर्ट, स्वर्ण ईटीएफ वितरण।
- xi. स्वर्ण हेजिंग।

3. आईएफएससी के भीतर स्वर्ण परिशोधन

स्वर्ण परिशोधन से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जिनका उपयोग खनन सामग्री, डोर और पुनर्नवीकरण उत्पादों से मूल्यवान धातुओं के निष्कासन और पृथक्करण के लिए किया जाता है। वर्तमान में केवल एक एमएमटीसी-पीएएमपी को लंदन बुलियन मार्केट्स एसोसिएशन (एलबीएलए), से मान्यता-प्राप्त है। उत्तरदायी सोर्सिंग दिशानिर्देश जनवरी 2012 से लागू हैं जो कॉम्प्लिक्ट खनिजों और आपूर्ति श्रृंखला अखंडता पर जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ओईसीडी के कारण परिश्रम के साथ स्वयं को संरेखित करता है।

आईएफएससी में परिशोधनशालाएं स्थापित करने से सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विज़न को बढ़ावा मिलेगा। गिफ्ट-आईएफएससी में संयंत्र स्थापित करने वाली परिशोधनशाला रोजगार पैदा करेगी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सक्षम करेंगे और कुशल श्रम के तुलनात्मक लाभ का उपयोग करने में भारत की सुविधा प्रदान करेंगे। अनुकूल भौगोलिक निकटता के कारण, यह परिवहन के मामले में किफायती होगा। आईबीई परिशोधकों को भारत के भीतर अंतरराष्ट्रीय स्तर

पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सोने के स्रोत में मदद करेगा और पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता लाएगा। आईएफएससी में परिशोधनशालाओं द्वारा मानक सलाखों में परिवर्तित स्वर्ण तार को कर लाभ के कारण आईबीई के माध्यम से व्यापार करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। जीएमएस के अधीन प्राप्त पुनर्नवीकरण सोने को आईएफएससी के भीतर परिशोधक द्वारा पुनर्नवीकरण किया जा सकता है जिसे सिक्कों और बार में परिवर्तित किया जा सकता है और आईबीई पर कारोबार किया जा सकता है।

केवल ओईसीडी-डीडीजी के अनुपालन में अच्छी डिलीवरी के उपयुक्त मानकों वाली अनुमोदित परिशोधनशालाओं को ही आईबीई को सोने की छड़ें बेचने की अनुमति होगी। यह मानकीकरण घरेलू क्षेत्र में परिशोधकों के लिए सकारात्मक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा क्योंकि उनमें से कुछ आईएफएससी और डीटीए दोनों में परिचालन में होंगे। परिशोधक अंतर्निहित बुलियन का उत्पादन करके वित्तीय उत्पादों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अंतर्निहित की बढ़ी हुई आपूर्ति से लिक्विडिटी बढ़ेगी, उत्पाद विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और इन उत्पादों के संबंध में विश्वास बढ़ेगा।

विनियमों, परिपत्रों, दिशानिदेशों आदि के संबंध में कार्यक्लाप

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 बुलियन एक्सचेंज, बुलियन समाशोधन निगम, बुलियन निक्षेपागार, वॉल्ट मैनेजर, और अन्य सभी प्रासंगिक मामलों की मान्यता, कार्यों, दायित्वों, सदस्यता, शासन आदि के लिए विस्तृत फ्रेमवर्क प्रदान करता है।

बॉक्स 5 - अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 की मुख्य विशेषताएं

क. बुलियन - बुलियन को कीमती धातुओं के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें सोने, चांदी या किसी अन्य कीमती धातु को बार या बिना आवंटित सोना, चांदी या ऐसी अन्य कीमती धातुओं के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्राधिकरण अच्छी डिलीवरी, समय-समय पर बुलियन ट्रेडिंग के संबंध में गुणवत्ता, मात्रा और कोई अन्य पहलू से संबंधित प्रासंगिक समझ सकता है।

ख. बुलियन एक्सचेंज - बुलियन एक्सचेंज वित्तीय संस्थान है जिसे बुलियन अनुबंधों की सहायता, विनियम और नियंत्रण के उद्देश्य से स्थापित और मान्यता-प्राप्त है।

ग. बुलियन समाशोधन निगम - आईएफएससी में बुलियन समाशोधन निगम वित्तीय संस्थान है जो बुलियन मार्केट में समाशोधन और समझौता कार्य प्रदान करता है।

घ. समाशोधन निक्षेपागार - समाशोधन निक्षेपागार समाशोधन में निक्षेपागार कारोबार करने के लिए वित्तीय संस्थान है।

ड. वॉल्ट मैनेजर - वॉल्ट मैनेजर प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत इकाई है और वॉल्टिंग व्यवसाय को चलाने के लिए बुलियन निक्षेपागार द्वारा सूचीबद्ध किया गया है।

च. निवल मूल्य: बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम का निवल मूल्य न्यूनतम 30 मिलियन यूएसडी होगा। बुलियन निक्षेपागार का निवल मूल्य निरंतर आधार पर 15 मिलियन यूएसडी से कम नहीं होना चाहिए।

छ. बुलियन मध्यवर्ती: बुलियन ट्रेडिंग सदस्य, बुलियन समाशोधन सदस्य, परिशोधक, जमाकर्ता, लॉजिस्टिक प्रदाता, पारखी आदि जैसे मध्यवर्ती विनियम द्वारा प्रदान किए गए बुलियन मार्केट में भाग लेंगे।

ज. उपयुक्त और समुचित आवश्यकताएं: सभी बाजार सहभागियों को बुलियन रेगुलेशन में निर्दिष्ट उपयुक्त और समुचित आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

अधिसूचनाएं

केंद्र सरकार ने दिनांक 31 अगस्त, 2020 की अधिसूचना एस.ओ. 2957 (ई) द्वारा कुछ वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं को अधिसूचित किया और निदेश दिया कि प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों में उक्त वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं को विनियमित करना शामिल होगा।

क. बुलियन निक्षेपागार रसीदें (बीडीआर) - बीडीआर को अंतर्निहित बुलियन के साथ वित्तीय उत्पाद के रूप में अधिसूचित किया गया। यह बुलियन के संगठित व्यापार का मार्ग प्रशस्त करता है।

ख. बुलियन स्पॉट डिलिवरी अनुबंध - अनुबंध करने वाले पक्षों पर बाध्यकारी वित्तीय दायित्व के रूप में एक्सचेंज के संविदात्मक दायित्व को मानते हुए बुलियन स्पॉट डिलिवरी अनुबंध को वित्तीय उत्पाद के रूप में भी अधिसूचित किया गया।

ग. बुलियन ट्रेडिंग - बुलियन स्पॉट डिलिवरी अनुबंध के संबंध में अंतर्निहित बुलियन के साथ बीडीआर में ट्रेडिंग को वित्तीय सेवा के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

घ. अन्य वित्तीय सेवाएं - बुलियन वित्त-पोषण, बुलियन-आधारित ऋण, संपार्श्विक पर बुलियन ऋण, बुलियन वॉल्टिंग, बुलियन स्पॉट डिलिवरी अनुबंधों के संबंध में समाशोधन और निपटान सेवाओं और बुलियन निक्षेपागार रसीदों के उपबंध को वित्तीय सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया गया है।

बुलियन अनाबंटित खातों में आईबीयू द्वारा लेन-देन को सक्षम बनाने संबंधी परिपत्र

भारत में बुलियन बाजार के विकास को सुविधाजनक बनाने, व्यापार और हेजिंग कार्यकलापों में रुचि पैदा करने और आईबीई के अग्रदूत के रूप में कार्य करने के लिए, बैंकिंग इकाइयों - आईएफएससी में भारतीय बैंकिंग इकाइयों/विदेशी बैंकिंग इकाइयों को भौतिक सोने/चांदी (आवंटित) के साथ व्यापार, हेजिंग और अदला-बदली के उद्देश्य से आवंटित खातों का संचालन करने में सक्षम बनाने के लिए 03 मार्च 2021 को परिपत्र जारी किया गया।

उपर्युक्त के अलावा, अब तक प्रदान किए गए संबल नीचे सूचीबद्ध हैं:

भारत में बुलियन बाजार के विकास को सुविधाजनक बनाने, व्यापार और हेजिंग कार्यकलापों में रुचि पैदा करने और आईबीई के अग्रदूत के रूप में कार्य करने के लिए, बैंकिंग इकाइयों - आईएफएससी में भारतीय बैंकिंग इकाइयों/विदेशी बैंकिंग इकाइयों को भौतिक सोने/चांदी (आवंटित) के साथ व्यापार, हेजिंग और अदला-बदली के उद्देश्य से आवंटित खातों का संचालन करने में सक्षम बनाने के लिए 03 मार्च 2021 को परिपत्र जारी किया गया।

- प्रासंगिक मामलों की जांच के साथ-साथ अंतर-नियामक समन्वय को सुकर बनाने के लिए संचालन समिति का गठन किया गया है। समिति में डीईए, डीएफएस, सीबीआईसी, सीबीडीटी, डीजीएफटी, डीओसी, नीति आयोग, डीजीईपी और आरबीआई का प्रतिनिधित्व है।
- प्रौद्योगिकी, अवसंरचनात्मक और परिचालनात्मक आवश्यकताओं, नियमों और उप-नियमों, जोखिम प्रबंधन ढांचे और उत्पाद संरचना के बारे में उप-समितियां गठित की गईं।
- भारत सरकार के उद्देश्य के अनुरूप भारत को आईबीई के माध्यम से बुलियन में मूल्य प्रभावक बनाने के लिए एनएसई, एमसीएक्स, इंडिया आईएनएक्स, एनएसडीएल, सीडीएसएल द्वारा गिफ्ट-आईएफएससी में एमआईआई की स्थापना के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस प्रकार, होल्डिंग कंपनी को शामिल किया गया है।

संव्यवहार/प्रक्रिया/प्रसंचालन/रुझान

I. भारत स्वर्ण नीति केंद्र (आईजीपीसी), आईआईएम अहमदाबाद के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर



चित्र 3. आईजीपीसी के साथ समझौता-ज्ञापन का आदान-प्रदान

आईएफएससीए ने आईबीई के संचालन के लिए, आईआईएम अहमदाबाद (आईजीपीसी-आईआईएमए) में भारत स्वर्ण नीति केंद्र के साथ तकनीकी और अनुसंधान सहायता के साथ-साथ अपेक्षित हितधारकों के साथ संरचित परामर्श को सुकर बनाने के लिए 9 सितंबर, 2020 को समझौता-ज्ञापन सम्पन्न किया।

II. आईबीई की स्थापना पर एक कार्य समूह का गठन

बुलियन एक्सचेंज के तौर-तरीकों, संरचना, ढांचे आदि पर केंद्रित चर्चा के लिए और आईजीपीसी-आईआईएमए, देशीय बैंकों, नामित अभिकरणों, अंतरराष्ट्रीय बैंकों, परिशोधनशालाओं, लॉजिस्टिक्स कंपनियों, ट्रेडिंग कंपनियों, भारतीय बुलियन और जौहरी परिसंघ (आईबीजीए), जौहरियों, विश्व स्वर्ण परिषद, आदि के प्रतिनिधियों से मिलकर विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा की। सुविधा के लिए कार्य समूह का गठन किया गया। कार्य समूह ने 23 नवंबर, 2020 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

कार्य समूह की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नांकित का सिंहावलोकन किया

1. गिफ्ट सिटी में आईबीई का महत्व,
2. प्रस्तावित समाधानों के साथ आईबीई की स्थापना में चुनौतियां,
3. मूल्य श्रृंखला में उद्योग के हितधारकों के लिए अवसरों और चुनौतियों की समझ,
4. आईबीई की प्रस्तावित शेरधारिता संरचना
5. नियामक रोडमैप

रिपोर्ट में आईबीई में विभिन्न हितधारकों के लिए नए अवसरों जैसे कि आपूर्ति करने वाली एंटीटीज, नामित बैंक/अभिकरण, जौहरी, बुलियन व्यापारी, परिशोधक, वॉल्ट, लॉजिस्टिक्स सेवाएं आदि पर प्रकाश डाला गया।

पक्ष-समर्थन और आउटरीच: अभियान, जुड़ाव / परामर्श, प्रकाशन आदि

1. गिफ्ट-आईएफएससी के माध्यम से बुलियन में भारत को मूल्य प्रभावित करने वाले भारत सरकार के उद्देश्य के अनुरूप गिफ्ट-आईएफएससी में एमआईआई की स्थापना के लिए एनएसई, एमसीएक्स, इंडिया आईएनएक्स, एनएसडीएल, सीडीएसएल द्वारा समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
2. हितधारकों के प्रभाव विश्लेषण मैट्रिक्स पर पहुंचने के लिए आईजीपीसी-आईआईएमए और डब्ल्यूजीसी के साथ परामर्श सत्र आयोजित किए गए।
3. आईबीई के परिचालन ढांचे पर विचार-विमर्श करने के लिए डब्ल्यूजीसी और आईजीपीसी-आईआईएमए के साथ विचार-मंथन सत्र/बातचीत की श्रृंखला आयोजित की गई।
4. आउटरीच पहल के माध्यम से हितधारकों के साथ जुड़ाव बीयू, वॉल्टिंग एजेंसियों, डब्ल्यूजीसी, ईटीएफ, उत्पाद प्रबंधकों आदि के साथ बैठकों के रूप में किया गया था।

आईएफएससीए की लंदन की वर्चुअल यात्रा

28 अक्टूबर 2020 को ऐतिहासिक 10वीं यूके-भारत आर्थिक और वित्तीय वार्ता में, यूके और भारत ने गिफ्ट सिटी में भारत के अग्रणी संस्थान आईएफएससी के विकास को उत्प्रेरित करने के लिए नए कार्यनीतिक सहयोग पर सहमति व्यक्त की। कार्यनीतिक सहयोग के हिस्से के रूप में, आईएफएससीए ने 22-24 मार्च 2021 के बीच लंदन का वर्चुअल दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य विकासशील विश्व के बारे में अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए आईएफएससीए और यूके के नियामकों और प्रमुख निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए विश्व-स्तरीय विनियम तैयार करने के लिए नियामक आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना था।

वर्चुअल विजिट के हिस्से के रूप में, आईएफएससीए ने एफसीए, बीओई, एलबीएमए, एलएमई और लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप के साथ बैठकें कीं।

इस वर्चुअल यात्रा के हिस्से के रूप में, इंडिया यूके वित्तीय साझेदारी (आईयूकेएफपी) और आईएफएससीए ने 24 मार्च 2021 को सार्वजनिक कार्यक्रम का मिलकर आयोजन किया। सार्वजनिक कार्यक्रम का उद्देश्य गिफ्ट सिटी में भारत की पहली आईएफएससी की वैश्विक प्रोफाइल को प्रोन्नत करना और यूके में मौजूद वित्तीय फर्मों के बीच व्यापार के अवसरों को प्रदर्शित करना था।

अगले वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

आईबीई की कार्यान्वयन योजना के हिस्से के रूप में, 2021-22 के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों की योजना बनाई जा रही है:

1. एक्सचेंज, समाशोधन निगम और डिपोजिटरी चलाने के लिए होल्डिंग कंपनी का गठन किया जाना है।
2. एक्सचेंज, समाशोधन निगम और निक्षेपागार द्वारा जारी किए जाने वाले उप-नियम और दिशानिदेश।
3. विनियमों, नीति और परिचालन मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए संचालन समिति की बैठकें।
4. होल्डिंग कंपनी और उसकी अनुषंगियों द्वारा हितधारक आउटरीच की जानी है।
5. संचालन संबंधी दिशा-निर्देश आईएफएससीए द्वारा जारी किए जाने हैं।
6. एक्सचेंज, समाशोधन निगम और निक्षेपागार द्वारा जारी किए जाने वाले उत्पाद दिशानिदेश और जोखिम प्रबंधन दिशानिदेश।
7. उत्पाद संघटन, अनुबंध विनिदेशों आदि को अंतिम रूप दिया जाना है।
8. आईबीई का प्रायोगिक शुभारंभ।
9. आईबीई के माध्यम से ट्रेडिंग और समाधान को सक्षम किया जाना है।


इष्टतम कार्यकलाप:

1. उप-भूभागीय वॉल्ट्स की स्थापना।
2. अहर्ता-प्राप्त जौहरियों द्वारा आईबीई के माध्यम से आयात किया जाना।
3. ईटीएफ के लिए दिशानिदेश जारी किया जाना।
4. आईएफएससी में बुलियन को परिष्कृत करने के लिए दिशानिदेश जारी किए जाने हैं
5. आईबीई के माध्यम से लीजिंग और उधारी को सक्षम बनाना।
6. बीयू को स्वर्ण बचत खाता/स्वर्ण संचय योजना खोलने में सक्षम बनाया जाना।
7. गिफ्ट-आईएफएससी में स्वर्ण परिशोधन कार्यकलापों को सक्षम करना।
8. डीटीए से आईबीई को बुलियन का निर्यात।
9. आईबीई को देशीय एक्सचेंजों के साथ जोड़ना।

आईबीई निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशल बुलियन व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सक्षम करेगा जो बदले में आपूर्ति-श्रृंखला, विशेष रूप से निर्यातकों और छोटे व्यापारियों पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा।

फिनटेक हब और आईटी

भारत में 2100 से अधिक स्टार्टअप ²⁷ वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) क्षेत्र में कार्यरत हैं, जिनमें से 67 प्रतिशत से अधिक पिछले पांच वर्षों में बने हैं। फिनटेक ने वर्ष 2020 के दौरान प्रारंभिक चरण के अनेक और बाद के चरण के बहुत अधिक सौदों के साथ उल्लेखनीय निवेशक रुचि और कार्यकलाप को आकर्षित किया है।



आकृति 18

भारतीय फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र

स्रोत: <http://www.researchandmarkets.com/reports/5024695/intech-market-in-india-2020>

वैश्विक स्तर पर फिनटेक हब तब सफल रहे हैं जब फिनटेक स्टार्ट-अप वित्तीय संस्थानों (एफआई) और नियामकों के साथ सहयोग करने में सक्षम हैं। यह उन्हें विभिन्न अनुमोदनों, एफआई के बड़े ग्राहक आधार, एफआई के सहयोग से उत्पादों को विकसित करने और एफआई के साथ सफल पीओसी करने में मदद करता है। एफआई कार्यनीतिक रूप से सबसे करीबी साझेदार हैं जो वित्तपोषण और उद्योग के प्रदर्शन के साथ-साथ प्रतिभा, सह-विकासशील मंच, उत्पाद और समाधान प्रदान कर सकते हैं। विश्व भर की सरकार और सरकारी एजेंसियों ने सहयोग को सक्षम करने और बढ़ाने के लिए, इस तरह की पहल का समर्थन और वित्तपोषण किया है।

केंद्रीय बजट 2021 में, माननीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि भारत सरकार गिफ्ट आईएफएससी में विश्व-स्तरीय फिनटेक हब को विकसित करने में सहयोग करेगी।

27 बीसीजी-फिक्की रिपोर्ट “इंडिया फिनटेक: 100 बिलियन अमेरिकी डालर अवसर”

विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों आदि के संबंध में कार्यक्लाप

नियामक और नवोन्मेष सैंडबॉक्स के लिए फ्रेमवर्क

आईएफएससीए, गिफ्ट आईएफएससी में विश्व-स्तरीय फिनटेक हब विकसित करने के उद्देश्य से बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूतियों, निधि प्रबंधन सहित अन्य क्षेत्रों में वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं में पहल को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है।

इस विजन को प्राप्त करने की दिशा में कदम के रूप में, आईएफएससीए ने “रेगुलेटरी सैंडबॉक्स” के लिए रूपरेखा प्रस्तुत की है। इस ढांचे के अधीन, पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में काम करने वाली एंटीटीज को निश्चित समय सीमा के लिए वास्तविक ग्राहकों के सीमित सेट के साथ जीवंत वातावरण में अभिनव फिनटेक समाधानों के साथ प्रयोग करने के लिए कुछ सुविधाएं और लचीलापन प्रदान किया जाता है। इन सुविधाओं को निवेशक सुरक्षा और जोखिम कम करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ सुदृढ़ किया गया है।

पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा, और पेंशन क्षेत्रों के साथ-साथ भारत और एफएटीएफ अनुपालन क्षेत्राधिकारों के व्यक्तियों और स्टार्टअप्स में कार्यरत सभी एंटीटीज (विनियमित के साथ-साथ अविनियमित) नियामक सैंडबॉक्स में भाग लेने के लिए पात्र हैं। अपने नवोन्मेषी फिनटेक समाधानों, अवधारणाओं और व्यावसायिक मॉडलों को प्रदर्शित करने के लिए सैंडबॉक्स में भाग लेने की इच्छुक एंटीटीज आईएफएससीए को आवेदन कर सकती हैं।

बॉक्स - 6 नियामक सैंडबॉक्स में भाग लेने के लिए पात्रता मापदंड इस प्रकार हैं:

क) नवाचार की प्रामाणिकता

समाधान इतना नवीन होना चाहिए कि भारत/आईएफएससी में पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा, या पेंशन क्षेत्र में मौजूदा पेशकश में महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ सके।

ख) वास्तविक परीक्षण की आवश्यकता

आवेदक को वास्तविक ग्राहकों पर समाधान के लाइव परीक्षण की वास्तविक आवश्यकता होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि कुछ नियमों, यदि कोई हों, को शिथिल किए बिना समाधान विकसित नहीं किया जा सकता है।

ग) सीमित पूर्व परीक्षण

सैंडबॉक्स में परीक्षण के लिए आवेदन करने से पहले, आवेदक द्वारा समाधान का सीमित ऑफ़लाइन परीक्षण किया जाना चाहिए था।

घ) उपयोगकर्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ

समाधान को निवेशकों या एंटीटीज या बड़े पैमाने पर पूंजी बाजार को पहचान योग्य लाभ (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) प्रदान करना चाहिए।

ड.) वित्तीय प्रणाली के लिए कोई जोखिम नहीं

समाधान के परीक्षण से उत्पन्न होने वाले किसी भी बाजार सहभागियों / उपयोगकर्ताओं के लिए संभावित जोखिमों को कम करने और नियंत्रित करने के लिए उचित सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिए समाधान में उचित जोखिम प्रबंधन कार्यनीति होनी चाहिए और जोखिमों के प्रबंधन और विफलता के परिणामों को शामिल करने के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव करना चाहिए।

च) समाधान की तैयारी का परीक्षण


सैंडबॉक्स में परीक्षण का समर्थन करने के लिए आवेदक के पास आवश्यक संसाधन होने चाहिए और स्पष्ट उद्देश्यों, मापदंडों और सफलता के मानदंडों के साथ अच्छी तरह से विकसित परीक्षण योजनाओं का प्रदर्शन करना चाहिए।

छ) परीक्षण के बाद परिनियोजन

आवेदक को समाधान को व्यापक पैमाने पर लागू करने की मंशा और क्षमता का प्रदर्शन करना चाहिए। इस आशय के लिए, आवेदक को प्रस्तावित सैंडबॉक्स निकास और संक्रमण कार्यनीति साझा करनी चाहिए।

इसके अलावा, एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में अतिरिक्त कदम के रूप में, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, आईएफएससीए महसूस करता है कि फिनटेक फर्मों को बाजार से संबंधित डेटा तक पहुंच होनी चाहिए, विशेष रूप से, ट्रेडिंग और होल्डिंग, जो अन्यथा उनके लिए आसानी से उपलब्ध नहीं है। यह उन्हें जीवंत वातावरण में इस तरह के नवाचारों की शुरुआत से पहले अपने नवाचारों का प्रभावी ढंग से परीक्षण करने में सक्षम करेगा।

इस संबंध में, आईएफएससीए ने “इनोवेशन सैंडबॉक्स” का संचालन किया है, जो परीक्षण वातावरण है जहां फिनटेक फर्म आईएफएससी में काम कर रहे एमआईआई द्वारा उन्हें उपलब्ध कराए गए बाज़ार से संबंधित डेटा के आधार पर लाइव बाज़ार से अकेले में अपने समाधान का परीक्षण कर सकते हैं। इसके लिए आईएफएससी में कार्यरत एमआईआई द्वारा अवसंरचना सहायता प्रदान की जा रही है।



आकृति 19
फिनटेक हब के अवयव

आईएफएससीए ने गिफ्ट-आईएफएससी को विश्व-स्तरीय फिनटेक हब के रूप में विकसित करने के लिए, इस विज़न को साकार करने में मदद करने के लिए कई पहल शुरू की हैं। आईएफएससीए 2021 में शुरू होने वाले वार्षिक फिनटेक कार्यक्रम का आयोजन करने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य फिनटेक के दायरे को सीमाओं से परे विस्तारित करना है। आने वाले महीनों में विदेशी विनियामकों और वैश्विक फिनटेक हब के साथ फिनटेक ब्रिज बनाने की योजना बनाई जा रही है। आईएफएससीए फिनटेक फर्मों को प्रोत्साहन देने के लिए नीति भी तैयार कर रहा है ताकि उनके अभिनव समाधानों का समर्थन किया जा सके। गिफ्ट-आईएफएससी में संपन्न फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए फिनटेक लैब की स्थापना, एक्सेलेरेटर की स्थापना और प्रगतिशील फिनटेक ढांचे का निर्माण प्रगति पर है।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

आईएफएससीए सिस्टम और अवसंरचना को विकसित करने का प्रयास करता है। प्राधिकरण की आईटी टीम आईटी और बिजनेस क्षेत्र के बीच तालमेल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं का लाभ उठाती है जिसके परिणामस्वरूप दक्षता में वृद्धि होती है। यह टीम परिवर्तनकारी भागीदार बनने का भी प्रयास करती है, जो आईएफएससीए के जनादेश को मजबूती से रेखांकित करता है।

वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2020-21 में कुछ प्रमुख पहलें:

1. आईएफएससीए वेबसाइट

सितंबर, 2020 में संगठन की स्थापना के साथ ही आईएफएससीए वेबसाइट लाइव हो गई। यह वेबसाइट तेजी से बढ़ती प्रौद्योगिकी, व्यवसायों और वैश्वीकरण के युग में इंटरनेट पर आईएफएससीए के चेहरे के रूप में कार्य करती है। आईएफएससीए वेबसाइट जनता के साथ-साथ विनियमित एंटीटीज और अन्य सहायक कंपनियों के साथ अपने नियमों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं आदि के माध्यम से सूचना का प्रसार करने के लिए महत्वपूर्ण इंटरफेस के रूप में कार्य करती है। आने वाले दिनों में, आईएफएससीए की वेबसाइट से सेटिंग को और बढ़ाने और सुविधाजनक बनाए जाने की आशा है आईएफएससी में विश्व भर के व्यवसायों का विस्तार और अपने क्षितिज का विस्तार करने के लिए उत्सुक सभी घरेलू व्यवसायों के लिए पसंदीदा मंच बन गया।

2. सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना

आईएफएससीए कर्मचारियों को कंप्यूटर, प्रिंटर, टेलीफोन और हाई-स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) कनेक्टिविटी से सुसज्जित वर्क स्टेशन प्रदान करता है। कार्यालय की नेटवर्किंग अवसंरचना पीक ट्रैफिक को संभालने में सक्षम है। आईएफएससीए परिसर उच्च गति वाले वाई-फाई कनेक्टिविटी से सक्षम हैं और बोर्ड रूम और मीटिंग रूम निर्बाध संचार के लिए विश्व-स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों के साथ सक्षम हैं।

3. मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस):

आईएफएससीए के लिए शामिल किए गए एचआरएमएस एप्लिकेशन का उद्देश्य कर्मचारियों की उपस्थिति प्रबंधन, अवकाश प्रबंधन और वेतन पर्ची तैयार करने को डिजिटल बनाकर प्राधिकरण के सामान्य प्रशासन को आसान बनाना है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य अन्य सभी सामान्य प्रशासनिक कार्यों को अपने दायरे में शामिल करने के लिए प्रणाली को नियंत्रित करना है।

4. ई-ऑफिस-आईएफएससीए एप्लिकेशन:

आईएफएससीए में इलेक्ट्रॉनिक फाइल प्रबंधन प्रणाली के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) से ई-ऑफिस एप्लिकेशन प्राप्त किया है। ई-ऑफिस-आईएफएससीए एप्लिकेशन का उद्देश्य अधिक प्रभावी और पारदर्शी अंतर और अंतर-विभागीय प्रक्रियाओं की शुरुआत करके आईएफएससीए के भीतर शासन को सहारा देना है। ई-ऑफिस-आईएफएससीए का दृष्टिकोण प्राधिकरण के सभी विभागों से सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी कामकाज प्राप्त करना है।

ई-ऑफिस एप्लिकेशन, फाइल तैयार करने, टिप्पणी लिखने, रेफरेंसिंग, पत्राचार अटैचमेंट, अनुमोदनार्थ मसौदा और अंत में फाइलों के साथ-साथ पत्रों की आवाजाही और ट्रैकिंग के साथ-साथ आवक पत्राचार को स्कैन, पंजीकृत और रूट करके कम-कागज प्रयोग करने वाले कार्यालय को सक्षम करने में मदद करता है।

ई-ऑफिस-आईएफएससीए प्रणाली में फाइल प्रबंधन प्रणाली, ज्ञान प्रबंधन प्रणाली, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), कर्मचारी डेटा प्रबंधन और मास्टर डेटा प्रबंधन शामिल हैं जो आईएफएससीए की आंतरिक प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने में मदद करता है।

5. आईएफएससीए की पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी (सुपटेक) प्रणाली:

आईएफएससीए के लिए व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी एंड-टू-एंड आईटी सक्षम प्रणाली अपेक्षित है। यह सुदृढ़ सुपरटेक प्रणाली अपनी विनियमित एंटीटीज (आरई) के बीच प्रशासनिक, अनुपालन, पर्यवेक्षण और प्रवर्तन ढांचे को कवर करेगी। भारत और विदेशों में अन्य क्षेत्रीय वित्तीय नियामकों के साथ यथा-उपयुक्त एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) आधारित मशीन-टू-मशीन संचार या समेकन के माध्यम से सहयोग करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

आईएफएससीए में विकसित किए जाने वाले सुपरटेक सिस्टम में आरई से प्राप्त डेटा को स्टोर करने के लिए इन-हाउस रिपोजिटरी शामिल होगी। इसमें आरई के लिए प्रकटीकरण, रिपोर्ट और अन्य संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल भी होगा। सुपरटेक सिस्टम को भविष्य के लिए तैयार चैटबॉट्स, एआई/एमएल, एनएलपी आदि सहित नवीनतम साइबर सुरक्षा मुद्राओं और अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाते हुए, नवीनतम उद्यम संरचना मानकों पर तैयार कराया जाएगा।

आने वाले दिनों में, प्राधिकरण का फोकस क्षेत्र सुपरटेक सिस्टम को चालू करना होगा ताकि आईएफएससीए के नियामक और पर्यवेक्षी कार्यों को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके अलावा, कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाने के साथ-साथ आईएफएससीए के उद्देश्यों को साकार करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक को शामिल करने पर जोर दिया जाएगा।

पक्ष-समर्थन और आउटरीच: अभियान, जुड़ाव / परामर्श, प्रकाशन आदि

गिफ्ट-आईएफएससी को विश्व-स्तरीय फिनटेक हब के रूप में विकसित करने के लिए आईएफएससीए-फिक्की समझौता-ज्ञापन

आईएफएससीए-फिक्की ने गिफ्ट-आईएफएससी को विश्व-स्तरीय फिनटेक हब के रूप में विकसित करने के लिए मिलकर कार्य करने और सहयोग करने के लिए फ्रेमवर्क स्थापित करने के लिए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

फिक्की अन्य सहयोग क्षेत्रों के अलावा गिफ्ट आईएफएससी में फिनटेक एक्सेलेरेटर कार्यक्रमों के विकास में भी आईएफएससीए की सहायता करेगा।

बीमा

बीमा उद्योग प्रमुख प्रकार के जोखिमों को कवर करने में अपनी भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसमें व्यक्तिगत जोखिम, व्यावसायिक जोखिम, अन्य शामिल हैं। यह वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को उसके द्वारा अंडरराइट किए गए प्रीमियम की मात्रा, उसके द्वारा किए गए निवेशों की विविधता और उसके द्वारा सेवाओं के दावों के परिमाण के आधार पर भी आकार देता है।

भारत में बीमा क्षेत्र की अतिशय वृद्धि के साथ, आईएफएससी को वैश्विक बीमा और पुनर्बीमा केंद्र के रूप में विकसित करने के अपार अवसर हैं। आईएफएससी में बीमा की शुरुआत ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद की है। यह बीमाकर्ताओं को दो-तरफा अवसर प्रदान करेगा अर्थात्, भारतीय बीमाकर्ताओं की विदेशी क्षेत्राधिकारों तक पहुंच हो सकती है और विदेशी बीमाकर्ताओं की आईएफएससी में अनुकूल नियामक नीतियों और ढांचे के माध्यम से अन्य क्षेत्राधिकारों तक पहुंच हो सकती है।

विनियमों, परिपत्रों, दिशानिदेशों आदि के संबंध में कार्यक्लाप

आईएफएससी से बीमा व्यवसाय के विकास के लिए मौजूदा नियामक फ्रेमवर्क निम्नलिखित है:

- i. भारत सरकार ने 27 मार्च 2015 को आईआरडीएआई (एसईजेड में बीमा व्यवसाय का विनियमन) नियम, 2015 जारी किया जिसके अधीन एसईजेड में बीमा व्यवसाय को विनियमित करने और बढ़ावा देने के उपबंध निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों ने भारत में या भारत के बाहर पंजीकृत बीमाकर्ताओं को आईएफएससी में शाखा कार्यालय स्थापित करने में सक्षम बनाया। उक्त नियमों ने आईएफएससी में बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों को विनियमित और बढ़ावा देने के लिए मौजूदा ढांचे को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया।
- ii. व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा के लिए, सरकार ने नवंबर 2019 में आईएफएससी में स्थापित शाखा के माध्यम से पुनर्बीमा व्यवसाय में लगे विदेशी (पुनः)बीमाकर्ताओं के लिए निवल स्वामित्व वाली निधियों की आवश्यकता को 5000 करोड़ भारतीय रुपये से घटाकर 1000 करोड़ भारतीय रुपये कर दिया है।
- iii. अंतरराष्ट्रीय बाजार के विकास के अगले कदम के रूप में, सरकार ने जुलाई 2020 में आईएफएससी से बीमा मध्यवर्ती की कार्यकलापों के संचालन के लिए भारत में या भारत के बाहर पंजीकृत मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती के पंजीकरण के लिए सक्षम प्रावधान जारी किए।
- iv. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, प्राधिकरण ने सीमित समय के लिए आईएफएससी से व्यवसाय करने वाले बीमाकर्ताओं को उनके गृह देश नियामक द्वारा निर्दिष्ट धन-शोधन मार्जिन का पालन करने की अनुमति दी है। इस तरह के धन-शोधन मार्जिन को बीमा कंपनी के प्रधान कार्यालय के दिनांक 18 जनवरी 2021 के परिपत्र 171/आईएफएससीए/बीमा-परिपत्र/2020-21 में निर्दिष्ट कुछ शर्तों के अध्वधीन बनाए रखा जा सकता है।

बॉक्स - 7 (पुनः)बीमा कंपनियों और परिचालन क्षेत्रों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

पात्र एंटीटीज	भारत में पंजीकृत बीमा कंपनियां विदेशी क्षेत्राधिकारों में पंजीकृत बीमा कंपनियां
आवेदन	पात्र एंटीटीज दिशानिदेशों में संदर्भित अपेक्षाओं के अनुपालन में आवेदन फाइल कर सकती हैं। आवेदन को आईएफएससी में व्यवसाय स्थल या शाखा खोलने के लिए किया जा सकता है।
अनुमेय क्षेत्र	आईएफएससी के भीतर, भारत में सभी एसईजेड और कोई अन्य विदेशी क्षेत्राधिकार पुनर्बीमाकर्ता कतिपय नियामक अनुपालनों के अध्वधीन भारतीय क्षेत्राधिकार में सेवाएं प्रदान कर सकता है।

गिफ्ट-आईएफएससी में वित्तीय सेवाएं/उत्पाद:

सारणी 22 - आईएफएससी में कार्यरत एंटीटीज की संख्या

आईएफएससी बीमा कार्यालय (आईआईओ)	4
आईएफएससी बीमा मध्यवर्ती कार्यालय (आईआईआईओज)	14
कुल	18

क. आईएफएससी बीमा कार्यालय (आईआईओ):


आईआईआईओ का अर्थ प्राधिकरण द्वारा अनुमत प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय या पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए किसी भारतीय या विदेशी (पुनः)बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय है। उक्त शाखा किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में आईएफएससी, भारत के सभी एसईजेड या भारत के बाहर किसी अन्य क्षेत्राधिकार में अपनी सेवाएं प्रदान कर सकती है।

वर्तमान में, चार आईआईओ नामतः भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी रे) (30 जनवरी 2017 से), द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (6 सितंबर 2016 से), ईसीजीसी लिमिटेड (24 जुलाई 2017 से प्रभावी) और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (20 जनवरी 2021 से) को आईएफएससी में बीमा और/या पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान किया गया है।

ख. आईएफएससी बीमा मध्यवर्ती कार्यालय (आईआईआईओ):

आईआईओ का अर्थ किसी भारतीय या विदेशी बीमा मध्यवर्ती का शाखा कार्यालय है जिसे आईएफएससी में बीमा मध्यवर्ती के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अधीन प्रमाणपत्र दिया गया है। उक्त शाखा आईएफएससी, भारत के सभी एसईजेड या भारत के बाहर किसी अन्य क्षेत्राधिकार में सेवाएं प्रदान कर सकती है। पुनर्बीमा दलाल पुनर्बीमा व्यवसाय के उद्देश्य से भारत में अपनी सेवाएं भी प्रदान कर सकता है।

वर्तमान में, 14 बीमा दलालों को आईएफएससी से बीमा मध्यवर्ती व्यवसाय करने के लिए अधिकृत किया गया है।



आकृति 20

बीमा मध्यवर्ती का वर्गीकरण

नियामक फ्रेमवर्क

आईआईओ और आईआईआईओ के लिए आईएफएससीए द्वारा स्थापित मौजूदा नियामक ढांचे का संक्षिप्त विवरण यहां प्रस्तुत है:

सारणी 23 - आईआईओ और आईआईआईओ के लिए सार नियामक ढांचा


क्रम संख्या	दिशानिदेश की/परिपत्र की संदर्भ संख्या	प्रकाशन की तारीख	दिशानिदेशों के शीर्षक/परिपत्र
1	आईआरडीए/आरआई/जीडीएल/एसईजेड/269/12/2017	21-दिस. 2017	आईआरडीएआई (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) दिशानिदेश, 2017
2	आईआरडीए/आरआई/जीडीएल / एमआईसीएस/012/01/2019	16-जन. 2019	आईआरडीएआई (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बीमा मध्यवर्ती कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) दिशानिदेश, 2019
3	आईआरडीए/आरआई/जीडीएल/एसईजेड /211/11/2019	27-नव. 2019	आईएफएससी में स्थापित किए जाने के लिए विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय के लिए निवल स्वामित्व वाली निधियों की कमी
4	171/ आईएफएससीए/ बीमा-परिपत्र/ 2020-21	18-जन. 2021	आईएफएससी बीमा कार्यालयों (आईआईओएस) के लिए शोधन क्षमता मार्जिन का अनुरक्षण

लेन-देन/प्रक्रिया/संचालन/रुझान

वर्तमान में, नियामक प्राधिकरण या पर्यवेक्षक के साथ पंजीकृत भारतीय या अपने क्षेत्राधिकार में नियामक प्राधिकरण या पर्यवेक्षक के साथ पंजीकृत विदेशी (पुनः)बीमाकर्ता और अपने देश में नियामक प्राधिकरण या पर्यवेक्षक के साथ पंजीकृत भारतीय या विदेशी मध्यवर्ती बीमा अंडरराइट या स्रोत (पुनः)बीमा व्यवसाय के लिए आईएफएससी में शाखा कार्यालय खोल सकता है।

आईआईआईओज अंडरराइट कर सकते हैं और आईआईआईओज भारत में आईएफएससी, अन्य एसईजेड और विदेशी क्षेत्राधिकार से (पुनः)बीमा व्यवसाय का स्रोत कर सकते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस, भारतीय सामान्य बीमा निगम और ईसीजीसी को आईआईओ पंजीकरण आईआरडीएआई द्वारा प्रदान किया गया, जबकि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण आईएफएससीए द्वारा प्रदान किया गया।

आईआईओ ने वित्त वर्ष 2020-21 में 160.01 करोड़ भारतीय रुपये के मुकाबले वित्त वर्ष 2020-21 में 122.70 करोड़ भारतीय रुपये का (पुनः)बीमा कारोबार किया है। कोविड-19 महामारी ने अर्थ-व्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया। 2020 में, बीमा क्षेत्र में व्यक्तियों की वित्तीय स्थिरता में बढ़ती अनिश्चितता, बढ़ती बेरोजगारी और कम निवेश आय के कारण अपनी सेवाओं की मांग में अत्यधिक गिरावट देखने में आई। आस्ति और हताहत प्रीमियम में भी गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी क्योंकि 2020 में महामारी से संबंधित शटडाउन के कारण कई छोटे व्यवसाय बंद हो गए, इन व्यवसायों को बेचे जाने वाले प्रीमियम की वसूली भी धीमी हो सकती है।



आकृति 21

(पुनः) बीमा व्यवसाय प्रीमियम अंडररिटन (भारतीय रुपये करोड़ में)

पक्ष-समर्थन और आउटरीच: अभियान, जुड़ाव/परामर्श, प्रकाशन आदि।

अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक परिसंघ (आईएआईएस) की सदस्यता:

आईएआईएस दिसंबर 2020 में आईएआईएस का सदस्य बन गया। आईएआईएस 200 से अधिक क्षेत्राधिकारों के बीमा पर्यवेक्षकों और नियामकों का स्वैच्छिक सदस्यता संगठन है, जो विश्व भर के बीमा प्रीमियमों का 97% है। यह अंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारण निकाय है जो बीमा क्षेत्र के पर्यवेक्षण के लिए सिद्धांतों, मानकों और अन्य सहायक सामग्री के कार्यान्वयन में विकास और सहायता के लिए जिम्मेदार है। आईएआईएस सदस्यों को बीमा पर्यवेक्षण और बीमा बाजारों के अपने अनुभव और समझ को साझा करने के लिए मंच भी प्रदान करता है। आईएआईएस को नियमित रूप से जी20 नेताओं और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारण निकायों द्वारा बुलाया जाता है।

इस सदस्यता के साथ, आईएआईएस की वैश्विक नेटवर्क तक पहुंच है और यह अन्य वैश्विक नियामकों के साथ विचारों और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में सक्षम होगा। इससे आईएफएससी में जीवंत वैश्विक बीमा केंद्र विकसित करने में मदद मिलेगी, जो भारत सरकार के विज्ञान के अनुरूप है।

अनुसंधान: वर्किंग पेपर, शोध रिपोर्ट, मूल्यांकन और प्रत्याशाएं आदि।

- i. **आईएफएससी अंतरराष्ट्रीय फुटकर व्यापार विकास पर समिति का गठन:** समिति ने अक्टूबर 2020 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की गई थी कि भारतीय प्रवासियों की संख्या 30 मिलियन से अधिक है, आईएफएससी इन प्रवासियों के वित्तीय व्यवसाय को बुक करने का प्रयास कर सकता है। बीमा उद्योग उनके जीवन और स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न उत्पाद विकसित कर सकता है।
- ii. **आईएफएससी बीमा समिति का गठन:** प्राधिकरण ने आईएफएससी में बीमा उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष श्री जी.एन. बाजपेयी, पूर्व अध्यक्ष सेबी और एलआईसी हैं, इस समिति के सदस्यों में मजबूत वैश्विक नेटवर्क और बीमा और संबंधित नियामक ढांचे के विकास में व्यापक अनुभव वाले वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं।

अगले वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

अपतटीय वित्तीय सेवाओं को तटीय करने के उद्देश्य से, आईएफएससीए में (पुनः)बीमा और मध्यवर्ती सेवाओं को सक्षम करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। आईएफएससी बीमा व्यवसाय के लिए नियामक फ्रेमवर्क सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप होगा।

आने वाले वर्षों में निम्नलिखित उपायों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है:

- क. अंतरराष्ट्रीय बीमा कारोबार शुरू करने के लिए आईएफएससी (पुनः)बीमा एंटीटीज को समान अवसर प्रदान करना
- ख. आईएफएससी को पुनर्बीमा हब बनाने के लिए नियामक फ्रेमवर्क प्रदान करना
- ग. नीतिगत उपायों के माध्यम से आईएफएससी में क्रॉस-बार्डर पुनर्बीमा का विकास करना
- घ. इंस्योर-टेक कंपनियों को ऑनबोर्ड करने के लिए सैंडबॉक्स सहायता प्रदान करना
- ङ. भारतीय प्रवासियों के लिए उत्पादों के बारे में सक्षम फ्रेमवर्क विकसित करना।

वायुयान लीजिंग


नागरिक विमानन मंत्रालय ने 2018 में भारत में वायुयान फंडिंग और लीजिंग के कार्यकलापों के लिए रास्ते विकसित करने के लिए कार्य समूह का गठन किया। समूह ने देखा कि आईएफएससीए वायुयान लीजिंग और फंडिंग व्यवसायों की मेजबानी के लिए मूल्यवान मंच प्रदान करता है और आवश्यक महत्वपूर्ण नियामक परिवर्तन निर्धारित करता है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू यात्री बाज़ार है, जिसमें आर्थिक वातावरण में सुधार, मध्यम वर्ग की आबादी में वृद्धि, विश्व स्तर के हवाई अड्डों का विकास और कम लागत वाले वाहकों की क्षमता का विस्तार है। इसके संयुक्त घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री बाज़ार के मामले में अपने मौजूदा सातवें स्थान से तेजी से आगे बढ़ने का अनुमान है और विश्व भर में संयुक्त यात्री बाज़ार में तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार बन जाएगा।

भारत में, पिछले दशक में 70% से अधिक वायुयान अधिग्रहण परिचालन लीज के आधार पर हुए हैं, जबकि विश्व स्तर पर यह आंकड़ा लगभग 45% है। भारत में एयरलाइंस ने 1,000 से अधिक विमानों के लिए ऑर्डर दिए हैं, जिससे यह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ऑर्डर बुक बन गई है। आगे बढ़ते हुए, हाल के उद्योग अनुमानों के अनुसार, यात्री यातायात वर्ष 2040 तक छः गुना बढ़कर लगभग 1.1 बिलियन यूएसडी होने की आशा है, जो अनुसूचित एयरलाइन ऑपरेटर बेड़े द्वारा सेवित है जो वर्तमान में लगभग 636 विमानों से बढ़कर मार्च 2040 तक लगभग 2,350 विमान हो जाएगा। अगले दस वर्षों में, भारत को प्रत्येक वर्ष 100 विमानों की डिलीवरी प्राप्त होगी जिसके लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 5 बिलियन यूएसडी के वित्तपोषण की आवश्यकता होगी।

वायुयान फाइनेंसिंग अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र से विश्व स्तर पर किया जाता है क्योंकि यह इस तरह के व्यवसाय का समर्थन करने के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी नियामक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। भारत में, गिफ्ट-आईएफएससीए एयरक्राफ्ट लीजिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसका शासन, अन्य वैश्विक वित्तीय केंद्रों के अनुरूप है और यह कंपनी कानून से संबंधित वित्तीय सेवाओं, कर प्रोत्साहन, छूट के लिए अपतटीय स्थिति प्रदान करता है और व्यवसायों को स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में संचालित करने की अनुमति देता है।


भारत में विमानन: लचीला और विश्वसनीय

जेट बेड़े के आकार के हिसाब से भारत सातवां सबसे बड़ा बाज़ार है, नए अधिग्रहण के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार है।



आकृति 22

जेट बेड़े के आकार के अनुसार 10 शीर्ष देश



आकृति 23

2020 में बिक्री और लीज़ आधारित लेन-देन


स्रोत: फिक्की

वायुयान खरीदने की लागत बहुत अधिक है और यह वाहकों, विशेष रूप से नए विमानों के बेड़े के विस्तार की योजना को बाधित करती है। ऐसे परिदृश्य में, वाहकों के लिए, विशेष रूप से कम लागत वाले वाहकों के लिए, विमानों को लीज़ पर लेना किफायती है। इस तरह, लागत लीज़ की अवधि के दौरान विस्तारित हो जाती है जिससे ऑपरेटर या वाहक के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर उड़ान भरना संभव हो जाता है। एयरलाइंस के तुलनपत्र पर बोझ डाले बिना अल्पकालिक क्षमता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लीज़िंग कुशल साधन है।

भारत तेजी से सक्षमकारी सरकारी नीति और नियामक हस्तक्षेपों के साथ प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभरा है जिसमें राष्ट्रीय नागरिक विमानन नीति 2016, एफडीआई सीमा में वृद्धि, और सरकार की उड़ान (उड़ें देश का आम नागरिक) पहल के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। जिसके कारण नए हवाईअड्डे खुल गए हैं और नए प्रकार के वायुयान और खुले आसमान को शामिल किया गया है।

माननीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट, 2019-2020 में निम्नांकित घोषणा की:

“विश्व के तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार के रूप में, भारत के लिए भारतीय तटों से वायुयान फाइनेंसिंग और लीज़ पर देने के कार्यक्रमों में प्रवेश करने का समय आ गया है। यह भारत के वित्तीय विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), अर्थात् अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के साथ-साथ, विमानन वित्त में इष्टतम नौकरियां पैदा करना आत्मनिर्भर विमानन उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को ऐसे कार्यक्रमों का हब बनाने के लिए सरकार नियामक रोडमैप के आवश्यक तत्वों को लागू करेगी।”



आकृति 24

भारत में वायुयान लीजिंग की यात्रा

आईएफएससीए ने 9 सितंबर, 2020 को आयोजित अपनी प्राधिकरण की दूसरी बैठक में, सरकार को विशेष रूप से आईएफएससी में वित्तीय उत्पाद के रूप में परिचालन लीज़ सहित वायुयान फंडिंग और लीज़िंग कार्यकलाप को जोड़ने की सिफारिश की। तदनुसार, 16 अक्टूबर 2020 को, भारत सरकार ने 'वायुयान लीज़िंग को अधिसूचित किया जिसमें परिचालन और वित्तीय लीज़ और वायुयान या हेलीकॉप्टर के परिचालन और वित्तीय लीज़ के किसी भी संकर और वायुयान या हेलीकॉप्टर या उसके इंजन के किसी पुर्जे' को आईएफएससीए अधिनियम, 2019 के अधीन "वित्तीय उत्पाद" के रूप में शामिल किया जाएगा।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वायुयान लीज़िंग भारत में अपेक्षाकृत नया उद्योग है और विभिन्न वित्तीय केंद्रों में वायुयान लीज़िंग से संबंधित नियम अलग-अलग हैं, आईएफएससीए ने 16 दिसंबर, 2020 को मसौदा वायुयान लीज़िंग विनियमों संबंधी परामर्श पत्र जारी किया। विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा दिखाई गई रुचि और प्राप्त फीडबैक के आधार पर, भारत में आईएफएससी में वायुयान संचालन लीज़िंग व्यवसाय को सक्षम करने के लिए आईएफएससीए द्वारा 19 फरवरी 2021 को "वायुयान संचालन लीज़ के लिए फ्रेमवर्क" जारी किया गया।

वायुयान लेसर को आईएफएससी में परिचालन के लिए, आईएफएससीए के साथ पंजीकरण कराना होगा और निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

- (I) एंटीटी भारत में आईएफएससी में किसी कंपनी या एलएलपी या न्यास के माध्यम से या किसी अन्य रूप में आईएफएससीए द्वारा यथा-निर्दिष्ट तरीके से संचालन करेगी।
- (II) उपर्युक्त एंटीटी के नियंत्रण में व्यक्ति(यों) को एफएटीएफ अनुरूप क्षेत्राधिकार में स्थित होना चाहिए।
- (III) एंटीटी ऐसे आईएफएससी में संसाधनों को आईएफएससीए फ्रेमवर्क के अंतर्गत व्यवसाय संचालन के अनुरूप तैनात करेगी।
- (IV) एंटीटी को मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में 200,000 यूएसडी या इसके बराबर न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को पूरा करना होगा।

प्रमुख अनपेक्षित प्रभाव:

गिफ्ट-आईएफएससी में वायुयान लीज़ पर देने से न केवल सीधे वायुयान फाइनेंसिंग के माध्यम से, बल्कि बैंकिंग, बीमा, क्रेडिट गारंटी और कानूनी, लेखा, आदि जैसी सहायक सेवाओं के माध्यम से भारत में अतिरिक्त उच्च स्तर की नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। यह भारत में एक मजबूत एमआरओ और वायुयान इंजीनियरिंग उद्योग के सतत विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा, जो विस्तारित बेड़े, इंजन और अन्य महत्वपूर्ण पुर्जों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बेहतर स्थिति में होगा, वायुयान लीज़ से संबंधित सेवाओं के आयात को प्रभावी रूप से कम करेगा और इसके नियमित रखरखाव से भारी विदेशी मुद्रा व्यय की बचत होगी।

आईएफएससीए द्वारा वायुयान संचालन लीज़ फ्रेमवर्क जारी करने के बाद, आईएफएससी की ओर से इस कार्यकलाप को शुरू करने के लिए विभिन्न हितधारकों की सक्रिय रुचि रही है। यह परिकल्पना की जाती है कि आईएफएससी में वायुयान लीज़ पर देने के कार्यकलाप से इस रणनीतिक व्यवसाय को देश में वापस लाना सुकर होगा।

ग्लोबल इन-हाउस सेंटर (जीआईसी)

हाल के दशकों में बड़े वित्तीय क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं का बढ़ता संकेंद्रण देखा गया है। भारतीय संदर्भ में, यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि देश न केवल ऐसी सेवाओं में विश्व के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, बल्कि इसके विशाल आकार और रणनीतिक अवस्थिति के कारण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कार्यकलाप के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की विशाल, अधिकांशतः अप्रयुक्त क्षमता भी है।

भारतीय जीआईसी परिदृश्य पिछले दो दशकों में महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है। भारत 1300 से अधिक जीआईसी संगठनों का घर बन गया है, जिसमें 1.3 मिलियन से अधिक कार्यबल कार्यरत हैं और वित्त वर्ष 2020²⁸ तक सकल राजस्व में 33.8 बिलियन यूएसडी का योगदान है।

आईएफएससी क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन-देन के केंद्र में भारत को अवस्थापित करने की वास्तविकता और प्रयास का परिणाम है। इस दिशा में, डिजिटलीकरण और आर्थिक विकास में तेजी लाने में जीआईसी की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है। भारत में, जीआईसी ने उपलब्ध सर्वोत्तम डिजिटल ज्ञान से लैस अत्यधिक कुशल कार्यबल का बड़ा प्रतिभा पूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

प्रतिस्पर्धी लागत संरचना, विविध प्रतिभा पूल, अहमदाबाद हवाई अड्डे से निकटता और समय क्षेत्र के संदर्भ में भू-रणनीतिक अवस्थिति के साथ 886 एकड़ में फैली, गिफ्ट सिटी, मल्टी सर्विसेज एसईजेड और विशेष घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) वित्तीय सेवा समूहों के लिए जीआईसी के केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार है।

केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा समूहों को आईएफएससी में जीआईसी इकाइयां स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए, वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए जीआईसी को “वित्तीय सेवा” के रूप में अधिसूचित किया है। इसके बाद, आईएफएससी ने गिफ्ट आईएफएससी में जीआईसी को पहचान दिलाने और संचालन के लिए संस्थागत फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए, 18 नवंबर 2020 को परिपत्र जारी किया।

दी गई नियामक और कराधान व्यवस्था के साथ, वित्तीय सेवा समूह के प्रमुख कारिंदों से उम्मीद है कि वे आईएफएससी में जीआईसी इकाइयां स्थापित करेंगे, जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की क्षमता होगी।

बॉक्स - 8 गिफ्ट-आईएफएससी में जीआईसी स्थापित करने के प्रमुख लाभ

- i. वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था
- ii. कम परिचालन लागत
- iii. बड़े प्रतिभा पूल की उपलब्धता
- iv. व्यापार करने में सरलता
- v. अत्याधुनिक अवसंरचना तक पहुंच

गिफ्ट-आईएफएससी में अधिक जीआईसी की उपस्थिति के साथ, रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में विकास का मार्ग व्यापक हो रहा है। जीआईसी के स्वामित्व वाले कार्यों में जीआईसी इकाइयां अब उद्यम के लिए स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ पैदा करने वाली उत्कृष्टता केंद्र बन रही हैं। जीआईसी इकाइयों द्वारा सृजित रोजगार के विशाल अवसर सामाजिक अवसंरचना को बढ़ाने में मदद करेंगे। इस प्रकार, आईएफएससी में जीआईसी का आईएफएससी पारिस्थितिकी तंत्र पर गुणक प्रभाव होगा।

28 नेसकॉम और डेलॉयट के नेतृत्व वाली रिपोर्ट “भारत के लिए जीसीसी मूल्य समानुपात”

बॉक्स - 9 गिफ्ट आईएफएससी में जीआईसी के लिए नियामक शासन

1. गिफ्ट आईएफएससी में जीआईसी अपने वित्तीय सेवा समूह के भीतर निम्नलिखित एंटीटीज को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता सेवाएं प्रदान कर सकता है, जिसमें शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
 - बैंक, एनबीएफसी
 - वित्तीय मध्यवर्ती
 - निवेश बैंक
 - बीमा कंपनियां
 - पुनर्बीमा कंपनियां
 - बीमांकक
 - ब्रोकेज फर्म और निधियां
 - स्टॉक एक्सचेंज
 - समाशोधन गृह
 - निक्षेपागार और अभिरक्षक
2. आवेदक एंटीटी विशेष रूप से अपने वित्तीय सेवा समूह को पूरा करेगी।
3. किसी वित्तीय उत्पाद के संबंध में सहायता सेवाएं, वित्तीय सेवा करने के उद्देश्य से होनी चाहिए।
4. जीआईसी अपना व्यवसाय शाखा मोड सहित आईएफएससीए द्वारा अनुमेय किसी भी तरीके से संचालित कर सकते हैं।
5. ग्लोबल इन-हाउस केंद्र केवल मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में व्यवहार करेगा, बशर्ते कि यह प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट आईएनआर खाते को खोलकर आईएनआर में अपने प्रशासनिक खर्चों का भुगतान करे।

अन्य क्षेत्र

सतत वित्त

सतत वित्त, वित्तीय क्षेत्र में निवेश निर्णय लेते समय पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) की सोच को ध्यान में रखने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिससे स्थायी आर्थिक कार्यकलापों और परियोजनाओं में अधिक दीर्घकालिक निवेश होता है। इसमें न केवल विभिन्न वित्तीय उत्पादों जैसे ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड, सस्टेनेबल एंड सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड बॉन्ड, ग्रीन लोन, के माध्यम से वित्तपोषण और निवेश करना शामिल है बल्कि संगठन की व्यावसायिक कार्यनीति और संचालन के हिस्से के रूप में स्थायी प्रथाओं को एकीकृत करना भी शामिल है।

वैश्विक परिदृश्य:

जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे और इससे जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों के साथ, जो मानवता को प्रभावित करने वाले शीर्ष पांच जोखिमों में से तीन के लिए जिम्मेदार है ²⁹, विश्व भर में सतत वित्त की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो गई है। विश्व भर के नियामक वित्तीय बाजारों के विभिन्न पहलुओं में स्थिरता के विचारों के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

सतत निर्गमों के संदर्भ में, विश्व ने 31 मार्च, 2021 ³⁰ को समाप्त तीन माह की लघु अवधि में 106.86 बिलियन यूएसडी मूल्य के ग्रीन बांड जारी किए। कोविड चुनौतियों के बीच, वैश्विक ग्रीन बॉन्ड जारी करना 2020 में 269.5 बिलियन यूएसडी के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। स्थायी निवेश में प्रवाहित होने वाली निधि में तेजी से वृद्धि हुई है और विश्व भर में यूएसडी 30 टन से अधिक संपत्ति अब ईएसजी के कुछ स्तरों को शामिल कर रही है। ³¹ विश्व में पारिस्थितिकी तंत्र के डेटा और जैविक विकास दोनों का सुझाव है कि प्रत्येक वित्तीय संस्थान में निर्णय लेने में स्थिरता मुख्य भाग होगी।

भारत में सतत वित्त

2015 में, भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को अपनाया। जलवायु परिवर्तन के लिए पार्टियों के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीओपी21) से पहले, भारत ने यूएनएनसीसीसी के सचिवालय को अपना इरादा राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (आईएनडीसी) दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किया। अपने आईएनडीसी में, भारत ने 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 33 से 35 प्रतिशत अर्थात् 2005 के स्तर से नीचे तक सुधार करने का वचन दिया, 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित बिजली की हिस्सेदारी को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने और इसके वन आवरण को बढ़ाने का संकल्प लिया जो 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेगा।

इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होगी। भारत के केंद्रीय बजट, 2016 में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अकेले आईएनडीसी के अधीन जलवायु परिवर्तन कार्यों को पूरा करने के लिए कम से कम 2.5 टन यूएसडी की आवश्यकता होगी। इस परिदृश्य में, जबकि देश के वित्त का अधिकतम हिस्सा बजटीय स्रोतों से आता है, देश के लिए अंतरराष्ट्रीय एआईएफ सहित निजी पूंजी प्रवाह को बढ़ाना और वित्तपोषण अंतर को पाटने के लिए नियामक हस्तक्षेप करना अनिवार्य है।

आईएफएससीए की भूमिका

सतत वित्त में वैश्विक रुझान और भारत की पूंजी आवश्यकताएं आईएफएससीए के लिए स्थायी वित्त में वैश्विक नेता बनने का अनूठा अवसर पैदा करती हैं। प्राधिकरण का लक्ष्य इस अनूठी स्थिति का लाभ उठाना और आईएफएससीए को भारत के लिए स्थायी वित्त केंद्र और निवेश गेटवे के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना है। यह सुदृढ़ नियमों को विकसित करने की अभिकल्पना करता है, बदले में प्रमुख बाजार के खिलाड़ियों को आईएफएससीए को स्थायी वित्त के लिए गंतव्य के रूप में देखने के लिए आकर्षित करता है। एक नियामक के रूप में आईपीएल का लक्ष्य ऐसे उपाय करना है जो जारीकर्ता को ग्रीन, सामाजिक और सतत बॉन्ड के लिए पूंजी जुटाने के दौरान प्रकटीकरण, रिपोर्टिंग और पारदर्शिता के अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए अनिवार्य करता है।

29 विश्व आर्थिक मंच

30 जलवायु बॉण्ड पहल

31 ओईएसडी व्यापार और वित्त दृष्टिकोण 2020

आईएफएससी में सतत वित्त संबंधी यात्रा

वैश्विक स्थायी वित्त परिदृश्य की गहन समझ हासिल करने के लिए, क्रॉस-क्षेत्राधिकार अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में विभिन्न रिपोर्टिंग ढांचे, मानकों, वर्गीकरण, दिशानिर्देशों और देश विशिष्ट पहलों की जांच की गई।

सतत वित्त जुटाने के लिए भारत के नियामक वातावरण की स्थिति को समझने के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामकों, मानक निर्धारण निकायों, उद्योग प्रतिभागियों, निवेशक मंचों, समीक्षकों और सत्यापनकर्ताओं सहित विभिन्न हितधारकों के साथ वार्ता की श्रृंखला आयोजित की गई। स्थायी वित्त में चुनौतियों की विस्तृत समझ को सक्षम करने के लिए, बंद कमरे में गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला आयोजित की गई। राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) के सहयोग से प्राधिकरण द्वारा “आईएफएससी में सतत वित्त निर्गम का भविष्य” विषय पर पहला वर्चुअल गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष, आईएफएससीए द्वारा की गई और इसमें राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय निवेशक संगठनों, परामर्श सेवा फर्मों, कारपोरेट्स सहित अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। सम्मेलन आईएफएससी में स्थायी वित्त के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और उसी के लिए आवश्यक नियामक नज में परिकल्पित चुनौतियों और बाधाओं पर केंद्रित था। प्रतिभागियों को आईएफएससी में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज, इंडिया आईएनएक्स में काम कर रहे ग्लोबल प्रतिभूति मार्केट (जीएसएम) प्लेटफॉर्म के बारे में बताया गया। एक्सचेंज विश्व के किसी भी अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र की तुलना में सुविधाएं और विनियम प्रदान करता है और ग्रीन/सामाजिक/सतत प्रतिभूति के रूप में वर्गीकृत प्रतिभूतियों के लिए विशिष्ट खंड है।

ऑक्टस ईएसजी के सहयोग से संपन्न दूसरा वर्चुअल गोलमेज सम्मेलन “सतत वित्त: बैंकों के लिए चुनौतियां और अवसर” पर केंद्रित था। इसमें भारतीय बैंक संघ के विशेषज्ञों, मुख्य वित्त अधिकारियों, मुख्य जोखिम अधिकारियों और प्रमुख बैंकों के कार्यक्षेत्र प्रमुखों और निवेश और परामर्श सेवाओं के विशेषज्ञों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने ग्रीन बांड जारी करने के अपने अनुभव साझा किए और बताया कि वे किस प्रकार स्थायी बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र की कल्पना करते हैं। सम्मेलन के दौरान जिन प्रमुख बाधाओं को चिह्नित किया गया, उनमें ईएसजी मानकों को अपनाने पर डेटा की कमी और ईएसजी जोखिम मूल्यांकन और परिमाणीकरण के लिए अपर्याप्त कौशल और जनशक्ति शामिल हैं।

ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) द्वारा डेनमार्क राज्य के सहयोग से आयोजित वर्चुअल गोलमेज सम्मेलन में विशिष्ट चर्चाकर्ता के रूप में भी आमंत्रित किया गया था। यह गोलमेज सम्मेलन “ग्रीन परिवर्तनों का वित्तपोषण: विनियम की भूमिका” पर केंद्रित था। इसकी अध्यक्षता श्री जयंत सिन्हा (वित्त के लिए संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष) ने की और इसमें वित्तीय क्षेत्र, सरकार, व्यवसाय और नागरिक समाज के विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसने विभिन्न माध्यमों की खोज की जिसके माध्यम से वित्तीय क्षेत्र विनियम ग्रीन वित्तपोषण को सक्षम कर सकता है।

गिफ्ट आईएफएससी के विकास के उद्देश्य से भारत और यूके के बीच कार्यनीतिक सहयोग के भाग के रूप में, आईएफएससीए ने लंदन का वर्चुअल दौरा किया, जिससे आईएफएससीए और यूके के नियामकों के बीच नियामक आदान-प्रदान सुकर हुआ। इन चर्चा के दौरान, स्थायी वित्त के बारे में सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की गई। इन क्षेत्रों में अन्यो सहित ग्रीनवॉशिंग फ्रेमवर्क विकसित करना, मसाला बॉन्ड और ईएसजी केंद्रित बॉन्ड की क्रॉस सूचीबद्धता, ज्ञान साझा करना और क्षमता निर्माण शामिल हैं।

आईएफएससी में सतत सूचीबद्धता

रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (आईआरएफसी), अदानी ग्रीन एनर्जी (यूपी) लिमिटेड, परमपूज्य सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और प्रयत्न डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जैसे जारीकर्ताओं ने गिफ्ट-आईएफएससी में इंडिया आईएनएक्स के प्लेटफॉर्म में जीएसएम ‘ग्रीन’ पर अपने ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध किए हैं।

गिफ्ट-आईएफएससी में मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज इंडिया आईएनएक्स ने नवंबर 2020 में ईएसजी और ग्रीन फाइनेंस के विकास और प्रचार के लिए लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता-ज्ञापन की भी घोषणा की है।

अनुषंगी सेवाएं

विश्व स्तर पर, व्यावसायिक सेवाओं ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों को फलने-फूलने के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यावसायिक सेवा प्रदाता कानूनी सलाह, लेखा, प्रबंधन परामर्श, सचिवीय सेवाएं, निधि प्रशासन आदि जैसी सेवाएं प्रदान करके वित्तीय संस्थानों का समर्थन करते हैं। व्यावसायिक सेवाओं की आवश्यकता अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की जटिल और परिष्कृत प्रकृति द्वारा संचालित होती है जो मुख्य रूप से सीमा पार लेन-देन से संबंधित है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं के लिए उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र में वित्तीय सेवा संस्थानों का समर्थन और सहायता करने के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं। आईएफएससी को विकसित करने के लिए, यह आवश्यक है कि आईएफएससी में विभिन्न वित्तीय संस्थानों के सुचारू कामकाज के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जाए।

इस प्रकार, आईएफएससीए ने 10 फरवरी, 2021 के परिपत्र के माध्यम से सहायक सेवाओं को सक्षम करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है जो सेवा प्रदाताओं को निम्नलिखित कार्यकलापों में से एक या अधिक कार्य करने की अनुमति देता है:

- i) विधिक, अनुपालन और सचिवालयी।
- ii) लेखा-परीक्षा, लेखा, बहीखाता पद्धति और कराधान सेवाएं।
- iii) व्यवसायिक और प्रबंधन परामर्श सेवाएं।
- iv) प्रशासन, आस्ति प्रबंधन सहायता सेवाएँ और ट्रस्टीशिप सेवाएँ।
- v) समय-समय पर आईएफएससीए द्वारा अनुमोदित कोई अन्य सेवाएं।

फ्रेमवर्क अनुमेय सहायक सेवाओं, पात्र एंटीटीज, सेवा प्राप्तकर्ताओं आदि की कार्यकलापों का विवरण देता है। उक्त ढांचे के अधीन, नौ आवेदन प्राप्त हुए हैं और दो आवेदकों को 31 मार्च, 2021 तक प्राधिकरण प्रदान किया गया है।

खण्ड घ

प्राधिकरण के अर्ध-विधायी, कार्यकारी और अर्ध-न्यायिक कार्यों की सूची/व्याप्ति

आईएफएससीए को सभी नियामक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एकीकृत नियामक के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका प्रयोग अब तक चार घरेलू वित्तीय क्षेत्र नियामकों अर्थात् आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार, आईएफएससीए आईएफएससी में ऐसे सभी अर्ध-विधायी, कार्यकारी और अर्ध-न्यायिक ³² कार्य कर सकता है जैसा कि इन नियामकों द्वारा किया जा रहा है। आईएफएससीए अधिनियम, 2019 (अधिनियम) की धारा 12 आईएफएससीए को आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करने का अधिकार देती है। यह केंद्र सरकार को ऐसे अन्य वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों की भी सिफारिश कर सकता है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा आईएफएससी में अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 13 के अधीन, आईएफएससीए अधिनियम की अनुसूची-1 के अंतर्गत निर्दिष्ट कुछ कार्यों के संबंध में उक्त चार घरेलू वित्तीय नियामकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जहां तक यह वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों से संबंधित है।

प्राधिकरण द्वारा विनियमित किए गए विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के कामकाज को सक्षम बनाने के लिए, निम्नलिखित विनियम, अधिसूचनाएं और परिपत्र जारी किए गए हैं:

सारणी 24 - विनियमों के बारे में सारणी

क्रम संख्या	विनियम	जारी करने की तारीख	प्रयोजन
1	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वैश्विक आंतरिक केंद्र) विनियम, 2020 आईएफएससीए/2020-21/ जीएन/आरईजी 003.	13/11/2020	प्राधिकरण इन विनियमों द्वारा वैश्विक आंतरिक केंद्रों को मान्यता देने और उनका संचालन और उनसे संबंधित या उसके अनुषंगी विषयों के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
2	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठकों के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2020 आईएफएससीए/2020-21/ जीएन/आरई 002	13/11/2020	प्राधिकरण ने इन नियमों को अपनी बैठकों का सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए जारी किया है।
3	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2020 आईएफएससीए/2020-21/ जीएन/आरई 001	13/11/2020	प्राधिकरण ने इन विनियमों को, अन्य बातों के साथ-साथ, कार्मिकों की भर्ती, अनुशासनिक नियमों, वेतन/भत्तों/अन्य लाभों/प्राधिकरण की संरचना की रूपरेखा और तरीके को रेखांकित करने के लिए जारी किया है।
4	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) विनियम, 2020 आईएफएससीए/2020-21 /जीएन/ आरईजी 004	20/11/2020	प्राधिकरण ने इन नियमों को आईबीयू इकाइयों को आईएफएससी में संचालित करने और उनके व्यावसायिक कार्यकलापों को विधिवत विनियमित करने की अनुमति देने के लिए जारी किया है।
5	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 आईएफएससीए/2020-21 /जीएन/ आरईजी 005	11/12/2020	प्राधिकरण ने इन विनियमों को गिफ्ट आईएफएससी में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए व्यापक विज्ञान और मिशन के साथ जारी किया है। विनियम बुलियन एक्सचेंजों, इसके समाशोधन निगमों, डिपॉजिटरी और वॉल्टस और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों को मान्यता देने के लिए फ्रेमवर्क का प्रावधान करते हैं।
6	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 आईएफएससीए/2020-21/जीएन/ आरईजी 010	31/03/2021	वित्तीय उत्पादों और वित्तीय संस्थानों को विकसित करने के लिए प्राधिकरण ने ये विनियम कुछ अनुमेय गतिविधियों में वित्त कंपनियों/वित्त इकाइयों को अपना व्यवसाय स्थापित करने की अनुमति देने के लिए जारी किए हैं।

³² प्राधिकरण द्वारा अब तक किसी कार्यकारी और अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नहीं किया गया है। (विधिक नीति और नियामक कार्य विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार)

सारणी 25 - अधिसूचनाओं के बारे में सारणी

भाग- I आईएफएससीए द्वारा जारी अधिसूचनाएं

क्रम संख्या	अधिसूचना	प्रकाशन की तारीख	अधिसूचना का उद्देश्य
1	कुछ अहर्ता-प्राप्त वित्तीय अनुबंधों को नामित करने पर अधिसूचना आईएफएससीए/2020-21/जीएम/008	05/02/2021	आईएफएससीए ने अहर्ताप्राप्त वित्तीय अनुबंध अधिनियम, 2020 (2020 का 30) की धारा 4 की उप-धारा (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर कुछ अहर्ताप्राप्त वित्तीय अनुबंधों को नामित किया गया।

भाग-II केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाएं

क्र. सं.	अधिसूचना	प्रकाशन की तारीख	अधिसूचना का उद्देश्य
1	सीजी-डीएल-ई-16102020-222516 एस.ओ. 3652(ई) – वायुयान लीज एस.ओ. 3653(ई)—वैश्विक आंतरिक केंद्र	16/10/2020	एस.ओ. 3652(ई), द्वारा केंद्र सरकार ने वायुयान लीज को अधिसूचित किया जिसमें वित्तीय उत्पाद के रूप में परिचालन और वित्तीय लीज और वायुयान या हेलीकॉप्टर के परिचालन और वित्तीय लीज और वायुयान या हेलीकॉप्टर या उसके किसी अन्य हिस्से के इंजन शामिल होंगे। एस.ओ. 3653(ई) द्वारा केंद्र सरकार ने वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सेवा के रूप में वैश्विक आंतरिक केंद्र (जीआईसी) को अधिसूचित किया।
2	सीजी-डीएल-ई- 31082020- 221461 एस.ओ. 2957(ई)	31/08/2020	केंद्र सरकार ने निम्नलिखित को अधिसूचित किया: (क) वित्तीय उत्पाद: i. बुलियन स्पॉट डिलिवरी अनुबंध। ii. अंतर्निहित बुलियन के साथ बुलियन डिपॉजिटरी रसीद। (ख) वित्तीय सेवाएं: i. बुलियन स्पॉट डिलिवरी अनुबंधों के संबंध में बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों में अंतर्निहित बुलियन के साथ व्यापार। ii. बुलियन स्पॉट डिलिवरी अनुबंधों और बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के संबंध में बुलियन वित्तपोषण, बुलियन-आधारित ऋण, संपार्श्विक के विरुद्ध बुलियन ऋण, बुलियन वॉल्टिंग, समाशोधन और निपटान सेवाओं का प्रावधान।
3	सीजी-डीएल-ई-27042020-219201 एस.ओ.1383 (ई) एस.ओ.1384 (ई)	27/04/2020	एस.ओ.1383 (ई) द्वारा केंद्र सरकार ने आईएफएससीए बनाया और आईएफएससीए का प्रधान कार्यालय गांधीनगर, गुजरात में स्थापित किया। एस.ओ.1384(ई) के तहत आईएफएससीए अधिनियम की धारा 1 से 11 और धारा 14, 15, 16, 27, 29, 30 और 34 प्रभावी हुई।
4	सीजी-डीएल-ई-21082020-221275 एस.ओ.2844(ई)	21/08/2020	केंद्र सरकार ने आईएफएससीए अधिनियम की धारा 12, 17 से 26, 28, 31 और 32 को प्रभावी किया
5	सीजी-डीएल-ई-29092020-222097 एस.ओ.3374(ई).	29/09/2020	केंद्र सरकार ने आईएफएससीए अधिनियम की धारा 13 और 33 को प्रभावी किया।

सारणी 26 - प्रमुख परिपत्रों/दिशानिदेशों के बारे में सारणी

क्र. संख्या	परिपत्र/दिशानिदेश	जारी करने की तारीख	उद्देश्य
1	लिक्विडिटी वृद्धि योजना (एलईएस)	07/10/2020	आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों को एलईएस को अंतरल प्रतिभूतियों में अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक प्रस्तुत किए जाने की अनुमति है।
2	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में भू-संपदा निवेश न्यास	21/10/2020	आईएफएससी में भू-संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) की सूची के लिए नियामक फ्रेमवर्क प्रदान करना।
3	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में अवसंरचना निवेश न्यास	21/10/2020	आईएफएससी में अवसंरचना निवेश न्यास (इनवाइट्स) की सूचीबद्धता के लिए नियामक फ्रेमवर्क प्रदान करना।
4	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में निक्षेपागार रसीदें	28/10/2020	आईएफएससी में निक्षेपागार रसीदों को जारी करने और सूचीबद्ध करने के लिए नियामक फ्रेमवर्क प्रदान करना।
5	नियामक सैंडबॉक्स के लिए फ्रेमवर्क	19/10/2020	आईएफएससी में बाज़ार के कारिदों को मंच प्रदान करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना और अंततः विश्व-स्तरीय फिन-टेक हब बनाना।
6	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में वैश्विक आंतरिक केंद्र (जीआईसी)	18/11/2020	आईएफएससी-जीआईसी विनियम 2020 के अनुसार, परिपत्र में आईएफएससी में स्थापित होने के लिए प्रस्तावित जीआईसी इकाइयों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रो-फॉर्मा का प्रावधान है।
7	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (जमा) निदेश, 2020	04/12/2020	आईबीयू में अनुमत जमा और निषिद्ध कार्यकलापों की रूपरेखा तैयार करना।
8	आईएफएससी में वैकल्पिक निवेश कोष	09/12/2020	आईएफएससी में एआईएफ के नियामक ढांचे की समीक्षा करना।
9	विदेशी एंटीटीज द्वारा आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों की सदस्यता	11/12/2020	विदेशी एंटीटीज को आईएफएससी में शाखा कार्यालय खोलने की अनुमति देना और स्टॉक मध्यवर्ती/समाशोधन सदस्यों के रूप में कार्य करना।
10	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सहायक सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए फ्रेमवर्क	10/02/2021	सहायक सेवा प्रदाताओं के रूप में कार्य करने के लिए व्यावसायिकों/सेवा प्रदाताओं को अधिकृत करके, आईएफएससी में प्राथमिक सेवाओं की सहयोग/सहायता करने के लिए सक्षम बनाना।
11	वायुयान संचालन लीज के लिए फ्रेमवर्क	19/02/2021	आईएफएससी में बिक्री, खरीद, नवाचार, स्थानांतरण, आदि या किसी अन्य अनुमेय कार्यकलाप के उद्देश्य से वायुयान लीज संचालन को सक्षम बनाना।
12	आस्तियों/प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को मान्यता देने के लिए फ्रेमवर्क	24/02/2021	अभिरक्षकीय सेवाओं के लिए जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा और आस्तियों/प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को मान्यता देने के लिए तंत्र प्रदान करता है।
13	आईएफएससी-बैंकिंग इकाइयों द्वारा अनआवंटित बुलियन खातों में डीलिंग्स को सक्षम बनाना	03/03/2021	आईएफएससी में बैंकिंग इकाइयों को भौतिक सोने/चांदी (आवंटित) के साथ ट्रेडिंग, हेजिंग और स्वैपिंग करने के उद्देश्य से गैर-आवंटित खातों को संचालित करने के लिए सक्षम बनाना।

गुजरात नेशनल लॉ युनिवर्सिटी (जीएनएलयू) और आईएफएससीए से जुड़ाव और साझेदारी:

विभिन्न विधिक विषयों पर प्रासंगिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए आईएफएससीए और जीएनएलयू के बीच समझौता-झापन पर 28 सितंबर 2020 को हस्ताक्षर किए गए। जीएनएलयू और आईएफएससीए के बीच सहयोग और सामान्य हित के कुछ पहचाने गए क्षेत्र निम्नलिखित हैं: -

- क. अधिकार क्षेत्र में अनुसंधान, परामर्श, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से विशेषज्ञता लाना।
- ख. विभिन्न हितधारकों की भागीदारी और संलिप्तता को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना जिससे कि अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और/या क्षेत्रीय हितधारकों और निर्णय निर्माताओं के नेटवर्क को बढ़ावा मिले।
- ग. नीति निर्माण में सहायता के लिए साक्ष्य-आधारित नीति अनुसंधान का संचालन करना।
- घ. जीएनएलयू के उत्कृष्टता केंद्रों से जुड़ना।

आगामी वर्ष के लिए नीतियां और कार्यक्रम

1. आईएफएससीए (बाज़ार अवसंरचना संस्था) विनियम, 2021

प्राधिकरण की बैठक में मसौदा एमआईआई विनियमों को स्वीकृति मिलने के बाद, अगले वर्ष में आईएफएससीए विनियमों को अधिसूचित किया जाएगा।

2. आईएफएससीए (प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियमन, 2021

आईएफएससीए का लक्ष्य आईएफएससी में स्टॉक एक्सचेंजों पर विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए नियामक फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2021 ("सूचीबद्धता विनियम") विनियमों को अंतिम रूप देना और अधिसूचित करना है।

3. आईएफएससीए (पूंजी बाज़ार मध्यवर्ती) विनियम, 2021

प्रस्तावित विनियम पात्रता मानदंड, निवल मूल्य अनिवार्यताओं, आईएफएससी में संचालन के लिए संरचना, सभी मध्यवर्तियों के लिए सामान्य दायित्वों और जिम्मेदारियों, विभिन्न प्रकार के मध्यवर्तियों के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियों और निरीक्षण और आवश्यकताओं की रिपोर्टिंग आदि जैसे अन्य नियामक उपबंधों सहित मध्यवर्तियों के पंजीकरण के लिए आवश्यक फ्रेमवर्क प्रदान करेंगे।

4. केंद्र सरकार को फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 को आईएफएससीए अधिनियम की अनुसूची-1 के अधीन शामिल करने की सिफारिश करना

ट्रेड फाइनेंसिंग उन कार्यकलापों में से एक ऐसा है जो आईएफएससी में व्यावसायिक क्षमता में सुधार कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011 को आईएफएससीए अधिनियम की पहली अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। यह आईएफएससीए को समर्पित ढांचे के माध्यम से इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित और विनियमित करने के लिए आईएफएससीए की सहायता करेगा।

5. आईएफएससी में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र की व्यवहार्यता पर अनुसंधान

आईएफएससीए का मुख्य उद्देश्य अपतटीय व्यवसायों को आईएफएससी की ओर आकर्षित करना और इस तरह इसे अन्य क्षेत्राधिकारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखने वाले मजबूत वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में स्थापित करना है। समकालीन और कुशल वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र होने से यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्र के कारिंदों को आईएफएससी की ओर अग्रेषित करेगा।

विवादों का अपेक्षाकृत तेजी से, लागत प्रभावी और कुशल निपटान व्यवसाय करने को सरल बनाने (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) की विशेषताओं में से एक विशेषता है। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए भारत को आकर्षक गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए, आईएफएससीए गिफ्ट आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (आईएसी) स्थापित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने और साथ ही एसआईएसी और एलसीएआई³³ के अनुरूप आईएसी की स्थापना करके वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र। [2] के लिए गिफ्ट आईएफएससी को वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अनुबंधों के प्रवर्तन और विवाद समाधान जैसे मानकों पर भारत की रैंकिंग में सुधार करने की परिकल्पना विहित है।

6. धन-शोधन निवारण और आतंकवाद वित्तपोषण प्रतिषेध दिशानिदेश

वित्तीय क्षेत्र के एकीकृत नियामक के रूप में, एफएटीएफ की सिफारिशों और मानकों और पीएमएल नियमों के अनुरूप धन-शोधन निवारण और आतंकवाद वित्तपोषण का प्रतिषेध करने के लिए व्यापक दिशानिदेश लागू करने की आवश्यकता है। एक बार लागू होने के बाद, दिशानिदेश सभी विनियमित एंटीटीज के लिए पारदर्शी और जवाबदेह व्यवसाय मॉडल प्रदान करेंगे। एफएटीएफ की सिफारिशों और अन्य वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपने प्रस्तावित दिशानिदेशों में शामिल करने के लिए व्यापक अध्ययन कर रहा है जिसे प्रासंगिक हितधारकों के साथ परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

7. आईएफएससीए निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) विनियमन

आईएफएससीए अधिनियम, 2019 की धारा 17 के अधीन, प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा करने के लिए कम से कम दो सदस्यों को मिलाकर पीआरसी का गठन करेगा। इसके अलावा, प्राधिकरण अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा 4 के अधीन इंगित कुछ मामलों पर भी विनियम बनाएगा। इस संबंध में, आईएफएससीए पीआरसी विनियमों का मसौदा तैयार कर रहा है।

8. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (एसईजेड अधिनियम) और नियमों में आईएफएससी के लिए विशेष व्यवस्था के बारे में अनुसंधान

यह देखा गया है कि वर्तमान ढांचे में, आईएफएससी में एंटीटीज को एसईजेड और आईएफएससीए के कानूनों के अधीन दोहरा अनुपालन करना पड़ता है। इस संबंध में, आईएफएससी के लिए विशेष व्यवस्था को सक्षम करने के लिए एसईजेड अधिनियम के उपबंधों और नियमों पर विस्तृत शोध किया जा रहा है।

³³ प्राधिकरण मध्यस्थता क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ परामर्श कर रहा है और विस्तृत विवरण तैयार करने के कार्य को जीएनएल्यू को सौंपा गया है।

खण्ड ड़

निधियों के स्रोत और व्यय के प्रमुख क्षेत्र (वित्त वर्ष 2020-21)

सारणी 27

2020-21 के लिए निधि के स्रोत (राशि लाख रुपये में)

निधि के स्रोत - प्राप्तियां	राशि
वार्षिक शुल्क	510.52
आवेदन शुल्क	7.57
ब्रोकर टर्नओवर शुल्क	97.79
सूचीबद्धता शुल्क	1.05
पंजीकरण शुल्क	77.85
सरकारी अनुदान	2,055.00
आईएफएससीए अर्जित नियामक शुल्क पर ब्याज आय	0.59
विविध आय	0.80
कुल	2,751.17

सारणी 28

सारणी 29 - 2020-21 के लिए व्यय के प्रमुख क्षेत्र (राशि लाख रुपये में)

व्यय के प्रमुख क्षेत्र - भुगतान	राशि
प्रतिष्ठान व्यय	726.20
प्रशासनिक व्यय	428.89
अचल संपत्तियों की खरीद	200.82
पूर्ववत्त व्यय/पूंजीगत खाते पर अग्रिम	190.55
अन्य प्रीपेड खर्च	66.82
आईएफएससीए मुख्यालय और गेस्ट हाउस के पट्टे पर कार्यालय परिसर के लिए प्रतिभूति जमा	186.78
कुल	1800.06

खण्ड च

संगठनात्मक मामले

सारणी 29 – आईएफएससीए संगठनात्मक संरचना की एक झलक

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण	
विभाग	प्रभाग
बैंकिंग	बैंकिंग विनियम 1
	बैंकिंग विनियम 2
	वित्त कंपनी विनियम
	पर्यवेक्षण, जोखिम विश्लेषण
पूंजी बाजार	प्राथमिक बाजार सूचीबद्धता और नए उत्पाद ऋण और सतता वित्त
	सार्वजनिक निधियां,
	नए उत्पाद और सेवाएं
	एआईएफ, आरईआईटी और इनविट्स
बीमा	बीमा, लाईसेंसिंग, नीति और पर्यवेक्षण
मूल्यवान धातु	बाजार संरचना और जोखिम प्रबंधन
	प्रोद्योगिकी और पर्यवेक्षण
	उत्पाद विकास और विनियमन
	नियामक समन्वयन और नीतिगत तालमेल
विकास	वित्तीय बाजार का विकास
	वित्तीय बाजारों का विकास और अंतरराष्ट्रीय कार्य
	वित्तीय केंद्र का विकास
आर्थिक नीति और विश्लेषण	आर्थिक नीति और विश्लेषण
सामान्य प्रशासन	प्रशासन और एच आर
	निक्षेपागार, वित्त और लेखे
आईटी और फिनटेक	आईटी अवसंरचना
	फिनटेक
कानूनी और नियामक मामले	विधिक नीति और नियामक कार्य
	नियामक समन्वयन

संगठनात्मक

सारणी 30 - आईएफएससी प्राधिकरण की बैठकें

क्र. सं. बैठक	दिनांक
1. प्राधिकरण की पहली बैठक	14 अगस्त 2020
2. प्राधिकरण की दूसरी बैठक	09 सितंबर 2020
3. प्राधिकरण की तीसरी बैठक	27 अक्टूबर 2020
4. प्राधिकरण की चौथी बैठक	11 नवंबर 2020
5. प्राधिकरण की पांचवी बैठक	18 दिसंबर 2020
6. प्राधिकरण की छठी बैठक	15 मार्च 2021

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अधिदेशित करता है कि सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर उत्तर दिया जाए। आरटीआई अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को रोकना और हमारे लोकतंत्र का वास्तविक अर्थों में लोगों के लिए काम करना है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार के कार्यकलापों से अवगत कराने की दिशा में बड़ा कदम है।

सारणी 31 - 31 मार्च 2021 तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदनों की स्थिति

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्राप्त आरटीआई अनुरोधों की कुल संख्या	रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान उत्तरित आरटीआई अनुरोधों की कुल संख्या	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार शेष
9	9	0

मानव संसाधन

भारत सरकार ने 24 अप्रैल 2020 की अधिसूचना द्वारा भारत में आईएफएससीए की स्थापना की है और इसके पहले अध्यक्ष की नियुक्ति 6 जुलाई 2020 को की गई। आईएफएससीए भारत में आईएफएससी के भीतर वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए उत्तरदायी है। एकीकृत प्राधिकरण होने के नाते, आईएफएससीए का उद्देश्य सही प्रतिभा को आकर्षित करना, उन्हें कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना और उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करना है।

कर्मचारी

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, 2019 की व्यक्तित्व परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों में से ग्रेड 'ए' अधिकारियों की एकल बारगी भर्ती के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2020 के अनुसार विशेष भर्ती अभियान शुरू किया गया। ये अधिकारी विधि, अर्थशास्त्र, वित्त, वाणिज्य, प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से लिए जाते हैं। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्यूरिटीज मार्केट्स (एनआईएसएम) और गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (जीएनएलयू) के माध्यम से भर्ती कार्यक्रम किया है। भर्ती सिद्धांत टीपीआई (सैद्धांतिक ज्ञान, व्यावहारिक कौशल और विचार-विमर्श की आवश्यकता) पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों को वित्तीय सेवाओं के बाजार में नियामक भूमिका के लिए तैयार करना है।

नया प्राधिकरण होने के नाते, सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/लोन के आधार पर ग्रेड 'ए' अधिकारी से कार्यकारी निदेशक के विभिन्न पदों को भरने के लिए भर्ती का कार्य 3 महीने से कम समय में पूरा हो गया है। भर्ती के बाद की स्थिति में स्वीकृत शक्ति और कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है:

सारणी 32 – कर्मचारियों का स्वीकृत और वास्तविक संख्याबल

पद	31.03.21 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत संख्याबल	31.03.21 की स्थिति के अनुसार वास्तविक संख्याबल	भर्ती की विधि
कार्यकारी निदेशक	6	2	सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति द्वारा
मुख्य महाप्रबंधक	9	1	सीधी भर्ती द्वारा
महाप्रबंधक	12	4	प्रतिनियुक्ति और दूसरी नियुक्ति द्वारा
उप महाप्रबंधक	15	14	सीधी भर्ती, प्रतिनियुक्ति और दूसरी नियुक्ति द्वारा
सहायक महाप्रबंधक	20	3	सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति द्वारा
प्रबंधक	26	7	प्रतिनियुक्ति और दूसरी नियुक्ति द्वारा
सहायक प्रबंधक	30	22	सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति द्वारा
कार्यकारी सहायक/ वरिष्ठ कार्यकारी सहायक/कार्यकारी अधीक्षक	20	0	आवश्यकता को आउटसोर्स आधार पर अनुबंधात्मक नियुक्ति के माध्यम से पूरा किया गया है।
मल्टी-टास्किंग स्टाफ ग्रेड 'ए'/ग्रेड 'बी'/ग्रेड 'सी'	10	0	
कुल	148	53	



चित्र 4 आईएफएससीए के अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशकों के साथ नव नियुक्त ग्रेड-ए अधिकारी

वित्तीय सेवा बाजार को विकसित और विनियमित करने के लिए, आईएफएससीए के पास पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा, बुलियन, निधि प्रबंधन और फिनटेक के क्षेत्र में व्यावसायिक विशेषज्ञता होनी चाहिए। इस बाबत आईएफएससीए ने इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले युवा व्यावसायिकों, परामर्शदाताओं और वरिष्ठ परामर्शदाताओं को नियुक्त करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। प्राधिकरण ने आईएफएससीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुबंध आधार पर परामर्शदाताओं की जुड़ाव के लिए परामर्शदाताओं को निम्नानुसार तैनात किया है।

सारणी 33 – आईएफएससीए में नियुक्त परामर्शदाता

क्र. सं.	विशेषज्ञता का क्षेत्र	पद	अभ्युक्तियां
1.	मानव संसाधन प्रबंधन	वरिष्ठ परामर्शदाता	पूर्णकालिक आधार पर
2.	अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग संचालन	वरिष्ठ परामर्शदाता	पूर्णकालिक आधार पर
3.	फिनटेक	वरिष्ठ परामर्शदाता	पूर्णकालिक आधार पर
4.	वित्तीय सेवा केंद्र	सलाहकार	अंशकालिक आधार पर
5	सचिवालयी सहायता	परामर्शदाता	अंशकालिक आधार पर

आईएफएससीए वित्तीय सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक करियर बनाने की इच्छा रखने वाले छात्रों को इंटरनशिप का अवसर प्रदान करता है। 2020-21 के दौरान, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छः छात्रों ने आईएफएससीए में इंटरनशिप की।

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस)

आईएफएससीए ने अपने एचआर प्रबंधन सॉफ्टवेयर के रूप में ऑरेंज एचआरएम का उपयोग किया है। यह निम्नलिखित मानव संसाधन समाधान सेवाएं प्रदान करता है:



आकृति 25
एचआरएमएस सेवाएं

कोविड-19 से निपटने के लिए आईएफएससीए द्वारा की गई तैयारी और प्रयास

भारत में 2020 में कोविड-19 की पहली लहर के बाद, मार्च 2021 से दूसरी लहर की शुरुआत हो गई, जो पहली लहर की तुलना में अधिक घातक थी। इस महामारी के बीच आईएफएससीए को अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और साथ ही कार्यालय के कार्यक्षेत्र में वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। भारत सरकार और गुजरात सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेशों के आधार पर निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- i. कर्मचारियों का आवधिक परीक्षण (आरटी-पीसीआर) करवाया गया ताकि संक्रमित पाए जाने की स्थिति में वे स्वयं को आइसोलेट कर सकें तकि संक्रमण फैलने की संभावना कम हो।
- ii. वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निवारक विधि के रूप में कार्यालय में नियमित रूप से स्वच्छता/फॉगिंग अभियान चलाया गया।
- iii. सभी कर्मचारियों के लिए सैनिटाइजर और मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित की गई।
- iv. भारत सरकार और गुजरात सरकार के दिशा-निदेशों के अनुसार, कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक कार्य दिवसों पर घर पर रह कर कार्य करने (वर्क फ्रॉम होम) का प्रावधान भी किया गया।
- v. कोविड-19 निवारक कदमों के संबंध में कार्यालय परिपत्र भी जारी किया गया जिसमें पालन किए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित किया गया। इससे कर्मचारियों में कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया गया।
- vi. आईएफएससीए ने अपने पात्र कर्मचारियों के लिए शीघ्र टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए कि समय के साथ-साथ यह सुविधा सभी कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जा सके।
- vii. आईएफएससीए ने जिंजर होटल के साथ मिलकर ग्लोबल हॉस्पिटल, अहमदाबाद के सहयोग से व्यवस्था की, ताकि आईएफएससीए के कर्मचारियों के लिए प्राथमिक रूप से दाखिला सुनिश्चित किया जा सके और उन्हें अस्थायी क्वारंटाइन और आइसोलेशन सुविधाएं प्रदान की जा सकें। यह अस्पतालों में बिस्तरों की सीमित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए किया गया।

ऊपर बताए गए निरंतर प्रयासों से, आईएफएससीए कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना करने और इस तरह कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित में सक्षम रहा।

डेटा परिशिष्ट

सारणी 34 - वित्त वर्ष 2020-21 में ऋण निर्गमों की सूची

क्रम संख्या	निर्गतकर्ता का नाम	सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियां: मिलियन यूएसडी
1	भारतीय स्टेट बैंक	100
2	आरईसी लिमिटेड	500
3	अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकॉनॉमिक जोन लिमिटेड	750
4	अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड	300
5	भारतीय निर्यात-आयात बैंक	1000
6	भारतीय स्टेट बैंक	600
7	एशियाई विकास बैंक	41
8	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	500
9	अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकॉनॉमिक जोन लिमिटेड	500
10	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	750
11	आरईसी लिमिटेड	500
	कुल	5541

International Financial Services Centres Authority

ANNUAL REPORT
2020-21





ANNUAL REPORT 2020-21

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

THIS REPORT IS IN CONFORMITY
WITH THE FORM PRESCRIBED IN THE
INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES
CENTRES AUTHORITY (ANNUAL REPORT
AND RETURNS AND STATEMENTS AND
OTHER PARTICULARS) RULES, 2022
NOTIFIED ON FEBRUARY 28, 2022 IN THE
GAZETTE OF INDIA.



Injeti Srinivas
Chairperson



सचिव,
भारत सरकार,
आर्थिक कार्य विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली - 110 001

410/आईएफएससीए/ईपीए/एआर/2021-22

जुलाई 28, 2022

प्रिय महोदय,

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 19(2) के उपबंधों के अनुसार, मैं एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II खंड 3 उप-खंड (i) में, 28 फरवरी, 2022 को अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और विवरणियां तथा विवरण और अन्य विशिष्टियां) नियम, 2022 में निर्धारित किए गए प्रारूप में, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित कर रहा हूँ।

भवदीय,

आई श्रीनिवास
(इंजेती श्रीनिवास)

संलग्न: उपरोक्तानुसार

The Secretary,
Government of India,
Department of Economic Affairs,
Ministry of Finance, North Block,
New Delhi - 110 001

410/IFSCA/EPA/AR/2021-22
July 28, 2022

Dear Sir,

In accordance with the provisions of Section 19(2) of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, I forward herewith a copy of the Annual Report of the International Financial Services Centres Authority for the year ended March 31, 2021, in the format prescribed in the International Financial Services Centres Authority (Annual Report and Returns and Statements and Other Particulars) Rules, 2022, notified on February 28, 2022, in Part II Section 3 Sub-section (i) of the Gazette of India Extraordinary.

Yours faithfully,

(Signature)
(Injeti Srinivas)

Encl.: As above

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

Second & Third Floor, PRAGYA Tower, Block 15, Zone 1, Road 1C, GIFT SEZ, GIFT City,
Gandhinagar-382 355, Gujarat, India. P: +91 79 6180 9800

SECTION A

STATEMENT OF GOALS & OBJECTIVES

The International Financial Services Centres Authority (IFSCA) was established on April 27, 2020, as a unified financial regulator under the International Financial Services Centres Authority Act, 2019. It is headquartered at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City), Gandhinagar in Gujarat.

The Government of India notified IFSCA to develop and regulate financial services in the International Financial Services Centres (IFSCs) established in India with a mandate to create a world-class ecosystem based on ease of doing business and best in class regulatory system to make IFSCs in India a preferred global destination for international financial services.

As a unified financial regulator, IFSCA adopts a holistic vision towards the development and regulation of financial products, financial services, and financial institutions in IFSCs in India across the verticals of banking, insurance, capital markets, pension, and funds. At present, the GIFT IFSC is the maiden International Financial Services Centre in India. Prior to the establishment of IFSCA, the four domestic financial sector regulators viz. RBI, SEBI, IRDAI, and PFRDA regulated the respective business areas within IFSC.

VISION

To provide world-class regulatory environment and develop IFSCs into leading Global Financial Centres with a primary focus on India's economic development apart from serving as a regional and global financial hub.

MISSION

To develop IFSCs into well-diversified and globally competitive financial hubs for international banking, insurance, and capital market activities through a pro-business environment, duly supported by a progressive regulatory architecture, state-of-the-art technology and infrastructure and talented financial professionals, which serve both the Indian Economy and the region as a whole.

GOALS & OBJECTIVES

1. To facilitate the development of a strong base of international financial services in the country
2. To promote IFSC as a dominant gateway for international capital flows into and out of India
3. To emerge as a regional and global hub for international financial services
4. To provide a state-of-the-art unified regulatory framework, with robust regulation and supervisory technology aligned with international best practices
5. To develop a strong global-connect with leading international financial jurisdictions

CHAIRPERSON'S MESSAGE

India is one of the largest and fastest-growing economies generating a lot of demand for international financial services that are being procured from offshore jurisdictions. The concept of an IFSC aims at leveraging this opportunity by onshoring offshore-like conditions and by becoming a dominant gateway for investment into and out of India.

The Government of India operationalised India's first IFSC in the GIFT City in April 2015. GIFT IFSC has a natural advantage of a large hinterland economy with a huge talent pool of skilled resources both in financial and IT sectors and over 30 million strong diaspora looking at opportunities to participate in India's growth story. It provides favourable capital account convertibility and taxation regime at par with the best international jurisdictions. GIFT IFSC aims at becoming an international hub of financial services by developing an ecosystem leveraging its cost-competitive advantages, best-in-class regulations, and emphasis on ease of doing business. It is a special financial zone which is treated as an offshore territory under the Foreign Exchange Management Act, 1999. According to the latest Global Financial Centres Index report (March 2021), the IFSC in GIFT City has been placed at the top amongst 15 centres globally which are likely to become more significant over the next two to three years.

The Government of India established IFSCA in April 2020 under the IFSCA Act passed by the Indian Parliament in December 2019 and IFSCA commenced its operations as a unified regulator in October 2020. For the first time, the regulatory powers of four financial sector regulators in India, namely RBI, SEBI, IRDAI and PFRDA have been vested in IFSCA with respect to the development and regulation of financial products, financial services, and financial institutions in IFSCs, making it a unified regulator.

Being a state-of-the-art regulator, IFSCA offers robust regulations and supervisory technology aligned with International best practices. The approach at IFSCA is to provide stability, certainty, and clarity in the regulations to ensure a business-friendly environment for global investors comparable with the best jurisdictions globally with the flexibility to experiment and implement innovative ideas. However, the mandate of IFSCA is not only to 'regulate' the financial services business in IFSCs but also to 'develop' them.

IFSCA is working on the development of a Sustainable Finance Hub to mobilize capital for potential deployment into clean, green, and climate-resilient infrastructure projects in India and beyond. Our endeavour is to develop an efficient ecosystem for Green and Sustainable Finance across the spectrum of capital market, banking, and insurance.

A major share of international financial services business originating from India is currently transacted in offshore jurisdictions. For example, India is among the largest and fastest-growing aviation markets in the world both in domestic and international travel. Currently, most of the aircrafts in India are leased in from offshore based lessors. IFSCA has taken a lot of measures to develop the complete ecosystem for aircraft leasing activities in IFSC.

IFSCA is focused on making technology available, accessible, and affordable. With an objective to develop a world-class FinTech hub, IFSCA endeavours to encourage the promotion of FinTech initiatives in financial products and financial services. As a step towards this vision, IFSCA has introduced a framework for Regulatory as well as Innovation Sandbox. Under this Sandbox framework, entities operating in the capital market, banking, insurance, and other allied and ancillary financial services space are being granted certain facilities and flexibilities to experiment with innovative FinTech solutions in a live environment with a limited set of real customers for a limited time frame fortified with necessary safeguards for investor protection and risk mitigation.

Another important area of focus for IFSCA is the bullion market. Despite its significant size and important global position as the second-largest consumer, the Indian gold market is unable to realise its potential due to multiple challenges. The setting up of the International Bullion Exchange in IFSC would

provide an efficient and trusted ecosystem for trading gold and ensure the success of financialization of gold, with an aim to improve market transparency, protect the interests of market participants and facilitate India to emerge as a price influencer for gold at the global level.

The first year of operations of IFSCA was fraught with challenges posed by the COVID-19 pandemic which slowed down business activity and coerced the world into physically distanced interactions. Nonetheless, the Authority has managed to cross significant milestones by way of charting out regulatory regimes for various segments and financial products. The enthusiasm amongst investors and the industry players even in these stressful times marks the first chapter of the success story of IFSC in India.

In the coming year, IFSCA aims to provide the regulatory framework for developing the entire ecosystem for various financial services in the IFSC. Some initiatives on which IFSCA is working include framework to facilitate the raising of foreign capital by SMEs and start-ups, framework for innovative listings such as SPACs, unified framework for the regulation of capital market intermediaries based on standards laid down by IOSCO and framework for the registration and operations of Insurers, Reinsurers, and Insurance intermediaries in the IFSC, among others.

IFSCA is committed to take all necessary measures towards positioning the IFSC as the second engine of the Indian economy and a regional and global hub for different financial activities.

MEMBERS OF THE AUTHORITY (AS ON MARCH 31, 2021)

Shri Injeti Srinivas
Chairperson



Shri Anand Mohan Bajaj
Additional Secretary,
Ministry of Finance



Shri Pankaj Jain
Additional Secretary,
Ministry of Finance



Smt. T. L. Alamelu
Member, Insurance
Regulatory and Development
Authority of India



Smt. Indrani Banerjee
Executive Director,
Reserve Bank of India



Shri R. Subramanian
Executive Director,
Reserve Bank of India



Shri Sujit Prasad
Executive Director,
Securities and Exchange
Board of India



Shri Ananta Gopal Das
Executive Director,
Pension Fund Regulatory
and Development Authority

SENIOR MANAGEMENT OF THE AUTHORITY (AS ON 31.03.2021)

Name	Designation
Sh. Manoj Kumar	Executive Director
Sh. Praveen Trivedi	Executive Director
Sh. Dipesh Shah	Chief General Manager
Sh. Kumar Raghuraman	General Manager
Sh. Supriyo Bhattacharjee	General Manager
Sh. Kamlesh Sharma	General Manager
Sh. Ashutosh Sharma	General Manager

LIST OF TABLES

Table No.	Table Title	Page No.
1	Domestic Market Capitalization	3
2	Growth in Real Premium by Region in the World in 2020 (In percent)	5
3	Resource Mobilisation via Public Issues	10
4	Resource Mobilisation via Private Placements	10
5	Debt Issuances in Primary Market	10
6	Penetration and Density in Life Insurance	11
7	Penetration and Density in Non-life Insurance	11
8	Table of Important Regulations /Directions / Circulars / Guidelines Issued by IFSCA in Respect of BUs/ FCs and FUs	19
9	Assets of IBUs	21
10	Details of the Operations of IBUs	21
11	A Comparison of Derivative Contracts Outstanding at IBUs (in USD Million)	22
12	Shareholding of MIs in IFSC	26
13	Trading Members in GIFT IFSC	33
14	Clearing Members in GIFT IFSC	33
15	Index Derivatives Available for Trading on IFSC Exchanges	42
16	Trends in Index Futures	43
17	Trends in Index Options	43
18	Trends in Commodity Derivatives	44
19	Commodity Derivatives Available for Trading on IFSC Exchanges	44
20	Currency Derivatives	44
21	Portfolio Managers (PMs) and Investment Advisers (IAs)	44
22	Number of Entities Operating in the IFSC	63
23	Extant Regulatory Framework for IIOs and IIIOs	64
24	Table on Regulations	76
25	Table on Notifications	77
26	Table on Major Circulars/Guidelines	78
27	Sources of Funds for 2020-21	82
28	Major Areas of Expenditure for 2020-21	82
29	A Glance at the IFSCA Organizational Structure	84
30	IFSC Authority Meetings	85
31	Status of Applications under RTI Act, 2005 with IFSCA as on 31st March 2021	85
32	Sanctioned and Actual Strength of Employees	86
33	Engagement of Consultants in IFSCA	87
34	Lists of Debt Issuances in FY 2020-21	89

LIST OF FIGURES

Figure No.	Figure Title	Page No.
1	Cross Country Aggregate Loans	4
2	Movement In Aggregate Loan Reserves	4
3	Policy Approach to Tackle Covid-19 Pandemic	6
4	Sensex and Nifty Returns (Apr'20-Jan'21)	11
5	Turnover of IBUs in IFSC (in USD Million)	21
6	Outstanding of Major Credit Products (in USD Million)	22
7	Investment Types Outstanding as on March 31, 2021 (in USD Million)	22
8	Major Exposure of IBUs in Countries	23
9	SNAS Archetype	31
10	Gross Turnover on Exchanges (USD Mn)	42
11	Currency Derivatives	43
12	Turnover of Currency Derivatives (USD Mn)	43
13	Gold Policy Timeline in India	47
14	Current Model in Bullion	49
15	Consignment Model	49
16	Structured Composition of Components of Bullion Exchange	51
17	Structure of Import through IBE Designated Vaults	51
18	Indian FinTech Ecosystem	57
19	Components of FinTech Hub	59
20	Classification of Insurance Intermediaries	63
21	(Re)insurance Business Premium Underwritten (In INR in crore)	64
22	Top 10 Countries by Jet Fleet Size	66
23	Sale and Lease Back Transactions in 2020	67
24	Aircraft Leasing Journey in India	68
25	HRMS Services	87

LIST OF IMAGES

Image No.	Image Title	Page No.
1	Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi at the Launching Event of India INX	28
2	Launch of NSE IFSC by the Hon'ble Chief Minister of Gujarat, Shri Vijaybhai Rupani	28
3	Exchange of MoU with IGPC	54
4	Newly Recruited Officers (Grade-A) with IFSCA Chairperson and Executive Directors	86

LIST OF BOX ITEMS

Box No.	Box Title	Page No.
1	How SNAS Works?	31
2	First Listing of Depository Receipts	37
3	The Salient Features of the REITs Framework	40
4	The Salient Features of the InvITs Framework	41
5	Salient Features of IFSCA (Bullion Exchange) Regulations, 2020	53
6	The Eligibility Criteria to Participate in the Regulatory Sandbox	58
7	Brief on Registration Process for (Re)insurance Companies and Operational Areas	62
8	Key Benefits of Setting up GIC in GIFT IFSC	70
9	Regulatory Regime for GICs in GIFT IFSC	71

ABBREVIATIONS

ADR	<i>American Depository Receipt</i>
AE	<i>Advanced Economy</i>
AI	<i>Artificial Intelligence</i>
AIF	<i>Alternative Investment Fund</i>
ALM	<i>Asset Liability Mismatch</i>
AML	<i>Anti-Money Laundering</i>
APAC	<i>Asia-Pacific</i>
API	<i>Application Programming Interface</i>
BDR	<i>Bullion Depository Receipt</i>
BFSI	<i>Banking, Financial Services and Insurance</i>
BoE	<i>Bank of England</i>
BoP	<i>Balance of Payments</i>
bps	<i>Basis Points</i>
BUs	<i>Banking Units</i>
CBDT	<i>Central Board of Direct Taxes</i>
CBIC	<i>Central Board of Indirect Taxes and Customs</i>
CDR	<i>Credit-Deposit Ratio</i>
CDSL	<i>Central Depository Services (India) Limited</i>
CFT	<i>Combating the Financing of Terrorism</i>
CGM	<i>Chief General Manager</i>
COMEX	<i>Commodity Exchange</i>
CoP	<i>Conference of Parties</i>
COVID	<i>Coronavirus Disease</i>
CPI	<i>Consumer Price Index</i>
CPSE	<i>Central Public Sector Enterprise</i>
DDG	<i>Due Diligence Guidance</i>
DEA	<i>Department of Economic Affairs</i>
DFS	<i>Department of Financial Services</i>
DGEP	<i>Directorate General of Export Promotion</i>
DGFT	<i>Directorate General of Foreign Trade</i>
DoC	<i>Department of Commerce</i>
DoP	<i>Department of Pension</i>
DR	<i>Depository Receipt</i>
DTA	<i>Domestic Tariff Are</i>
ECB	<i>External Commercial Borrowing</i>
ECGC	<i>Export Credit Guarantee Corporation</i>
ED	<i>Executive Director</i>
EME	<i>Emerging Market Economy</i>

EMEA	Europe, the Middle East and Africa
EoDB	Ease of Doing Business
ESG	Environmental, Social, and Governance
ETF	Exchange Traded Fund
FAR	Fully Accessible Route
FC	Finance Company
FCA	Financial Conduct Authority
FCY	Foreign Currency
FDI	Foreign Direct Investment
FEMA	Foreign Exchange Management Act
FI	Financial Institution
FinTech	Financial Technologies
FPI	Foreign Portfolio Investor
FSB	Financial Stability Board
FSDC	Financial Stability and Development Council
FSDC-SC	Financial Stability and Development Council Sub Committee
FTWZ	Free Trade Warehousing Zone
FY	Financial Year
GDP	Gross Domestic Product
GIC	Global In-house Centre
GIFT	Gujarat International Finance Tec-City
GM	General Manager
GML	Gold Metal Loan
GMS	Gold Monetization Scheme
Gol	Government of India
G-Sec	Government Security
HRMS	Human Resource Management System
HTM	Held-To-Maturity
IAS	Indian Administrative Service
IAs	Investment Advisers
IBC	Insolvency and Bankruptcy Code
IBE	International Bullion Exchange
IFSC	International Financial Services Centre
IFSCA	International Financial Services Centres Authority
IFSC-IIIO	IFSC Insurance Intermediary Office
IGPC	India Gold Policy Centre
IIMA	Indian Institute of Management Ahmedabad
INDC	Intended Nationally Determined Contribution
INDIA INX	India International Exchange (IFSC) Limited

INR	Indian Rupees
InvIT	Infrastructure Investment Trust
IPO	Initial Public Offering
IRDAI	Insurance Regulatory and Development Authority of India
JNU	Jawaharlal Nehru University
LBMA	London Bullion Market Association
LCR	Liquidity Coverage Ratio
LLP	Limited Liability Partnership
LME	London Metal Exchange
LOLR	Lender of Last Resort
LR	Leverage Ratio
LSE	London Stock Exchange
MCX	Multi Commodity Exchange of India Limited
MII	Market Infrastructure Institution
MIS	Management Information System
ML	Machine Learning
MoU	Memorandum of Understanding
MMoU	Multilateral Memorandum of Understanding
NBFC	Non-Banking Financial Company
NDC	Nationally Determined Contributions
NIC	National Informatics Center
NICCL	NSE IFSC Clearing Corporation Limited
NICSI	National Informatics Centre Services Inc.
NIPFP	National Institute of Public Finance and Policy
NISM	National Institute of Securities Markets
NLP	Natural Language Processing
NPA	Non-Performing Asset
NSDL	National Securities Depository Limited
NSE	National Stock Exchange of India Ltd
NSFR	Net Stable Funding Ratio
NYSE	New York Stock Exchange
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development
OIS	Overnight Index Swap
OMO	Open Market Operation
OPEC	Organization of the Petroleum Exporting Countries
ORF	Observer Research Foundation
OTC	Over-the Counter
PFRDA	Pension Fund Regulatory and Development Authority
PLI	Production Linked Incentive

PMI	<i>Purchasing Managers' Index</i>
PML	<i>Prevention of Money Laundering</i>
PMs	<i>Portfolio Managers</i>
POC	<i>Proof of Concept</i>
PRC	<i>Performance Review Committee</i>
RBI	<i>Reserve Bank of India</i>
RDRR	<i>Retail Deposit Reserve Ratio</i>
REIT	<i>Real Estate Investment Trust</i>
RE	<i>Registered Entity</i>
RRB	<i>Regional Rural Bank</i>
Rs	<i>Rupees</i>
SBI	<i>State Bank of India</i>
SDG	<i>Sustainable Development Goal</i>
SEBI	<i>Securities and Exchange Board of India</i>
SEZ	<i>Special Economic Zone</i>
SGX	<i>Singapore Exchange Limited</i>
SME	<i>Small and Medium Enterprise</i>
SNAS	<i>Segregated Nominee Account Structure</i>
SPAC	<i>Special Purpose Acquisition Company</i>
SPV	<i>Special Purpose Vehicle</i>
SupTech	<i>Supervisory Technology</i>
TLTRO	<i>Targeted Long-Term Repo Operation</i>
UCC	<i>Unique Client Code</i>
UK	<i>United Kingdom</i>
UN	<i>United Nations</i>
UNFCCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
US	<i>United States</i>
USA	<i>United States of America</i>
USD	<i>United States Dollar</i>
VCC	<i>Variable Capital Company</i>
WGC	<i>World Gold Council</i>

TABLE OF CONTENTS

Sr. No	Particulars	Page No.
1	SECTION A	iii
2	SECTION B	01
	The Year in Review: Overview of the General Economic Environment	02
	A. Global Economic Assessment, Outlook, and Opportunities for IFSCA	02
	B. Domestic Economic Assessment & Prospects	06
3	SECTION C	13
	Review of Policies, Programmes and Activities of The Authority	14
	Banking & Finance Companies	15
	Capital Market	25
	International Bullion Exchange	47
	Fintech Hub & IT	57
	Insurance	62
	Aircraft Leasing	66
	Global In-House Centres (GICs)	70
	Other Areas	72
4	SECTION D	75
	A List/ Coverage of the Quasi-Legislative, Executive and Quasi-Judicial Functions of the Authority	76
	Engagement and Partnership between GNLU and IFSCA	79
	Policies and Programmes for the Following Year	79
5	SECTION E	81
	Source of Funds and Major Areas of Expenditure (FY 2020-21)	82
6	SECTION F	83
	Organisational Matters	84
	Departmental Structure	84
	IFSC Authority Meetings	85
	Right To Information (RTI)	85
	Human Resources	85
	Preparedness and Efforts taken by IFSCA to tackle COVID-19	88
7	DATA APPENDIX	89

SECTION B



THE YEAR IN REVIEW: OVERVIEW OF THE GENERAL ECONOMIC ENVIRONMENT

A. GLOBAL ECONOMIC ASSESSMENT, OUTLOOK, AND OPPORTUNITIES FOR IFSCA

The year 2020-21 witnessed challenges of unprecedented proportions, with the Novel Coronavirus pandemic, a black swan event, emerging as the biggest threat to not only public health but also economic growth, mobility, and normal life conditions. There was an estimated 3.3 percent¹ contraction in the world GDP caused by the COVID-19 pandemic in 2020. At present green shoots of recovery can be seen sprouting however, new challenges confront all economies thus necessitating policy makers and financial sector regulators to have a hands-on approach and adaptability to global financial stability and any potential volatile conditions.

The global composite Purchasing Manager's Index moderated² and stabilized during the 3rd and 4th quarters of 2020 as the resurgence of infections across major economies pulled down services activity, especially in the contact-intensive industries. Global trade recovered from the deep contraction witnessed in 2nd quarter of 2020 on the back of the robust trade performance of EMEs³.

Global commodity prices have been rising since May 2020 after recovering from a plunge in the early part of the year. The Bloomberg commodity price index increased by 17.8 percent between the 3rd and 4th quarters of 2020. Crude oil prices, however, saw a decline during September-October, 2020 due to shrinking demand prospects but picked up November onwards due to vaccine optimism and extension of production cuts by OPEC plus⁴. Base metal prices, measured by the Bloomberg's Base Metal Spot Index, increased by 28.4 percent between September 2020 and March 2021, surpassing pre-COVID levels on strong rallies witnessed in second half of 2020. The increase in the price of industrial metals can be attributed to persistent supply chain disruptions, shipping difficulties and labour & container shortages. On the contrary, gold prices realized a gain of 25.1 percent in 2020. Falling US bond yields, and the weakening of the US dollar enhanced the safe haven appeal of the yellow metal during this period⁵.

CPI inflation remained benign and below target in major AEs, while for major EMEs, barring China, Thailand and Indonesia, CPI inflation has mostly picked up, even moving above targets in a few of them⁶.

1. WEO, IMF, Updated January 2021

2. Sources: Bloomberg; and OECD Economic outlook, 2021.

3. Sources: CPB Netherlands; and CEIC

4. Source: World Bank

5. Bloomberg

6. Central bank websites; and Bloomberg.

FINANCIAL MARKETS PERFORMANCE

Capital Market

The global financial markets remained optimistic, strengthened by accommodative monetary and fiscal policies of various advanced and emerging economies and their vaccine-led recovery initiatives. Despite the deceleration in output growth, stock markets in advanced economies and EMEs reached record highs in a few jurisdictions during the last quarter of 2020⁷. This raised some concerns regarding the disconnect between the performance of market indices and the real economy and the risks of future financial uncertainty and volatility. The overall domestic market capitalization at the end of March 2021 in Americas, APAC, Europe, and EMEA countries was USD 113.59 trillion⁸ (Table 1). This represents a 39% increase compared to the end of March 2020.

Table 1 - Domestic Market Capitalization

EQUITY - DOMESTIC MARKET CAPITALISATION (USD TRILLIONS)					
Time period	Mar-19	Mar-20	Mar-21	% Change Mar'20/Mar'19	% Change Mar'21/Mar'20
Americas	38.43	39.74	51.21	3	29
APAC countries	26.74	25.37	37.08	-5	46
EMEA countries	18.03	16.58	25.3	-8	53
GLOBAL	83.2	81.69	113.59	-2	39

Source: World Federation of Exchanges

The number of listed companies at the end of March 2021 stood at 56,901, out of which 93 percent are domestic and the rest are foreign. Approximately 1 percent increase in the number of listed companies in March 2021 vis-a-vis March 2020 can be largely attributed to the Americas region, as can be seen in Table 1. The number of IPOs in 2020 reached 1,540 which is a 21 percent increase on the previous year.

APAC hosted the most IPOs (63%), followed by EMEA (19%) and the Americas (18%)⁹.

Investment flows through IPOs in 2020 stood at USD 280 billion, a 36.56 percent increase on 2019, with the Americas and APAC regions experiencing increases, while EMEA witnessed a decline. Year on year, only Q2 2020 registered a fall of 31.29% in investment flows through IPOs compared to the same quarter the previous year.

Bond yields remained low in major AEs till the end of 2020. This could be attributed to lower policy rates and increasing demand for bonds as a safe haven during uncertain times.

Banking Industry

Banks played a crucial role in stabilizing the global economy and transmitting government stimulus and relief programmes. Banks' healthy capital levels before the pandemic helped mitigate the negative impacts of the crisis but diminished loan growth and payment transaction volumes. However, these declines have been largely offset by near-record levels of trading revenues and wealth management fees.

7. Source : World federation of exchanges

8. This figure is based on data from 82 exchanges worldwide.

9. Source : World federation of exchanges

10. World economic outlook, IMF

Cross Country Aggregate Loans




Fig.1

Source: Bloomberg

Movement In Aggregate Loan Reserves




Fig.2

Source: Bloomberg

COVID-19 is reshaping the global banking industry on a number of dimensions, ushering in a new competitive landscape, stifling growth in some traditional product areas, prompting a new wave of innovation, recasting the role of branches, and of course, accelerating digitization in almost every sphere of banking and capital markets¹⁰.

Regulators across the world have encouraged banks to support growth in the local economy, though an analysis of key balance sheet parameters of these banks, through the pandemic period, shows that this may not have given the expected benefits. While the growth in bank loans in Asia remained robust (Fig.1) and the US and the UK banks have been more aggressive in loan loss provisioning (Fig.2)¹¹.

Insurance Industry

The global insurance industry showed resilience in times of the pandemic, showing positive signs of recovery for both life and non-life insurance. During this period, global life insurance real premiums shrank by 4.4 percent¹² in real terms (Table 2). This resulted primarily from weakness in the life savings business, as the labour market shock from COVID-19 economic shutdowns caused sharp falls in household incomes. On the contrary, the non-life sector posted uninterrupted growth (+1.5%) up to USD 3490 billion¹³ (Table 2), driven by commercial line rate hardening in advanced markets. As per the Swiss Re report, the global insurance market majorly consolidates around the three major advanced economies of the US, China, and Japan, together accounting for almost 58 percent¹⁴ of the global market. Among the top twenty countries of the world insurance market, there are six Asian countries (China, Japan, South Korea, Taiwan, India, and Hong Kong) with an approximate market share of about 25 percent¹⁵.

11. Source: Bloomberg

12 Swiss Re, Sigma 3/2021

13 Swiss Re, Sigma 3/2021

14 Swiss Re, Sigma 3/2021

15 Swiss Re, Sigma 3/2021

Table 2 - Growth in Real Premium by Region in the World in 2020 (In percent)

Regions	Life	Non-life	Total
Advanced markets	-5.7	1.5	-1.8
EMEs	0.3	1.3	0.8
Asia Pacific	-2.1	3.0	-0.3
India	-1.2	-3.1	-1.7
World	-4.4	1.5	-1.3

Source: Swiss Re, Sigma 3/2021

Sustainable Finance¹⁶

Volumes for the several sustainable debt markets – including labelled Green, Social and Sustainability (GSS) bonds, Sustainability-linked bonds (SLB) and Transition bonds – reached nearly half a trillion (USD 496.1 billion) in the first half of 2021. This amount represents 59 percent year on year growth from the equivalent period in 2020. On the front of Central Banks, Bangladesh's Central Bank started the year with legislation mandating the nation's banks and other financial institutions to devote a minimum of 2 percent of their loans towards green projects and 15 percent to a wider "sustainable" definition. China followed suit, announcing plans to incorporate climate change into its monetary policy framework and to encourage financial institutions to extend low-carbon credit via preferential interest rates and special re-lending facilities. In the UK, BoE announced a change to its mandate to include environmental sustainability and net-zero transition. Its bond-buying programme is set to include green bonds by the end of the year.

Issuance of green debt instruments continued to grow in the first half of 2021, with volumes included in the Climate Bonds' Green Bond Database in this period more than doubling to USD 227.8 billion compared to H1 2020 – a record for any half-year period since the market inception in 2007. Overall, Developed Market countries contributed 76 percent of green bond issuance in the first half, (+1% vs H1 2020). The share of Emerging Market countries grew marginally from 18% to 19% between H1 2020 and H1 2021. Europe was the top issuing region overall, more than doubling compared to the first half of 2020. The Asia-Pacific region also showed impressive development, growing by 161 percent year-on-year.

Whereas green bonds are classified in accordance with the Climate Bonds Taxonomy, social and sustainability (S&S) bonds raise funds for projects with broader positive impacts across the spectrum of the SDGs and beyond specifically climate-related objectives. S&S bonds comprised 47 percent of total sustainable labelled debt issuance with USD 233.3 billion issued in H1 2021, bringing total S&S issuance since 2006 to USD 867 billion.

¹⁶ https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi_susdebtsum_h12021_02b.pdf

B. DOMESTIC ECONOMIC ASSESSMENT & PROSPECTS

The pandemic posed a formidable challenge to India, with public health becoming the focal policy for tackling the crisis. As pointed out by the Economic Survey 2020-21, the country suffered from the 'lives versus livelihood' policy dilemma as 'flattening the disease curve was entwined with the livelihood cost of an imminent recession, which emanated from the restrictions in economic activities from the lockdown required to contain the pandemic'. Backed by epidemiological and economic research, India's policy response characterized by intense lockdown at the start of the pandemic focused on the protection of human lives. It underlined the acknowledgement that the short-term pain of an initial, stringent lockdown would lead to long-term gains both in the lives saved and in the pace of the economic recovery. The initial stringent lockdown was critical to saving lives, enabling continual unlocking of the economy and the V-shaped economic recovery.

Apart from the focus on public health, the approach adopted on the policy front is as elucidated below:

Supply Side Reforms

Efforts were made to ensure minimisation supply side disruptions in the medium to long-run.

Essential Consumption

Focus on ensuring that all essentials were taken care of.

Direct benefit transfer to the vulnerable sections and the world's largest food subsidy programme targeting 80.96 crore beneficiaries.

Emergency Credit Line Guarantee Scheme for providing relief to stressed sectors by helping entities sustain employment and meet liabilities.

Fiscal Policy

Understanding that discretionary spending only reflects precautionary motives to save which remains high during the initial months of pandemic India did not utilise its fiscal resources in trying to pump up discretionary consumption

During the unlock phase, where uncertainty declined and economic mobility increased, India ramped up its fiscal spending, boosting consumption and investment.

Monetary Policy

Ensured abundant liquidity

Immediate relief to debtors via temporary moratoria

Unclogging monetary policy transmission.

Structural Reforms

Long pending structural reforms in agriculture, mining, labour, etc. were concurrently undertaken for the economy to return to the potential growth path.

Fig.3

Policy approach to tackle Covid-19 Pandemic

GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP)

As per the Economic Survey 2020-21, lockdown resulted in a 23.9 percent contraction in GDP in Q1 with a V-shaped recovery as seen in the 7.5 percent decline in Q2 and the recovery across all key economic indicators.

India's GDP was estimated to contract by 7.7 percent in FY 2020-21, composed of a sharp 15.7 percent decline in the first half and a modest 0.1 percent fall in the second half. Agriculture has remained the silver lining w.r.t. sector-wise growth, while contact-based services, manufacturing, and construction which were hit the hardest have been recovering steadily. Government consumption and net exports have cushioned the growth from diving further down.

This V-shaped economic recovery is supported by the initiation of a mega-vaccination drive and expectation of a robust recovery in the services sector and re-kindling of prospects for robust growth in consumption and investment resulting in estimated real GDP growth for FY 2021-22 to be at 11 percent.

EXTERNAL SECTOR

The pandemic and the resulting economic crisis led to a sharp decline in global trade, lower commodity prices and tighter external financing conditions with varying implications for current account balances and currencies of different countries. Global merchandise trade is expected to contract by 9.2 percent in 2020.

RBI's interventions in the forex market have largely been successful in controlling the volatility and one-sided appreciation of the rupee. Owing to high levels of headline inflation however, India finds itself in the classical trilemma for RBI to maintain a fine balance between tightening of monetary policy to control inflation on the one hand and stimulate growth on the other.

Various initiatives undertaken by the government to promote exports - Production Linked Incentive (PLI) Scheme, Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP), emphasis on the improvement of trade logistics infrastructure and use of digital initiatives etc. paved the way in enabling ease of doing exports.

MONETARY SECTOR

Monetary policy has been significantly eased from March 2020 onwards to accommodate the pandemic shock. The repo rate has been cut by 115 bps since March 2020, with 75 bps cut in the first Monetary Policy Committee (MPC) meeting in March 2020 and 40 bps cut in the second meeting in May 2020. Though the policy rates were kept unchanged in further meetings, liquidity support was significantly enhanced with systemic liquidity remaining in surplus in 2020-21. RBI undertook various conventional and unconventional measures like Open Market Operations, Long Term Repo Operations, Targeted Long Term Repo Operations etc. to manage the liquidity situation in the economy.

However, financial flows to the real economy remained constrained owing to subdued credit growth by both banks and NBFCs. Also, higher reserve money growth did not fully translate into commensurate money supply growth due to the lower (adjusted) money multiplier reflecting large deposits by banks with RBI under reverse repo.

Scheduled Commercial Banks (SCBs)

Credit growth of banks slowed down to 6.7 percent as on January 1, 2021. The credit offtake from the banking sector witnessed a broad-based slowdown in 2020-21. Gross NPA ratio of SCBs decreased from 8.21 percent at the end of March 2020 to 7.49 percent at the end of September 2020. However, this has to be seen in the light of the asset classification relief provided to borrowers on account of the pandemic.

The recovery rate for SCBs through IBC (since its inception) has been over 45 percent. In view of the COVID-19 pandemic, initiation of the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) was suspended for any default arising on or after March 25, 2020, for a period of six months. This was further extended twice for three months on September 24, 2020, and December 22, 2020. The suspension along with continued clearance has allowed a small decline in accumulated cases.

SERVICES SECTOR

Services sector's significance in the Indian Economy has been steady, with the sector now accounting for over 54 percent of the economy and almost four-fifths of total FDI inflows. The shipping turnaround time at ports has almost halved from 4.67 days in 2010-11 to 2.62 days in 2019-20. India is home to 38 unicorns, adding a record number of 12 start-ups to the unicorn club last year.

The contact-intensive services sector was the worst hit by the COVID-19 pandemic, subsequent lockdown and social distancing measures with the services sector contracting by almost 16 percent during the first half of the FY 2020-21.

BANKING, FINANCIAL SERVICES AND INSURANCE (BFSI) SECTOR

i. Banking Sector

The onset of COVID-19 increased the demand for money, creating inflationary pressure in the Indian market. The pandemic resulted in less competitive markets and lockdown/ containment disrupted supply chains, both of which resulted in higher inflation going forward. As per data, the headline inflation remained elevated and reached its peak during June-November 2020, which may be attributed to the inflationary pressures arising from food items like pulses and edible oils (which persisted due to supply-demand imbalances), crude oil prices, etc.

One of the major indicators of the impact of the pandemic on the economy is the trend in the credit-deposit ratio (CDR) in the banking sector. It is seen that despite a surge in currency demand with the onset of the COVID-19 pandemic, monetary conditions have eased on account of various proactive liquidity management measures undertaken by RBI and several sector-specific measures announced by the government during the year. Due to a fall in the aggregate demand, the demand for credit also nose-dived. This can be seen through the SCB's CDR, which moderated to 72.4 percent in 2020-21 from 76.4 percent a year ago, even as deposit mobilisation remained robust during the period. The offtake in credit from November 2020 onwards, reflects a recovery in economic activity that has been supported by the cumulative reduction in RBI's policy repo rate by 250 bps since February 2019, and 115 bps since March 2020, as well as various liquidity enhancing measures undertaken thereto.

The global financial markets showcased a quick regain of normalcy during the second half of the financial year, drawing support from liquidity flushed in by global central banks and humongous, unprecedented fiscal support by governments. Financial conditions eased and the return of risk appetite enhanced the demand for financial assets. RBI, during February 2020 - March 31, 2021, announced liquidity measures aggregating Rs. 13.6 lakh crore (approx. 6.9% of nominal GDP for 2020-21). As an effect, the Sensex gained 91 percent from its post-pandemic lows during 2020-21, which was among the highest worldwide. Similar policy measures worldwide led to a huge inflow of portfolio finance into EMEs, including India. The outflow of finance led to a weakening of the US dollar in tandem with an improvement in risk sentiment in investing in a financial instrument. This liquidity infusion and cut in global policy rates simultaneously caused a sharp fall in bond yields.

Developments in G-Sec Markets

During 2020-21, the gross market to borrowing of the Government of India through dated G-sec was higher by 93 percent as compared with the previous year. Net market borrowings through dated G-sec increased by 141.2 percent as compared to the previous year. Net market borrowings through dated G-sec financed 61.8 percent of the centre's budgeted gross fiscal deficit as against 50.8 percent in the previous year. The net market borrowings through dated securities and Treasury Bills (T-Bills) taken together also increased in 2020-21.

In the first quarter of 2020-21, the yields on 10-year benchmark G-sec showed a declining trend as RBI cut the policy repo rate by 40 bps and undertook various liquidity augmenting measures in the wake of the pandemic. A decline in the US treasury yields and a fall in crude oil prices also aided in the easing of yields. The 10-year yield softened by 81 bps in Q1.

In Q2:2020-21, the G-sec yields hardened mainly due to the rise in crude oil prices and higher CPI inflation figures for June and July. Certain policy measures announced by the Reserve Bank towards the end of August, viz., a hike in held-to-maturity (HTM) limit for banks, term repo operations and special OMOs, helped in easing the yields. The 10-year yield rose by 14 bps in Q2.

The Q3:2020-21 saw softening of the yields with the 10-year yield easing by 15 bps aided by certain policy measures, viz., introduction of on-tap TLTROs, extended dispensation of enhanced HTM limit for banks, OMOs, and MPC's forward guidance suggesting continuance of accommodative monetary policy stance.

During Q4:2020-21, yields spiked following the Union Budget announcement of larger than expected government borrowings and tracking the sharp rise in the US treasury yields and higher crude oil prices. However, the cancellation of the last scheduled G-sec auction for 2020-21 resulted in some easing of the yields towards the end of March 2021. The 10-year yield rose by 45 bps in Q4 to end the year at 6.34 percent.

In 2020-21, certain specified categories of Central Government securities were opened up fully, for non-residents in securities without any restrictions, apart from being available to domestic investors as well from April 1, 2020. Accordingly, a separate route viz., Fully Accessible Route (FAR) for investment by non-residents in securities issued by the Government was notified. 'Specified securities', once so designated, shall remain eligible for investment under FAR until maturity. A list of existing securities was put under FAR from April 1, 2020, and in addition, all new issuances of government securities of 5-year, 10-year and 30-year tenors from FY 2020-21 will be eligible under FAR as 'specified securities'. This is a necessary step towards India's inclusion in the global bond indices.

ii. Capital Markets

Equity Markets

After witnessing a turbulent month of March 2020, the Indian equity market made a sharp V-shaped recovery in sync with global markets on the back of massive fiscal and monetary stimulus and gradual easing in COVID-induced restrictions.

In 2020-21, there was also an increase in resource mobilization from the primary market. Resource mobilization through public issues witnessed an increase compared to the previous year. The number of companies raising money through public issues reduced to 57 from 62 in the same period last year. A total of Rs 46,060 crore were mobilised during this period as compared to Rs 21,382 crore in the previous year. Similarly, resource mobilization through rights issues during 2020-21 increased to Rs 64,059 crore from 21 rights issues as compared to Rs 55,670 crore from 17 issues in the previous year.

Table 3 - Resource Mobilisation via Public Issues

Particular	2019-20		2020-21	
	No. of Issues	Amount (Rs crore)	No. of Issues	Amount (Rs crore)
IPOs	60	21,345	55	31,030
FPOs	2	37	2	15,030
Rights Issue	17	55,670	21	64,059
TOTAL	79	77,052	78	1,10,119

Source: NSE, BSE

The resource mobilization through the private placement route witnessed a decline from Rs 2,29,275 crore in the previous year to Rs 1,19,668 crore in FY 2020-21. In 2020-21, there were 266 issues through private placement compared to 298 issues last year.

Table 4 - Resource Mobilisation via Private Placements

Particular	2019-20		2020-21	
	No. of Issues	Amount (Rs crore)	No. of Issues	Amount (Rs crore)
QIPs	14	54,389	31	78,738
Preferential allotments	284	1,74,886	235	40,930
TOTAL	298	2,29,275	266	1,19,668

Source: NSE, BSE

Debt markets

The total debt issuance in the primary market increased to ₹ 7.8 lakh crore approx. during FY 2020-21 as compared to Rs 6.89 lakh crore in the previous year. The details are given below:

Table 5 - Debt Issuances in Primary Market

Particular	2019-20		2020-21	
	No. of Issues	Amount (Rs crore)	No. of Issues	Amount (Rs crore)
Public	34	14,984	18	10,588
Private Placement	1,787	6,74,702	1,995	7,71,840
TOTAL	1,821	6,89,686	2,013	7,82,428

Source: NSE, BSE

Corporates mobilised higher resources from the corporate bond market to seize the benefit of lower costs. Private placements remained the preferred choice for corporates, accounting for 98.8 percent of total resources mobilised through the corporate bonds.




Fig.4

Sensex and Nifty Returns (Apr'20-Jan'21)

Source: BSE and NSE

Movement of Benchmark Indices

Sensex and Nifty reached their all-time peak in February 2021 on the back of robust corporate performance, low funding cost and strong foreign portfolio investor (FPI) investment inflows. FY 2020-21 witnessed a record FPI inflow of USD 36.2 billion (till 30th March), the highest in a decade after 2014-15. The rally, however, was interrupted intermittently by a surge in the US treasury yields, a rise in crude oil prices and fresh spikes in COVID-19 cases in certain Indian states due to the second wave towards the end of the year. At the end of 2020-21, Sensex and Nifty posted a positive return of 68 percent and 70.9 percent respectively, after witnessing a fall of 23.8 percent and 26 percent, respectively during 2019-20.

iii. Insurance Sector

The performance and potential of the insurance sector are assessed using two indicators - Insurance Penetration and Insurance Density. In India, Insurance penetration for the Life and Non-Life sectors is tabulated below. The penetration in life insurance has steadily increased to 3.2 percent in 2020. On the Non-Life insurance side, the penetration has reached the 1 percent mark in 2020. Globally insurance penetration was 3.3 percent for the life segment and 4.1 percent for the non-life segment in 2020. The penetration is significantly lower in India for Non-life insurance as compared to other countries and the global average.

The density of Life as well as Non-life segments is also tabulated below. The density for Life insurance is USD 59 in 2020 and Non-Life insurance is much lower at USD 19 in 2020 in India. Globally, insurance density was USD 360 for the life segment and USD 449 for the non-life segment respectively in 2020.

Table 6 - Penetration and Density in Life Insurance

Parameter	2016	2017	2018	2019	2020
Insurance penetration (premium as percentage of GDP)	2.72	2.76	2.74	2.82	3.2
Insurance density (premium per capita in USD)	46.5	55.0	55.0	58.0	59.0

Source: SwissRe

Table 7 - Penetration and Density in Non-life Insurance

Parameter	2016	2017	2018	2019	2020
Insurance penetration (premium as percentage of GDP)	0.77	0.93	0.97	0.94	1.0
Insurance density (premium per capita in USD)	13.2	18.0	19.0	19.0	19.0

Source: SwissRe

During 2019-20, the gross direct premium of Non-Life insurers was ₹ 1.89 lakh crore, as against ₹ 1.69 lakh crore in 2018-19, registering a growth of 11.45 percent. Within the non-life category, motor and health segments primarily are the main contributors to the industry to report this growth. The Life insurance industry recorded a premium income of ₹ 5.73 lakh crore in 2019-20, as against ₹ 5.08 lakh crore in the previous financial year, registering a growth of 12.75 percent.

SECTION C



REVIEW OF POLICIES, PROGRAMMES AND ACTIVITIES OF THE AUTHORITY

As one of the largest and fastest-growing economies, India has been a major consumer of International financial services. The 2007 report of the committee set up by the Ministry of Finance (popularly known as the Percy Mistry Committee) had estimated that even under conservative assumptions, purchases by Indian households and firms of International financial services will be nearly USD 50 billion by 2015 and could exceed USD 120 billion by 2025. Thus, with the objective of bringing back to India the international financial service business generated from India, and gradually emerging as an international financial services hub at the regional and global level, the Government of India operationalized India's maiden IFSC at GIFT Multi Services SEZ in April 2015.

According to the Global Financial Centres Index (GFCI) report, (March 2021) the IFSC in GIFT City has been placed amongst the top 15 centres globally, which are likely to become more significant over the next two to three years. GIFT IFSC is a special financial zone which is treated as an offshore territory under Indian foreign exchange regulations. The Centre provides world-class financial services to non-residents and residents, to the extent permissible under the regulations, in freely convertible foreign currency. The maiden IFSC in India offers a wide spectrum of opportunities across various business segments such as Banking, Capital Markets, Fund Management, Aircraft Leasing, and Insurance, among others. The Centre is fast emerging as a preferred gateway for outbound and inbound capital flow into India.

The Government of India recognised that the development of financial services and products in the IFSCs would require focused and dedicated regulatory interventions. Moreover, the dynamic nature of business in an IFSC would require a high degree of inter-regulatory coordination within the financial sector. Hence, a need was felt for having a unified financial regulator for IFSCs in India to provide a world-class regulatory environment. The IFSCA Act was passed in December 2019 and IFSCA commenced its operation as a unified regulator in October 2020. IFSCA has been vested with the combined powers of four domestic regulators namely RBI, SEBI, IRDAI and PFRDA and has a mandate to develop and regulate financial products, financial services, and financial institutions within the IFSCs in India.

THE VISION OF THE HON'BLE PRIME MINISTER FOR IFSC INCLUDES

“ MY VISION IS THAT IN TEN YEARS FROM NOW, GIFT CITY SHOULD BECOME THE PRICE SETTER FOR AT LEAST A FEW OF THE LARGEST TRADED INSTRUMENTS IN THE WORLD, WHETHER IN COMMODITIES, CURRENCIES, EQUITIES, INTEREST RATES OR ANY OTHER FINANCIAL INSTRUMENT....THE CONCEPT OF AN INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRE IS SIMPLE BUT POWERFUL. IT AIMS TO PROVIDE ONSHORE TALENT WITH AN OFFSHORE TECHNOLOGICAL AND REGULATORY FRAMEWORK. THIS IS TO ENABLE INDIAN FIRMS TO COMPETE ON AN EQUAL FOOTING WITH OFFSHORE FINANCIAL CENTRES. GIFT IFSC WILL BE ABLE TO PROVIDE FACILITIES AND REGULATIONS COMPARABLE TO ANY OTHER LEADING INTERNATIONAL FINANCE CENTRE IN THE WORLD. ”

BANKING AND FINANCE COMPANIES

Activities with Respect to Regulations, Circulars, Guidelines etc.

The objective of IFSCA is to regulate, supervise and develop the Financial Institutions, Financial Products and Financial Services¹⁷ in IFSCs in India. Banking functions and banking institutions are considered to be at the core of the IFSC ecosystem.

This chapter gives a picture of the measures taken by IFSCA towards regulation and development of banking and related services being carried out by the Banking Units (BUs) and Finance Companies (FCs), for FY 2020-21. The initial framework for banking in IFSC was laid down in terms of RBI Guidelines on setting up of IFSC Banking Units (IBUs) vide RBI Circular DOR.IBD.BC.14570/23.13.004/2014-15 dated April 01, 2015.

After IFSCA assumed the regulatory powers, under the IFSCA Act 2019, with effect from October 1, 2020, the IFSCA (Banking) Regulations were issued and notified on 20th November 2020. With a view to ensuring a smooth transition, the initial regulatory framework is broadly based on the framework laid out by the RBI with certain modifications considered necessary for providing impetus to the growth of banking business in GIFT IFSC.

The IFSCA (Banking) Regulations, 2020, provide broad principles for licensing, operations, and prudential norms for BUs in IFSCs. As provided in the regulations, a select set of directions/ circulars/ guidelines issued by RBI under various statutes have been made applicable to the BUs, mutatis-mutandis, for activities permitted to be undertaken by the BUs, under the Regulations, to the extent that they are not in conflict with the regulations. In case of conflict, the provisions of the regulations and circulars issued under the Regulations shall be applicable.

While addressing the need for changes in the extant regulatory framework for facilitating the international banking business by the BUs within the scope of activities permitted under the legal-regulatory framework, IFSCA is simultaneously working on designing and preparing a new comprehensive framework of regulations; operational and prudential guidelines, which would help in a more effective discharge of its role in developing and regulating the financial products, financial services and financial institutions in IFSCs. The proposed new framework shall be benchmarked to the best regulatory practices/ norms in other global/ regional International Financial Centres and International Standards, while harnessing the opportunities offered by the inherent strengths of India's domestic economy and financial system.

Licensing Criteria:

The extant Banking Regulations allow Indian and Foreign Banks to set up BUs – one per bank, in the form of a Branch or Representative Office in an IFSC in India. The parent bank is required to provide a minimum capital of USD 20 million to the BU for starting its operations, which shall be maintained on an unimpaired basis at all times. The applicant parent banks have to obtain a No Objection Letter from their respective home regulators for setting up a BU in IFSC and also submit an undertaking to provide liquidity to BU, whenever needed. For foreign banks, not having a presence in India, an additional screening mechanism is applicable for approving their application for setting up a BU in IFSC.

Prudential Requirements:

The regulations have prescribed certain prudential regulatory requirements for the BUs, such as Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), Leverage Ratio and Exposure ceilings for BUs. As the regulations also permit retail banking business by the BUs, an additional requirement

17. Defined under section 3 (1) (c), 3 (1) (d), 3 (1) (e) of the IFSCA Act, 2019

in the form of Retail Deposit Reserve Ratio (RDRR) has been prescribed, in view of the absence of a Lender of Last Resort (LOLR) and centralized deposit insurance facility. For other applicable prudential requirements, the Authority has adopted various circulars/ master directions of RBI vide IFSCA Circular no. 110/IFSCA/Banking Regulation/2020-21/1 dated December 04, 2020. The prudential requirements stipulated in regulations/circulars are:

- 1. Liquidity Coverage Ratio (LCR):** As per IFSCA Circular 110/IFSCA/Banking regulation/2020-21/5 dated December 11, 2020, BUs were required to maintain an LCR of 90% on a standalone basis till Mar 31st, 2021. Further, BUs were advised to maintain LCR at 100% from April 2021 onwards at the BU level. The BUs may maintain LCR at the Parent level subject to permission from IFSCA.
- 2. Net Stable Funding Ratio (NSFR):** As per regulation 5(2) of the IFSCA (Banking) Regulations 2020, NSFR is made applicable to the BUs when determined by the authority. As per IFSCA Circular 110/IFSCA/Banking Regulation/2020-21/5 dated December 11, 2020, NSFR is not applicable as of now for the operations of BUs.
- 3. Leverage Ratio (LR):** As per IFSCA Circular 110/IFSCA/Banking Regulation/2020-21/5 dated December 11, 2020, the LR may be maintained by the parent bank and at the level specified by the home regulator, subject to the regulations applicable to the parent bank. The BU shall submit a quarterly certificate to this effect to the Authority signed by an authorized official of its parent bank.
- 4. Retail Deposit Reserve Ratio (RDRR):** BUs shall be required to maintain an RDRR on daily basis at 3% of the deposits raised from Qualified Individuals, Qualified Resident Individuals, and persons resident in India, outstanding as on the end of the previous working day. The RDRR may be maintained in any freely convertible foreign currency and in the form of balance in the Nostro account of the BU or as holdings of sovereign debt securities (including T-bills) rated investment grade or above by at least two rating agencies of international standing.
- 5. Exposure Ceilings:** As per regulation 7 of the IFSCA (Banking) Regulations 2020, BUs are subject to an exposure ceiling of 5% of the Tier-1 capital of the Parent Bank in case of a single borrower and 10% of the Tier-1 capital of the Parent Bank in case of borrower group shall be applicable to BUs.

Permissible Activities:

1. Deposits:

In view of the importance of enabling retail banking business in IFSCs, with necessary safeguards, a qualification criterion based on net worth has been prescribed for individuals desiring to avail of the banking deposit account services offered by the BUs. Accordingly, Qualified Individuals¹⁸, Qualified Resident Individuals¹⁹ and Resident/ Non- Resident Corporates or Institutional Entities can open and maintain foreign currency accounts²⁰ in any freely convertible foreign currency with BUs in IFSC, subject to conditions²¹. BUs are permitted to deal only in a freely convertible foreign currency except for the purposes expressly permitted for dealing in INR, subject to provisions under the FEMA Act, 1999. All banking transactions shall be carried out through bank account transfers only.

18. "Qualified Individual" means an individual who is a person resident outside India having net worth not less than USD 1 Million or equivalent in the preceding financial year, which may be determined in such manner as specified by the Authority.

19. "Qualified Resident Individual" means an individual who is a person resident in India having net worth not less than USD 1 million or equivalent in the preceding financial year, which may be determined in such manner as specified by the Authority.

20. a) BUs are permitted to open Current account, Savings account, and Term Deposit account by a QI or a QRI in any freely convertible foreign currency. b) BUs are permitted to open Current account and Term Deposit account by persons other than a QI or a QRI in any freely convertible foreign currency. c) BUs are permitted to open Current account by persons resident in India, being individuals, for the purpose of investment in securities by remitting foreign currency under the Liberalized Remittance Scheme of the RBI.

21. BU shall satisfy itself prior to accepting deposits from a person resident in India that such transaction is in compliance with the regulations or directions, or guidelines issued by the Reserve Bank of India regarding placement of deposits outside India in foreign currency by a person resident in India.

2. Advances and Investment:

BUs are permitted to offer a plethora of lending/ investment products in IFSC, namely:

- i. Loans, trade finance and acceptances, commitments and guarantees: BU may act as a lender in rupee-denominated loans, in any form, to persons resident in India and persons resident outside India. Deployment of funds with persons resident in India shall be subject to the provisions of FEMA, 1999.
- ii. Credit enhancement and Insurance
- iii. Sale and purchase of portfolios
- iv. Investments
- v. Inter-bank lending/ borrowing
- vi. Post shipment export credit
- vii. Factoring and forfaiting of export receivables
- viii. Undertake equipment leasing (including aircraft leasing)
- ix. Lending to resident/ non-resident retail investors (resident individuals are subject to provisions under FEMA Act, 1999).

3. Derivative Products:

BUs are permitted to deal in a gamut of Derivative Products, and they can:

- i. Enter into Over the Counter (OTC) derivative contracts:
 - for its asset-liability management requirements
 - for its own account or for corporate or QI clients
 - to offer structured derivatives/deposits to customers
- ii. Participate in INR interest rate and currency derivatives, with settlement in forex, listed on Stock Exchange
- iii. Offer INR Overnight Index Swap (OIS) to non-residents
- iv. Undertake gold derivative or forward contracts for hedging its gold investments
- v. Offer Non-deliverable currency contracts to Non Residents or Banks in India having presence in IFSC.

For the purpose of facilitating OTC Derivative transactions at IFSC, the Authority vide its circular 110/ IFSCA/ Banking Regulation/2020-21/2 has, inter alia, adopted RBI's Circular DBOD No.BP. BC.86/21.04.157/2006- 07, with certain modifications.

The BUs are permitted to offer FCY-FCY derivatives (to be settled in FCY) and FCY interest rate

derivatives (to be settled in FCY) to persons resident in India, subject to the provisions of FEMA, 1999. The BUs can undertake FCY-INR Non-Deliverable Derivative Contracts (NDDCs), Interest Rate Swap (IRS) (including OIS) and Forward Rate Agreement (FRA) with an AD Category-1 bank in India having a BU.

In the portfolio of derivative contracts, NDDCs constitute a major share in the derivative transactions taken in IFSC. Other products include IRS, OIS, Currency Swaps, Currency IRS, Forward, and Options, among others.

For the purpose of facilitating trading activities by the BUs, the Authority vide its Circular 201/IFSCA/ETP/2020-21 inter alia, adopted the “Electronic Trading Platforms (Reserve Bank) Directions, 2018” (the direction) dated October 05, 2018, to be applicable to be the BUs, with certain modifications. The BUs have been allowed to undertake permissible transactions through an Electronic Trading Platform (ETP) without the need for such ETP to be a company incorporated in India. The BUs are also permitted to undertake permissible transactions by using services of third-party voice brokers. Risk arising from undertaking transactions at ETP or through voice brokers has to be appropriately mitigated by the BUs.

In recognition of the importance of increasing the INR NDF trading activity in IFSCs, IFSCA has constituted an expert committee headed by Shri. G. Padmanabhan - Former Executive Director, RBI to recommend the measures required to position IFSC as a hub for offshore trading in INR. Terms of reference for the committee are as below:

- a. To determine the regulatory and infrastructural requirements necessary to create the enabling conditions for the development of IFSC as a hub for offshore trading in INR.
- b. To assess the current regulatory and infrastructural facilities at IFSCs in light of the requirements determined.
- c. To recommend specific measures to bridge the identified gaps between (a) and (b) in the form of a report.

**Table 8 - Table of Important Regulations /Directions /
Circulars / Guidelines issued by IFSCA in Respect of BUs/ FCs and FUs:**

S. No.	Regulations /Directions / Circulars / Guidelines	No.	Date of Issuance
1	IFSCA (Banking) Regulations, 2020	IFSCA/2020-21/GN/REG004	18.11.2020
2	IFSCA (Banking) (Amendment) Regulations, 2021	IFSCA/2020-21/GN/REG009	25.03.2021
3	IFSCA (Finance Company) Regulations, 2021	IFSCA/2020-21/GN/REG010	25.03.2021
4	IFSCA (Banking) Regulations, 2020 -Directions for implementation	110/IFSCA/Banking Regulation/2020-21/1	04.12.2020
5	OTC Derivatives at IFSCs	110/IFSCA/Banking Regulation/2020-21/2	04.12.2020
6	IFSCA (Deposits) Directions, 2020	110/IFSCA/Banking Regulation/2020-21/3	04.12.2020
7	Directions on business in foreign currency at International Financial Services Centres (IFSCs)	110/IFSCA/Banking Regulation/2020-21/4	04.12.2020
8	IFSCA (Banking) Regulations, 2020–Prudential regulatory requirements	110/IFSCA/Banking Regulation/2020-21/5	11.12.2020
9	IFSCA (Banking) Regulations, 2020 –Guideline on determination of net worth of ‘Qualified Individual’ and ‘Qualified Resident Individual’	110/IFSCA/Banking Regulation/2020-21/6	11.12.2020
10	Instructions and clarifications on circulars issued under the IFSC (Banking) Regulations, 2020	110/IFSCA/Banking Regulation/2020-21/7	24.12.2020
11	IFSCA (Banking) Regulations, 2020 – Directions for implementation – Transfer of assets through loan participation agreement	110/IFSCA/Banking Regulation/2020-21/8	30.12.2020
12	Reporting of data on OTC derivatives undertaken by the Bus	110/IFSCA/Banking Regulation/2020-21/9	02.02.2021
13	Reporting of data on structured deposits accepted by Banking Units.	110/IFSCA/Banking Regulation/2020-21/10	03.02.2021
14	Transactions with residents of Nepal and Bhutan-clarification	110/IFSCA/Banking Regulation/2020-21/11	11.02.2021
15	IFSCA (Banking) Regulations, 2020 - Directions for implementation - Definition of Constituent	110/IFSCA/Banking Regulation/2020-21/12	16.02.2021
16	Net worth criteria for Resident individuals in India for opening bank account with Banking Unit (BU) for the purpose of investing in securities – Clarification	110/IFSCA/Banking Regulation/2020-21/13	19.02.2021

Finance Company / Units

The Finance Companies/Units play an important role in bringing vibrancy to the financial services ecosystem by offering a range of financial services like factoring and forfaiting, investment advisory, portfolio management services, aircraft leasing, and ship leasing among others, thus complementing the role of the BUs.

The IFSCA (Finance Company) Regulations were issued on March 25, 2021, with an objective to provide a risk-focused competitive environment for financial institutions, ensuring fairness, transparency and efficiency while being aligned to the best international standards.

The unique aspect of the regulations is that they intend to provide way for entities to undertake activities that are allowed only to a select non-bank intermediary such as undertaking factoring and forfaiting of receivables, derivative transactions and further provide a way for setting up of global or regional corporate treasury centres and family offices, among others in IFSCs. In order to achieve a balance between regulations and operational freedom to the entities, the Finance Company regulations are based on the BASEL framework with certain relaxations. The applicability of regulations is based on the scale of operations and the type of activity undertaken.

The regulations permit entities to be set up in IFSC, after registration with the Authority, in modes like as a subsidiary, joint venture, branch, etc. The branch is termed as a Finance Unit (FU) and can be set up provided the investing entity or the ultimate parent of the investing entity, as the case may be, is carrying out regulated financial activities in its home jurisdiction. The activities permitted are categorized into three categories i.e., specialized, core and non-core activities, depending upon the outlay of funds and complexity.

Entities undertaking only non-core activities are required to have a minimum capital fund requirement of USD 0.2 million or equivalent in any freely convertible currency, and such entities are not subject to any prudential or corporate governance regulations except for adherence to guidelines on 'Fit and Proper' criteria for directors, as set out by the Authority. The entities undertaking core activities which include lending, financial lease transactions, investments, and buying & selling of derivatives, among others, are required to have a minimum capital fund of USD 3 million or equivalent in any freely convertible currency. On the other hand, entities intending to carry out specialized activities which include factoring and forfaiting of receivables and credit enhancement are required to have a minimum capital fund of USD 5 million. Further, entities carrying out either core and/ or specialized activities are subject to prudential requirements like Capital Ratio, Liquidity Coverage Ratio, Exposure Ceiling Norms, Corporate Governance and Disclosure Requirements as specified by the Authority.

Transaction/Processes/Operations/Trends

The Banking ecosystem in IFSC has 15 IBUs operating as on March 31, 2021. Three multinational banks started their operations as IBUs in FY 2020-21.

Table 9 - Assets of IBUs

Particulars	Outstanding as on Mar 31, 2020	Outstanding as on Mar 31, 2021
Total Assets at IFSC (in USD Million)	14,103.8	14,977.0

Table 10 - Details of the Operations of IBUs:

Particulars	As on Mar 31, 2020	As on Mar 31, 2021
No. of IBUs at IFSC	12	15
No. of employees at all IBUs located in IFSC	87	118

Among the activities performed by IBUs, sources of fund raising have been inter-bank and inter-branch borrowings, medium-term notes, borrowings from multilateral institutions, etc. Activities on asset deployment have been largely concentrated on trade finance and commercial loans.

Total Customer Credit of the IFSC Banking ecosystem as on March 31, 2021 stands at USD 11.58 billion and total asset size of IBUs is USD 14.97 billion.




Fig.5

Turnover of IBUs in IFSC (in USD Million)




Fig.6

Outstanding of Major Credit Products (in USD Million)




Fig.7

Investment Types Outstanding as on March 31, 2021 (in USD Million)

Table 11 - A Comparison of Derivative Contracts Outstanding at IBUs (in USD Million)

Derivative Outstanding	Outstanding as on Mar 31, 2020	Outstanding as on Mar 31, 2021
Non-Deliverable Derivative Contracts (FCY-INR)	-	18,128.8
FCY-FCY forwards	3,011.2	1,483.0
FCY-FCY currency swap	802.5	839.5
FCY-FCY currency option	310.6	10.0
Interest rate swap (IRS)	20.5	25.0
Currency Interest rate swap (CIRS)	54.8	258.5
Interest rate swap (IRS) (including overnight indexed swaps (OIS))	22,732.8	24,600.7
Others	27.4	46.3
Total	26,959.8	45,391.8



Fig.8

Major Exposure of IBUs in Countries

Advocacy and Outreach: Campaigns, Engagements /Consultations, Publications etc.

IFSCA is in the process of obtaining membership in premier international financial forums of banking regulators and supervisors. The Authority is also keen to enter into bilateral MoUs with counterparties across the world. IFSCA also engaged with the Bank of England (BoE), Financial Conduct Authority (FCA) and Prudential Regulation Authority (PRA), the UK for sharing insights regarding various opportunities in IFSC.

Policies and Programmes for the Following Year

1. Capacity building through FSI Connect - Bank for International Settlements' (BIS's) web-based information resource and learning tool.
2. Entering into MoUs with other regulators.
3. Formulating Foreign Currency Clearing Agreement.
4. Constitution of an Expert Committee on positioning IFSC as a Hub for Offshore trading in INR.
5. Issuance of IFSCA Banking Handbook - Independent Regulatory Framework for Banking.
6. Exploring the possibility of a Wholly Owned Subsidiary (WOS) model for banking business under a suitable regulatory framework.
7. Roll-out of operational guidelines on various aspects covered in the FC regulations which would include aspects related to prudential regulations, capital framework, corporate governance guidelines, and conduct of business regulations, among others.
8. Issuance of activity-specific guidelines on factoring, forfaiting, operating lease for ships and other activities as and when enabled.

CAPITAL MARKET

The role of the securities market is to facilitate efficient allocation of capital to the companies and contribute towards the overall development of the economy. There are several types of securities such as equity shares, debt instruments, convertible securities, units of funds, derivatives etc. The capital markets play an important role in channelizing savings and investments into the financial system.

The capital market in IFSC has the potential to be the gateway to channelize the flow of foreign capital into India through various means including fund management and raising of capital through listing of securities on IFSC exchanges.

The funds set up in IFSC can pool capital from foreign investors and NRIs for investments into various products in the securities markets in India. Further, the fund ecosystem in IFSC can also contribute towards attracting foreign investments in certain sectors such as start-ups, SMEs, green and sustainable financing, real estate projects, infrastructure investments, etc.

The Indian corporates (including banks, CPSEs etc.) can also raise capital through the listing of foreign currency bonds and/ or masala bonds on the stock exchanges in IFSC.

Going forward, the capital markets in IFSC can aim to emerge as a regional/ global hub to attract investments from the investors (including India) for providing services and channelizing investments into other jurisdictions.

The regulatory framework for regulation of the securities market was initially specified by SEBI in the form of SEBI (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015 and several circulars issued from time to time, inter alia providing the regulatory framework for:

- a) Stock Exchanges, Clearing Corporations and Depositories
- b) Intermediaries
- c) Issue of capital
- d) Issue of debt securities and
- e) Funds

With effect from October 01, 2020, IFSCA is the regulator for the development and regulation of capital markets in IFSC. During the period of six months in the FY 2020-21, The Authority has taken several policy initiatives for the development of IFSC, aligned with the global best practices.

Activities with respect to Regulations, Circulars, Guidelines etc.

Market Infrastructure Institutions (MIIs)

The stock exchanges, clearing corporations and depositories (collectively referred to as MIIs) play an important role by providing the necessary infrastructure for ensuring that the markets are fair, efficient, orderly, and transparent and by providing the platform for trading of various products in the securities market with appropriate risk management in place.

In January 2021, IFSCA issued a consultation paper on the proposed unified regulations for MIIs with the objective of creating a simplified regulatory framework and promoting ease of doing business in IFSC.

Subsequently, the draft IFSCA (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021 ("MII Regulations") have been approved by the Authority in March, 2021. The draft MII Regulations, inter alia, provide more flexibility in terms of shareholding of MIIs in IFSC, prescribe enhanced governance norms and ensure adequate risk management by MIIs, in addition to other general obligations.

The Salient Features of the Draft MII Regulations

A. Shareholding

- i. The shareholding of MIIs in IFSC shall be in the following manner:

Table 12 - Shareholding of MIIs in IFSC

MIIs	Without Consortium		With Consortium	
	Held by	%	Held by	%
Stock exchange	Stock exchange	At least 26	Consortium of MIIs	At least 51
	Any other person	Up to 25	Any other person	Up to 25
Clearing Corporation	Stock exchange or clearing corporation	At least 26	Consortium of MIIs	At least 51
	Any other person	Up to 25	Any other person	Up to 25
Depository	Depository	At least 26	Consortium of MIIs	At least 51
	Any other person	Up to 25	Any other person	Up to 25

- ii. The consortium shall be of MIIs, and the stock exchange(s) shall have at least 51% shareholding within the consortium.
- iii. The acquisition of shareholding or voting rights by any person of 10 percent or more in recognised MIIs shall be with the prior approval of the Authority.
- iv. The MIIs in IFSC shall be required to put in place an adequate monitoring mechanism to ensure compliance with the shareholding requirements and shall be required to submit their shareholding pattern to the Authority on a quarterly basis.

B. Net Worth

- i. A recognised MII shall have a net worth of at least USD 3 million at all times. Further, if required, as a risk management measure, the Authority may prescribe a higher net worth for a recognised MII based on the nature and the scale of business of the entity.
- ii. A recognised MII shall submit an audited net worth certificate from the statutory auditor on a yearly basis by the thirtieth day of September of every year for the preceding financial year, to the Authority.

C. Governance

- i. The governing board of a recognised MII shall include shareholder directors, public interest directors, and managing director, within the timeline as may be specified by the Authority, in compliance with the requirements prescribed in the MII Regulations.
- ii. The roles and responsibilities of the governing board of a recognised MII should be clearly specified and the procedures for its functioning, including procedures to identify, address, and manage conflicts of interest should be documented.
- iii. The governing board of a recognised MII shall review the overall performance and the performance of its individual directors regularly.
- iv. Every director and key management personnel of a recognised MII shall abide by such Code of Ethics and Code of Conduct as may be specified by the Authority.
- v. A recognised MII shall constitute such committees as may be specified by the Authority from time to time.

- vi. A recognised MII shall adopt an appropriate policy to segregate its regulatory departments from other departments.

D. General Obligations for Recognised Stock Exchanges and Clearing Corporations

The stock exchanges/ clearing corporations in IFSC are required to comply with the requirements in respect of:

- i. clearing and settlement of trades,
- ii. admission of securities,
- iii. investor education and protection fund,
- iv. settlement guarantee fund,
- v. trading hours and settlement,
- vi. risk management,
- vii. halting trading by stock exchanges,
- viii. co-location by stock exchanges,
- ix. business continuity plan and disaster recovery,
- x. utilization of profits and investments,
- xi. equal, fair, and transparent access,
- xii. maintenance of books of accounts and records,
- xiii. bye-laws and rules,
- xiv. settlement and netting,
- xv. obligations of clearing corporations in commodity derivatives, and right of clearing corporations to recover dues.

E. General Obligations for Recognised Depositories

The depositories in IFSC are required to comply with the requirements in respect of:

- i. securities eligible for dematerialization,
- ii. agreement between depository and participants,
- iii. agreement between depository and issuers,
- iv. systems and procedures,
- v. connectivity,
- vi. mechanism for investor protection,
- vii. withdrawal by participants,
- viii. risk management,
- ix. business continuity plan and disaster recovery,
- x. maintenance of records,
- xi. co-operation,
- xii. pledge, and
- xiii. equal, fair, and transparent access.

Capital Market Ecosystem at IFSC

Stock Exchanges

Stock Exchanges provide critical infrastructure and liquidity, which help the investors and market participants in buying and selling securities at fair market prices. A stock exchange plays a key role for the companies and institutions to access capital from the market. The regulated ecosystem ensures transparency and security, which helps the investors to maintain their wealth safely, along with the opportunity to participate in the growth and business cycle of the companies and of the country as a whole.

Presently, IFSC has two international Stock Exchanges namely,

- i. India International Exchange (IFSC) Limited ("India INX") and
- ii. NSE IFSC Limited ("NSE IFSC").

India INX was inaugurated by the Hon'ble Prime Minister of India, on Jan 09, 2017, and commenced its operations from Jan 16, 2017. Subsequently, NSE IFSC commenced its operations on June 05, 2017.



Image 1. Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi at the launching event of India INX



Image 2. Launch of NSE IFSC by the Hon'ble Chief Minister of Gujarat, Shri Vijaybhai Rupani

Renewal of Recognition of Stock Exchanges

During the year, SEBI granted renewal of recognition to NSE IFSC for a period of one year commencing on May 29, 2020. IFSCA started functioning as the sole unified regulator for IFSC on October 01, 2020. IFSCA granted renewal of recognition to India INX for a period of one year commencing on December 29, 2020.

Clearing Corporation (CC)

A Clearing Corporation is an institution associated with a stock exchange that handles the confirmation, clearing and settlement of transactions that are executed on the exchange. CCs fulfil the main obligation of ensuring that transactions are settled between counterparties in a prompt and efficient manner.

There are two CCs operational in IFSC namely,

- i. India International Clearing Corporation (IFSC) Limited ("India ICC") and
- ii. NSE IFSC Clearing Corporation Limited ("NICCL")

"India ICC" commenced operations on January 16, 2017, by clearing derivatives on India INX - Futures and Options on S&P BSE SENSEX Index and S&P BSE SENSEX 50 Index and international individual equities/ single stocks. Subsequently, NICCL commenced its operations on June 05, 2017.

Renewal of Recognition of CCs

SEBI accorded renewal of recognition to NICCL for one year, commencing on May 29, 2020. IFSCA accorded the renewal of recognition to India ICC for a period of one year, commencing on December 29, 2020.

Depository

A Depository is a specialist financial organization holding securities such as equity shares in dematerialized form so that ownership can be easily transferred through a book entry rather than the transfer of physical certificates. This allows brokers and financial companies to hold their securities at one location where they can be available for clearing and settlement.

IFSCA has granted registration to two depositories namely,

- i. Central Depository Services Limited (CDSL) and
- ii. National Securities Depository Limited (NSDL).

CDSL incorporated its wholly owned subsidiary, CDSL IFSC Limited on March 30, 2021.

Products Available for Trading on the Exchanges

1. Derivatives

These are contracts between two or more parties whose value is based on an agreed-upon underlying financial asset (like security) or set of assets (like an index). Common underlying instruments include bonds, commodities, currencies, interest rates, market indices, and stocks. Common types of derivatives available for trading at the IFSC exchanges are as below:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| a) Index derivatives | b) Equity derivatives |
| c) Currency derivatives | d) Commodity derivatives |

2. Depository Receipts (DRs)

A DR is a negotiable financial instrument representing underlying securities of a company issued or listed in another jurisdiction.

3. Debt Instruments

A debt instrument is an asset that an entity uses to raise capital or generate an investment income. The issuer repays the interest and principal over a period of time. The following are some of the debt instruments listed on the IFSC exchanges:

- a) Foreign Currency Bonds
- b) Masala Bonds
- c) Green / Social / Sustainable Bonds

NSE IFSC-SGX Connect

NSE IFSC-SGX connect will bring together international and IFSC participants to create a bigger liquidity pool for Nifty products in IFSC. The buy and sell orders in NIFTY derivatives from SGX shall be routed through a subsidiary, SGX SPV, to the order matching platform on NSE IFSC. The SGX SPV will act as a pass-through entity for orders entered through SGX. NSE IFSC will match orders received from SGX SPV along with orders from its own trading members in GIFT IFSC.

Progress

SGX has incorporated a SPV in IFSC named “SGX India Connect IFSC Private Limited” in February 2021. Subsequently, the SPV has been admitted as a trading cum self-clearing member by NSE IFSC and NICCL.

Segregated Nominee Account Structure (SNAS)

SEBI through circular SEBI/HO/MRD/DRMNP/CIR/P/2018/83 dated May 24, 2018, permitted SNAS in IFSC wherein orders of Foreign Investors may be routed through eligible Segregated Nominee Account Providers for trading on IFSC Exchanges.

The broad features of SNAS are as follows:

- i. Order of foreign investors may be routed through Segregated Nominee Account Providers (“providers”) on Stock Exchange in IFSC.
- ii. Providers shall be registered with Stock Exchanges/ Clearing Corporations.
- iii. Providers shall be required to ensure appropriate due diligence of end-clients as per global standards including KYC and AML compliance before onboarding clients for offering Segregated Nominee Accounts to them.
- iv. Each end-client shall be assigned a Unique Client Code (UCC), which shall be unique across all end-clients of all Providers, by Stock Exchange/ Clearing Corporation in IFSC.
- v. UCC shall be used at the time of order entry by the ‘providers’ of their end-client.

Box 1 - How SNAS Works?

How SNAS works?

- A. • Provider on-boards end-clients to trade on the Stock Exchanges
 • Each client can register only with one Provider
 • Provider can offer Margin Funding to clients
 • Details of end-client available only with Provider
- B. Provider can choose multiple Trading Members (TMs) for execution of trades
- C. Provider can choose multiple Clearing Members (CMs) for clearing of trades.
- D. Trades executed by TM are cleared and settled by the designated CM of client of a Provider after give-up by the default CM of TM
- E. Each Client's trades are cleared and settled through only one CM ("Designated CM")




Fig.9

SNAS ARCHETYPE

India INX Global Access

India INX launched Global Access on September 18, 2018, to facilitate access to global exchange markets through a single centralized platform. Global Access offers easy access to a diverse range of multi-asset class products traded on international exchanges to its members in IFSC.

Extension of Liquidity Enhancement Scheme (LES)

IFSCA on October 07, 2020, has issued a circular extending the period of LES for an additional period of up to five years. This initiative would enable the stock exchanges to attract more liquidity to their products. Under the scheme, the stockbrokers and other market intermediaries are given incentives for a specified period of time to enhance the liquidity of securities which have limited trading activity.

Market Intermediaries

Custodians

A custodian is a specialized financial institution that acts as a safekeeper of the investor's assets. The custodian may hold stocks or other assets in electronic or physical form. The role of a custodian is to provide safekeeping of assets/ securities to minimize the risk of misappropriation, misuse, theft, and/ or loss of securities. A custodian can also be a clearing member, hence performing clearing and settlement of transactions of its custodial clients.

A custodian performs three primary responsibilities:

- i. Safekeeping of assets
- ii. Trade processing (clearing and settlement), and
- iii. Asset servicing

Additionally, a custodian also:

- i. Keeps the client informed of the actions taken or to be taken by the issuer of securities, having a bearing on the benefits or rights accruing to the client
- ii. Keeps the client informed of the actions taken or to be taken w.r.t. the goods held on its behalf
- iii. Maintains and reconciles the record of services.

Recognition of Custodian of Asset/Securities

The safekeeping and servicing of an investor's assets is a critical function in the financial ecosystem. In order to facilitate a vibrant ecosystem for custodial services in IFSC, IFSCA has issued a Framework for Recognition as Custodian of assets/ securities on February 24, 2021. The IFSCA circular on the same enabled the following type of entities to provide custodial services after obtaining recognition from the authority:

- i. Registered and regulated in India as a custodian.
- ii. Registered and regulated in overseas jurisdictions as a custodian.
- iii. Registered and regulated in overseas jurisdictions as other capital market intermediary.
- iv. Others.

The circular inter-alia covers the eligibility norms, legal structure of the entity, minimum net worth requirement, and related matters. The above framework has been envisaged so as to facilitate more international participation in order to have a vibrant ecosystem in IFSC.

Trading Members

Broker dealers/ Trading members are entities which execute trades on their own account as well as on behalf of their clients on the Stock Exchanges. They, however, do not perform clearing and settlement of trades executed by them or by other Broker dealers/ Trading members.

Table 13 - Trading Members in GIFT IFSC

Stock Exchanges in GIFT IFSC (as on March 31, 2021)	India INX	NSE IFSC
No. of trading members	53	50

With a view to expand the depth and reach of the market for exchange traded securities in IFSC, IFSCA vide circular dated F. No. 68/IFSCA/MRD-AP/2020-21 October 14, 2020, permitted stockbrokers/ trading members (registered with either IFSCA or SEBI or both) of the stock exchanges to provide market access to investors through Authorized Persons based in foreign jurisdictions. The stock exchanges and stockbrokers shall have the operational flexibility to prescribe requirements/ guidelines, in addition to those stated in the framework, as they deem fit, in the interest of investors and the market.

Clearing Members

A Clearing Member has the responsibility of clearing and settlement of all deals executed by a Broker dealer/ Trading member.

Primarily, the Clearing Member performs the following functions:

- Clearing – Computing obligations of all his Trading Members i.e., determining positions to settle.
- Settlement - Performing actual settlement.
- Risk Management – Setting position limits based on upfront deposits/ margins for each Trading Member.

Table 14 - Clearing Members in GIFT IFSC

Clearing Corporation (as on March 31, 2021)	Self-Clearing member	Trading Cum Clearing Member	Professional Clearing Member
India ICC	3	5	1
NICCL	3	5	0

Foreign Brokers and Clearing Members

IFSCA vide circular F. No. 113/IFSCA/CMD-TMCM/2020-21 dated December 11, 2020, has permitted eligible foreign entities to set up a branch office in IFSC and operate as stockbrokers and clearing members subject to approval by the Authority. Hitherto, all trading members and clearing members were required to set up a separate entity to become members of a Stock Exchange or a Clearing Corporation in IFSC.

Portfolio Managers (PMs)

The regulatory framework for PMs was specified by SEBI in the SEBI (IFSC) Guidelines, 2015 read with operating guidelines issued vide circular dated September 09, 2020.

Salient features of the regulatory framework for PMs are as follows:

A. Registration

In terms of the operating guidelines, an entity, being a company or an LLP, which has the minimum prescribed net worth can act as a PM in IFSC, in the following forms –

- a) Any SEBI-registered intermediary (except trading member or clearing member) or its international associates in collaboration with such SEBI-registered intermediary may provide Portfolio Management Services (PMS) in IFSC, by setting up a branch in IFSC, subject to the prior approval of the regulator. Further, it shall ensure that:
 - i. Exclusive manpower shall be allocated for providing PMS from the branch in IFSC.
 - ii. The branch shall comply with all the provisions (except obtaining Registration) specified in the operating guidelines.
 - iii. The parent entity shall be required to ring-fence its domestic operations, legally, financially, operationally and technologically, from its operations in IFSC.
- b) Other entities (i.e., in the form of a corporate or LLP or any other similar structure recognised under the laws of its parent jurisdiction), based in India or in a foreign jurisdiction, desirous of operating in IFSC as a PM, may form a company or LLP to provide PMS. However, the formation of a separate company or LLP shall not be applicable in case the applicant is already a company or LLP in IFSC.

B. Certification

Principal officer and employees having decision making authority related to fund management and who are resident outside India may have certification from any other organization or institution or association or stock exchange which is recognised/ accredited by a financial market regulator in that foreign jurisdiction. However, certification from NISM shall be mandatory in case the aforesaid persons deal in Indian securities markets.

C. Net-Worth

- i. The applicants shall have a net worth of not less than USD 750,000.
- ii. In case the PM is set up as a branch, the net worth requirement is to be met by the parent entity.
- iii. In case the PM is set up as a subsidiary, the net worth requirement is to be met by the subsidiary itself. However, if the subsidiary does not meet the criteria, the net worth of the parent entity will be considered.

D. Minimum Investment Amount

PM operating in IFSC shall not accept from the client, funds or securities worth less than USD 70,000.

E. Segregation of Funds

PM operating in IFSC shall keep the funds of all clients in a separate account to be maintained by them in IBUs.

Investment Advisers (IAs)

The regulatory framework for IAs was specified by SEBI in the SEBI (IFSC) Guidelines, 2015 read with operating guidelines vide circulars dated January 09, 2020; February 28, 2020; and September 28, 2020.

Salient features of the regulatory framework for IAs are as follows:

A. Registration

The following persons shall be eligible to apply to the regulator for registration as an IA in IFSC:

- a) Any entity, being a company or an LLP or any other similar structure recognised under the laws of its parent jurisdiction, desirous of operating in IFSC as an IA, may form a company or LLP to provide investment advisory services.
- b) The formation of a separate company or LLP shall not be applicable in case the applicant is already a company or LLP in IFSC.

B. Net-Worth

- a) The net worth requirement for registered IA in IFSC is USD 700,000.
- b) In case the IA is set up as a subsidiary, the net worth requirement is to be met by the subsidiary itself. However, if the subsidiary does not meet the criteria, the net worth of the parent can be considered.
- c) The IA/ parent entity shall fulfil the aforesaid net worth requirement, separately and independently for each activity undertaken by it under the relevant regulations.

C. Qualification and Experience Requirement

Partners and representatives of applicants offering investment advice shall have:

- a) at all times, a professional qualification or post-graduate degree or post graduate diploma (minimum two years tenure) in finance, accountancy, business management, commerce, economics, capital market, banking, insurance or actuarial science from a university or an institution recognised by the central government or any state government or a recognised foreign university or institution or association; and
- b) an experience of at least five years in activities relating to advice in financial products or securities, or fund/ asset/ portfolio management, or investment advisory services.

D. Certification Requirement

Partners and representatives of the applicants offering investment advice shall have, at all times, a certification on investment advisory services:

- a) in respect of partners and representatives, resident in India
 - i. from NISM; or
 - ii. from any other organization or institution including Financial Planning Standards Board India (FPSB India) or any recognised stock exchange in India provided that such certification is accredited by NISM.
- b) in respect of partners and representatives, resident outside India, from any other organization or institution or association or stock exchange which is recognised/ accredited by a financial market regulator in that foreign jurisdiction.

However, certification from NISM shall be mandatory for partners and representatives of applicants who offer investment advice in relation to Indian securities markets.

IFSCA (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021

The setting up of IFSC in India is aimed at tapping global capital flows to meet India's development needs and simultaneously provide a globally competitive financial platform for the full range of international financial services at the regional and global levels.

IFSCA has reviewed the existing regulatory framework for listing of securities in IFSC so as to align them with the latest market developments and to ensure that they reflect the best practices adopted globally.

IFSCA has on March 2021 issued a consultation paper on draft IFSCA (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021, providing the regulatory framework for the following types of listing:

- a) an initial public offer of specified securities by an unlisted issuer
- b) a follow-on public offer of specified securities by a listed issuer
- c) listing of specified securities by a start-up company or an SME
- d) secondary listing
- e) an initial public offer of specified securities by a Special Purpose Acquisition Company ("SPAC")
- f) listing of depository receipts
- g) listing of debt securities, and
- h) listing of ESG debt securities.

IFSCA has proposed a framework for listing of SPAC on the recognised stock exchanges in IFSC, in order to promote innovation and enable companies, including technology-based companies and start-ups, to get access to capital through SPAC.

The Hon'ble Finance Minister, in the Union Budget for the financial year 2021-22, announced the setting up of a 'world-class' fintech hub at GIFT City in a bid to bolster innovation in FinTech industry. Therefore, the proposed framework by IFSCA aims to enable the listing of start-ups on the recognised stock exchanges in IFSC.

Further, foreign capital acts as an important enabler for economic growth and development for companies. The proposed Listing Regulations may facilitate the raising of foreign capital by Indian companies (particularly start-ups and SMEs) in a cost-effective manner.

Further, IFSCA aims to move towards becoming a prominent International Centre for sustainable finance, supporting the needs for ESG financing. Towards this direction, the proposed framework by IFSCA includes a framework for listing of ESG debt securities such as green bonds, social bonds, sustainable bonds, and sustainability linked bonds.

Depository Receipts (DRs)

On October 28, 2020, IFSCA issued the framework for listing of DRs in IFSC. The framework enables the eligible listed companies to raise capital through the issuance and listing of DRs on the recognised stock exchanges in IFSC.

The framework prescribed by IFSCA enables a company incorporated in India (outside IFSC) or in a Foreign Jurisdiction²² to issue and list DRs on the stock exchanges in IFSC.

22. FATF compliant and whose securities regulator is a signatory to IOSCO MMoU or bilateral MoU with IFSCA

The salient features of the framework for listing of DRs are as follows:

- a) **Offer Size:** The issue of DRs shall be of a size not less than USD 700,000 (or equivalent in foreign currency), or any other amount as may be specified by IFSCA from time to time.
- b) **Filing of Offer Document:** The issuer, through the lead manager(s), shall file a draft offer document with IFSCA. The Authority may issue observations, if any, on the draft offer document.
- c) **Initial Disclosures in the Offer Document:** The offer document shall contain disclosures relating to the public offer, including issuer disclosures, securities-related disclosures and issue-related disclosures as prescribed in the circular.
- d) **Pricing:** The issuer may determine the price of the DRs in consultation with the lead manager(s) or through the book building process.
- e) **Minimum Subscription:** The listing of DRs shall be permitted only if the subscription in the offer is not less than USD 700,000 (or equivalent in foreign currency) or any other amount as may be specified by IFSCA from time to time.
- f) **Listing:** The DRs are required to be listed on the recognised stock exchanges in IFSC.

Additionally, the framework enables eligible companies having DRs listed on any exchange in India (outside IFSC) or a Foreign Jurisdiction²³ to list and trade such DRs on the stock exchange(s) in IFSC as an additional venue for trading, without any fresh public offering.

The companies having DRs listed on the stock exchanges in IFSC shall comply with the continuous obligations and disclosure requirements, including requirements related to:

- a) Financial Statements
- b) Disclosure of material or price sensitive events
- c) Submission of shareholding pattern on quarterly basis
- d) Description of corporate governance practices in its annual report
- e) Disclosure of change of depository
- f) Disclosure of corporate actions
- g) Disclosures to the stock exchange(s) at the same time as they are released to its home exchange/ regulator where it has the primary listing.

Box 2 - First Listing of Depository Receipts

Dr. Reddy's Laboratories Ltd. is a listed company with equity shares listed on BSE Limited and NSE Limited and ADRs listed on NYSE. The company listed its depository receipts, as a secondary listing, on NSE IFSC Limited on December 09, 2020.

This marked the first listing of ADRs in IFSC (since its formation in 2015).

Debt Market

Debt plays a critical role in financing public and private organizations. Globally, with the onset of the COVID-19 pandemic, governments and corporates have raised substantial debt to fund healthcare expenditure and loss in revenue due to financial distress. According to the Institute of International Finance, the world has added USD 24 trillion of debt in 2020. The global Debt-to-GDP ratio has surged

²³ FATF compliant and whose securities regulator is a signatory to IOSCO MoU or bilateral MoU with IFSCA

35% points to 355% of GDP in 2020, due to a decrease in global GDP and an increase in debt. Despite positive projections for GDP growth, the global Debt-to-GDP ratio is expected to remain high in 2021 due to the anticipated expenditure of governments on vaccination and fiscal stimulus, and disruptions in private sector revenues. Most central banks are expected to maintain ultra-low interest rates in 2021, to sustain economic recovery through the pandemic.

In India too, the government debt has raised significantly over previous years to fund COVID relief measures. The primary issuances of corporates in FY 2020-21, have increased (~6%) over the past year, as per CRISIL yearbook on the Indian debt market. The corporate yields in these issuances largely tracked G-Sec yields due to support measures taken by RBI and the Government. Despite the growth in debt, the corporate Debt-to-GDP ratio in India is low in comparison to most developed and developing nations.

The issuances in India are majorly driven by private placements while the BFSI sector continues to dominate the total issuances. For the corporate bond market to expand, it is important to concentrate beyond the Indian institutional investors. In this regard, foreign investors could play a vital role in broadening and deepening the Indian corporate debt market. Although, the net ECBs into India were negative in FY 2020-21, strong domestic macroeconomic fundamentals should sustain the capital flows into India. In the short term, the demand and supply of bonds to international investors would continue to be impacted by the pandemic but in the long term, IFSC can be a critical enabler in driving global capital inflows into India.

The listing of debt securities at IFSC exchanges is based on SEBI (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015 and subsequent circular on Issuance, listing and trading of debt securities on exchanges in IFSC.

For issuance and listing of debt securities in IFSC, stock exchanges have evolved a detailed framework, approved by SEBI, prescribing

- a. the eligibility criteria for the issuers, and
- b. the issue requirements to be complied with by such eligible issuers for issuing debt securities in IFSC.

IFSCA, in its efforts to adopt the best practices of international jurisdictions, has issued a consultation paper on the draft IFSCA (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021 in March 2021, which includes listing of debt securities.

Features of proposed draft regulations in respect of debt securities include:

- a. The regulations would allow the following categories of debt securities to be eligible for listing on recognised stock exchanges in IFSC:
 - i. Debt securities issued by issuers incorporated in IFSC
 - ii. Debt securities issued by issuers incorporated in India or foreign jurisdiction in any currency other than INR
 - iii. Masala Bonds
 - iv. Any other debt securities as permitted by the Authority from time to time
- b. The regulations would enable filing of shelf disclosure document for multiple issuances of debt securities through private placements.
- c. The regulations would enable listings of ESG focused bonds based on international standards. The additional disclosure requirements prescribed would enable the use of proceeds of the debt capital to be deployed appropriately in green, social, and sustainable projects.

The overall debt listing in IFSC is around USD 5.5 billion in FY 2020-21. The exclusive debt listings in fiscal 2021, on recognised stock exchanges in IFSC, are expected to expand the bond market in IFSC.

A special focus of IFSCA would be facilitating the listing of green, social, and sustainable bonds. Globally, investors have become more conscious of incorporating ESG factors while evaluating their capital allocation. According to the Climate Bonds Initiative Report, new bond issuances in sustainable market is USD 700 billion in 2020, which is more than double the issuances in 2019. This demonstrates the growing investor preference to provide capital for sustainable development.

India aspires to be a global leader in climate action and sustainable development. To meet its Nationally Determined Contributions (NDCs) targets, estimates by DEA show that around USD 4.5 trillion worth of investment is required till 2040. Domestic Savings would not be sufficient in raising the capital required and hence international capital is essential in meeting the climate targets set out by India. IFSCA envisages GIFT IFSC to become an international hub for sustainable finance and thereby enable Indian issuers to raise green, social, and sustainable capital from international investors.

Alternative Investment Funds (AIFs)

India has been witnessing high growth in the investment funds domain, ranging from fund-raising activity to active investments by funds. As per Bain's India Private Equity Report 2021, the Indian Private Equity (PE) Landscape witnessed strong investment momentum with USD 62 billion in deal value in 2020. During this period, a total of USD 90 billion was raised across several major APAC markets. However, India's share in APAC fundraising remains steady at 3%. It has been observed that investors' confidence has remained high and most of the new funds launched were able to meet their fund closure target or were oversubscribed. Over a period of time, robust investor sentiment is driving a trend towards larger fund sizes.

GIFT IFSC offers a competitive and collaborative environment to the fund management industry in India. The IFSC has full capital account convertibility emerging as an important alternative to offshore feeder funds. For all transactional and regulatory aspects, an AIF operating from IFSC is an offshore AIF. Further, the costs of setting up such a fund are lower than setting up offshore funds domiciled in a foreign country. The above-mentioned points shall encourage IFSC to be a favored destination for global funds in the future. For long, it has been observed that several Indian AIFs have offshore feeder funds in various countries where money from foreign investors is pooled in order to feed into the Indian funds. To facilitate the setting up of AIFs in IFSC, IFSCA has reviewed the regulatory framework and aligned the requirements with the best practices in other competing jurisdictions. The following steps have been undertaken to attract AIFs to IFSC through a circular dated December 09, 2020:

- i. AIFs in IFSC are permitted to invest in domestic AIFs, alongside other permissible investments.
- ii. Co-investment in portfolio companies is permitted by AIFs in IFSC through segregated portfolio, provided the investment terms are not more favorable than those offered to the common portfolio and appropriate disclosures are made in the placement memorandum.
- iii. AIFs in IFSC are permitted to undertake leverage, subject to satisfaction of prescribed conditions.
- iv. Diversification limits under the AIF Regulations are not applicable to AIFs in IFSC, subject to appropriate disclosures in the placement memorandum.

Real Estate Investment Trusts (REITs) and Infrastructure Investment Trusts (InvITs)

REITs and InvITs are investment vehicles pooling money from investors for investments in real estate and infrastructure projects respectively, through financial securities. REITs and InvITs also enable the developers to monetize their assets.

IFSCA issued circulars on October 21, 2020, prescribing the regulatory framework for issuance and listing of REITs and InvITs on the recognised stock exchanges in IFSC.

The regulatory framework prescribed by IFSCA permits REITs and InvITs incorporated in India (IFSC or outside IFSC) or a Foreign Jurisdiction²⁴ to raise capital and list on the stock exchanges in IFSC, subject to compliance with the requirements provided in the circulars.

Box 3 - The Salient Features of the REITs Framework

A. Sponsor: Each sponsor shall hold not less than five percent of the number of units of the REIT on a post-initial offer basis. Each sponsor should have a net worth of not less than USD 3 million and the sponsors, on a collective basis, should have a net worth of not less than USD 15 million.

B. Manager: The manager should be incorporated in IFSC and have a physical office in IFSC. The manager should have a net worth of not less than USD 1.5 million if the manager is a body corporate or a company or net tangible assets of value not less than USD 1.5 million in case the manager is an LLP. The manager or its associate should have not less than five years' experience in fund management or advisory services or property management in the real estate industry or in the development of real estate.

C. REIT Assets: The value of REIT assets should not be less than USD 75 million.

D. Public Issue: REIT shall make an initial offer of its units by way of public issue only.

E. Minimum Subscription: The minimum subscription from any investor in initial and/ or public offer shall be USD 700.

F. Investments: At least 75% of the REIT assets should be invested in income-producing real estate.

G. Distribution: Not less than 90% of net distributable cash flows of the REIT shall be distributed to the unit holders.

H. Continuous Obligations and Disclosure Requirements: The REITs listed on a stock exchange shall comply with the continuous obligations and disclosure requirements specified by the stock exchange(s).

²⁴ FATF compliant and whose securities regulator is a signatory to IOSCO MMoU or bilateral MoU with IFSCA

Box 4 - The Salient Features of the InvITs Framework

A. Sponsor: Each sponsor shall have a net worth of not less than USD 15 million if it is a body corporate or a company or net tangible assets of value not less than USD 15 million in case it is an LLP.

B. Investment Manager: The investment manager should be incorporated in IFSC and have a physical office in IFSC. The investment manager should have net worth of not less than USD 1.5 million if the investment manager is a body corporate or a company or net tangible assets of value not less than USD 1.5 million in case the investment manager is an LLP. The investment manager should have not less than five years' experience in fund management or advisory services or development in the infrastructure sector.

C. Project Manager: The project manager shall undertake operations and management of the InvIT assets including making the arrangements for appropriate maintenance, as may be applicable, either directly or through the appointment and supervision of appropriate agents and as required under any project agreement including a concession agreement in the case of a PPP project.

D. Public Issue and Private Placement: The InvITs in IFSC are permitted to raise funds through:

- i) Public issue with units listed on the stock exchange(s) in IFSC; or
- ii) Private placement with units listed on the stock exchange(s) in IFSC; or
- iii) Private placement whose units are not proposed to be listed on any stock exchange.

E. InvIT Assets: The value of InvIT assets should not be less than USD 75 million.

F. Minimum Subscription: In respect of public offer of InvITs, the minimum subscription from any investor shall be USD 1400.

G. Investments

Private Placement: At least 80% of the value of the InvIT assets shall be invested in eligible infrastructure projects either directly or through holding companies or through SPVs.

Public Issues: At least 80% of the value of the InvIT assets shall be invested, proportionate to the holding of the InvITs, in completed and revenue generating infrastructure projects.

H. Distribution: Not less than 90% of net distributable cash flows of the InvITs shall be distributed to the unit holders.

I. Continuous Obligations and Disclosure Requirements: The InvITs listed on a stock exchange shall comply with the continuous obligations and disclosure requirements specified by the stock exchange(s).

The REITs and InvITs registered with IFSCA are permitted to invest in real estate assets and infrastructure projects respectively in IFSC, India (outside IFSC) and other Foreign Jurisdictions²⁵, which is in line with the regulatory framework prescribed in some of the prominent offshore financial centres.

Further, the REITs and InvITs that are already listed in any of the permissible jurisdictions have been permitted to list and trade on the recognised stock exchanges in IFSC, as a secondary listing, subject to compliance with the laws of the home jurisdiction.

25. FATF compliant and whose securities regulator is a signatory to IOSCO MMoU or bilateral MoU with IFSCA

Transaction/ Processes/ Operations/ Trends

The gross turnover on the recognised stock exchanges in IFSC grew by 176% in FY 2020-21 over FY 2019-20 as compared to a growth of 158% in FY 2019-20 over FY 2018-19.




Fig.10

Gross Turnover on Exchanges (USD Mn)

Index Derivatives

Financial derivatives such as futures or options are powerful tools through which hedging, speculation, investment and arbitrage take place in a modern economy. The major products of the equity derivatives industry worldwide are Index derivatives. Internationally, trading volume on index derivatives is several times larger than that of securities derivatives.

Index derivatives are mainly traded by professional traders, investors, and PMs to protect equity portfolio, arrange cost-effective exposure to an index whilst purchasing the underlying shares, and take a trading view on the direction of the market.

Table 15 - Index Derivatives Available for Trading on IFSC Exchanges

Symbol	Underlying Asset
NIFTY	NIFTY 50 Index
MBANKNIFTY	NIFTY BANK INDEX Quoted as 1/10th of index value
NIFTYIT	NIFTY IT Index
Sensex	S&P BSE SENSEX
India 50	S&P BSE SENSEX 50
FINNIFTY	FINNIFTY Index

Index Futures: Trading in index futures grew by 103% in terms of Turnover in FY 2020-21. During the year, India INX and NSE IFSC witnessed a growth of 89% and 129%, respectively. During the same period, number of contracts traded grew at India INX and NSE IFSC at 79% and 56%, respectively.

Table 16 -Trends in Index Futures

Financial Year	No of Contracts		Notional Turnover (USD million)	
	India INX	NSE IFSC	India INX	NSE IFSC
2019-20	4,059,987	2,129,365	49,216	24,741
2020-21	7,248,004	3,320,859	93,199	56,678

Index Options: Trading in index options grew by 193% in terms of Turnover in FY 2020-21.

Table 17 - Trends in Index Options

Financial Year	No of Contracts		Notional Turnover (USD million)	
	India INX	NSE IFSC	India INX	NSE IFSC
2019-20	40,308,849	8,913,900	495,452	106,033
2020-21	117,264,788	9,454,922	1,648,052	114,961




Fig.11

Currency Derivatives




Fig.12

Turnover of Currency Derivatives (USD Mn)

Currency Derivatives: FY 2020-21 was the first year for the trading of INR-USD contracts on the exchanges. Total turnover during the year was USD 16,563 million.

Commodity Derivatives: Turnover in commodity derivatives grew by 18% in FY 2020-21. Within commodities, gold derivatives remain the most traded on the exchanges.

Table 18 - Trends in Commodity Derivatives

Turnover (USD million)	FY 2019-20	FY 2020-21
India INX	42,815	41,776
NSE IFSC	-	8,930

Table 19 - Commodity Derivatives Available for Trading on IFSC Exchanges

Precious Metals	Gold, Silver
Base Metals	Copper, Aluminum, Lead, Nickel, Zinc
Energy	Brent Crude Oil

Table 20 - Currency Derivatives

Global Currency Derivatives	EUR - USD, GBP-USD, JPY - USD, CHF-USD, AUD-USD
Rupee Derivative	INR - USD, USD - INR

During FY 2020-21, IFSCA has provided approval to one entity for PMS activities and registrations to three entities as IAs. SEBI has also provided registration to one entity as IA.

Table 21 - Portfolio Managers (PMs) and Investment Advisers (IAs)

Type	No. of Registered Entities as on March 31, 2021
PMs	1
IAs	4

Debt Market

Total Bond issuances of around USD 5.5 billion were listed on stock exchanges in GIFT- IFSC during FY 2020-21. This includes USD 100 million of green bonds raised by SBI.

Alternative Investment Funds (AIFs)

During FY 2020-21, IFSCA has provided registration to one AIF in IFSC. Further, two applications were under process as on March 31, 2021.

Advocacy and Outreach: Campaigns, Engagements /Consultations, Publications etc.

Membership of International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

IFSCA became an associate member of IOSCO w.e.f. December 2020. IOSCO is the international organization that brings together the world's securities regulators, covering more than 95% of the world's securities markets, and is the global standard setter for the securities sector.

IOSCO works closely with G20 and the Financial Stability Board (FSB) in setting up standards for strengthening the securities markets. The IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation have been endorsed by FSB as one of the key standards for sound financial systems.

The membership of IOSCO would provide IFSCA with the platform to exchange information at the global and regional levels on areas of common interests. Further, the IOSCO platform would enable IFSCA to learn from the experiences and best practices of the regulators of other well-established financial centres. IOSCO's membership is a significant milestone in connecting IFSCA with the regulators of securities markets globally and would contribute immensely towards the development and regulation of the financial products, financial services, and financial institutions in IFSC.

Subsequently, IFSCA has applied to become a signatory to the IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (MMoU). The MMoU represents a common understanding among its signatories of how they should consult, cooperate, and exchange information for the purpose of regulatory enforcement regarding securities markets.

Bilateral Memorandum of Understanding (MoU)

During the year 2020-21, IFSCA has engaged in discussion with several foreign authorities for bilateral MoUs. The proposed bilateral MoUs would help IFSCA in enhancing the cooperation with the foreign authorities which will promote knowledge sharing, particularly on sharing of best practices and their experiences in building International Financial Centres.

IFSCA believes that the enhanced co-operation with other financial centres and authorities will contribute towards innovation in financial services, investor protection, and competitiveness in their respective markets leading to increased cross-border participation of the entities in the financial centres.

The proposed bilateral MoUs would also contribute towards strengthening the information sharing framework between the authorities.

Research: Working Papers, Research Reports, Assessment & Prospects etc.

A Committee of Experts under the chair of Shri K. P. Krishnan, IAS (Retd.) has been constituted to explore the potential for allowing another legal structure, popularly known as a Variable Capital Company (VCC), as an additional option through which asset managers could pool the investors' funds and to recommend a simplified structure which would embrace the advantages of the current trust and corporate structure and address their limitations. The VCC structure dispenses with some of the key limitations of companies and LLPs and provides for higher regulatory standards than those applicable to trusts.

Policies and Programmes for the Following Year

1. IFSCA (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021

Subsequent to approval of the draft MII Regulations by the Authority, IFSCA would be notifying the MII Regulations in the following year. The MII Regulations would provide the regulatory framework for stock exchanges, clearing corporations and depositories in IFSC.

2. IFSCA (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021

IFSCA is aiming to finalize and notify the IFSCA (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021 ("Listing Regulations") which shall provide the regulatory framework for various types of products on the stock exchanges in IFSC.

This would also consist of regulations on issuance and listing of ESG based debt securities including green, social, and sustainable bonds. These regulations would ensure the competitiveness of IFSCA with established international financial centres in raising sustainable finance.

The Listing Regulations shall, inter alia, provide the regulatory framework for initial public offer of SPACs, SMEs and start-up companies.

3. IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021

IFSCA is aiming to issue a comprehensive and consistent regulatory framework for various intermediaries in the capital markets in IFSC. The onboarding of intermediaries is essential for developing the ecosystem for capital markets in IFSC.

The proposed Regulations shall provide the necessary framework for registration of intermediaries (eligibility criteria, net worth requirements, structure for operating in IFSC etc.), general obligations and responsibilities for all intermediaries, specific responsibilities for various types of intermediaries and other regulatory provisions such as inspection, reporting requirements etc.

4. Investment Funds

- i. Fund Management - A committee is proposed to be constituted to study various fund structures and based on the recommendations, a unified regulation concerning various fund management activities may be notified.
- ii. Professional/ Qualified Investors – A framework for Professional/ Qualified Investors is proposed to be examined in consultation with market participants and a simplified manner to onboard such investors may be notified.

INTERNATIONAL BULLION EXCHANGE

Bullion Market in India

India is one of the largest consumers of bullion (Gold/ Silver) in the world. The demand for bullion has been increasing over a period of time, since there is a high demand for gold jewellery. Further, gold benefits from diverse sources of demand:- as an investment, a reserve asset, an adornment, and a technology component. It is a highly liquid asset that carries no credit risk and is scarce, historically preserving its value over time.

Gold is a part of the Indian way of life. People across India buy gold throughout the year, especially on festivals like Akshaya Tritiya, Diwali, harvests, weddings etc. where gold holds the central position and significance.

Gold impacts the Indian economy in multiple ways.

1. It impacts the scale of economic activity in the country. Gold is used as a raw material for jewellery fabrication and making coins. This in turn creates business opportunities, value addition and employment. A study by A.T. Kearney with reference to the year 2012-13 mentions that value addition in the sector is to the tune of 25 percent of the value of gold imported into the country. This includes value addition in jewellery manufacturing, retailing, exports and metals trading. In addition, the industry value-chain has a potential capacity for refining and mining, which can further generate jobs in rural areas.




Fig.13

Gold Policy Timeline In India

2. Also, gold imports adversely impact the trade balance and current account in the Balance of Payments (BoP). High level of deficit is considered detrimental to the economy and it may necessitate capital flows to maintain the BoP, which can be volatile in nature. However, since gold imports are also used for the export of gold jewellery, it has the potential to mitigate the adverse impact of imports on Current Account Deficit (CAD) and exchange rate volatility.

Historical Perspective ²⁶

The policy position in India vis-à-vis gold in the recent years has focused on gold imports and CAD. The period since 2007-08 saw a sharp increase in the price of gold as well as in the demand for gold from India as well as from the rest of the world, partly perhaps in response to the global financial crisis. This in turn led to the widening of the CAD in India which the Government sought to control by increasing the customs duty to 10 percent. While the immediate impact was a reduction in gold imports through official channels, it increased the quantity of unofficial imports into the country and adversely affected the domestic jewellery industry.

Current Market Characteristics

The gold policy prevalent in India has resulted in a sub-optimal outcome, i.e., a gold market marked by its opacity and unorganized nature, disaggregating across the value chain, and inefficient market mechanism and processes. It is seen that though India remains one of the largest importers of gold, with annual demand nearing approximately 1000 tonnes, India finds itself several places behind other nations with respect to the bullion ecosystem.

The broad framework of the current mode of import of bullion in India is as given below:

1. Consignment Model through Banks and Nominated Agencies
2. Import of Dore by Refiners through import licenses issued by DGFT
3. Import by Jewellery Exporters for re-export as jewellery

²⁶ https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2019-06/Report_GoldMarket.pdf




Fig.14

Current Model in Bullion

Source: World Gold Council

The bullion ecosystem functioning in the country has the following broad operational and functional structure:




Fig.15

Consignment Model

DEVELOPING A PRECIOUS METALS ECOSYSTEM IN IFSC

I. International Bullion Exchange (IBE)

India is the second-largest domestic consumer of gold, next only to China, however, it does not play a role in influencing the price of gold in India. Besides, gold is hardly used as a financial asset despite several measures taken in the past through Gold Monetization schemes (GMS), etc. A need was, therefore, felt to establish IBE within the IFSC which can harness all the synergies available locally and enable the country to become a price influencer for India and international markets. Such an exchange will bring all the market participants to a common transparent platform of bullion trading and provide efficient price discovery and assurance over the quality of gold and help establish India's position as a dominant trading hub in the world. The Hon'ble Finance Minister in her budget speech (2020) announced that with the approval of the regulator, an IBE will be set up in the GIFT IFSC. The Government has also taken steps to notify bullion spot trading and bullion depository receipts (BDRs) with underlying bullion as financial products and bullion-related services as financial services.

Basic Objectives of the Proposed IBE

The establishment of IBE aims to reform the bullion market in India by becoming the most preferred trading hub of bullion with transparency, speed and efficiency that is unparalleled and by bringing about:

- i. efficient price discovery by channeling demand-supply information into a central mechanism.
- ii. assurance in the quality of gold for individual and institutional buyers through standardization of quality with the help of support infrastructure.
- iii. responsible sourcing and supply chain integrity.
- iv. greater integration with other segments of financial markets.
- v. an increase in the use of gold bars and gold backed financial products replacing the demand for jewellery especially for investment.
- vi. a platform for gold leasing and recycling through the development of a robust infrastructure to facilitate trading

Benefits to the Indian Economy

IBE will provide direct access to international banks in the Indian market. It opens the door for GIFT IFSC to become a major international hub with benefits in terms of greater business opportunities with services like logistics, vaulting, refining, and trading activities. With listing of various products on the platform, Indian prices can evolve to be an influencer of prices in the international market. It will also provide easy access to the export market by exporting to the international bullion banks through IBE and play an active role in the international unallocated gold trade. IBE will help create a system that is trusted by a consortium of banks that can help unleash the benefit of warehouse receipt-based financing and release liquidity at a lower cost. IBE will provide an apt platform for the banks to address their concerns of hedging the gold held by them, dematerialization of physical gold and vaulting, and enable banks to aggressively participate in the gold monetization scheme. It has the potential to reduce the retail investment-related imports to a great extent.




Fig.16

Structured Composition of Components of Bullion Exchange

Source: World Gold Council




Fig.17

Structure of Import through IBE Designated Vaults

II. Bullion Banking in IFSC

Bullion banking worldwide is a specialized division of a commercial bank offering bullion products ranging from trading, lending, deposits, investment, hedging and risk management, vaulting and custodian services, depository and clearing services, market making, liquidity providers and market research etc. Commercial banks generally carry out the bullion banking activities out of a division handling commodity, treasury and foreign exchange with the involvement of corporate finance. The client list of a bullion bank includes miners, refiners, central banks, jewellers, traders, industrial houses, and investors. Bullion banking is not only a profitable business for commercial banks, but it also has greater potential to earn fee income which suits banks' financial goals.

However, bullion banks in India play a very limited role in the whole ecosystem. In line with the overall banking industry, bullion banking is also regulated by RBI. RBI authorized scheduled commercial banks to import gold and provide bullion banking services in 1997. The current regulatory structure allows them to offer a limited number of products which include downstream financing such as Gold Metal Loans (GML) and loans against jewellery and restricts their activities to merely act as a canalizing agent to import bullion into India.

IFSC can open opportunities for financial entities to potentially provide a range of products like:

- i. Gold savings deposits.
- ii. Gold fixed deposits.
- iii. Investment products such as gold accumulation plans.
- iv. Structured gold deposits.
- v. Gold linked insurance and pension products.
- vi. Financial services like Dore Financing.
- vii. Gold project financing.
- viii. Working capital financing - BDR Financing, GML to exporters & domestic jewellers, etc. can be provided by bullion banks.
- ix. Unallocated gold trading, brokerage/risk management through bullion spot and derivative products, market-making services.
- x. Metal clearing services, physical custodial services, bullion consignment sales, distribution services, gold coin sales, market research reports, gold ETFs distribution.
- xi. Gold hedging.

III. Refining of Gold in IFSC

Gold refining refers to processes used to extract and separate the precious metals in mined material, dore, and from recycled products. Currently only one refinery in India, MMTC-PAMP, is accredited by London Bullion Markets Association (LBMA). Responsible sourcing guidelines of LBMA have been in force since Jan 2012 which aligns itself to OECD Due Diligence on responsible supply chains on conflict minerals & supply chain integrity.

Setting up refineries in IFSC will promote the government's vision of Make in India and Aatma Nirbhar Bharat. Refiners who set plants in GIFT IFSC will create jobs, enable technology transfer, and facilitate India in utilizing its comparative advantage of skilled labour. Owing to favourable geographical location it will be cost-efficient with respect to transportation. IBE would help refiners to source gold

at internationally competitive prices within India and bring transparency to the ecosystem. Gold dore converted into standard bars by refineries in IFSC have an incentive to trade through IBE. Recycled gold received under GMS can be recycled by the refiners within IFSC which can be converted into coins and bars and traded on IBE.

Only approved refineries with appropriate Standards of Good Delivery in compliance with OECD-DDG would be allowed to sell gold bars to IBE. This standardization will create a positive ecosystem for refiners in the domestic territory as some of them will be in operation both within IFSC and DTA. The refiners will play a key role in making financial products successful by producing the underlying bullion. Increased supply of underlying bullion will enhance liquidity, promote product diversification, and increase trust with respect to these products.

Activities with respect to Regulations, Circulars, Guidelines etc.

IFSCA (Bullion Exchange) Regulations, 2020 provide a detailed framework for recognition, functions, obligations, membership, governance etc. of bullion exchange, bullion clearing corporation, bullion depository, vault manager, and all other pertinent matters.

Box 5 - Salient Features of IFSCA (Bullion Exchange) Regulations, 2020

A. Bullion: Bullion has been defined as precious metals, including gold, silver or any other precious metal in the form of bars or unallocated gold, silver or such other precious metals, as the Authority may consider relevant in this regard, relating to good delivery, quality, quantity, and any other aspect in relation to bullion trading from time to time.

B. Bullion Exchange: Bullion Exchange is a financial institution established and recognised for the purpose of assisting, regulating, and controlling bullion contracts.

C. Bullion Clearing Corporation: Bullion Clearing Corporation is a financial institution which offers clearing and settlement functions in the bullion market.

D. Bullion Depository: Bullion Depository is a financial institution to carry on depository business in bullion in IFSC.

E. Vault Manager: Vault Manager is an entity registered by the Authority and empanelled by a bullion depository for carrying on the vaulting business.

F. Net Worth: The Net Worth of the Bullion Exchange and Bullion Clearing Corporation shall be a minimum of USD 30 Million. The Net Worth of the Bullion Depository shall not be less than USD 15 million, on a continuous basis.

G. Bullion Intermediaries: Intermediaries such as bullion trading member, bullion clearing member, refiner, depositor, logistic provider, assayer etc. shall participate in the bullion market as provided in the Regulation.

H. Fit and Proper Requirements: All market participants shall adhere to the Fit and Proper requirements specified in the Bullion Regulation.

Notification

The Central Government vide notification S.O. 2957(E) dated August 31, 2020, notified certain financial products and financial services and directed that the powers and functions of the Authority shall include regulating the said financial products and financial services.

A. Bullion Depository Receipts (BDR): The BDR was notified as a financial product with underlying bullion. This paves way for organized trading of bullion.

B. Bullion Spot Delivery Contract: The Bullion Spot Delivery contract was also notified as a financial product recognizing the contractual obligation on the exchange as a financial obligation binding on parties entering into the contract.

C. Bullion Trading: Trading in BDR with underlying bullion in relation to the bullion spot delivery contract is notified as a financial service.

D. Other Financial Services: The provision of bullion financing, bullion-based loans, bullion loans against collateral, bullion vaulting, clearing and settlement services in relation to bullion spot delivery contracts and bullion depository receipts are notified as financial services.

Circular on Enabling Dealings by IBUs in Bullion Unallocated Accounts

To facilitate the development of the bullion market in India, generate interest in trading and hedging activities, and serve as a precursor to IBE, a circular was issued on March 03, 2021 to enable Banking Units – Indian Banking Units/ Foreign Banking Units in IFSC to operate Unallocated Accounts for the purpose of trading, hedging, and swapping with Physical Gold/ Silver (Allocated).

IN ADDITION to the above, enablers provided so far are listed below:

- i. A steering committee has been formed to examine relevant matters as well as facilitate inter-regulatory coordination. The Committee has representation from DEA, DFS, CBIC, CBDT, DGFT, DoC, NITI Aayog, DGEP and RBI.
- ii. Sub-committees formed on technology, infrastructural & operational requirements, rules and bye-laws, risk management framework and product composition.
- iii. An MoU has been signed by NSE, MCX, India INX, NSDL, and CDSL for setting up of MIIIs at GIFT IFSC in line with the objective of the Government of India to make India a price influencer in bullion through IBE. Thus, a holding company has been incorporated.

Transaction/Processes/Operations/Trends

I. Signing of MoU with India Gold Policy Centre (IGPC), IIM Ahmedabad



Image 3. Exchange of MoU with IGPC

For operationalization of IBE, IFSCA entered into an MoU with the India Gold Policy Centre at IIM Ahmedabad (IGPC-IIMA) on September 09, 2020, for facilitating structured consultations with requisite stakeholders along with technical and research support.

II. Constitution of a Working Group on Setting Up IBE

A working group was constituted for a focused discussion on the modalities, structure, framework etc. of the Bullion Exchange and to facilitate wider discussion with various stakeholders, consisting of representatives from IGPC-IIMA, Domestic Banks, Nominated Agencies, International Banks, Refineries, Logistics Companies, Trading Companies, India Bullion, and Jewellers Association (IBJA), Jewellers, World Gold Council, etc. Working Group submitted its report on November 23, 2020.

The report of the Working Group inter alia provided an overview of

1. importance of IBE at GIFT City,
2. challenges in setting up IBE along with the proposed solutions,
3. understanding of the opportunities and challenges for industry stakeholders across the value chain,
4. proposed shareholding structure of IBE,
5. regulatory roadmap

The report highlighted new opportunities for various stakeholders in IBE such as Supplying entities, Nominated Banks/ Agencies, Jewellers, Bullion dealers, Refiners, Vaults, Logistics services etc.

Advocacy and Outreach: Campaigns, Engagements/Consultations, Publications etc.

1. An MoU has been signed by NSE, MCX, INDIA INX, NSDL, and CDSL for setting up of MIs at GIFT IFSC in line with the Government of India's objective to make India a price influencer in bullion through GIFT IFSC.
2. Consultation sessions with IGPC-IIMA and WGC were held to arrive at an Impact analysis matrix of stakeholders.
3. A series of brainstorming sessions/ interactions were held with WGC and IGPC-IIMA to deliberate on the operational framework of IBE.
4. Engagement with stakeholders via outreach initiative was done in the form of meetings with BUs, Vaulting agencies, WGC, ETFs, Product Managers etc.

IFSCA Virtual Visit to London

At the landmark 10th UK-India Economic and Financial Dialogue on October 28, 2020, India and the UK agreed on a new strategic collaboration to catalyze the development of India's flagship IFSC at GIFT City. As part of the strategic collaboration, IFSCA undertook a virtual visit to London between March 22-24, 2021. The visit was aimed at facilitating a regulatory exchange between IFSCA and the UK regulators and key private sector experts, to share experiences and best practices on developing world-class regulations for international financial services.

As part of the virtual visit, IFSCA held meetings with the FCA, BoE, LBMA, LME, and London Stock Exchange Group.

As a part of this virtual visit, India UK Financial Partnership (IUKFP) and IFSCA co-hosted a public event on March 24, 2021. The objective of the public event was to raise the global profile of India's maiden IFSC at GIFT City and showcase emerging business opportunities amongst financial firms present in the UK.

Policies and Programmes for the Following Year

As part of the implementation plan of IBE, the following activities are being planned for 2021-22:

1. Holding Company is to be formed to float Exchange, Clearing Corporation and Depositories.
2. Bye-laws and Guidelines to be issued by Exchange, Clearing Corporation and Depository.
3. Steering Committee meetings to finalize regulations, policy and operational issues.
4. Stakeholder outreach to be done by Holding Company and its subsidiaries.
5. Operational guidelines to be issued by IFSCA.
6. Product guidelines and Risk Management guidelines to be issued by Exchange, Clearing Corporation and Depository.
7. Product Composition, Contract Specifications etc. to be finalized.
8. Pilot launch of IBE.
9. Trading and Settlement to be enabled through IBE.

Aspirational Activities:

1. Initiatives to establish sub-terranean vaults.
2. Qualified Jewellers to import through IBE.
3. Guidelines for ETFs will be issued.
4. Guidelines to be issued for refining bullion in IFSC.
5. Leasing and borrowing to be enabled through IBE.
6. BUs to invest in ETF/ Unallocated Accounts.
7. Enable BUs to open Gold Savings accounts/ Gold accumulation plans.
8. Enabling gold refining activity at GIFT IFSC.
9. Export of bullion from DTA to IBE.
10. Linkages of IBE to domestic exchanges.

IBE will enable the development of a fair, transparent, and efficient bullion trading ecosystem which in turn will have a positive bearing on the supply-chain, especially the exporters and small players.

FINTECH HUB & IT

Over 2100 startups²⁷ in India are operating in the Financial Technologies (FinTech) space, over 67% of which have emerged in the last five years. FinTech attracted significant investor interest and activity throughout the year 2020, with several early stage and increasingly late-stage deals.




Fig 18.

Indian FinTech Ecosystem

Source: <https://www.researchandmarkets.com/reports/5024695/fintech-market-in-india-2020>

Globally FinTech hubs have been successful when the FinTech start-ups are able to collaborate with Financial Institutions (FIs) and Regulators. This helps them with various approvals, large customer base of an FI, develop products in collaboration with FI and do a successful POC with the FIs. FIs are the strategically closest partners who can provide talent, co-developing platforms, products, and solutions along with funding and industry exposure. To enable and augment collaboration, government and government agencies around the world have supported and funded such initiatives.

In the Union Budget 2021, the Hon'ble Finance Minister announced that the Government of India would be supporting development of a world-class FinTech hub at GIFT IFSC.

²⁷ BCG-FICCI Report "INDIA FINTECH: A USD 100 BILLION OPPORTUNITY"

ACTIVITIES WITH RESPECT TO REGULATIONS, CIRCULARS, GUIDELINES ETC.

Framework for Regulatory and Innovation Sandbox

IFSCA, with an objective to develop a world-class FinTech hub at GIFT IFSC, endeavors to encourage the promotion of FinTech initiatives in financial products and financial services across the spectrum of banking, insurance, securities, and fund management, among others.

As a step towards attaining this vision, IFSCA has introduced a framework for “Regulatory Sandbox.” Under this framework, entities operating in the capital market, banking, insurance, and financial services space are granted certain facilities and flexibilities to experiment with innovative FinTech solutions in a live environment with a limited set of real customers for a defined time frame. These features are fortified with necessary safeguards for investor protection and risk mitigation.

All entities (regulated as well as unregulated) operating in the capital market, banking, insurance, and pension sectors as well as individuals and startups from India and FATF compliant jurisdictions, are eligible to participate in the Regulatory Sandbox. Entities desirous of participating in the sandbox to showcase their innovative FinTech solutions, concepts, and business models can apply to IFSCA.

Box 6 - The Eligibility Criteria to Participate in the Regulatory Sandbox

a) Genuineness of Innovation

The solution should be innovative enough to add significant value to the existing offering in the capital market, banking, insurance, or pensions sector in India/ IFSC.

b) Genuine Need to Test

The applicant should have a genuine need for live testing the solution on real customers. Further, the applicant should demonstrate that the solution cannot be developed without relaxing certain regulations, if any, being sought.

c) Limited Prior Testing

Before applying for testing in sandbox, limited offline testing of the solution should have been carried out by the applicant.

d) Direct Benefits to Users

The solution should offer identifiable benefits (direct or indirect) to the investors or entities or the capital market at large.

e) No Risks to the Financial System

The solution should have proper risk management strategy to incorporate appropriate safeguards to mitigate and control potential risks to any market participants/ users that may arise from the testing of the solution and shall propose appropriate safeguards to manage the risks and contain the consequences of failure.

f) Testing Readiness of the Solution

The applicant should have the necessary resources to support testing in the sandbox and must demonstrate well developed testing plans with clear objectives, parameters, and success criteria.

g) Deployment Post-Testing

The applicant should demonstrate the intention and ability to deploy the solution on a broader scale. To this effect, the applicant should share a proposed sandbox exit and transition strategy.

Further, as an additional step towards creating an ecosystem which promotes innovation, IFSCA feels that FinTech firms should have access to market-related data, particularly, trading and holding data, which is otherwise not readily available to them. This will enable them to test their innovations effectively before the introduction of such innovations in a live environment.

In this regard, IFSCA has operationalized an “Innovation Sandbox”, which is a testing environment where FinTech firms can test their solutions in isolation from the live market, based on market-related data made available to them by MIs operating in the IFSC. Infrastructure support for this is being provided by MIs operating in the IFSC.




Fig.19

Components of FinTech Hub

To develop GIFT IFSC as a world-class FinTech Hub, IFSCA has embarked on multiple initiatives to help fructify this vision. IFSCA has planned to conduct an annual FinTech event beginning in 2021, that aims to expand the realm of FinTech beyond boundaries. Building FinTech Bridges with overseas regulators and global FinTech hubs are being planned in the coming months. A policy to offer incentives to FinTech firms is also being formulated by IFSCA to support their innovative solutions. Establishment of a FinTech Lab, setting up of Accelerator(s) and formulation of progressive FinTech frameworks are under progress to create a thriving FinTech ecosystem at GIFT IFSC.

Information Technology (IT)

IFSCA endeavors to develop state-of-the-art IT Systems and Infrastructure. The IT team of the Authority leverages technology and processes to create synergy between IT and business verticals resulting in increased efficiency. The team also strives to be a transformational partner assiduously underpinning the mandate of IFSCA.

Some of the Major Initiatives in the Financial Year (FY) 2020-21:

1. IFSCA Website

The IFSCA website went live with the inception of the organization in September 2020. The website acts as the face of IFSCA on the internet in the era of rapidly growing technologies, businesses, and globalization. The IFSCA website acts as an important interface with the public as well as the regulated entities and other ancillaries to disseminate information through its regulations, circulars, notifications, etc. In days to come, the IFSCA website is expected to further enhance and facilitate the setting up of businesses from across the world in IFSCs and become a preferred platform for all the domestic businesses looking forward to expanding their horizon.

2. IT Infrastructure

IFSCA provides workstations equipped with computers, printers, telephone, and high-speed Local Area Network (LAN) connectivity to its employees. The networking infrastructure of the office is capable of handling maximum peak traffic. IFSCA premises are enabled with high-speed Wi-Fi connectivity and the board room and meeting rooms are enabled with world-class video conferencing devices for seamless communication.

3. Human Resource Management System (HRMS):

The HRMS application incorporated for IFSCA is aimed at easing the general administration of the Authority through digitalizing employees' attendance management, leave management, and pay slip generation. Further, the objective is to scale the system to include all other general administrative functions within its ambit.

4. e-Office-IFSCA Application:

IFSCA has procured eOffice application from National Informatics Centre (NIC) for electronic file management system at IFSCA. The eOffice-IFSCA application aims to support governance within IFSCA by ushering in more effective and transparent inter and intra-departmental processes. The vision of eOffice-IFSCA is to achieve a simplified, responsive, effective, and transparent working of all departments of the Authority.

The eOffice application helps to enable a less-paper office by scanning, registering, and routing the inward correspondences along with creation of file, noting, referencing, correspondence attachment, draft for approvals and finally movement and tracking of files as well as receipts.

The eOffice-IFSCA application includes file management system, knowledge management system, Management Information Systems (MIS), employee data management and master data management which help in digitalizing IFSCA's internal processes.

5. IFSCA's Supervisory Technology (SupTech) System:

IFSCA requires an effective end-to-end IT-enabled system to promote ease of doing business. This robust SupTech system shall cover administrative, compliance, supervision, and enforcement framework amongst its Regulated Entities (REs). It may also be required to collaborate with other sectoral financial regulators in India and overseas through Application Programming Interface (API) based machine to machine communication or integration as appropriate.

The SupTech system to be developed at IFSCA shall include an in-house repository for storing data received from REs. It shall also have a portal for REs to submit disclosures, reports, and other related information. The SupTech system shall be built on the latest Enterprise Architecture standards leveraging the latest cybersecurity postures and cutting-edge technologies including Chatbots, AI/ ML, NLP etc. that are future-ready.

In days to come, the focus area of the Authority will be the commissioning of the SupTech System to facilitate regulatory and supervisory functions of IFSCA. Further, the emphasis will be on infusing cutting edge technology for realizing IFSCA's objectives as well as enhancing employees' productivity.

Advocacy and Outreach: Campaigns, Engagements /Consultations, Publications etc.

IFSCA-FICCI MoU for development of GIFT IFSC as World-Class FinTech Hub

IFSCA-FICCI signed an MoU to establish a framework for collaboration and co-operation for the development of GIFT IFSC as a world-class FinTech hub.

FICCI will also assist IFSCA in the development of FinTech Accelerator programmes in GIFT IFSC amongst other cooperation areas.

INSURANCE

The insurance industry plays a vital function in an economy by virtue of its role in covering major kinds of risks, which include personal risk, and business risk, among others. It also shapes the financial ecosystem by the amount of premium it underwrites, diversity of the investments it makes, and magnitude of claims it services.

With the exponential growth of the insurance sector in India, immense opportunity lies to develop IFSC as a global insurance and reinsurance hub. The introduction of insurance in IFSC has facilitated in taking a step towards achieving this objective. It will provide a two-way opportunity to insurers i.e.; Indian insurers can have access to foreign jurisdictions and foreign insurers can have access to other jurisdictions through conducive regulatory policies and frameworks in IFSC.

Activities with Respect to Regulations, Circulars, Guidelines etc.

The following is the extant regulatory framework for the development of Insurance business from the IFSC:

- I. Government of India on March 27, 2015, had issued IRDAI (Regulation of Insurance Business in SEZ) Rules, 2015 whereby it has prescribed the provisions for regulating and promoting insurance business in SEZs. These rules enabled the insurers registered in India or outside India, to set up a branch office in IFSC. The said rules paved the way for developing extant framework for regulating and promoting insurance and reinsurance companies in IFSC.
- II. To facilitate Ease of Doing Business, the Government in November 2019 had reduced Net Owned Funds requirement from INR 5000 Crore to INR 1000 Crore, for the foreign (re)insurers engaged in re-insurance business through a branch established in IFSC.
- III. As the next step for the development of the international market, the Government in July 2020 issued enabling provisions for the registration of intermediary or insurance intermediary registered in India or outside India to carry out the activities of insurance intermediary from IFSC.
- IV. To promote Ease of Doing Business, the Authority for a limited time has permitted the insurers carrying out the business from IFSC to adhere to the solvency margin as specified by their home country regulator. Such a solvency margin can be maintained at the head office of the insurance company subject to certain conditions specified in the circular (171/IFSCA INSURANCE-CIRCULAR/2020-21 dated January 18, 2021).

Box- 7 Brief on Registration Process for (Re)insurance Companies and Operational Areas

Eligible Entities	Insurance companies registered in India. Insurance companies registered in foreign jurisdiction.
Application	The eligible entities can file application in compliance with the requirements referred in guidelines. The application may be filed to open a place of business or branch in IFSC.
Permitted Areas	Within IFSC, all SEZs in India and any other foreign jurisdiction. Re-insurer may render service in Indian jurisdiction subject to certain regulatory compliances.

Financial Services/ Products at GIFT IFSC

Table 22 - Number of Entities Operating in the IFSC

IFSC Insurance Offices (IIOs)	4
IFSC Insurance Intermediary Offices (IIIOs)	14
TOTAL	18

A. IFSC INSURANCE OFFICES (IIOs):

IIO means a branch office of an Indian or a foreign (re)insurer to transact direct insurance business or reinsurance business as permitted by the Authority. The said branch may render its services in an IFSC, all SEZs in India or any other jurisdiction outside India in any freely convertible foreign currency.

Currently, four IIOs namely General Insurance Corporation of India (GIC Re) (w.e.f. 30th Jan 2017), The New India Assurance Co. Ltd. (w.e.f. 6th Sept 2016), ECGC Ltd. (w.e.f. 24th July 2017) and ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. (w.e.f. 20 Jan 2021) have been granted Certificate of Registration (CoR) to transact insurance and/ or re-insurance business in IFSC.

B. IFSC INSURANCE INTERMEDIARY OFFICES (IIIOs):

IIIO means a branch office of an Indian or a foreign insurance intermediary which has been granted a certificate under the guidelines of the Authority to act as an insurance intermediary in IFSCs. The said branch may provide services in an IFSC, all SEZs in India or any other jurisdiction outside India. A reinsurance broker may also render its services in India for the purpose of reinsurance business.

At present, fourteen insurance brokers have been authorized to do insurance intermediary business from IFSC.




Fig.20

Classification of Insurance Intermediaries

Regulatory Framework

The brief on extant regulatory framework put in place by IFSCA for IIOs and IIIOs is presented hereunder:

Table 23 - Extant Regulatory Framework for IIOs and IIIOs

S. No	Guidelines/ Circular Ref. No.	Date of issue	Title of Guidelines/ Circular
1	IRDA/RI/GDL/SEZ/269/12/2017	21-Dec-2017	IRDAI (Registration and Operations of IFSC Insurance Offices) Guidelines, 2017
2	IRDA/RI/GDL/MISC/012/01/2019	16-Jan-2019	IRDAI (Registration and Operations of IFSC Insurance Intermediary Offices) Guidelines, 2019
3	IRDA/RI/GDL/SEZ/211/11/2019	27-Nov-2019	Reduction of Net Owned Funds for branch office of Foreign Re-insurer to be established in the IFSC.
4	171/IFSCA/INSURANCE-CIRCULAR/ 2020-21	18-Jan-2021	Maintenance of Solvency Margin for IFSC Insurance Offices (IIOs)

Transaction/ Processes/ Operations/ Trends

At present, Indian or foreign (re)insurer registered with regulatory authority or supervisor in its home jurisdiction, and Indian or Foreign Intermediary or Insurance Intermediary registered with regulatory authority or supervisor in its home country may open branch office in IFSC to underwrite or source ((re)insurance) business.

IIOs may underwrite and IIIOs may source (re)insurance business from IFSC, other SEZs in India and from foreign jurisdictions. The IIO registrations to New India Assurance, General Insurance Corporation of India and ECGC were granted by IRDAI, whereas registration to ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. has been granted by IFSCA.

The IIOs have underwritten (re)insurance business of INR 122.70 crore in FY 2020-21 as against INR 160.01 crore in FY 2019-20. The COVID-19 pandemic impacted every sector of economy. In 2020, the insurance sector also saw a meaningful decline in demand for its services because of increased uncertainty in the financial stability of individuals, rising unemployment, and lower investment income. The property and casualty premium also showed a decline as many small businesses were closed in 2020 due to pandemic-related shutdowns, premiums sold to these businesses may also be slow to recover.




Fig.21

**(Re)insurance Business Premium Underwritten
(In INR in crore)**

Advocacy and Outreach: Campaigns, Engagements/ Consultations, Publications etc.

Membership of International Association of Insurance Supervisors (IAIS):

IFSCA became a member of IAIS in December 2020. The IAIS is a voluntary membership organization of insurance supervisors and regulators from more than 200 jurisdictions, constituting 97% of the world's insurance premiums. It is the international standard-setting body responsible for developing and assisting in the implementation of principles, standards, and other supporting material for the supervision of the insurance sector. The IAIS also provides a forum for members to share their experiences and understanding of insurance supervision and insurance markets. The IAIS is routinely called upon by the G20 leaders and other international standard-setting bodies.

With this membership, IFSCA has access to IAIS's global network and would be able to exchange ideas and information with other global regulators. This would help in developing a vibrant global insurance hub in IFSC, which is in line with the vision of Government of India.

Research: Working Papers, Research Reports, Assessment & Prospects etc.

I. CONSTITUTION OF COMMITTEE ON IFSC INTERNATIONAL RETAIL BUSINESS DEVELOPMENT:

The Committee in October 2020 had submitted its report which inter alia recommended that, with an Indian diaspora of more than 30 million strength, IFSC may endeavor to book financial business of this diaspora. The insurance industry may cater to their life and health insurance needs and develop various products which suit their requirements.

II. CONSTITUTION OF IFSCA INSURANCE COMMITTEE:

The Authority has constituted this committee with the objective of developing insurance products and services in IFSC. The committee is chaired by Shri G. N. Bajpai, Ex-Chairman SEBI and LIC. The members of this committee also consist of senior leaders having strong global network and wide experience in developing insurance and related regulatory framework.

Policies and Programmes for the Following Year

With an objective to onshore the offshore financial services, IFSCA would provide necessary support to enable (re)insurance and intermediary services in IFSCs. The regulatory framework for IFSC insurance business would be in line with the global best practices.

THE FOLLOWING MEASURES ARE ENVISAGED TO BE COVERED IN THE COMING YEARS:

- a. Providing level playing field to IFSC (re)insurance entities to undertake international insurance business
- b. Providing regulatory framework for making IFSC a Re-insurance Hub
- c. Developing Cross Border Reinsurance in IFSC through policy measures
- d. Providing sandbox support to onboard InsurTech companies
- e. Developing an enabling framework on products for Indian diaspora.

AIRCRAFT LEASING

The Ministry of Civil Aviation constituted a working group for developing avenues for aircraft financing and leasing activities in India in 2018. The group observed that IFSC provides a valuable platform to host aircraft leasing and financing businesses and laid down key regulatory changes required. As per the report, India is currently the third largest domestic passenger market, with an improving economic environment, increasing middle class population, development of world-class airports, and capacity expansion of low-cost carriers. It is projected to advance rapidly from its current seventh position in terms of the combined domestic and international passenger market to become the third largest worldwide combined passenger market.

In India, more than 70% of the aircraft acquisitions over the last decade have been on an operating lease basis while globally this figure is around 45%. Airlines in India have placed orders for more than 1,000 aircrafts, making it the third largest order book in the world behind only the United States and China. Going forward, as per the recent industry projections, the passenger traffic is expected to grow six-fold to around USD 1.1 billion by the year 2040, serviced by a scheduled airline operator fleet which would grow from about 636 aircrafts presently to around 2,350 aircrafts by March 2040. In the next ten years, India would receive deliveries of 100 aircrafts each year which would require about USD 5 billion of financing each year.

Aircraft financing is done globally from an International Financial Centre as it provides a highly competitive regulatory framework to support such business. In India, GIFT IFSC is suitable for providing a valuable platform to launch Aircraft Leasing business, as its regime is more in line with other global financial centres and offers offshore status for financial services, tax incentives, exemptions related to company law and allows businesses to operate in freely convertible foreign currency.

Aviation in India: Resilient and Promising

India is the 7th largest market by jet fleet size and 3rd largest by new acquisitions.




Fig.22

Top 10 Countries by Jet Fleet Size

Source: FICCI




Fig.23

Sale and Lease Back Transactions in 2020

Source: FICCI

The cost of purchasing an aircraft is humongous and hampers the fleet expansion plan of the carriers, especially the newer ones. In such a scenario, it is economical for carriers, particularly the low-cost ones, to lease aircrafts. In this way, the cost gets spread across the lease period making it possible for the operator or carrier to fly at competitive rates. Leasing is an efficient means to fulfill short-term capacity requirements without burdening the balance sheet of the airlines.

India has emerged as a major aviation hub with enabling government policy and regulatory interventions which include the National Civil Aviation Policy 2016, increase in FDI limits, and increased focus on regional connectivity through the UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik) initiative of the government, which has led to opening up of new airports and induction of newer types of aircrafts, and Open Skies.

HON'BLE FINANCE MINISTER IN THE UNION BUDGET, 2019-2020 ANNOUNCED

“As the world’s third largest domestic aviation market, the time is ripe for India to enter into aircraft financing and leasing activities from Indian shores. This is critical to the development of a self-reliant aviation industry, creating aspirational jobs in aviation finance, besides leveraging the business opportunities available in India’s financial Special Economic Zones (SEZs), namely, International Financial Services Centre (IFSC). Government will implement the essential elements of the regulatory roadmap for making India a hub for such activities.”




Fig.24

Aircraft Leasing Journey in India

IFSCA in its second Authority meeting held on September 9, 2020, had recommended the Government to specifically add aircraft financing and leasing activity, including operating lease, as a Financial Product in IFSC. Accordingly, on October 16, 2020, the Government of India notified 'Aircraft lease which shall include operating and financial lease and any hybrid of operating and financial lease of aircraft or helicopter and engines of aircraft or helicopter or any part thereof' as a 'financial product' under the IFSCA Act, 2019.

Considering, Aircraft Leasing is a relatively new industry in India and Aircraft Leasing related regulations are different across various financial centres, IFSCA issued a consultation paper on Draft Aircraft Leasing Regulations on December 16, 2020. Based on the interest shown by various participants and the feedback received, a 'Framework for Aircraft Operating Leases' was issued by IFSCA on February 19, 2021, to enable the aircraft operating lease business in IFSCs in India.

To set up operations in IFSC, an aircraft lessor must register with IFSCA and satisfy the following eligibility criteria:

- (I) The entity shall set-up operations in an IFSC in India by way of a company or LLP or a trust or in any other form as may be specified by IFSCA.
- (II) The person(s) in control of the aforesaid entity shall be located in a FATF compliant jurisdiction.
- (III) The entity shall deploy resources in such IFSC commensurate with the business operations under the IFSCA framework.
- (IV) The entity must meet a minimum capital requirement of USD 200,000 or equivalent in freely convertible foreign currency.

MAJOR SPIN OFF EFFECTS

Aircraft leasing in GIFT IFSC would create additional high-end job opportunities in India not only directly through aircraft financing, but also through other financial services such as banking, insurance, credit guarantees and ancillary services like legal, accounting, etc. At the same time, it would provide an impetus to the sustainable development of a robust MRO and Aircraft Engineering industry in India, better positioned to service the growing demand of an expanding fleet, engines, and other critical parts, effectively reducing the import of services related to Aircraft Leasing and its regular maintenance saving huge forex outgo.

Post issuance of the Aircraft Operating Lease framework by IFSCA, there has been active interest from various stakeholders to undertake this activity from IFSC. It is envisaged that the Aircraft Leasing activity in IFSC will facilitate the reshoring of this strategic business back to the country.

GLOBAL IN-HOUSE CENTRES (GICs)

The recent decades have witnessed the growing centrality of international financial services in the larger financial sector. In the Indian context, this has been even more important as the country is not only one of the world's largest consumers of such services but also holds a massive, mostly untapped potential to emerge as a global hub for international financial activity owing to its vast size and strategic location.

The Indian GIC landscape has evolved significantly over the last two decades. India has become home to more than 1300 GIC organizations, employing more than 1.3 million workforce and contributing USD 33.8 billion in gross revenue, as of FY 2020²⁸.

The IFSC is the product of the realisation and endeavour to position India at the heart of international financial transactions, regionally as well as globally. Towards this end, the role of GICs in accelerating digitisation and economic development, cannot be understated. In India, GICs have been instrumental in creating a large talent pool of highly skilled workforce equipped with the best digital knowledge available.

Spread across 886 acres, GIFT City, a Multi Services SEZ and an exclusive Domestic Tariff Area (DTA), led by its competitive cost structure, diverse talent pool, proximity to Ahmedabad airport and geo-strategic location in terms of time zone, is poised to emerge as a hub for GICs for financial services groups.

In order to enable financial services groups to set up GIC units in IFSC, Central Government has notified GICs as "financial service" to provide services relating to financial products and financial services. Subsequently, IFSCA issued a circular on November 18, 2020, to provide an institutional framework for recognizing and operationalizing the GICs in IFSC.

With the given regulatory and taxation regime, major players among the financial services group are expected to set up GIC units in GIFT IFSC, which has a potential to generate employment on a large scale.

Box-8 Key Benefits of Setting Up GIC In GIFT IFSC

- i. Globally competitive tax regime
- ii. Lower operational costs
- iii. Availability of large talent pool
- iv. Ease of doing business
- v. Access to state-of-the-art infrastructure

With more GICs establishing their presence in GIFT IFSC, the avenue of growth towards employment and financial independence is broadening. The GIC units are now becoming centres of excellence generating sustainable competitive advantage for the enterprise in the functions owned by GICs. The vast employment opportunities generated by the GIC units will help in augmenting social infrastructure. Thus, GICs in IFSC will have a multiplier effect on the IFSC ecosystem.

28 NASSCOM and Deloitte led report "GCC Value Proposition for India

Box-9 Regulatory Regime for GICs in GIFT IFSC

1. The GIC in GIFT IFSC can provide support services, directly or indirectly, to the following entities within its financial service group, including but not limited to:
 - Banks, Non-Banking Financial Companies (NBFCs)
 - Financial Intermediaries
 - Investment Banks
 - Insurance Companies
 - Re-Insurance Companies
 - Actuaries
 - Brokerage Firms and Funds
 - Stock Exchanges
 - Clearing Houses
 - Depositories and Custodians
2. The applicant entity shall exclusively cater to its financial services group.
3. The support services should be for the purpose of carrying out a financial service in respect of a financial product.
4. GICs can conduct their business in any mode permitted by IFSCA, including the branch mode.
5. A Global in-house centre shall deal in freely convertible foreign currency only, provided that it may defray its administrative expenses in INR by maintaining an INR account as may be specified by the Authority.

OTHER AREAS

SUSTAINABLE FINANCE

Sustainable finance refers to the process of taking environmental, social and governance (ESG) considerations into account when making investment decisions in the financial sector, leading to more long-term investments in sustainable economic activities and projects. It involves not only financing and investing through various financial products like Green Bonds, Social Bonds, Sustainable & Sustainability-linked bonds, Green Loans, among others, but also integrating sustainable practices as a part of an organization's business strategy and operations.

Global Scenario

With the rising threat of climate change and environmental & social risks associated with it, which accounts for three of the top five risks affecting humanity²⁹, the need for sustainable finance has gathered momentum across the globe. Regulators around the world are focusing on integration of sustainability considerations into various aspects of financial markets.

In terms of sustainable issuances, the world witnessed green bond issuances worth USD 106.86 billion in a short span of three months ending March 31, 2021³⁰. Amidst the COVID challenges, global green bond issuance reached a record high of USD 269.5 billion in 2020. Funds flowing into sustainable investment have grown steadily and over USD 30 trillion of assets worldwide are now incorporating some level of ESG considerations³¹. Both data and organic development of the ecosystem in the world suggest that sustainability will be a core part of decision-making in every financial institution.

Sustainable Finance in India

In 2015, India signed the Paris Agreement and adopted the Sustainable Development Goals (SDGs). Ahead of the UN Conference of Parties to Climate Change (COP21), India also submitted its Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) document to the secretariat of the UNFCCC. In its INDCs, India pledged to improve the emission intensity of its GDP by 33 to 35 percent by 2030 i.e., below 2005 levels, increase the share of non-fossil fuels-based electricity to 40 percent by 2030 and enhance its forest cover which will absorb 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide by 2030.

Achieving these ambitious goals would require a significant amount of capital. India's Union Budget, 2016 highlighted that at least USD 2.5 trillion would be required to meet the climate change actions under INDCs alone. In this scenario, while the maximum share of the country's finance comes from budgetary sources, it is imperative for the country to augment the private capital flows including international AIF and regulatory interventions to bridge the financing gap.

Role of IFSCA

Global trends and India's capital requirements in sustainable finance create a unique opportunity for IFSCA to become a global leader in sustainable finance. The Authority aims to leverage this unique position and to enable IFSCA to act as a sustainable finance hub and an investment gateway for India. It envisions developing robust regulations, in turn attracting leading market players to look at IFSCA as the destination for sustainable finance. IFSCA, as a regulator, aims to undertake measures that mandate an issuer to meet international standards of disclosures, reporting and transparency while raising capital for green, social, and sustainable bonds.

Journey on Sustainable Finance in IFSCA

To gain an in-depth understanding of the global sustainable finance scenario, a cross-jurisdictional study was undertaken. This study examined various reporting frameworks, standards, taxonomies, guidelines, and country specific initiatives.

29 World Economic Forum

30 Climate Bonds Initiative

31 OECD Business and Finance Outlook 2020

A series of interactions were held with various stakeholders including international regulators, standard-setting bodies, industry participants, investor forums, reviewers, and verifiers, among others, to understand the positioning of India's regulatory environment for raising sustainable finance. To enable a detailed understanding of the challenges in sustainable finance, a series of closed-door roundtable conferences were held. The first virtual roundtable conference on **"Future of sustainable finance issuances in the IFSC"** was organised by the Authority in association with the National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP). It was chaired by the Chairperson, IFSCA and was attended by experts from national and multinational investor organisations, consultancy service firms, and corporates, among others. The conference centred on challenges and impediments envisaged in creating an ecosystem for sustainable finance in the IFSCs and the regulatory nudge required for the same. The participants were informed about the Global Securities Market (GSM) platform functioning at India INX, India's first international exchange in IFSC. The exchange provides facilities and regulations comparable to any other leading International Financial Centre in the world and has a specific segment for securities classified as green/ social/ sustainable.

The second virtual roundtable conference centered on **"Sustainable Finance: Challenges and Opportunities for banks"** in association with auctusESG. It was attended by experts from Indian Banks' Association, Chief Finance Officers, Chief Risk Officers and Vertical Heads of prominent banks and experts from investment and consultancy services. The experts shared their experiences in issuing green bonds and how they envision a sustainable banking ecosystem. The major impediments that were identified during the conference related to lack of data on the adoption of ESG standards and insufficient skills and manpower for ESG risk assessment and quantification, among others.

IFSCA was also invited as a distinguished discussant at a virtual roundtable conference arranged by the Observer Research Foundation (ORF) in collaboration with the State of Denmark. This roundtable centered on **"Financing green transitions: the role of regulation"**. It was chaired by Mr. Jayant Sinha (chairperson of the Parliamentary Standing Committee for Finance) and was attended by experts from the financial sector, government, business, and civil society. It explored various means through which financial sector regulation can enable green financing.

As part of the strategic collaboration between India and the UK, for the purpose of the development of GIFT IFSC, IFSCA undertook a virtual visit to London which facilitated a regulatory exchange between IFSCA and the UK regulators. During these interactions, possible areas of collaboration on sustainable finance were discussed. These areas included developing a greenwashing framework, cross-listing of Masala Bonds and ESG focused bonds, knowledge sharing and capacity building, among others.

Sustainable Listings in IFSC

Issuers like ReNew Power Pvt Ltd, SBI, Indian Railway Finance Corporation (IRFC), Adani Green Energy (UP) Ltd, Parampujya Solar Energy Pvt Ltd and Prayatna Developers Pvt Ltd have listed their green bonds on the GSM 'Green' platform at India INX in GIFT IFSC.

India INX, a recognised stock exchange in GIFT IFSC, has also announced an MoU with Luxembourg Stock Exchange for the development and promotion of ESG and green finance in November 2020.

ANCILLARY SERVICES

Globally, professional services have played a pivotal role in creating a conducive ecosystem for the International Financial Centres to thrive. Professional services providers support the financial institutions by providing services such as legal advisory, accounting, management consultancy, secretarial services, fund administration, etc. The need for professional services is driven by complex and sophisticated nature of financial products and services in International Financial Centre, which primarily deals with cross-border transactions. Various International Financial Centres have been making concerted efforts for creating a robust ecosystem for professional services providers to support and assist the financial services institutions in their respective jurisdictions. In order to develop IFSC, it is imperative that an entire ecosystem is developed for the smooth functioning of various financial institutions in IFSC.

Thus, IFSCA vide circular dated February 10, 2021, has issued a framework for enabling ancillary services permitting service providers to undertake one or more of the following activities:

- i. Legal, Compliance and Secretarial.
- ii. Auditing, Accounting, Bookkeeping and Taxation Services.
- iii. Professional & Management Consulting Services.
- iv. Administration, Assets Management Support Services and Trusteeship Services.
- v. Any other services as approved by IFSCA from time to time.

The framework details the activities of permissible ancillary services, eligible entities, service recipients, etc. Under the said framework, nine applications have been received and two of the applicants have been granted authorization as on March 31, 2021.

SECTION D

A LIST/ COVERAGE OF THE QUASI-LEGISLATIVE, EXECUTIVE AND QUASI-JUDICIAL FUNCTIONS OF THE AUTHORITY

IFSCA has been set up as a unified regulator for IFSCs to exercise all the regulatory powers which are hitherto being exercised by four domestic financial sector regulators namely RBI, SEBI, IRDAI and PFRDA. Thus, IFSCA can perform all such quasi-legislative, executive, and quasi-judicial³² functions in IFSCs as are being performed by these regulators. Section 12 of the IFSCA Act, 2019 (Act) empowers IFSCA to develop and regulate the financial products, financial services, and financial institutions in an IFSC. It can also recommend to the Central Government such other financial products, financial services, and financial institutions which may be permitted in an IFSC by the Central Government. Further, under section 13 of the Act, IFSCA can exercise all powers exercisable by the aforesaid four domestic financial regulators with respect to certain acts specified under Schedule-I of the Act in so far as it relates to financial products, financial services, and financial institutions.

To enable the functioning of various financial products and services regulated by the Authority, the following regulations, notifications, and circulars have been issued:

Table 24 - TABLE ON REGULATIONS

S. No	Regulations	Date of issue	Objectives
1	International Financial Services Centres Authority (Global In-House Centres) Regulations, 2020 IFSCA/2020-21/GN/REG 003.	13/11/2020	The Authority by these regulations provides a framework for recognition and operation of Global In- House Centres and for matters connected therewith or incidental thereto.
2	International Financial Services Centres Authority (Procedure for Authority Meetings) Regulations, 2020 IFSCA/2020-21/GN/REG002	13/11/2020	The Authority has issued these regulations to ensure smooth, transparent, and orderly conduct of its meetings.
3	International Financial Services Centres Authority (Employees' Service) Regulations, 2020 IFSCA/2020-21/GN/REG001	13/11/2020	The Authority has issued these regulations to outline the mode and manner of, inter-alia, recruitment of personnel, disciplinary rules, pay/allowances/other benefits/ structure of the Authority.
4	International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 IFSCA/2020-21/GN/REG004	20/11/2020	The Authority has issued these regulations to allow the IBU units to operate in an IFSC and to duly regulate their business activities.
5	International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020 IFSCA/2020-21/GN/REG005	11/12/2020	The Authority has issued these regulations, with a broader vision and mission to set up India's first International Bullion Exchange in the GIFT IFSC. The regulations provide a framework for recognition of bullion exchanges, its clearing corporations, depositories and vaults and for matters connected therewith or incidental thereto.
6	International Financial Services Centres Authority (Finance Company) Regulations, 2021 IFSCA/2020-21/GN/REG010	31/03/2021	The Authority, to develop financial products and financial institutions, has issued these regulations, to allow finance companies/ finance units to set up their business in certain permissible activities.

³² No Executive and Quasi- Judicial powers have been hitherto exercised by the Authority. (As per the Information available with the Legal policy and Regulatory affairs department)

Table 25 - TABLE ON NOTIFICATIONS

PART-I NOTIFICATIONS ISSUED BY IFSCA

S. No	Notification	Date Of Publication	Purpose Of Notification
1	Notification on designating certain Qualified Financial Contracts IFSCA/2020-21/GN/008	05/02/2021	IFSCA designated certain Qualified Financial Contracts by virtue of powers conferred by sub-section (a) of Section 4 of the Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020 (30 of 2020).

PART-II NOTIFICATIONS ISSUED BY THE CENTRAL GOVERNMENT

S. No	Notification	Date Of Publication	Purpose Of Notification
1	CG-DL-E-16102020-222516 S.O. 3652(E)-- Aircraft lease S.O. 3653(E)—Global in-house Centres	16/10/2020	By S.O. 3652(E), the Central Government notified aircraft lease which shall include operating and financial lease and any hybrid of operating and financial lease of aircraft or helicopter and engines of aircraft or helicopter or any other part thereof, as financial product. By S.O. 3653(E) the Central Government notified Global In-House Centres (GIC), as financial service to provide services relating to financial products and financial services.
2	CG-DL-E-31082020-221461 S.O. 2957(E)	31/08/2020	Central Government notified the following as (A) Financial Products: i. bullion spot delivery contract. ii. bullion depository receipt with underlying bullion. (B) Financial Services: i. trading in bullion depository receipts with underlying bullion in relation to bullion spot delivery contracts. ii. provision of bullion financing, bullion-based loans, bullion loans against collateral, bullion vaulting, clearing and settlement services in relation to bullion spot delivery contracts and bullion depository receipts.
3	CG-DL-E-27042020-219201 S.O.1383 (E) S.O.1384 (E)	27/04/2020	By S.O.1383 (E) the Central Government established IFSCA and the head office of IFSCA at Gandhinagar, Gujarat. By S.O.1384 (E) Section 1 to 11 and Section 14, 15, 16, 27, 29, 30 and 34 of IFSCA Act came into effect.
4	CG-DL-E-21082020-221275 S.O.2844(E)	21/08/2020	Central Government gave effect to Section 12, 17 to 26, 28, 31 and 32 of IFSCA Act.
5	CG-DL-E-29092020-222097 S.O.3374(E).	29/09/2020	Central Government gave effect to Section 13 and 33 of IFSCA Act.

Table 26 - TABLE ON MAJOR CIRCULARS/GUIDELINES

S. No	Circulars/Guidelines	Date Of Issue	Objectives
1	Liquidity Enhancement Scheme (LES)	07/10/2020	Stock exchanges in IFSC are permitted to introduce LES in illiquid securities up to a maximum period of 5 years.
2	Real Estate Investment Trusts in International Financial Services Centres	21/10/2020	To provide the regulatory framework for listing of Real Estate Investment Trusts (REITs) in IFSCs.
3	Infrastructure Investment Trusts in International Financial Services Centres	21/10/2020	To provide the regulatory framework for listing of Infrastructure Investment Trusts (InvITs) in IFSCs.
4	Depository Receipts in the International Financial Services Centre	28/10/2020	To provide the regulatory framework for issuance and listing of Depository Receipts in IFSCs.
5	Framework for Regulatory Sandbox	19/10/2020	To promote innovation and ultimately create a world-class Fin-Tech hub to provide a platform for market players in IFSCs.
6	Global In-House Centres (GIC) in International Financial Services Centre (IFSC)	18/11/2020	Pursuant to IFSC-GIC Regulations 2020, the circular provides for pro-forma to obtain detailed information from the GIC units proposed to be set up in an IFSC.
7	IFSCA (Deposits) Directions, 2020	04/12/2020	To outline the permissible deposits and prohibited activities in IBUs.
8	Alternative Investment Funds in IFSC	09/12/2020	To review the regulatory framework of AIFs in IFSC.
9	Membership of stock exchanges and clearing corporations in IFSC by foreign entities	11/12/2020	To permit foreign entities to open branch offices in an IFSC and to act as stockbrokers/clearing members.
10	Framework for enabling Ancillary Services at International Financial Services Centres	10/02/2021	To enable professionals/ service providers to aid/ assist the primary services in an IFSC, by authorizing them to act as ancillary service providers.
11	Framework for Aircraft Operating Lease	19/02/2021	To enable the operation of an aircraft lease for the purpose of sale, purchase, novation, transfer, etc. or any other permissible activity in an IFSC.
12	Framework for Recognition of a Custodian of Assets/ Securities	24/02/2021	Provides for a mechanism to facilitate a vibrant ecosystem for custodial services and recognition of custodian of assets/ securities.
13	Enabling Dealings by IFSC – Banking Units in Bullion Unallocated Accounts	03/03/2021	Enabling the banking units in an IFSC to operate unallocated accounts for the purpose of trading, hedging, and swapping with physical gold/ silver (allocated).

ENGAGEMENT AND PARTNERSHIP BETWEEN GUJARAT NATIONAL LAW UNIVERSITY (GNLU) AND IFSCA:

An MoU was signed between IFSCA and GNLU on September 28, 2020, to provide relevant insights on various legal matters. The following are some of the identified areas of cooperation and of common interest between GNLU and IFSCA: -

- a) Bringing in domain expertise for the purpose of research, consultancy, training, and capacity building.
- b) Promote and encourage participation and involvement of different stakeholders thereby fostering a network of international, national and/ or regional stakeholders and decision makers.
- c) Conduct evidence-based policy research to aid policy formulation.
- d) Engage with GNLU's centres of excellence.

POLICIES AND PROGRAMMES FOR THE FOLLOWING YEAR

1. IFSCA (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021

Post approval of the draft MII Regulations in the Authority meeting, IFSCA would be notifying the MII Regulations in the following year.

2. IFSCA (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021

IFSCA is aiming to finalize and notify the IFSCA (Issuance and Listing of Securities) Regulations, 2021 ("Listing Regulations") to provide regulatory framework for various types of products on the stock exchanges in IFSC.

3. IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021

The proposed Regulations shall provide the necessary framework for registration of intermediaries including eligibility criteria, net worth requirements, structure for operating in IFSC, general obligations and responsibilities for all intermediaries, specific responsibilities for various types of intermediaries and other regulatory provisions such as inspection and reporting requirements etc.

4. Recommending Central Government to include Factoring Regulation Act, 2011 under Schedule-I of the IFSCA Act

Trade Financing is one of the activities which can improve the business potential in the IFSCs. Considering this a proposal has been made to include the Factoring Regulation Act, 2011 in the first schedule of the IFSCA Act. This would facilitate IFSCA to effectively govern and regulate the same through dedicated framework.

5. Research on the feasibility of Alternate Dispute Resolution mechanism in IFSCs

One of the main objectives of the IFSCA is to attract offshore businesses to the IFSC and thereby establishing it as a robust global financial centre having the ability to compete with other jurisdictions. Having a contemporary and efficient alternate dispute resolution centre will nudge international financial sector players towards the IFSC.

The faster, cost-effective and efficient disposal of disputes is one of the features of ease of doing business. To develop India as a lucrative destination for International Arbitration, IFSCA envisages to study the feasibility of establishing an International Arbitration Centre (IAC) at GIFT IFSC to improve India's ranking on parameters like enforcement of contracts and dispute resolution and simultaneously develop GIFT IFSC as a global centre for Alternate Dispute Resolution by setting up a world-class IAC in line with SIAC and LCAI³³.

6. Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) Guidelines

As a unified regulator of the financial sector, IFSCA is required to put in force a comprehensive guideline on Anti-money laundering and Countering of Financing of Terrorism (AML/ CFT) in line with the FATF recommendations and standards and PML Rules. The guidelines once operationalised would provide a transparent and accountable business model for all the regulated entities. IFSCA is conducting a comprehensive study to incorporate FATF recommendations and other global best practices in its proposed guidelines which will be finalized post consultation with relevant stakeholders.

7. IFSCA Performance Review Committee (PRC) Regulations

Under Section 17 of the IFSCA Act, 2019 the Authority shall constitute a PRC consisting of at least two members of the Authority to review the functioning of the Authority. Further, the Authority shall also make regulations on certain matters mentioned under sub-section 4 of section 17 of the Act. In this regard, IFSCA is in the process of drafting PRC Regulations.

8. Research on special dispensation for IFSCs in Special Economic Zones Act, 2005 (SEZ Act) and Rules

It is observed that in the present framework, the entities in IFSCs have to undergo dual compliance under SEZ and IFSCA laws. In this regard, detailed research on the provisions of the SEZ Act and rules is being undertaken to enable special dispensation for the IFSCs.

33 The Authority is in consultation with experts in the Arbitration field and has delegated the task of preparing a detailed research report to GNLU.

SECTION E



SOURCE OF FUNDS AND MAJOR AREAS OF EXPENDITURE (FY 2020-21)

Table 27

SOURCES OF FUNDS FOR 2020-21 (AMOUNT IN RS LACS)

Sources of Fund - Receipts	Amount
Annual Fees	510.52
Application Fees	7.57
Broker Turnover Fees	97.79
Listing Fees	1.05
Registration Fees	77.85
Government Grants	2,055.00
Interest income on regulatory fee earned by IFSCA	0.59
Miscellaneous Income	0.80
Total	2,751.17

Table 28

MAJOR AREAS OF EXPENDITURE FOR 2020-21 (AMOUNT IN RS LACS)

Major Areas of Expenditure - Payments	Amount
Establishment Expenses	726.20
Administrative Expenses	428.89
Purchase of Fixed Assets	200.82
Prepaid Expenses / Advances on Capital Account	190.55
Other Prepaid Expenses	66.82
Security Deposit for leased office premises of IFSCA HQ and Guest House	186.78
Total	1800.06

SECTION F

ORGANIZATIONAL MATTERS

Table 29 - A GLANCE AT THE IFSCA ORGANIZATIONAL STRUCTURE

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY	
Departments	Divisions
Department of Banking	Banking Regulations 1
	Banking Regulations 2
	Finance Company Regulations
	Supervision, Risk Analysis
Department of Capital Market	Primary Market Listing & New Product Debt & Sustainable Finance
	Market Infrastructure Informations & Technology
	Public Funds, New Products & Services
	AIF, REITs & InvITS
Department of Insurance	Insurance, Licensing, Policy & Supervision
Department of Precious Metals	Market Structure & Risk Management
	Technology & Supervision
	Product Development & Regulation
	Regulatory Coordination & Political Synergy
Department of Development	Development of Financial Markets-I
	Development of Financial Markets-II & International Affairs
	Development of Financial Centre
Department of Economic Policy & Analysis	Economic Policy & Analysis
Department of General Administration	Administation & HR
	Treasury, Finance & Accounts
Department of IT & FinTech	IT Infrastructure
	FinTech
Department of Legal & Regulatory Affairs	Legal Policies & Regulatory Affairs
	Regulatory Coordination

Table 30 - IFSC Authority Meetings

S. No.	Meeting	Date
1.	First Authority Meeting	14 th August 2020
2.	Second Authority Meeting	09 th September 2020
3.	Third Authority Meeting	27 th October 2020
4.	Fourth Authority Meeting	11 th November 2020
5.	Fifth Authority Meeting	18 th December 2020
6.	Sixth Authority Meeting	15 th March 2021

RIGHT TO INFORMATION (RTI)

RTI Act 2005 mandates timely response to citizen requests for government information. The basic object of the Act is to empower the citizens, promote transparency and accountability in the working of the Government, contain corruption, and make our democracy work for the people in a real sense. The Act is a big step towards making the citizens informed about the activities of the Government.

**Table 31 - Status of Applications under RTI Act, 2005
with IFSCA as on 31st March 2021**

Total Number of RTI Requests Received During the Reporting Year	Total number of RTI Requests Replied During the Reporting Year	Balance as on 31.03.2021
9	9	0

HUMAN RESOURCES

The Government of India has set up IFSCA vide notification dated April 24, 2020, and its first Chairperson was appointed on July 6, 2020. IFSCA is responsible for developing and regulating the financial products, financial services and financial institution in IFSCs in India. Being a unified Authority, IFSCA aims to attract the right talent, train them for the tasks and motivate them for excellence.

Employees

In accordance with the IFSCA (Employees' service) Regulations, 2020, IFSCA initiated a one-time special recruitment drive to recruit Grade 'A' officers amongst the candidates who appeared in the Personality Test of Civil Services Examination, 2019 conducted by the Union Public Service Commission (UPSC). These officers are drawn from disciplines such as Law, Economics, Finance, Commerce, Management, and Information Technology. They have undergone an induction programme through the National Institute of Securities Markets (NISM) and Gujarat National Law University (GNLU). Premised on the TPI (theoretical knowledge, practical skills and interaction need) theory of induction, the programme aimed at preparing the officers for a regulatory role in the financial services market.

Being a new Authority, recruitment to fill various posts from Grade A officer to Executive Director on Direct Recruitment/ Deputation/ Loan basis has been completed in less than 3 months. The details of sanctioned strength and employees in positions post-recruitment are as below:

Table 32 - Sanctioned and Actual Strength of Employees

Position	Approved strength as on 31.03.2021	Actual Strength as on 31.03.2021	Mode of Recruitment
Executive Director	6	2	Direct recruitment and Deputation
Chief General Manager	9	1	Direct recruitment
General Manager	12	4	Deputation and secondment
Deputy General Manager	15	14	Direct recruitment, deputation, and secondment
Assistant General Manager	20	3	Direct recruitment and deputation
Manager	26	7	Deputation and secondment
Assistant Manager	30	22	Direct recruitment and deputation
Executive Assistant/ Senior Executive Assistant/ Executive Superintendent	20	0	Requirements have been met through contractual engagements on outsourced basis.
Multi-Tasking Staff Grade A/ Grade B/ Grade C	10	0	
TOTAL	148	53	



Image 4. Newly Recruited Officers (Grade-A) with IFSCA Chairperson and Executive Directors

To develop and regulate the financial services market, IFSCA must have the professional expertise in the field of Capital Market, Banking, Insurance, Bullion, Funds Management and FinTech. To this effect, IFSCA issued guidelines for engagement of young professionals, consultants and senior consultants with expertise in these fields. In accordance with the IFSCA guidelines for engagement of consultants on contractual basis the Authority has engaged the consultants as mentioned below

Table 33 - Engagement of Consultants in IFSCA

S. No.	Area of Specialisation	Position	Remarks
1.	Human Resource Management	Sr. Consultant	Full time basis
2.	International Banking Operations	Sr. Consultant	Full time basis
3.	FinTech	Sr. Consultant	Full time basis
4.	Financial Services Centres	Adviser	Part-time basis
5.	Secretarial Assistance	Consultant	Part-time basis

IFSCA provides an opportunity for internship to students who wish to pursue a professional career in the field of financial services. During 2020-21, six students from Gujarat National Law University interned at IFSCA.

Human Resource Management System (HRMS)

IFSCA has employed the OrangeHRM as their HR Management software. It provides the following HR solution services:



Fig.25

HRMS Services

PREPAREDNESS AND EFFORTS TAKEN BY IFSCA TO TACKLE COVID-19

After the first wave of COVID-19 in 2020, India witnessed a second wave beginning in March 2021 which had a much larger impact than the first wave. Amid this pandemic, IFSCA was confronted with the challenge of ensuring the safety and health of its employees and at the same time controlling the spread of the virus in the office workspace. The following steps were taken by IFSCA, which were based on the guidelines issued by the Government of India and the Government of Gujarat:

- i. Periodic tests (RT-PCR) of employees were conducted to enable individuals to isolate themselves in case they were found positive-reducing the chances of further infection.
- ii. Regular sanitization/ fogging drives were undertaken in the office as a preventive method to contain the spread of the virus.
- iii. Availability of sanitisers and masks to all employees was ensured.
- iv. Provision of work from home on alternate working days as per Government of India and the Government of Gujarat guidelines, was extended to the employees.
- v. Office circular regarding COVID-19 preventive steps was also issued which laid down all important rules and procedures to be followed. This ensured strict adherence to COVID appropriate behaviour among employees.
- vi. IFSCA had taken steps to ensure early vaccination for its eligible employees and initiated steps to ensure that the same is extended to all the employees in due course.
- vii. IFSCA had made arrangements with Ginger hotel in association with Global Hospital, Ahmedabad for ensuring priority admission and providing temporary quarantine and isolation facilities for employees of IFSCA. This was done keeping in mind the limited availability of beds in hospitals and to efficiently use the available resources.

With the consistent efforts mentioned above, IFSCA was able to withstand the second wave of COVID-19 and thereby ensure the health and safety of the employees.

DATA APPENDIX

Table 34 - List of Debt Issuances in FY 2020-21

S. No.	Name of Issuer	Debt Securities Listed (USD Mn)
1.	State Bank of India	100
2.	REC Limited	500
3.	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	750
4.	Adani International Container Terminal Private Limited	300
5.	Export-Import Bank of India	1000
6.	State Bank of India	600
7.	Asian Development Bank	41
8.	Power Finance Corporation Limited	500
9.	Adani Ports and Special Economic Zone Limited	500
10.	Indian Railway Finance Corporation Limited	750
11.	REC Limited	500
	Total	5541



International Financial Services Centres Authority

2nd & 3rd Floor, PRAGYA Tower, Block 15, Zone 1,
Road 1C, GIFT SEZ, GIFT City, Gandhinagar, Gujarat - 382 355.

Website : info-desk@ifsc.gov.in



International Financial Services Centres Authority

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

2nd & 3rd Floor, PRAGYA Tower, Block 15, Zone 1,
Road 1C, GIFT SEZ, GIFT City, Gandhinagar, Gujarat - 382 355.

Website : <https://www.ifsca.gov.in/>

दूसरी और तीसरी मंजिल, PRAGYA टॉवर' ब्लॉक 15, जोन 1,
रोड 1सी, गिफ्ट एसईजेड, गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात - 382 355.

वेबसाइट : <https://www.ifsca.gov.in/>